त्रयोदश माला, खंड 34, अंक 31

बुधवार, 30 अप्रैल, 2003

10 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 34 में अंक 31 से 37 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 34, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 31, बुधवार, 30 अप्रैल, 2003/10 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित वार्ता के बारे में	1-4, 397-399
(दो) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में	386-390
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 563, 564, 566, 567 और 569	5-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 565, 568 और 570 से 582	36-87
अतारांकित प्रश्न संख्या 5599 से 5662, 5664 से 5693 और 5695 से 5734	87-278
सभा पटल पर रखे गए पत्र . .	278-285
प्राक्कलन समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन .	285
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन	285
वित्त विधेयक, 2003—पारित	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	287
श्री पी. आर. किन्डिया	289-292
डा. वी. सरोजा	293-297
श्री विनय कुमार सोराके	297-299
श्री के. एच. मुनियप्पा	299-301
श्री जसवंत सिंह	301-345
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
खण्ड 2 से 161 और 1	345-386
कार्य मंत्रणा समिति	
पचासवां प्रतिवेदन	388

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	390-397
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	390, 393-394
श्री अनन्त कुमार	390-393
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	394-395
प्रो. ए. के. प्रेमाजम	395
डा. महेन्द्र सिंह पाल	395-396
नियम 377 के अधीन मामले	399-405
(एक) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण तेजी से किए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा	399-400
(दो) राजस्थान में जयपुर में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान हेतु बनास परियोजना के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	400
(तीन) भुसावल और मुम्बई के बीच सुबह के समय एक सीधी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई. जी. महाजन	400-401
(चार) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दोपहर के समय हवाई सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	401
(पांच) बंगलौर–चेन्नई और बंगलौर–हैदराबाद के बीच तीव्र गति इंटरसिटी रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	401-402
(छह) महाराष्ट्र में नागपुर के मोतीबाग रेलवे वर्कशाप के उन्नयन और नवीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	402-403
(सात) उत्तरांचल राज्य के लिए बजट आवंटन की शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
डा. महेन्द्र सिंह पाल	403
(आठ) बिहार में भागलपुर में एक एल.पी.जी. बौटलिंग संयंत्र लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुबोध राय	403-404

विषय **कॉलम**

(नौ) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आगरा क्षेत्र के किसानों से आलू की खरीद करके उसके निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल 404

(दस) सिलेसिलाए वस्त्रों से उत्पाद शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 404-405

(ग्यारह) बिहार में सहरसा और बैजनाथपुर रेलवे जंक्शन के बीच कारू खिरहर नगर में एक रेलवे ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 405

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक . . 405-480

विचार करने के लिए प्रस्ताव 405-406

श्रीमती सुषमा स्वराज 405-408

श्री शिवराज वि. पाटील 408-413

श्री अनादि साहू 413-416

श्री वरकला राधाकृष्णन 416-421

श्री के. येरननायडू 421-423

श्रीमती रेनु कुमारी 423-424

श्री बालकृष्ण चौहान 424-427

श्री एच. डी. देवगौड़ा 427-431

श्री उत्तमराव ढिकले 431-432

श्री पवन कुमार बंसल 432-440

श्री खारबेल स्वाइं 440-443

डा. वी. सरोजा 444-448

श्री भर्त्तृहरि महताब 448-453

श्री रमेश चेन्नितला 453-457

श्री नवल किशोर राय 457-459

सरदार सिमरनजीत सिंह मान 459-461

विषय

कॉलम

श्री के. एच. मुनियप्पा 461-462

श्री रामदास आठवले 462-464

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 464-468

श्रीमती सुषमा स्वराज 468-478

खण्ड 2 से 33 और 1 478-479

पारित करने के लिए प्रस्ताव 480

लोक सभा

बुधवार, 30 अप्रैल, 2003/10 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित वार्ता के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रभुनाथ सिंह जी को बोलने दीजिए। उनके बाद आप बोलिएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही इनसे आग्रह किया था। अखबारों में समाचार आया है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री से दूरभाष पर काफी लंबे समय तक वार्ता की और उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री को पाकिस्तान आकर वार्ता करने का आमंत्रण दिया ताकि दोनों देशों के बीच जो तनाव है, उसके समाधान के लिए रास्ता ढूंढ़ा जा सके। हम वार्ता के विरोध में नहीं हैं। अगर वार्ता से समाधान हो जाए तो देश की जनता यह चाहेगी कि तनाव समाप्त हो। लेकिन जब जब पाकिस्तान के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए गए हैं, तब तब देश को कोई भारी नुकसान उठाना पड़ा है।...*(व्यवधान)* जिस समय प्रधान मंत्री बस यात्रा करके पाकिस्तान गए थे, उस समय हमें कारगिल का युद्ध झेलना पड़ा। जब आगरा में निमंत्रण देकर मुशर्रफ साहब को भारता में बुलाया तो उसके बाद देश में अनेक तरह की घटनाएं घटीं, चाहे जम्मू–कश्मीर की विधान सभा पर अटैक की घटना हो, उसी के चलते धार्मिक स्थलों पर अटैक की घटना हो या लोक सभा पर हमले की घटना हो।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा हो सकती है। बीएसी में आप कह सकते हैं कि चर्चा हो।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के बयान भी इन बीच के दिनों में आए हैं कि जब तक इस देश के आए आतंकवादी पाकिस्तान वापस नहीं चले जाएंगे, तब तक वार्ता नहीं होगी। यह भी बयान आया था कि जब तक सीमापार से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, तब तक वार्ता नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्न काल शुरू करना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम कहना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी का यह भी बयान आया था कि पाकिस्तान अब हमारे धैर्य का परीक्षण न करे। यह भी बयान आया था कि अब आरपार की लड़ाई होगी। प्रधान मंत्री जी को पहले इस सदन को और देश को विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें सदन में आकर यह बयान देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर कौन सी नई परिस्थिति पैदा हो गई है कि प्रधान मंत्री जी की पाकिस्तान से बात करने की कौन सी बाध्यता हुई है, यही हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे को आप प्राथमिकता दें और इस पर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि विषय महत्वपूर्ण है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब भी वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ है, परिणाम संतोषजनक नहीं आए हैं। हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने पहले भी पहल की थी, पहले वह बस लेकर पाकिस्तान गए थी और उसके बाद आगरा में शिखर वार्ता भी हुई थी, इसके बावजूद भी न सिर्फ सरकार ने और इस सदन ने बल्कि देश ने भी स्वीकार किया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता रहेगा तब तक उससे कोई वार्ता नहीं की जाएगी। यह गंभीर सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा नया वातावरण देश में पैदा हो गया है, कौन से हालात पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से सरकार पाकिस्तान से बात कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा होगी, तब बोलिएगा।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : कल एक भीषण दुर्घटना जम्मू में हुई जहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 13 आतंकवादी मारे गए और हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा नया वातावरण पैदा हो गया है और कौन सा धरातल या नई परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी वजह से यह सरकार पाकिस्तान से बात करना चाहती है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा होगी तब उस समय आप इसे उठाइएगा। अभी बैठिए, मुझे प्रश्न काल शुरू करना है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हम बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बगैर देश और सदन को विश्वास में लिए वार्ता करना कहां तक उचित है? मेरा निवेदन है कि यह बहुत गंभीर सवाल है, इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए और प्रधान मंत्री जी को बयान भी देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, अपने साथियों द्वारा दिए गए तर्कों से मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं। महोदय प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अलग-अलग तरह की बातें कही हैं जिसके परिणामस्वरूप न केवल विवाद बल्कि भ्रांति उत्पन्न हो गई है। इस मुद्दे पर अलग से बहस कराए जाने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर एक विशिष्ट वक्तव्य देने की आवश्यकता है। अभी इन विभिन्न वक्तव्यों ने हमारी भ्रांति को और बढ़ा दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करा रहा हूं, बल्कि जिन सदस्यों ने नोटिस दिए हैं, सिर्फ उनको बोलने का मौका दे रहा हूं। रघुनाथ झा जी आप इतना ही कहें कि आप इस विषय पर सहमत हैं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय प्रधान मंत्री जब जम्मू और कश्मीर के दौरे पर गए तो उन्होंने वहां पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की घोषणा की थी और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दोस्ती दोनों तरफ से होती है। प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था कि पहले पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को रोके, फिर हम बातचीत करेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : पहले प्रश्न काल चलने दें, यह बात शून्य काल में भी उठाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आज शून्य काल नहीं है इसलिए मैंने उनको अभी इजाजत दी है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : बाहरी दबाव में आकर सरकार झुक रही है। सरकार बताए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : मैंने भी नोटिस दिया है।

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر) : میں نے بھی نوٹس دیا ہے۔

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे, तब आप पूछना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात एक वाक्य में कहें।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पंडा (मिदनापुर) : महोदय, इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)* वार्ता के संबंध में पाकिस्तान की बदलती भूमिका प्रशंसनीय है तथापि सीमा पार से आतंकवाद की समस्या अभी भी है फिर भी शांति के प्रयास किए जाने चाहिए इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कोई तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को केवल वार्ता द्वारा ही हल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्न काल प्रारंभ करता हूं।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मधुमेह और हृदय संबंधी रोग

*563. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मिंघम स्थित अलाबामा विश्वविद्यालय और मद्रास मधुमेह अनुसंधान प्रतिष्ठान के प्रमुख डाक्टरों ने भारत में मधुमेह और हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने की पूर्व चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इन रोगों के सबसे ज्यादा रोगी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार द्वारा हृदय रोग के बढ़ते मामलों पर कोई व्यापक अध्ययन करवाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हृदय रोगियों की शल्य चिकित्सा की लागत कम करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में मधुमेह और हृदय संबंधी मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मधुमेह और हृदय रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में कोई राष्ट्रव्यापी आंकड़ा एकत्र नहीं किया जाता है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार बर्मिंघम स्थित अलबामा विश्वविद्यालय और चेन्नई के मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के डाक्टरों ने भारत में मधुमेह और हृदयवाहिका रोग की उच्च घटना दर पर बल दिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1995 में भारत में 19.4 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे और वर्ष 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 57.2 मिलियन (विश्व में पीड़ित लोगों की कुल संख्या का 1/6 वां हिस्सा) होने की आशा है।

जहां तक हृदय रोगों का संबंध है, वर्ल्ड बैंक हैल्थ सैक्टरल पराइरटीज ने अनुमान लगाया है कि भारत में वर्ष 1985–2015 के बीच हृदयवाहिका रोग के कारण होने वाली मौतों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। इंडियन हर्ट जॉर्नल में प्रकाशित सर्वेक्षणों के मेटा एनलाइसिस से पता चलता है कि भारत में कारोनरी हृदय रोग, जो हृदय रोगों में से एक है, की व्याप्तता में 1960–95 से पिछले दशकों में वृद्धि हो रही है। हृदय रोगियों की संख्या 65 मिलियन है जो कुल जनसंख्या का 6.6 प्रतिशत है, जिसमें अतिरिक्त दाब, अरक्तताजन्य हृदय रोग, आघात एवं रयूमेटिक हृदय रोग शामिल हैं। हृदयवाहिका रोग से होने वाली मौतों की संख्या 6,00,000 है जो कुल मौतों की संख्या का 6.8 प्रतिशत है।

देश में मधुमेह और हृदय रोगों का उपचार नियमित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में उपलब्ध है। जटिल रोगों का उपचार देश के विभिन्न भागों में विशेषीकृत संस्थाएं कराती हैं। इनमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी आदि जैसे सरकारी अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ आदि जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। सरकारी संस्थाओं में सर्जरी की लागत या तो निःशुल्क या काफी रियायती (सब्सीडाइज्ड) है। निर्धन रोगियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय रुग्णता सहायता कोष (जो अब राष्ट्रीय आरोग्य निधि के रूप में जाना जाता है) भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

चूंकि मधुमेह और हृदयवाहिका रोग जीवन शैली से जुड़े रोग हैं इसलिए भारत में मधुमेह और हृदयवाहिका रोगों के नियंत्रण के लिए स्वस्थ आहार, शारीरिक कार्यकलाप में वृद्धि, तम्बाकू के सेवन और तनाव से बचाव और वजन में कमी लाना आदि जैसे स्वस्थ जीवन शैली से संबंधित निवारक उपायों को अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों और केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के माध्यम से इन कार्यकलापों पर बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य में यह बताया गया है कि यह अनुमान लगाया गया

है कि वर्ष 1995 में भारत में 19.5 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे और वर्ष 2025 तक इनकी संख्या 57.2 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। हृदय रोगियों की संख्या भी 65 मिलियन है। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, अभी प्रश्न काल चल रहा है, कृपया बीच में बात न करें। मैं मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आपस में बात न करें माननीय सदस्य के प्रश्न को सुनने दें।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान स्वास्थ्य परिचर्चा प्रबंधन संबंधी समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है : "भारत में 2020 तक 100 मिलियन हृदय रोगी हो जाएंगे। इसलिए इतनी खतरनाक स्थिति है कि वर्ष 2020 तक रोगियों की संख्या सौ मिलियन हो जाएगी।

[हिन्दी]

हार्ट डिसीज के लिए सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और बंगलौर में उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल हैडक्वार्टर पर उपलब्ध नहीं हैं। कर्नाटक राज्य में बंगलौर में जयदेव सरकारी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है। पूरे प्रदेश से आम आदमी वहां नहीं जा सकता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रपोजल विचाराधीन है कि डिवीजनल हैडक्वार्टर पर भी प्राथमिक जांच या एंजियोग्राफी जैसी सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि दिल के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है? यह सुविधा कामन मैन एफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यह कास्टली होती है। इसलिए सर्जरी, ट्रीटमेंट और इन्वैस्टीगेशन की सुविधा आम आदमी को, गरीब आदमी को आसानी से उपलब्ध हो, क्या ऐसी कोई योजना सरकार के पास है ताकि वह इसको अलग-अलग राज्यों में डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर प्रोवाइड कर सके ताकि जो डैथ हो रही हैं और जो अलार्मिंग स्थिति पैदा है, उससे बचा जा सके?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, सांसद महोदय ने जो चिंता जताई है, जिसमें कहा है कि कार्डियो वैस्कूलर डिसीज बढ़ रही है, वह चिंता अपने आपमें वैध है। यह सही है कि यह डिसीज बढ़ रही है। इस तरह की डिसीज से लड़ने के लिए टर्शरी हैल्थ केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सुपर स्पेशलिटी डिसीज है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने तय किया है कि टर्शरी केयर जो पहले बहुत कम जगहों पर सीमित थी, इसको बढ़ाने के लिए, आपने अखबारों में भी शायद पढ़ा होगा, हमने एम्स के पैटर्न पर छः नए अस्पताल देश में बनाने की बात कही है। इसके अलावा मेडिकल कालेजेज को अपग्रेड करके यह सुविधा देने की बात कही है। अगर ये छः अस्पताल एम्स के पैटर्न पर तैयार हो जाते हैं और मेडिकल कालेज अपग्रेड हो जाते हैं, उनमें सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का इन्फ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं तो जिस बात की चिंता माननीय सांसद ने व्यक्त की है, उसका बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। सरकारी अस्पताल गरीबों को कैटर करते हैं। बड़े लोगों के लिए प्राइवेट अस्पताल हैं। हिंदुस्तान में जितना प्राइवेट हैल्थ केयर आया है, उसमें जगह-जगह दिल की बीमारियों का इलाज करने की व्यवस्था है, मगर वह महंगी है। गरीब आदमी को वे कैटर नहीं करते। लेकिन जिनका हमने जिक्र किया है, वह सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। जैसे एम्स में गरीबों को सर्जरी वगैरह की सुविधा मुफ्त या बहुत कम पैसों में उपलब्ध होती है उसी तरह से सरकारी अस्पतालों में भी यह सस्ती होगी और उनके द्वार पर भी मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया था जो दिनांक 27 मार्च, 2003 के 'दि एशियन एज' में प्रकाशित हुआ था कि भारत में मधुमेह और हृदसंवहनी रोगों की दर चीन की अपेक्षा अधिक है। इन दो रोगों के मामलों में वृद्धि भारी चिंता का विषय बन गई है। यह विचार डा. वी. मोहन द्वारा व्यक्त किया गया है जो मद्रास मधुमेह अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं।

[हिन्दी]

से जो प्रिवेंटिव मैजर्ज और जो एवेयरनैस कंपेनिंग होनी चाहिए, क्या डायबिटी और दिल की बीमारी के लिए भी ऐसा कोई प्रोग्राम है, जिससे लोगों को मालूम हो सके कि अलग-अलग डिसीज होने का कारण क्या है और उनमें कैसे एवेयरनैस लाई जा सकती है, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह बात सही है कि डायबिटी

के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मधुमेह की बीमारी जो अभी तक संपन्न वर्ग की बीमारी मानी जाती थी या शहरी वर्ग की बीमारी मानी जाती थी, वह निर्धन तबके में भी बढ़ रही है और देहातों में भी फैल रही है। भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम लिया गया था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर वह कार्यक्रम नहीं चला। जैसा अभी सांसद महोदय ने कहा है, इस बात को समझते हुए कि डायबिटीज अपने आपमें बीमारियों की नींव है, अगर एक बार यह शरीर में आ जाती है तो अन्य बीमारियों के लिए रास्ता खुल जाता है। इसके लिए एवेयरनैस कैंपेन की जरूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर एक–एक कार्यक्रम की जरूरत सरकार महसूस कर रही है। जहां तक एवेयरनैस का सवाल है, यह बीमारी ऐसी है, जिसमें सही जानकारी दी जाए तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। जैसे मोटापा इसकी बहुत बड़ी जड़ है, खानपान ठीक कर लिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। सैर या व्यायाम इसमें डाल दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के उपयोग से भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर इन सब चीजों की जानकारी लोगों को दे दी जाए तो इससे बचा जा सकता है। हम इन्फार्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का एक पैकेज मधुमेह के लिए तैयार कर रहे हैं। चार वीडियो स्पॉट तैयार हैं, जो दूरदर्शन और बाकी जगहों पर दिखाए जाएंगे। इसकी गंभीरता सांसद महोदय ने जो रखी है, मैं इसकी गंभीरता को शेयर करती हूं और कहना चाहती हूं कि निश्चित तौर पर इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए हम व्यापक उपाय करेंगे।

श्री मोहन रावले : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में डा. अपर्णा नांदेड़कर और उनके भाई रवि नांदेड़कर, जो एम–फार्मा भी हैं, उन्होंने मधुमेह पर रिसर्च किया है। उन्होंने एंटी–डायबैटिक हर्बल बनाकर 5000 मरीजों को दिया और संसार में पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें से पांच मरीज मधुमेह से मुक्त हो गए। जुरिच यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैडीसन एंड रिसर्च और एथनोफार्माकालॉजी की तीन संस्थाओं की ओर से उन्हें स्विट्जरलैंड में एक कांफ्रेंस में बुलाया और उस कांफ्रेंस में उन्होंने अपना प्रैजेंटेशन दिया। उनके द्वारा 6 महीने कोरेस्पौंडेंस करने के बाद 3 सप्ताह से 7 सप्ताह में "नैचुरल प्रोडक्ट रिसर्च एंड चैलेंजेज इन द न्यू मिलेनियम" कांफ्रेंस में उन्हें बुलाया गया और उस कांफ्रेंस में अलग–अलग देशों के 56 वैज्ञानिक वहां आए थे और वहां उनकी दवा की सराहना की गई। कांफ्रेंस का उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता डा. रिचर्ड ने किया था। वहां जजों का पैनल था और उसी कमेटी ने उनकी एंटी–डायबिटिक हर्बल को अप्रूव किया। मैडम, मुझे भी मधुमेह है और आज सुबह मैंने उनको फोन किया था, उनकी दवा मैं भी ले रहा हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार उनका पेटेंट लेना चाहती है तो वे सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। क्या आप उनका पेटेंट लेना चाहेंगे और उनको आगे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सांसद के प्रश्न से जो मूल भावना निकलती है वह यह है कि हर्बल मैडीसन भी मधुमेह में प्रासंगिक हो सकती है, प्रभावी हो सकती है, यह बात सच है। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां जो हैल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम मधुमेह को ठीक करते हैं उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा सबका समावेश है। इन्होंने जो एक स्पैसिफिक डाक्टर की रिसर्च के बारे में बात की है, हम वह रिसर्च मंगाकर देखेंगे। अगर हमें लगता है कि वह रिसर्च फायदेमंद है और आम जनता के फायदे के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है तो इस बारे में हम कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, लगभग तीन वर्ष पूर्व, चिकित्सा क्षेत्र में एक महान क्रांति हुई थी जब "जीन का मैपिंग" किया गया था। उस समय यह बताया गया था कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बुखार के साथ मधुमेह की रोकथाम के लिए दवाएं दो वर्ष के भीतर बनाई जा सकती हैं। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी दवाओं के उत्पादन हेतु हमारे देश में कोई अनुसंधान और विकास किया गया जो मधुमेह को रोक सकें?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मधुमेह के स्तर पर रिसर्च एंड डैवलेपमेंट का काम एक निरंतर होने वाला कार्य है, जो लगातार चलता रहता है और हमारी एक नहीं विभिन्न विधाओं में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। आप तो केवल माडर्न मैडीसन की बात कर रहे हैं लेकिन आयुर्वेदी और होम्योपैथी में भी मधुमेह की रिसर्च चल रही है, उसी का परिणाम है कि छोटी–छोटी जगहों पर भी मधुमेह के रोगी ठीक हो रहे हैं। मेरा यही कहना है कि यह एक निरंतर चलने वाला काम है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मधुमेह और हृदय रोग के लिए कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। यदि भारत सरकार का वार्षिक बजट देखा जाए तो उसमें जो धनराशि स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराई गई है वह धनराशि वही है जो गत वर्ष उपलब्ध कराई गई थी। उस राशि को बढ़ाया नहीं गया है। मेरा कहना है कि इस देश के 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं और 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। गांवों में बहुत ज्यादा प्रतिशत ऐसे लोगों का है जो यह नहीं जानते हैं कि उन्हें मधुमेह या हृदय रोग है या नहीं। वे गरीबी की वजह से अपनी जांच कराने के लिए, पैसा खर्च करके, चिकित्सा लेने के लिए शहरों तक भी नहीं आ सकते हैं। ऐसे लोग जो गांवों में रहते हैं, जिनके अंदर बीमारी छिपी हुई है, उनकी अनभिज्ञता या आर्थिक कमी की वजह से, वे बीमारी के इलाज के लिए सुविधा नहीं जुटा पाते हैं, उनके लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है? आपने कहा है कि 'एम्स' की कुछ ब्रांचेज खोलना चाहती हैं। मेरा निवेदन है कि अभी रीवा जिले में 800 बिस्तरों का आधुनिक तरीके से सुसज्जित अस्पताल निर्मित हुआ है। गत वर्ष हमारी नेता, कांग्रेस की नेत्री, श्रीमती सोनिया गांधी ने उस अस्पताल का उद्घाटन किया है, जो ओपेक कंट्रीज की मदद से बना है। उस अस्पताल का भवन बहुत विशाल है और वहां सारी सुविधाएं हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या उस अस्पताल को आप एम्स की ब्रांच के रूप में लेने के लिए सहमति देंगी? मेरा आग्रह है कि उस अस्पताल को लिया जाए, जिससे पिछड़े क्षेत्र के गरीब लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक पूरक प्रश्न में तीन पूरक प्रश्न पूछे हैं, मैं तीनों प्रश्नों का अलग-अलग उत्तर दूंगी। पहली बात उन्होंने कही है कि गत वर्ष के मुकाबले स्वास्थ्य के मद में जो धनराशि रखी गई है, उसको बढ़ाया नहीं गया है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि सन 2002-2003, दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था। इसलिए जो बजट एस्टीमेट रखे गए थे, वे पूरे के पूरे खर्च नहीं हो सके। जब दोबारा बजट बनता है, तो यह देखा जाता है कि पिछले वर्ष में कितना खर्च हुआ और उसके आधार पर राशि बढ़ाई या घटाई जाती है। चूंकि, वह पैसा पूरे का पूरा खर्च नहीं हो सका है, इसलिए यह विचार रखा गया कि इस बार जो बजट अनुमान है, वह पिछले संशोधित अनुमान के मुकाबले कम नहीं होगा, उसके अनुरूप ही होगा। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। इस बार हम ज्यादा खर्च करेंगे, तो हमें संशोधित अनुमान ज्यादा मिलेगा। हम इस बार ज्यादा खर्च करके दिखाएंगे, संशोधित अनुमान में इस राशि को बढ़ाने की बात करेंगे तथा उसके लिए आप सबका सहयोग चाहेंगे।

दूसरी बात कही गई कि लोग बीमारी से अनभिज्ञ होते हैं, क्या हमारे पास उनके लिए कोई योजना है। महोदय, आपने स्वयं अपने क्षेत्र में हैल्थ मेला यानी स्वास्थ्य मेला लगाया, जिसमें लोगों के द्वार पर जाकर उनके खून की जांच की गई, जिससे उनको पता चल पाया कि उनको डायबिटीज है या नहीं। हम छोटे-छोटे इन्वैस्टीगेशंस करके उनको बताते हैं। आपके क्षेत्र में यह मेला सफल हुआ है। लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने इन्वैस्टिगेशंस उनके द्वार पर हो सकते हैं, स्वास्थ्य मेले द्वारा उनमें अवेयरनैस आई। इन्वैस्टिगेशन करके हम उन्हें बताते हैं। वह हमारा प्रयोग बहुत सफल सिद्ध तथा बाद में वे इलाज करा सकते हैं, खून की जांच करा सकते हैं। हमारी सरकार की हैल्थ मेला अवेयरनैस लाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और इसके माध्यम से जांच करवाने में सहायता होती है।

तीसरी बात, ओपैक कंट्रीज द्वारा निर्मित जिस अस्पताल की बात तिवारी जी ने कही है, वे मुझ से स्वयं मिले थे और उनको मेरा उत्तर मालूम है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे खुशी होगी, अगर बना बनाया अस्पताल मिल जाये, तो रिकरिंग एक्सपैंसेस से हम एम्स चला सकेंगे। यह अच्छी बात है कि आपकी अध्यक्षा वहां गई थीं। अगर आपकी अध्यक्षा या आपके मुख्यमंत्री, जो आप ही के दल के हैं, से एक पत्र लिखवा दें कि हम रीवा स्थित अस्पताल को ले लें और उसे रिकरिंग एक्सपैंडिचर के आधार पर एम्स के रूप में चलाएं। जैसा मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन दिया था और मैं सदन में भी आश्वासन देती हूं कि अगर वह अस्पताल मिलता है, तो बिल्डिंग का हमारा खर्च बच जाएगा, 800 बिस्तरों का अस्पताल अगर हमें मिलता है, तो हम उसे एम्स की ब्रांच के रूप में चला देंगे, लेकिन इस संबंध में पत्र आपके मुख्य मंत्री जी के यहां से आना चाहिए कि वे एम्स के रूप में इस अस्पताल को चलाने देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 564, श्री रघुराज सिंह शाक्य – अनुपस्थित।

श्रीमती श्यामा सिंह।

भेषज आयातकों द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन

***564. श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में भेषज (ड्रग) आयातकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की स्वीकृति के बिना खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत भेषजों के आयात की अनुमति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या भेषज आयातकों ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन किया है; और

(ड) यदि हां, तो सरकार द्वारा भेषज आयातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ड) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के विभिन्न उपबंधों में संशोधन करने के लिए दिनांक 24 अगस्त, 2001 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि.सं. 604 (ड) प्रकाशित करके देश में आयात से पहले विदेशी औषध विनिर्माताओं और प्रत्येक औषध के विनिर्माण परिसरों के पंजीकरण हेतु एक नया उपबंध शामिल किया है। नई पंजीकरण अपेक्षाएं 1 अप्रैल, 2003 से लागू हो गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ड) इस मंत्रालय को पंजीकरण अपेक्षाओं में निर्धारित मानदंडों का आयातकर्ताओं द्वारा उल्लंघन किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस देश में दस प्रतिशत लोगों को ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त हैं और वे बहुत भाग्यवान हैं। सरकार इस देश के शेष 90 प्रतिशत लोगों की देखभाल कैसे सुनिश्चित करती है जिन्हें अंग प्रत्यारोपित जैसे जीवन रक्षक उपचार की जरूरत है? कांग्रेस के पूरे शासन काल में अंग प्रत्यारोपण के संबंध में कोई शुल्क नहीं लगाया गया। सरकार ने अंग प्रत्यारोपण पर आठ प्रतिशत कर कैसे लगा दिया जो जीवन रक्षक उपाय भी है? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है कि निर्धनता पीड़ित क्षेत्र में लोगों की पहुंच अंग प्रत्यारोपण जैसे बहुत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपचार तक हो? धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ड्रग्स इम्पोर्ट और रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। वैसे ये दोनों पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं निकलते हैं लेकिन मैं आपकी अनुमति से जवाब देना चाहूंगी। जहां तक सीजीएचएस का सवाल है, यह योजना केवल सेवारत सरकारी कर्मचारियों और सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

श्रीमती श्यामा सिंह : जो केवल 10 परसैंट है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह 10 परसैंट इसलिए है क्योंकि वह योजना केवल उनके लिए हैं। सीजीएचएस की योजना केवल सर्विंग गवर्नमैंट एम्पलाई और रिटायर्ड गवर्नमैंट एम्पलाई के लिए है। यदि पूरे देश के 10 फीसदी लोग उसमें आते हैं, सीजीएचएस उनके लिए है लेकिन जैसा मैंने कहा कि देश में केवल सीजीएचएस द्वारा ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा देश में सरकारी अस्पताल हैं–जैसे दिल्ली की बात करें, यहां केवल सीजीएचएस नहीं है, आरएमएल, सफदरजंग, एम्स भी है। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ है, जेआईपीएमईआर पांडिचेरी है, पीजीआई लखनऊ है। मैं केवल केंद्र सरकार के अस्पतालों की बात कर रही हूं। हैल्थ स्टेट सबजैक्ट है। सारे प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स, कम्युनिटी हैल्थ सैंटर्स

राज्य सरकारें चला रही हैं। आम जनता सीजीएचएस के अंतर्गत नहीं आती है। उन्हें बाकी दायरों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा दिलाई जाती है। जहां तक लिम्ब इम्पलांटेशन पर ड्यूटी लगाने का सवाल है, वह वित्त मंत्रालय से संबंधित मामला है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय उनको लिखता जरूर है लेकिन उनके अपने कंसट्रेन्ट्स हैं जिन के माध्यम से वे यह सब तय करते हैं। उन्होंने ड्यूटी क्यों बढ़ाई या क्यों नहीं बढ़ाई या क्यों 5 परसैंट पर लेकर आए, इनका जवाब वित्त मंत्रालय दे सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं दे सकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : मुझे अपने प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह मूल प्रश्न से नहीं था किंतु फिर भी उन्होंने उत्तर दिया है। अतः आप अपना पूरक प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : क्या सरकार को जानकारी है कि जिन औषधों का विदेशों से आयात होता है उनके लिए बड़ी लंबी–चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? यह मंत्रालय पहुंचती है, मंत्रालय इसे विभाग को भेजता है और अनेक विभाग हैं जो इसे देखते हैं। यदि उस समय तक वे औषधियां, जिनका वास्तव में आयात करने की आवश्यकता है, यहां पहुंचती हैं तो बहुत समय गुजर जाता है जब तक इस पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए क्या आयात के इस कार्य को सुदृढ़ बनाया जाएगा और आयात की लंबी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, सर्क्यूटस रूट बिलकुल नहीं है। इसके लिए बकायदा जगहें तय हैं कि वे केवल इन्हीं रेलवे स्टेशनों, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर आएंगी। ऐसा भी नहीं है कि इसमें पूरे देश की व्यापकता को सामने रखा गया है। इसमें केवल दो विभाग आते हैं–कस्टम और हैल्थ। कस्टम वाले किसी कनसाइनमैंट के पोर्ट पर आने के बाद, हैल्थ आफिसर को एक बार कहते हैं कि आप इसे देख लीजिए कि क्या यह सब तरह से सही है? जब हैल्थ ऑफिसर सर्टिफिकेट देता है तभी कस्टम ऑफिसर उसे क्लीयर करता है। इसमें कोई तीसरा विभाग नहीं आता है। इन दोनों विभागों का आना जरूरी है क्योंकि कस्टम ऑफिसर को पता नहीं होता है, जब तक वह हैल्थ ऑफिसर से इसके बारे में यह सर्टिफिकेशन न ले ले कि क्या वहां से आई दवा सही है?

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि औषधों के आयात संचालन संबंधी प्रतिबंध और विनियमन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इसका एक उद्देश्य उन औषधों को रोकना है जो विदेश में प्रतिबंधित हैं। यदि यह मामला है तो वे प्रमुख औषधें कौन सी हैं जो विभिन्न विकसित देशों में प्रतिबंधित हैं फिर भी जिनका आयात भारत में किया जा रहा है?

इसी प्रश्न का भाग (ख) यह है, जीवनरक्षक औषधों के आयात तथा उनके मूल्यों को आम आदमी की पंहुच के भीतर रखने के बारे में सरकार की नीति क्या है जो मुख्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत जान लेवा बीमारियों की औषध के रूप में जानी जाती है। अंत में, देश के कल्याण का आकलन लोगों के स्वास्थ्य से किया जाता है। हमारे देश में, आज दुर्भाग्य से अध्यक्ष महोदय, खर्च किए गए प्रति सौ रुपये में से स्वास्थ्य पर 0.34 पैसे ही खर्च होते हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह अगले वर्ष के बजट में अधिक आवंटन की मांग करेंगी। किंतु इसके अतिरिक्त, मैं इस बात की अनुशंसा और सुझाव देता हूं कि बजट आवंटन की जवाबदेही की जांच करें कि धनराशि कैसे खर्च की जा रही है और क्या यह धनराशि निर्धारित प्रयोजन हेतु खर्च की जाती है?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी सवाल से जवाब देना शुरू करूंगी क्योंकि माननीय सदस्य ने चार–पांच सवाल एकसाथ किए हैं। माननीय सदस्य ने आखिर में पूछा कि क्या एकाउंटेबिल्टी ऑफ बजट है? अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं यहां स्टैंडिंग कमेटियों का एक सिस्टम बनाया है, हर मंत्रालय का बजट स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, जो वहां माइक्रोस्कोप लगा कर देखा जाता है। उनमें 45 लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य बैठते हैं। यदि कहीं बजट खर्च नहीं होता है, वे पिक्चर साफ करते हैं और अपनी टिप्पणियां देते हैं। संसद से बड़ी और कौन सी संस्था हो सकती है, जिनके प्रति मंत्रालय उत्तरदायी हो। यहां बकायदा एकाउंटेबिलिटी

का सिस्टम है। इसके अलावा गवर्नमैंट का सी, एंड ए.जी. डिपार्टमैंट है, यानी कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बजट को देखते हैं। हमारे यहां पब्लिक एकाउंट्स कमेटी भी है, जो इसे देखती है। संसदीय जनतंत्र में उत्तरदायित्व की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं से बाहर कोई मंत्रालय नहीं जा सकता है। संसदीय जनतंत्र में बजट के साथ एकाउंटेबिलिटी खास तौर पर भारत में बहुत ज्यादा रखी गई है। जहां तक उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का ऑबजैक्टिव क्या है, इस पॉलिसी के दो ऑबजैक्टिव्स हैं–बाहर से सही ड्रग्स इम्पोर्ट हो और सही ड्रग्स मार्किट में जाए। आखिर हम यह पॉलिसी क्यों लाए? इस पॉलिसी के पीछे स्वयं इंडियन ड्रग्ज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, बल्क ड्रग्ज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, कैमिकल ऑफ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री का कहना था कि जब वे अपनी कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां इतना स्ट्रिक्ट रिजिम है कि वे उनकी चीजें 20 जगहों पर दिखवाते हैं, 20 तरह की शर्तें वे लोग लगाते हैं लेकिन हमारे यहां इतना लिबरल रिजिम है। इसलिए हमने तय किया है कि रिट्रक्चर रैगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके लिए यह ड्रग पॉलिसी आई। उस ड्रग पॉलिसी के चलते ड्रग की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बैनड ड्रग के बारे में कहा। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि यह बिलकुल सच बात नहीं है। हमारे यहां जो अप्रूव्ड ड्रग्ज हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। हम उन्हें स्वयं अप्रूव करते हैं। अनअप्रूव ड्रग्ज हमारे मार्केट में आती है नहीं। इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हमारे यहां जो अपनी अप्रूव्ड ड्रग्ज हैं, उनके लिए यह रजिस्ट्रेशन पॉलिसी आई है। माननीय सदस्य ने जिन प्रश्नों से सरोकार रखा, मुझे लगा कि मैं एक बार उन सब का समाधान कर दूं।

[अनुवाद]

गरुड़ मोबाइल सेवा

***566. श्री सुबोध मोहिते** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की गरुड़ मोबाइल सेवा के तहत नए उपभोक्ताओं को टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करने में कोई समस्या आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने हेतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किए गए आयात का ब्यौरा क्या है और ये आयात किन–किन देश और कंपनियों से किया गया;

(घ) क्या आयात किए गए सभी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गरुड़ मोबाइल सेवा की बेहतर कनेक्टिविटी सेवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई, दोनों इकाइयों में नए उपभोक्ताओं को गरुड़ मोबाइल सेवा की कनेक्टिविटी देने में कोई समस्या नहीं है। भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तार योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग) एमटीएनएल केवल दिल्ली और मुंबई में ही सेवा प्रदान करता है। इन दोनों महानगरों में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) मोबाइल सेवा (गरुड़) उपलब्ध कराने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल द्वारा किए गए आयात का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चरण–I के लिए आपूरित सभी आयातित उपस्कर एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई इकाइयों में इस्तेमाल कर लिए गए। एमटीएनएल, दिल्ली के लिए चरण–II के उपस्करों की आपूर्ति जनवरी, 2003 में हुई तथा इन्हें 24.4.2003 को चालू किया गया है। एमटीएनएल, मुंबई में उपस्कर प्राप्त हो गए हैं तथा इनकी संस्थापना/चालू करने का कार्य जुलाई, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(च) कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए चरण–II को चालू करने के दौरान अतिरिक्त बेस स्टेशन ट्रांस रिसीवर्स (बीटी) (एमटीएनएल, दिल्ली में 46 और एमटीएनएल, मुंबई में 27) लगाए जा रहे हैं।

अनुबंध

डब्ल्यूएलएल मोबाइल सेवा के लिए एमटीएनएल द्वारा आयातित उपस्कर का ब्यौरा

एमटीएनएल, दिल्ली

उपस्कर	लागत	कंपनी, जिसके माध्यम से आयात किया गया	देश
अवसंरचना उपस्कर			
चरण–I 50,000 लाइनें	$69,93,406 (यूएसडी)	मै. मोटरोला इंकॉ. से आयातित	अमेरिका तथा चीन
चरण–II 100,000 लाइनें	$1,05,43,411 (यूएसडी)	मै. मोटरोला इंकॉ. से आयातित	अमेरिका तथा चीन
हैंडसेट तथा वॉल सेट			
45000 (30000 एचएचटी और 15000 एफडब्ल्यूटी)	76,77,75,000/– रु.	एचएफसीएल	द. कोरिया
1000	1,78,95,000/– रु.	एचएफसीएल	द. कोरिया
3750	5,31,18,750/– रु.	एलजी इलैक्टॉनिक्स सिस्टम इंडिया लि.	द. कोरिया
1250	1,77,06,250/– रु.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज	द. कोरिया
30000 (खरीद आदेश दे दिया गया)	15,00,12,900/– रु.	एक्सएल टेलीकॉम	अमेरिका

नोट : एचएचटी–हैंड हैल्ड टर्मिनल एफडब्ल्यूटी–फिक्स्ड वायर टेलीफोन

एमटीएनएल, मुंबई

उपस्कर	लागत	कंपनी, जिसके माध्यम से आयात किया गया	देश
अवसंरचना उपस्कर			
चरण–I 50,000 लाइनें	46,95,28,944/– रु.	मै. फुजीत्सु लि.	जापान
चरण–II 92,000 लाइनें	53,22,66,028/– रु.	–वही–	–वही–
हैंड सैट			
30000 (खरीद आदेश दिया गया)	15,00,12,900/– रु.	एक्सएल टेलीकॉल	अमेरिका

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गरुड़ मोबाइल सेवा से संबंधित है जिसका थीम क्वालिटी है। एमटीएनएल द्वारा गरुड़ सेवा की गुणवत्ता क्या है? मैं इस प्रश्न के बारे में रैफ्रेंस देना चाहूंगा कि सेम क्वैश्चन दिनांक 12 मार्च, 2003 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न के रूप में पूछा गया था। उस प्रश्न के संबंध में तीन बातें उत्तर में दी गई हैं। इसमें पहली बात है कि क्या गरुड़ से इस बारे में कम्पलेंट्स प्राप्त हुई थीं। इस तरह तीन प्रकार की मेजर कम्पलेंट्स गरुड़ सर्विस की प्राप्त हुई थीं। उसमें एक कवरेज के बारे में है, दूसरी कंपलेंट फाल्स रिंग बैक टोन की प्राप्त

हुई थी और तीसरी कंपलेंट हैंडसैट की क्वालिटी के बारे में प्राप्त हुई थी। ये तीनों कंपलेंट्स प्राप्त होने के बाद गरुड़ सर्विसेज ने जो एक्शन लिया है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने उक्त अतारांकित प्रश्न में दिया है। उसमें सब से पहले यह बताया गया कि वैंडर्स 'फुजिस्तु' है, जिसे सरकार पर्स्यु कर रही है।

[अनुवाद]

जहां तक हैंडसैट का सवाल है वे बेहतर गुणवत्ता वाले हैंडसैटों की वसूली और व्यवस्था कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मिनिस्ट्री ने बताया है कि हमारी सेवा दोषमुक्त तकनीकी आर्थिक सेवा नहीं है।

[अनुवाद]

जब हम इनफीरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंपलेंट्स आई हैं, जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। घटिया सेवा प्रत्यक्षतः धन के दुर्विनियोग के अनुरूप है। यह प्राकृतिक समीकरण है। यह क्रय प्रक्रिया अथवा उपकरण की गुणवत्ता में हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप घटिया प्रकार की सेवा हो सकती है।

[हिन्दी]

मेरा सवाल यह है कि जब लाइक टू लाइक बेसिस पर जो इक्विपमेंट परचेज किया गया, जिनकी लिस्ट करोड़ों–अरबों रुपये में दी गई है, उसका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता, क्या दूसरी कंपनी के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ, उसका क्वालिटीवाइज और लाइकवाइज कम्पैरिजन किया गया कि उसका स्टेटस इनफीरियर है या सुपीरियर है? इस प्रकार की इनफीरियर सर्विसेज रिपीट न होने देने के लिए क्या सरकार एप्रोपरियेट अथारिटी से थौरो इन्क्वायरी कराना चाहती है?

श्री अरूण शौरी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा कि इसमें जो प्राब्लम आई, वह फुजिस्तु इक्विपमेंट की तरफ से आती है। माननीय सदस्य ने तीन तरह की प्राब्लम्ज़ का जिक्र किया कि कवरेज ठीक नहीं थी, फाल्स रिंग बैंक टोन आती थी और हैंडसैट्स की सप्लाई में डेफिशिएंसी थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि, उसके लिए एक्शन लिया गया है। फुजिस्तु कंपनी को मुंबई प्रोजैक्ट के लिए जो पेमेंट होनी थी, वह 90 करोड़ रुपये थी। उनके 34 करोड़ रुपये विदहोल्ड कर लिए गए, पेमेंट नहीं किया गया और दूसरे जो उनकी परफॉर्मेन्स गारंटी नौ करोड़ रुपये की थी, वह भी सरकार ने अभी रखी हुई है। सैकिंड फेज में, मुंबई के लिए उन्हें 87 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन उसमें से अभी कुछ भी पैसा नहीं दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो उन्होंने कवरेज के लिए तीन और टॉवर्स लगाने थे, वे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए हैं। इसके अलावा वे अपनी कॉस्ट पर सोफ्टवेयर पैकेज तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जो रोंग टोन आती थी, जैसे मैं आपको फोन करूं, आपका फोन उस दायरे से बाहर है, फिर भी मुझे लगे कि आपको रिंग हो रही है, उसे सोल्व करने के लिए भी वे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। उस समय तक कोई भी पेमेंट रिलीज नहीं की जाएगी।

श्री सुबोध मोहिते : सर, मेरा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी ओपनली स्वीकार कर लिया है कि उसमें इनफीरियर क्वालिटी है जिसके लिए मिनिस्ट्री ने तीन एक्शंस लिए हैं। 90 करोड़ रुपये में से 34 करोड़ रुपये आपने विदहोल्ड कर लिए हैं, परफॉर्मेन्स गारंटी नौ करोड़ रुपये नहीं दी है और 87 करोड़ रुपये में से भी आपने कुछ नहीं दिया है–इसका मतलब है कि आपने सिस्टम की इनफीरियर क्वालिटी को स्वीकार कर लिया है। मेरा ओरिजनल सवाल यह था कि क्या आप इसकी एप्रोपरिएट अथॉरिटी से इनवैस्टीगेशन कराएंगे। पब्लिक इंटरैस्ट में इनवैस्टीगेशन के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : सभी नई पद्धतियों में जब कोई नई पद्धति शुरू होती है तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। मैं कहना नहीं चाहता किंतु गैर–सरकारी पद्धतियों के मामले में भी जब वे नई प्रणालियां शुरू कर रहे हैं तो यदि आप ग्राहकों को दी गई सेवाओं को देखें तो आप देखेंगे कि ग्राहक अनेक बातों की शिकायत कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, बिल के मामले में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : मैं आपके साथ हूं कि हम सभी विशेषकर एमटीएनएल और बीएसएनएल से अच्छी सेवा लेना और सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम सभी में उसके बारे में स्वामित्व

की भावना है। मोटरोला, फुजित्सु और ल्युसेंट प्रौद्योगिकियों से कठिनाइयां हुई हैं और आज निजी आपरेटर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि आज रिलायंस के रोल आउट में कठिनाइयां हैं। इसलिए प्रत्येक रोल आउट में इस प्रकार की कठिनाइयां होंगी और इन कंपनियों पर दबाव डालने का सर्वोत्तम तरीका लंबी न्यायिक जांच नहीं है बल्कि भुगतान को रोककर रखना और भुगतान योग्य क्षतियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। इसलिए मैं इसके लिए काम करूंगा और हम बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा की ओर प्रयास करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते, आपने जो प्रश्न पूछा था, आपका पूरक प्रश्न था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसा प्रश्न है कि उसमें टेक्नीकल डिफैक्ट है, यह उसका एक पार्ट है। किंतु उपकरण और सेवाओं की उपलब्धता के बारे में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किरीट जी, आप एक मिनट रुकिए। मोहिते जी, आप पूछिए।

श्री सुबोध मोहिते : सर, मेरा सैकिंड सप्लीमैंटरी प्रश्न वही है जो मेरा पहला मेन प्रश्न था। मैंने पूछा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर जो परचेज की गई है, क्या उसका कम्पैरीजन कराया गया है। मुझे इसका जवाब नहीं मिल, क्या आप इसकी इंक्वायरी करेंगे?

मेरा तीसरा सवाल यह था कि जो लोग इनफीरियर क्वालिटी की वजह से सफर कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए कोई कम्पैनसेशन इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग ऑफ प्राइस दे रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोघ मोहित, कृपया प्रश्न को दोहराइए।

(व्यवधान)

श्री सुबोध मोहिते : क्या आपने इस उपकरण की तुलना अंतर्राष्ट्रीय मानक उपकरण से की है? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप कोई जांच कर रहे हैं अथवा नहीं? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या आप लोगों को घटिया सेवा प्रदान करने के लिए कोई मुआवजा पैकेज अपना रहे हैं?

श्री अरूण शौरी : महोदय, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपूर्तिकर्ताओं से क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा लेने का प्रावधान है यदि उनका उपकरण अच्छा नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं अभी आपकी बात पर आऊंगा...*(व्यवधान)* दूसरे अब पैकेज के रूप में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। आपको कोई चोट नहीं पहुंची है। शिकायतों के लिए दो तंत्र हैं। एक तंत्र तो आपको ग्राहक संरक्षण अधिनियम के तहत प्राप्त है...*(व्यवधान)* एक सेकेंड के लिए आप नाराज न हों...*(व्यवधान)* ग्राहक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई उपभोक्ता मुआवजा मांग सकता है। दूसरे यदि कोई ग्राहक समूह है जो इस प्रकार घायल हुए हैं तो वे इस संबंध में मुआवजे के निपटान हेतु इन अधिनियमों के अंतर्गत ट्राई और टीडीएसएटी में अपील कर सकते हैं।

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार की क्षति के लिए मुआवजा देय है। दूसरे, हमें यह देखना है कि क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की गई अथवा नहीं। ये सभी सेवा प्रदायक सदैव अन्य लोगों से बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में निविदा द्वारा उपकरण लिया गया। एक निविदा निर्धारण समिति है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने परिणाम पर पहुंचने से पहले विभिन्न मानदंडों से इन चीजों की तुलना की होगी।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर में लिखा है कि "भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए विस्तार योजना शुरू की गई है। वह क्वाइट चीपर है और मुंबई में बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी में बहुत तकलीफ आ रही है। इस दृष्टि से यदि वह सस्ता है तथा आम आदमी के लिए लाभकारी है तब उसे ज्यादा पॉपुलर करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए आपका क्या प्लान है, मुंबई में यह सेवा कैसे अवेलेबल होगी? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में आप मुंबई के सांसदों की कोई जाइंट मीटिंग करेंगे, ताकि इस समस्या का कुछ समाधान किया जा सके और एमटीएनएल सेवा की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके?

श्री अरूण शौरी : अध्यक्ष महोदय, जब भी माननीय सांसद चाहें, मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूं। मुझे उस मीटिंग से कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपको तो मालूम ही है कि आपकी अध्यक्षता में एमपी लैड्स की मीटिंग मुंबई में होती थीं।

जहां तक एक्सपेंशन की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई में डब्ल्यूएलएल की टोटल कैपेसिटी 50 हजार है और 49,500 सब्सक्राइबर हैं। वहां एडीशनल 90 हजार लाइनें लगाने की प्रक्रिया जारी है और मुझे आशा है कि जुलाई तक वह आपरेशन में आ जाएंगी।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, बीएसएनएल ने सारे देश में मोबाइल सेवा प्रारंभ की है। आज कंपटीशन के दौर में बीएसएनएल को रिलायंस जैसी बड़ी–बड़ी कंपनियों से कंपटीशन करना है और अगर बीएसएनएल कंपीट नहीं कर पाती है, तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। बीएसएनएल का कनैक्शन बहुत से शहरों में आज की तारीख में लेना, दुर्लभ है।

महोदय, मुंबई और दिल्ली में बीएसएनएल के कनैक्शन कितनी आसानी से मिलते हैं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने शहर कानपुर की बात करता हूं, जहां पर दो–दो और तीन–तीन महीने से उपभोक्ता लगातार इस प्रतीक्षा में हैं कि उन्हें कनैक्शन मिल जाए, जबकि दूसरी कंपनियों के मोबाइल कनैक्शन 24 घंटे और 48 घंटे में प्राप्त हो जाते हैं।

महोदय, बीएसएनएल की दूसरी शिकायत यह है कि इसकी सेवाएं बहुत पूअर हैं, कभी–कभी तो आधे–आधे घंटे तक कनैक्शन नहीं मिलता है और यदि बीएसएनएल मोबाइल से किसी दूसरी मोबाइल सेवा के उपकरण पर फोन किया जाए, तो जल्दी कनैक्टिविटी नहीं मिलती है। क्या इस कंपटीशन के दौर में इतनी सारी कमियों और कमजोरियों के रहते हुए बीएसएनएल हिंदुस्तान में तमाम बड़ी कंपनियों के मुकाबले में टिक पाएगा?

महोदय, मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि जैसे मैंने कानपुर का उदाहरण दिया कि वहां तीन महीने से पहले मोबाइल कनैक्शन प्राप्त नहीं होता है, क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि इसके क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर कर के उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे? दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि बीएसएनएल की सेवा को बड़ी–बड़ी कंपनियों के मुकाबले में सुधार कर उसी प्रकार प्रवाहित करने के लिए, जिस प्रकार से कि अन्य कंपनियों की सेवाएं प्रवाहित होती हैं, आप प्रयास करेंगे, ताकि विलंब से बचा जा सके एवं दूसरी मोबाइल सेवाओं से सीधी तथा शीघ्र कनेक्टिविटी हो सके?

श्री अरूण शौरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं के 22 लाख कस्टमर बन चुके हैं। देश में लार्जेस्ट मोबाइल फोन कंपनी भारती है जिसके इतने सालों के प्रयोग के बाद 30 लाख उपभोक्ता हैं। सात माह में बीएसएनएल के 22 लाख ग्राहक हो गए हैं। दूसरी बात आपने यह देखी होगी कि बीएसएनएल की एग्रैसिव मार्केटिंग और टैरिफ प्लान के कारण ही और कंपनियों को भी अपने मोबाइल टैरिफ इतने लोअर करने पड़ रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्य से बिलकुल सहमत हूं कि कई जगहों पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। राजो सिंह जी ने पटना के बारे में कहा था। अभी आपने कानपुर का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर टैलीकॉम डिस्ट्रिक्ट में टोटल कैपेसिटी मोबाइल फोन की 14,500 थी। उसमें से 40 प्रतिशत प्री–पेड के लिए, एक्सैल सर्विस के लिए, और 60 प्रतिशत पोस्ट पेड सेलवन के लिए थी। अभी भी प्री–पेड देने के लिए गुंजाइश है, जब कि इतनी उसकी डिमांड नहीं रही, मगर पोस्ट पेड के लिए मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड थी। आपकी बात ठीक है कि उसे सस्पेंड करना पड़ा था। 17 अप्रैल को उसके नेटवर्क की एक्सपेंशन कर दी गई है और अब तीन मई से उसके और कनेक्शन देने की सुविधा होगी। उसके लिए दो मई को लोकल पेपर्स में एडवरटिजमेंट्स भी दिए जाएंगे कि आप आ सकेंगे। इसी तरह एक–दो और शहरों में, जैसे पटना है, यही तकलीफ माननीय सदस्यों ने बताई थी। उसकी जब जांच की गई तो पाया गया कि जो स्वीच पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज सी–डाट से लिया गया था, उस स्वीच में डिफैक्ट था। रांची और जमशेदपुर में वह स्वीच एरिकसन के स्वीच से रिप्लेस करने के लिए मुझे विश्वास दिलाया गया है कि वह स्वीच एक महीने में चेंज कर दिया जाएगा। पटना में भी ऐरिकसन का स्वीच आ जाएगा। इस तरह हमें पूरा विश्वास है कि हम अन्य कंपनियों से अच्छी तरह कंपीट कर सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मंत्री जी ने गुणवत्ता के बारे में नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : गुणवत्ता में सुधार होगा।

[अनुवाद]

डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : हमें माननीय मंत्री से यह सुनकर बहुत प्रसन्नता है कि बीएसएनएल लगभग 22 लाख कनेक्शन जारी करने में सफल रहा है। किंतु यह नोट करना बहुत निराशाजनक है कि लगभग सभी शहरों में कनेक्शन क्षमता

से अधिक दिए गए जो कि क्षमता सृजित करने की प्रत्याशा में प्रत्येक नगर अथवा शहर में किया गया। जब एक ग्राहक एक्सचेंज में फोन करता है तो सामान्यतया उसे फोन नहीं मिलता अथवा उसे यह उत्तर दिया जाता है "लाइन व्यस्त है आप बाद में प्रयास करें" आदि।

क्या यह सच है कि ग्राहक बीएसएनएल के इन कनेक्शनों को कटवाकर कनेक्शन हेतु निजी मोबाइल आपरेटरों के पास आ रहे हैं? मैं समझता हूं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यदि ऐसा है तो वे बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए अनावश्यक रूप से बदनामी की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं अथवा अधिक कनेक्शन क्यों दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति, अब कृपया माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें।

डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कनैक्शन तैयार की गई क्षमता तक सीमित किए जाएंगे अथवा नहीं। जब भी जितनी भी अतिरिक्त क्षमता तैयार की जाती है तब आपको हमेशा लाइन मिल सकती है। जब तक आप गुणवत्ता को बनाए रखते हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि कुछ बनाकर आदि बुरा इतिहास रचने का कार्य मंत्रालय से प्रकट हो रहा है? क्या जो इतिहास रचा गया है उससे यह प्रकट नहीं हो रहा है? मैं इस प्रश्न का विशेष उत्तर चाहता हूं।

श्री अरूण शौरी : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वे उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर ग्राहक विमुख हो जाते हैं। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। यहां जितना भी मैं समझ सका हूं, मांग से पहले ही क्षमता बढ़ाई जा रही है। लेकिन बीएसएनएल के मामलों में जो हुआ है वह यह है कि...*(व्यवधान)*

डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जवाब सुनें।

श्री अरूण शौरी : उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। मैं तो यह कह रहा था कि ऐसी आशा से क्षमताओं में वृद्धि की जा रही थी। ऐसा हुआ कि बीएसएनएल की सेल्यूलर सेवा विशेषकर पोस्टपेड सेवा के लिए मांग इतनी अधिक थी जिसका उन्हें अनुमान नहीं था और जो बाजार रुख से विपरीत थी। सामान्यतः 60 प्रतिशत आर्डर प्रीपेड के लिए होते हैं और 40 प्रतिशत आर्डर पोस्ट पेड के लिए होते हैं। लेकिन इस मामले में स्थिति कुछ अलग ही थी–पोस्ट पेड के लिए 65 प्रतिशत आर्डर आए–और इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गईं। अब क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है।

एक अन्य समस्या जिसका जिक्र कई मित्रों ने किया सिम कार्ड की उपलब्धता को लेकर थी। अब, इसका समाधान कर लिया गया है और अब हमारे पास और अनेक...*(व्यवधान)*

डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : महोदय, सिम कार्ड वाले लोगों को भी कनैक्शन नहीं मिल पा रहा है।

श्री अरूण शौरी : दूसरे, जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है, हम उन पर ध्यान दे रहे हैं और किसी भी सुझाव के लिए मैं आभारी होऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 576–श्री अधीर चौधरी प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, रिलायंस जानबूझ कर हमें बदनाम कर रही है।

[अनुवाद]

एमटीएनएल अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीएसएनएल अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है। लेकिन रिलायंस के ठेकेदार केबल काट रहे हैं और वायुमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* क्या आपके अधिकारियों ने रिलायंस के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है? आपको कार्रवाई करनी होगी... *(व्यवधान)* ये लोग केबल काट रहे हैं इनके ठेकेदार जिम्मेदार हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश परांजपे, आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, वे हमें क्षति पहुंचा रहे हैं...*(व्यवधान)* वे सरकारी सेवाओं की बदनामी कर रहे हैं। आप रिलायंस के लोगों पर आर्थिक दंड क्यों नहीं लगा रहे हैं? वे क्षति पहुंचा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगले प्रश्न पर आ गए हैं।

श्री प्रकाश परांजपे, वैसे आपके प्रश्न को माननीय मंत्री जी ने नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, यह एक गंभीर अपराध है। अनेकों बार अनेक टेलीफोन रिलायंस के ठेकेदारों द्वारा केबल काट कर ठप्प कर दिए जाते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रकाश जी बैठिए, रामदास जी बैठिए।

श्री रामदास आठवले : हम चाहते हैं कि आप रिलायंस से थोड़ी कम दोस्ती करो।

[अनुवाद]

'आस्टियोपोरोसिस'

+

***567. श्री अधीर चौधरी :**
डा. चरण दास महंत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर दिल्ली में, 'आस्टियोपोरोसिस' से ग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जैसा कि दिनांक 05 अप्रैल, 2003 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत में वृद्ध लोगों की संख्या बढने से आस्टियोपोरोसिस एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके ठीक–ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कूल्हे की अस्थि भंग को छोड़कर आस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर के अधिकांश रोगियों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है।

आस्टियोपोरोसिस वृद्ध लोगों (विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं) में होने वाला चयापचयी अस्थि रोग (मेटाबोलिक बोन डिजीज) है। जनसंख्या में वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि होने से आस्टियोपोरोसिस के रोगियों की संख्या बढ़ना लाजमी है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना, आरामतलब जीवन शैली, शारीरिक कार्यकलापों में कमी, धूम्रपान, मद्यपान, कुपोषण और बदलती हुई आहार संबंधी आदतें आस्टियोपोरोसिस में वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

वयोवृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (1999), राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) में आस्टियोपोरोसिस को वृद्धावस्था की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या माना गया है जिससे वृद्ध लोगों का कल्याण प्रभावित हो सकता है। अधिकांश मेडिकल कालेजों के अस्पतालों, राज्य सरकारों की संस्थाओं तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, सफदरजंग अस्पताल और डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल आदि जैसे केंद्रीय सरकार की संस्थाओं में आस्टियोपोरोसिस के लिए विशेषज्ञों द्वारा उपचार उपलब्ध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर नहीं लेना है क्या? आप प्रश्न पूछिए।

डा. चरणदास महंत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर विभाग द्वारा ठीक से नहीं दिया गया है। एक सामान्य जानकारी दी गई है, जबकि मैं जानना चाहता था कि यह जो आस्टियोपोरोसिस बीमारी है, यह विशेषकर वृद्ध पुरुषों में और वृद्ध महिलाओं में, जिन्हें प्रसव के बाद कैल्सियम की डैफीसिएंसी भोगनी पड़ती है, जिनको कैल्सियम नहीं मिलता है या जिनको विटामिन डी नहीं मिलता है, उन महिलाओं को होती है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे पूरे देश में प्रसव के पश्चात भी महिलाओं को विटामिन डी और विटामिन सी की व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि उन्होंने किस आधार पर कहा कि विभाग ने सही उत्तर नहीं दिया। इनका बहुत छोटा सवाल था और बहुत व्यापक उत्तर हमने दिया है और जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनका समावेश हमने उसमें किया है।

उन्होंने कहा कि यह बीमारी वृद्ध महिलाओं और वृद्ध पुरुषों में होती है, यह सही है, बल्कि वृद्ध महिलाओं में ज्यादा होती है। आस्टियोपोरोसिस की बीमारी एज के साथ होती है, जब बोन मास कम हो जाता है, तब हड्डियां शिथिल पड़ जाती हैं, उसके बाद यह बीमारी होती है। जो बात आपने कही कि प्रसव के बाद कैल्सियम और विटामिन डी दिलवाने की बात, मैं माननीय सांसद महोदय को बताना चाहूंगी कि हमारे 1,37,311 सब सैण्टर्स इस समय देश में चल रहे हैं, जिनके माध्यम से परिवार कल्याण का कार्यक्रम चलता है, उनमें गर्भवती महिला, प्रसव के बाद की महिला और नवजात शिशु, तीनों का ध्यान रख जाता है। जो दवाई की किट हम सप्लाई करते हैं, उसमे विटामिन डी और कैल्सियम प्रचुर मात्रा में रहता है, ताकि प्रसव के बाद उस महिला को हम दे सकें। अब सवाल यह है कि वह महिला सब सैंटर्स तक पहुंचे। इसी के लिए हमने अभी जननी सुरक्षा योजना चलाई है, जिससे प्रसव पूर्व महिलाएं सब सैंटर्स में आ जाएं और प्रसव के बाद भी हमारे सब सैंटर के साथ उनका संपर्क रहे। किट में जो दवाई दी जा रही है, कैल्सियम और विटामिन डी, यह हम उन तक पहुंचा सकें, ऐसी नई व्यवस्था भी हम कर रहे हैं।

डा. चरणदास महंत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि कुछ सर्वे रिपोर्ट्स पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार 45 वर्ष से अधिक की महिलाओं को या पोस्ट मेनोपाज होने पर उन्हें लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं को यह रोग हो जाता है। महिला मंत्री होने के नाते क्या माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगी कि इन विशेष परिस्थितियों में क्या व्यवस्था वे देश की नारियों के लिए करेंगी? क्या इसका सर्वेक्षण कराएंगी, दवाई वितरण कराएंगी या क्या व्यवस्था करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, महिला स्वास्थ्य मेरे लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आई है। यह ठीक है कि यह बीमारी 45 वर्ष से ज्यादा बड़ी महिलाओं को होती है, लेकिन यह ऐसी बीमारी है, जिसका सही जानकारी से बचाव हो सकता है। जैसे कैल्सियम केवल गोली के माध्यम से ही नहीं, दूध और दूध के उत्पादों से भी मिलता है और जरूरी नहीं कि दूध ही हो, छाछ मिले, लस्सी या मट्ठा मिल जाए उससे पर्याप्त मात्रा में कैल्सियम मिल जाता है। एक्सरसाइज में कम से कम जरूर चलें फिरें, खाली बैठे रहने से जोड़ बढ़ते हैं और बीमारी बढ़ती है। इसके लिए हम कुछ जानकारी, जिसे अवेयरनैस कैम्पेन कहते हैं, ऐसा भी करवा रहे हैं, जिसमें उन्हें कहा जाए कि आप व्यायाम करें, चलें–फिरें, थोड़ा ज्यादा दूध पिएं, जिन–जिन चीजों में कैल्सियम मिलता है, वह मिले। इसके साथ ही कैल्सियम की गोली, जो बहुत सस्ती है और हमारे केंद्रों पर मिलती है, वहां से कैल्शियम लेकर खाएं तो इससे काफी से ज्यादा बचाव इस बीमारी से हो सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा कि चलना जरूरी है, खड़े रहना जरूरी है, इसलिए वे खड़े रहे। मंत्री जी को यह भी कहना चाहिए था कि यह सदन के लिए नहीं है, लेकिन रामदास आठवले जी को कौन समझा सकता है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मंत्री जी, टी.वी. पर महिलाओं को व्यायाम का तरीका भी सिखाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. वी. सरोजा अब आप अपना प्रश्न पूछें।

डा. वी. सरोजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑस्टियोपो–रोसिस औरतों की बीमारी है जो मासिक चक्र रुकने से पेरी मोनोपाज की आयु वर्ग में होने पर उन्हें हो जाती है। भारतीय जनसंख्या में 51 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। माननीय मंत्री महोदया ने अपने वक्तव्य में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार आंकड़ों को अद्यतन बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरे, क्या इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर ध्यान देगी? जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि यह रोग रक्त में कैल्सियम की कमी के कारण होता है जिससे लंबी हड्डियों विशेषकर घुटने की हड्डियां प्रभावित होती हैं। क्या माननीय मंत्री महोदया भारत में उपलब्ध विभिन्न ग्रेडों के ऑस्टियोपोरोसिस के 40 प्रतिशत मामलों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ध्यान केंद्रित कराकर इस मुद्दे का समाधान करेंगी? फिर फिजियोथेरेपी इस रोग के निवारात्मक पहलू के आधार का काम करता है। क्या सरकार इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी? मैं माननीय मंत्री महोदय से इन दो पहलुओं पर जवाब चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नैशनल हैल्थ पालिसी का सवाल है, वह आ चुकी है। जैसा मैंने कहा कि महिला स्वास्थ्य अपने आप में एक विषय रहा है जिसे हम जेंडर हैल्थ कहते हैं। जहां तक सर्वे कराने का सवाल है, हमारे यहां इंटरनैशनल पापुलेशन स्टडी के लिए एक संस्था है जो अलग–अलग चीजों पर स्टडी करती रहती है। मुझे माननीय सदस्या का सुझाव अच्छा लगा कि ऑस्टियोपोरोसिस का एक सर्वे करवा लिया जाए जिससे यह पता चले कि कितनी महिलाओं में ऑफ्टर 45 ईयर्स के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यह स्टडी अच्छी होगी परंतु आईसीएमआर ने एक स्टडी आलरेडी कंडक्ट की है। आईसीएमआर ने वर्ष 2002 में ऑस्टियोपोरोसिस और बूढ़े लोगों को होने वाली जो बीमारियां हैं, उनके बारे में एक स्टडी कंडक्ट की है, जो वर्ष 2005 में कंपलीट होने वाली है। उसके बाद हमारे पास इस बीमारी के बारे में आंकड़े आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 568 : श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह–अनुपस्थित।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, यह क्वैश्चन बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अगले सैशन में फिर पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

मलेरिया का उन्मूलन

+

***569. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में मलेरिया के उन्मूलन के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 2002–03 में क्या उपाय किए गए;

(ग) क्या सरकार मलेरिया के उन्मूलन के लिए एक प्रभावी दवाई "आइकन" पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मलेरिया का उन्मूलन, जिसका अर्थ रोगवाहक मच्छरों और मलेरिया परजीवी का पूर्ण उन्मूलन है, तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। अतः मलेरिया नियंत्रण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता, मलेरियारोधी औषधें, अनुमोदित कीटनाशक और लार्वानाशक, वैयक्तिक सुरक्षा इत्यादि के लिए औषध–युक्त मच्छरदानियां प्रदान करती है। राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिए भी निधियां प्रदान की ज़ाती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और 8 राज्यों के 100 जनजातीय जिलों को सामग्री की परिवहन लागत और छिड़काव मजदूरी सहित प्रचालनात्मक व्ययों का वहन करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 2002–03 के दौरान राज्यों को 5800 मीट्रिक टन डी.डी.टी., 382 मीट्रिक टन संश्लिष्ट पाइरेथ्रायड्स, मलेरिया रोधी औषधों की 42.43 करोड़ गोलियां और कुनैन इंजेक्शनों के 2.67 लाख एम्पूल्स सामग्रीगत सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए आदिवासी जिलों वाले 8 राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों को 32.51 करोड़ रुपये की नकद सहायता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से अन्य राज्यों को सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण और प्रशिक्षण के लिए निधियां जारी की गई हैं।

(ग) और (घ) आइकन संश्लिष्ट पायरेथरायडों में से एक संश्लिष्ट पायरेथरायड है जिसका विश्व बैंक की सहायता से उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में अंतरंग अपशिष्ट छिड़काव के लिए उपयोग किया जा रहा है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने सदन को यह सूचित किया था कि स्वास्थ्य विभाग प्रतिबंधित या निषिद्ध

औषधियों का या केमिकल्स का उपयोग नहीं कर रहा है जबकि मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 5,8000 मीट्रिक टन डीडीटी का इस्तेमाल मलेरिया की रोकथाम के लिए उपयोग में लाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन ऑवर खत्म होने में दो मिनट ही बाकी हैं इसलिए आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं संक्षेप में दो चीजें पूछना चाहूंगा। पहली बात यह है कि मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि मलेरिया के इस्तेमाल के लिए डीडीटी का, प्रतिबंधित होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है और इसका विकल्प क्या है? दूसरे, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि डेंगू फीवर और सेरीब्रल मलेरिया, मलेरिया के कुछ नए और ज्यादा खतरनाक प्रकार हैं? इन प्रकारों को रोकने के लिए देश में अनुसंधान चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देश में उस संबंध में क्या प्रगति हुई है और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पहले सवाल का जवाब दे दूं वरना उससे भ्रम फैलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीडीटी मलेरिया को छोड़कर बाकी सब उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। केवल उसका प्रयोग मलेरिया के लिए परमिट किया गया है, अनुमति दी गई है। लेकिन डीडीटी बाकी चीजों के लिए प्रतिबंधित है। मलेरिया के लिए तो अफ्रीकन कंट्रीज में...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जब डीडीटी का उपयोग होगा तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह मलेरिया के लिए उपयोग में लाई जाए या पेस्टीसाइड के रूप में उपयोग में लाई जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड हैल्थ असेम्बली में बल्कि खास तौर पर उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि जब डीडीटी और मलेरिया दोनों की तुलना हम करते हैं तो मलेरिया की तुलना में डीडीटी को चलाए रखना कहीं ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि मलेरिया फैलने दिया जाए। मतलब यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीडीटी को मलेरिया के लिए प्रतिबंधित न करके, यह कहा गया कि डीडीटी मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाए। अब आपने जो बात कही है, मैं उसका जवाब देती हूं। अभी डीडीटी से अंदर का जो रेसीडुअल स्प्रे किया जाता है, जो डीडीटी का उपयोग प्रतिबंधित था, वह एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए था। पहले डीडीटी का स्प्रे खेतों में भी किया जाता था लेकिन अब मलेरिया के लिए तीन तरह की अलग–अलग नीतियां अपनाई गई हैं। उसमें एक रेसीडुअल इनर स्प्रे, यानि अंदर घरों में जो स्प्रे किया जाए, वह स्प्रे डीडीटी का बहुत ही प्रभावी है। इसलिए डीडीटी प्रतिबंधित न होकर, अनुमति दी गई है कि डीडीटी का स्प्रे अंदर किया जाए ताकि मच्छर अंदर न मरे। इसलिए कोई भी एक ऐसी ड्रग हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो निषिद्ध है, जो बैंड है और डब्ल्यूएचओ के द्वारा...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जिस डीडीटी का उपयोग खेतों में किया जा रहा है, बस्ती के बाहर किया जा रहा है, उसे तो रोक दिया गया और मकानों और घरों के अंदर जो डीडीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वह मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगा? इसका विकल्प क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसके विकल्प अलग–अलग आ चुके हैं, जैसे सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स एक है। जहां डीडीटी नहीं जा रहा है, वहां सिंथेटिक पायरेथ्राइड जा रहा है। मैडीकेटेड बैडनैट्स जा रही हैं। लेकिन जितना डीडीटी अनुमति के साथ हम लोगों को उपयोग करने के लिए कहा गया है, वह निषिद्ध नहीं है। जितनी अनुमति दी गई है, उतना ही डीडीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अनुमति दी गई है। मलेरिया के लिए इसका प्रयोग निषिद्ध नहीं किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(अनुवाद)

तनाव प्रबंध कार्यक्रम

*565. **श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को हृदयाघात (हार्ट अटेक) का खतरा अधिक रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के

लिए किसी तनाव प्रबंधन कार्यक्रम की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में कोई राष्ट्रव्यापी आंकड़ा एकत्र नहीं किया जाता है। वर्ल्ड बैंक हेल्थ सेक्टरल पराइरटीज नामक प्रलेख में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1985 से वर्ष 2015 के बीच हृदयवाहिका (कार्डियो वैस्कुलर) रोगों के कारण होने वाली मौतों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। इंडियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित सर्वेक्षणों के मेटा–एनालाइसिस से पता चलता है कि 1960–95 से गत दशकों में भारत में कोरोनरी हृदय रोग की व्याप्तता में वृद्धि हो रही है।

सरकारी कर्मचारियों सहित सभी क्षेत्रों के लोग हृदय रोग से प्रभावित हो सकते हैं। मधुमेह उच्च रक्तदाब, धूम्रपान, मोटापा, शारीरिक व्यायाम की कमी, परिवार में पहले किसी और सदस्य का इस रोग से पीड़ित होना, बढ़ा हुआ रक्त कोलेस्ट्राल और मानसिक तनाव इस रोग के जोखिम के प्रमुख कारण हैं। इन प्रमुख जोखिमपूर्ण कारणों से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली संबंधी विभिन्न उपायों से लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए तनाव के उपचार हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद सरकारी कार्यालयों में योग कार्यक्रम शुरू करके सरकारी कर्मचारियों में योगाभ्यास को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के पास हृदय रोगों और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जन–जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी संदेशों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपयोग सहित कई कार्यनीतियां/कार्यक्रम हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की छंटनी

***568. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश प्रक्रिया से कर्मचारियों की नौकरियां छिन रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या काफी संख्या में विनिवेश किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने कुछ प्रतिशत कर्मचारियों की नौकरी से छंटनी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी के क्या कारण हैं;

(ङ) विनिवेश प्रक्रिया अपनाते समय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से वंचित नहीं किया जाएगा; और

(च) पिछले दो वर्षों के दौरान विनिवेश के कारण कितने कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और विनिवेश के आलेख में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने में सरकार ने क्या भूमिका अदा की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) अब तक का अनुभव यह बताता है कि विनिवेश को सीधे बेरोजगारी से नहीं जोड़ा जा सकता। अनुकूल बिक्री के माध्यम से आरंभ हुए विनिवेश से पूर्व भी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1991–92 के 2.179 मिलियन कर्मचारियों के स्तर से 1999–2000 में 1.806 मिलियन के स्तर तक रोजगार में निवल कटौती हुई थी। तुलनात्मक दृष्टि से विनिवेश कंपनियों में रोजगार का नुकसान कम रहा है, जबकि कुछ मामलों में नई भर्ती के माध्यम से यह रोजगार बढ़ा है। बाल्को जैसे विनिवेशित उद्यमों में प्रमुख विस्तार योजनाओं को निर्धारित करना जारी है; ये उद्यमों को और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाएंगे और जिसके परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार की सर्वोत्तम गारंटी प्रदान होगी; यह रोजगार के विस्तार को सुनिश्चित करने का एक स्थाई साधन भी हो सकता है।

(ख) से (घ) यह तथ्य सही नहीं है कि विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है। विनिवेश के एक मामले में, नामतः होटल ग्रैण्ड अशोक, बंगलौर, सरकार को हाल ही में 115 कर्मचारियों की छंटनी के बारे में सूचित किया गया है। कर्मचारियों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर यह मामला अब कर्नाटक सरकार के श्रम विभाग के समक्ष है।

(ङ) और (च) कर्मचारियों को हित संरक्षण प्रदान करना विनिवेश प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। अनुकूल बिक्री के एक भाग के रूप में सम्पन्न सौदा करारों में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध किए जाते हैं कि विनिवेश के बाद एक वर्ष तक कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की जाएगी और यहां तक कि उसके बाद भी, वियोजन, केवल लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अधीन लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा विनिवेश के पूर्व कंपनी में विद्यमान स्वैच्छिक वियोजन योजना, जो भी कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अधीन ही संभव होगा। इस संबंध में विनिवेश के बाद कर्मचारियों की शिकायतों के मामले में सरकार हस्तक्षेप करती है।

पिछले दो वर्षों के संकलित आंकड़े यह बताते हैं कि विनिवेश के समय 41.134 के आरंभिक रोजगार के स्तर की तुलना में आठ विनिवेशित कंपनियों और भारत पर्यटन विकास निगम के 10 होटलों तथा होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक होटल में कुल 2,801 कर्मचारियों की क्रमिक रूप से कमी हुई है, जबकि 921 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। इसलिए रोजगार में निवल हानि 1880 कर्मचारियों की हुई थी, जो विनिवेश के समय रोजगार का लगभग 5 प्रतिशत है, जिनमें से 584 कर्मचारियों की कमी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा त्याग–पत्र और 1761 कर्मचारियों की कमी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से हुई थी। सीएमसी के मामले में विनिवेश के समय 3119 कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 425 कर्मचारियों की रोजगार में निवल वृद्धि हुई है।

सार्स के मामले

***570. श्री अखिलेश यादव :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम" (सार्स) के राज्य–वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) ऐसे रोगियों का ब्यौरा क्या है और उनके इलाज की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के इलाज हेतु स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करके प्रत्येक बड़े शहर में एक प्रकोष्ठ बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रोग से निपटने के लिए सरकार की आगे की क्या कार्य योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) 28 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार नौ प्रयोगशाला पाजिटिव गंभीर तीव्र श्वसनीय सिंड्रोम (सार्स) के मामलों को पंजीकृत किया गया है। इन रोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

एक महामारी की उलझनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आवश्यक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

स्थिति की बारीकी से मानीटरिंग करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्र–राज्य संयुक्त समिति बनाई गई है और यह समिति सभी राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकारों को रोगी उपचार प्रोटोकाल, स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोटोकाल और स्थानांतरण प्रोटोकाल सहित संबंधित तकनीकी जानकारियां प्रदान की गई हैं।

सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अनिवार्य जांच शुरू की गई है और संदिग्ध/संभावित सार्स के लक्षणों के लिए भारत में जहाजों से उतरने वाले सभी व्यक्तियों के लिए प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को अतिरिक्त डाक्टरों को जुटाकर और एक स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोटोकाल तैयार करके सुदृढ़ किया गया है। जांच हेतु सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्वास्थ्य काउंटर खोले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी भारत में पहुंचने वाली उड़ानें और समुद्री जहाजों के यात्रियों की मानीटरिंग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के अस्पतालों के साथ–साथ अन्य संक्रामक रोग अस्पतालों में भी गंभीर तीव्र श्वसनीय सिंड्रोम (सार्स) के उपचार के लिए पृथक (आइसोलेशन) सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने सार्स के उपचार की पृथक सुविधाओं वाले अस्पतालों का पता लगाया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वितरण करने के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से विशेष रेस्पाइरेटरों का अधिप्रापण कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सार्स उत्पन्न करने

के लिए जिम्मेदार समझे जाने वाले विषाणुओं का निदान करने हेतु अभिकर्मक (रिएजेंट्स) तैयार करने के लिए अपेक्षित प्राइमर प्राप्त किए हैं। किसी संदिग्ध/संभावित मामले की प्रयोगशाला जांच के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे को नोडल अभिकरणों के रूप में निर्धारित किया गया है।

विवरण

28.4.2003 की स्थिति के अनुसार प्रयोगशाला में सार्स के पॉजीटिव पाए गए (पीसीआर–जांच) रोगियों के उपचार का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य और शहर	रोगी का नाम	उपचार संबंधी ब्यौरा
1	2	3	4
1.	गोवा (गोवा)	श्री प्रशील वर्धे	रक्षक उपचार। गोवा मेडिकल कालेज के पृथक वार्ड में उपचार किया गया। रोगी में रोग के लक्षण खत्म हो गए। 18.4.2003 को छुट्टी दे दी गई और घर पर सबसे अलग रहने की सलाह दी गई।
2.	महाराष्ट्र (पुणे)	श्री स्टेनले डिसिल्वा	सिद्धार्थ अस्पताल, पुणे में 17.4.2003 को दाखिल किया गया। नायडु अस्पताल, पुणे में स्थानांतरित किया गया। रक्षक चिकित्सा के तहत पृथक वार्ड में उपचार किया गया। रोगी रोग के लक्षण से मुक्त हो गया।
3.		श्रीमती विमला डिसिल्वा (श्री स्टेनले डिसिल्वा की मां)	सिद्धार्थ अस्पताल, पुणे में 19.4.2003 को दाखिल किया गया। नायडु अस्पताल, पुणे में स्थानांतरित किया गया। रक्षक चिकित्सा के तहत पृथक वार्ड में उपचार किया गया। रोगी रोग के लक्षण से मुक्त हो गया।
4.		सुश्री जूली डिसिल्वा (श्री स्टेनले डिसिल्वा की बहन)	सिद्धार्थ अस्पताल, पुणे में 17.4.2003 को दाखिल किया गया। नायडु अस्पताल, पुणे में स्थानांतरित किया गया। रक्षक चिकित्सा के तहत पृथक वार्ड में उपचार किया गया। रोगी रोग के लक्षण से मुक्त हो गया।
5.		श्री जोसेफ पवार	नायडु अस्पताल, पुणे में 25.4.2003 को दाखिल किया गया। रक्षक चिकित्सा के अंतर्गत पृथक वार्ड में उपचार किया गया। रोगी रोग के लक्षणों से मुक्त हो गया।
6.	मुंबई	श्री भास्कर मूर्ति	कस्तूरबा संक्रामक रोग अस्पताल, मुंबई में 22.4.2003 को दाखिल किया गया। रोगी रोग के लक्षण से मुक्त हो गए और उनको छुट्टी दे दी गई। पॉजीटिव पीसीआर जांच रिपोर्ट के आधार पर उनको दिल्ली में संक्रामक रोग अस्पताल में पुनः दाखिल किया गया। रोगी रोग के लक्षण से मुक्त हो गया।
7.		श्री क्वाजा शेख	इंडेक्स रोगी, श्री स्टेनले डिसिल्वा के निकट संपर्क से हुए रोगी। खांसी और बुखार होने पर कस्तूरबा अस्पताल, मुंबई में 24.4.2003 को दाखिल किया गया। 28.4.2003 को पीसीआर जांच पॉजीटिव होने की सूचना दी गई। रोगी रोग के लक्षण से मुक्त हो गया।
8.	प. बंगाल (कोलकाता)	श्री अशितवा पुरकायस्थ	तीव्र मायो कार्डियल इन्फार्कसन के रोगी के रूप में 20.4.2003 को सनफ्लावर नर्सिंग होम, कोलकाता में दाखिल किया गया। बाद में उनको बुखार और

1	2	3	4
			न्यूमोनिया हो गया जिसके लिए उनको आई डी अस्पताल, कोलकाता भेज दिया गया। इसके पश्चात रोगी को एएमआरआई अपोलो अस्पताल, कोलकाता में भेजा गया। रोगी की स्थिति स्थिर है और रोग के लक्षण से मुक्त है। रोगी को मायो कार्डियल इन्फार्कसन के लिए मानक उपचार निदान दिया गया है। रोगी के हृदय की कार्यस्थिति की मॉनीटरिंग की जा रही है।
9.		श्री राधे श्याम गुप्ता	आईडी अस्पताल, कोलकाता में 19.4.2003 को दाखिल किया गया। नमूनों की जांच राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे में की गई, 25.4.2003 को पीसीआर जांच में पॉजीटिव पाया। रोगी को रक्षक चिकित्सा के अंतर्गत रखा गया है।

विवरण-II

राज्यों में निर्धारित अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्धारित अस्पतालों के नाम
1	2	3
1.	दिल्ली	1. सफदरजंग अस्पताल
		2. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल
		3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल
		4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
		5. संक्रामक रोग अस्पताल
		6. हिन्दू राव अस्पताल
		7. एलएन अस्पताल
		8. गुरु तेगबहादुर अस्पताल
		9. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल
2.	महाराष्ट्र	1. कस्तूरबा संक्रामक रोग अस्पताल, मुंबई
		2. वी.एन. देसाई अस्पताल, मुंबई
		3. नायडु अस्पताल, पुणे
3.	पश्चिम बंगाल	1. संक्रामक रोग अस्पताल, कोलकाता
4.	तमिलनाडु	1. मद्रास मेडिकल कालेज अस्पताल, चेन्नई
		2. संचारी रोग अस्पताल, तोंदियारपेट, चेन्नई
		3. कोयम्बटूर मेडिकल कालेज अस्पताल
		4. तूतीकोरिन मेडिकल कालेज अस्पताल, तूतीकोरिन
		5. त्रिची मेडिकल कालेज अस्पताल, त्रिची
5.	केरल	1. जनरल अस्पताल, तिरूवनन्तपुरम
		2. कालीकट मेडिकल कालेज अस्पताल
		3. जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम
6.	गुजरात	1. न्यू सिविल अस्पताल, अहमदाबाद
		2. वी.एस. जनरल अस्पताल, अहमदाबाद
		3. सरकारी हस्पताल, भुज
7.	कर्नाटक	1. महामारी रोग अस्पताल, बंगलौर
		2. राजीव गांधी वक्ष रोग संस्थान
		3. डिस्ट्रिक गर्व. वेनलूक अस्पताल, मंगलौर
8.	आंध्र प्रदेश	1. सरकारी जनरल एंड चेस्ट अस्पताल, हैदराबाद

1	2	3
		2. सरकारी वक्ष एवं संचारी रोग अस्पताल, विशाखापत्तनम
9.	पंजाब	1. गुरु नानाक देव अस्पताल, अमृतसर
10.	गोवा	1. गोवा मेडिकल कालेज, पणजी
11.	राजस्थान	1. एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, अस्पताल, जयपुर
12.	उत्तर प्रदेश	1. बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ
		2. एस.एस.पी.जी. डिस्ट्रिक अस्पताल, वाराणसी
		3. दीन दयाल अस्पताल, वाराणसी
13.	बिहार	1. संक्रामक रोग अस्पताल, गया
14.	असम	1. गुवाहाटी मेडिकल कालेज अस्पताल, गुवाहाटी
15.	उड़ीसा	1. एस.सी.बी. मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक
16.	चंडीगढ़	1. पी.जी.आई. चंडीगढ़
17.	पांडिचेरी	1. जिपमेर, पांडिचेरी
18.	मणिपुर	1. जे.एन. अस्पताल, प्रोमपट
		2. रिजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, इम्फाल
19.	सिक्किम	1. एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक
20.	जम्मू व कश्मीर	1. शेर–ए–कश्मीर अस्पताल, श्रीनगर
21.	हिमाचल प्रदेश	1. जोनल डिस्ट्रिक अस्पताल, कांगड़ा
		2. जोनल डिस्ट्रिक अस्पताल, हमीरपुर
		3. जोनल डिस्ट्रिक अस्पताल, मण्डी
		4. जोनल डिस्ट्रिक अस्पताल, शिमला

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यकरण की समीक्षा

*571. **श्री परसुराम माझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य कैंद्रों (पीएचसी) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) समीक्षा की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1999 में जिला स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी उपयोगिता के मूल्यांकन हेतु एक सुविधा सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 221 जिलों को कवर किया गया था। इस सर्वेक्षण में 7959 प्राथमिक केंद्रों को कवर किया गया था जिनसे यह पता चला कि अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 36 प्रतिशत अवसंरचना में, 38 प्रतिशत स्टाफ में, 31 प्रतिशत औषधियों और गर्भनिरोधकों की आपूर्ति में तथा 56 प्रतिशत उपकरणों में पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं। इसकी राज्यवार स्थिति विवरण में दर्शाई गई है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, देश में प्रत्येक जिले को छोटे निर्माण कार्यों जैसे प्रसव कक्षों की मरम्मत, जल आपूर्ति और विद्युत के कनेक्शन के लिए 10.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, संविदात्मक आधार पर 8681 अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों, 1691 स्टाफ नर्सों, 568 लैब तकनीशियनों की भर्ती हेतु धन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2002–03 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 6989 ड्रग किटों की आपूर्ति भी की गई है।

विवरण

*विशिष्ट उपकरणों द्वारा पर्याप्त रूप से सुसज्जित *प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रतिशत*

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	पर्याप्त रूप से उपकरणों से सुसज्जित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रतिशत			
			अवसंरचना	स्टाफ	आपूर्ति	उपकरण
1	2	3	4	5	6	7
बड़े राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	622	32	50	16	84
2.	असम	333	9	21	26	23
3.	बिहार	339	10	4	0	25
4.	गुजरात	614	73	71	11	88
5.	हरियाणा	115	49	78	94	47
6.	कर्नाटक	854	47	24	45	64
7.	केरल	790	19	46	10	44
8.	मध्य प्रदेश	386	6	31	15	28
9.	महाराष्ट्र	645	88	60	87	96
10.	उड़ीसा	364	18	13	4	32
11.	पंजाब	51	92	84	78	92
12.	राजस्थान	484	26	32	47	59
13.	तमिलनाडु	672	52	55	65	67
14.	उत्तर प्रदेश	486	13	12	4	34
15.	पश्चिम बंगाल	825	15	28	19	30
छोटे राज्य/संघ शासित प्रदेश						
16.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	17	100	53	53	76
17.	अरुणाचल प्रदेश	21	33	29	5	14
18.	चंडीगढ़	2	50	0	50	0
19.	दादरा एवं नगर हवेली	6	83	100	100	83
20.	दमन एवं दीव	3	100	100	67	67

1	2	3	4	5	6	7
21.	दिल्ली	5	60	60	80	80
22.	गोवा	17	100	88	59	88
23.	हिमाचल प्रदेश	22	45	36	64	55
24.	जम्मू व कश्मीर	38	16	0	13	45
25.	लक्षद्वीप	4	100	75	75	100
26.	मणिपुर	31	13	81	0	65
27.	मेघालय	55	20	56	5	78
28.	मिजोरम	43	42	65	5	65
29.	नागालैंड	16	25	25	13	38
30.	पांडिचेरी	19	58	21	63	68
31.	सिक्किम	24	100	63	46	100
32.	त्रिपुरा	56	52	48	0	50
	भारत	7959	36	38	31	56

*महत्वपूर्ण उपकरणों का कम से कम 60 प्रतिशत सुलभ है।

स्रोत : सुविधा सर्वेक्षण, 1998/1999

[हिन्दी]

काली सूची में दर्ज दूरसंचार फर्में

***572. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा काली सूची में दर्ज दूरसंचार फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन फर्मों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का फर्म-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काली-सूची में दर्ज दूरसंचार फर्मों के नाम तथा इन फर्मों के विरुद्ध क्रमशः भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं। आईटीआई (इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज) के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

काली सूची में दर्ज दूरसंचार फर्में और बीएसएनएल द्वारा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	फर्म का नाम	काली सूची में दर्ज फर्म के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	मै. हिंदुस्तान टूल्स इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद	50,000/- रुपये की प्रतिभूति जब्त की गई

1	2	3
2.	मै. यूनिवर्ड टेलीकाम लि. नोएडा	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
3.	मै. राजशी मोल्डिग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, हावड़ा	दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
4.	मै. टेलीग्लोबल इंडस्ट्रीज, नोएडा	दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
5.	मै. सुपर प्लाटेक इंडस्ट्रीज, परवानू	दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
6.	मै. ओम कम्प्यूटर, झुंझुनूं	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई *ईएमडी और #एसडी जब्त की गई।
7.	मै. वी.के.एस. कंस्ट्रक्शन, दिल्ली	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई और ईएमडी जब्त की गई।
8.	मै. राकेश सिंह, मथुरा	वाद नं. पीई/8(ए)/91, दिनांक 12.11.91 एसपीई जेपीआर के संबंध में सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस फर्म को हमेशा के लिए काली सूची में दर्ज किया गया।
9.	मै. पंकज कंस्ट्रक्शन, बीकानेर	दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई और प्रतिभूमि जमा जब्त की गई।
10.	कुमार एंटरप्राइसिस, सूरतगढ़	दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई और प्रतिभूति जमा जब्त की गई।
11.	मै. विन्धा कंस्ट्रक्शन कंपनी, सूरतगढ़	दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई और प्रतिभूति जमा जब्त की गई।
12.	मै. प्रकाश इलेक्ट्रानिक्स, कोटा	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
13.	मै. गणेश कंस्ट्रक्शन कंपनी, गमूरवाली	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई और प्रतिभूति जमा जब्त की गई।
14.	मै. कोम्पु टैक्स फोर्म्स (प्रा.) लि. पुणे	दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई और ईएमडी और एसडी जब्त की गई।
15.	मै. पेस्टीका लेबर सर्विसिज प्रा. लि., पुणे	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई और ईएमडी जब्त की गई
16.	मै. योगेश कुमार, आगरा	अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई गई।
17.	मै. रोनिक्स पोलिमर्स, कोलकाता	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई और बैंक गारंटी जब्त की गई।
18.	मै. फाऊंड्री आफ इंडिया, रांची	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
19.	मै. श्री साई कृपा इंडस्ट्रीज, जबलपुर	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
20.	मै. वैलियंट प्लास्ट प्रा. लि., हिमाचल प्रदेश	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
21.	मै. फोयल इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
22.	मै. ट्रायो टैक सिस्टम्स, अहमदाबाद	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
23.	मै. अनु ट्रेडिंग कंपनी, सूरत	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
24.	मै. दीप कंस्ट्रक्शंस, सूरत	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
25.	शिवा रेफ्रीजरेशन, अहमदाबाद	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।

1	2	3
26.	मै. रेफ्रीजरेशन, अहमदाबाद	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
27.	के.सी. कोठारी, राजकोट	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
28.	धारा कंस्ट्रक्शन, राजकोट	तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
29.	मै. पी.वी. कालुखा, पुणे	बीएसएनएल, पुणे की भावी निविदाओं में फर्म के भाग लेने पर तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
30.	मै. पी.जी. बांसुडे, पुणे	बीएसएनएल, पुणे की भावी निविदाओं में फर्म के भाग लेने पर तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
31.	मै धनराज प्रिंटर्स, पुणे	बीएसएनएल, पुणे की भावी निविदाओं में फर्म के भाग लेने पर तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
32.	मै. वास्तुसजावल, पुणे	बीएसएनएल, पुणे की भावी निविदाओं में फर्म के भाग लेने पर तीन वर्ष के लिए रोक लगाई गई और 13000 हजार रुपये की एसडी जब्त की गई।
33.	मै. थोमस जोसेफ, पणजी, गोवा	बीएसएनएल की निविदाओं में भाग लेने पर दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
34.	मै. राहुल ट्रेड चैनेल, बलसाड़	बीएसएनएल की निविदाओं में में भाग लेने पर दो वर्ष के लिए रोक लगाई गई।
35.	मै. अनिलमा एसोसिएट्स, दिल्ली	वर्ष 2002–03 से पोलीथीन इंसुलेटिड जेली फिल्ड (पीआइजेएफ) भूमिगत केबल निविदा में भाग लेने पर 5 वर्ष के लिए रोक लगाई गई।

*ईएमडी – अग्रिम धन जमा #एसडी – प्रतिभूति जमा

विवरण-II

काली–सूची में दर्ज दूरसंचार फर्मों और एमटीएनएल द्वारा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	फर्म का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	मै. पुष्पा इंजीनियरिंग कारपोरेशन, डी–4/92, सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली–110085	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई और बैंक गारंटी जब्त कर ली गई
2.	मै. याशीन कंसट्रक्शन 226, कैलाश हिल्स, सी–ब्लाक मार्किट के पास, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली, निम्नानुसार नाम बदल गया है। मै. याशीन कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि., 226, कैलाश हिल्स, सी–ब्लॉक मार्किट के पास, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई

1	2	3
3.	मै. योगिंदर सिंह 226, कैलाश हिल्स, सी–ब्लॉक मार्किट के पास, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली। निम्नानुसार नाम बदल गया है : मै. योगिंदर सिंह कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स (प्रा.) लि. 226, कैलाश हिल्स, सी–ब्लॉक मार्किट के पास, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई
4.	मै. उषा इलैक्ट्रोनिक्स (कोरल टेलीकाम प्रा. लि. का एक भाग प्रभाग) ए–70, डीडीए शेड ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–II, नई दिल्ली–110020	एक वर्ष के लिए रोक लगाई गई

[अनुवाद]

स्वास्थ्य उपग्रह का छोड़ा जाना

*573. **श्री राजैया मल्याला :**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएस आरओ) टेलीमेडिसिन सुविधाएं बढ़ाने और देश के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को मदद पहुंचाने के लिए एक स्वास्थ्य उग्रह छोड़ने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कुछ देशों से यह प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) अंतरिक्ष विभाग/इसरो ने उपग्रह संयोजकता प्रदान करते हुए टेलीमेडिसिन की प्रौद्योगिकी के निरूपण का कार्य शुरू किया है। आंकड़ा आधार तैयार करने और अर्जित अनुभव के आकलन के लिए अध्ययनों की शुरूआत की गई है। विशिष्ट स्वास्थ्य उपग्रह का संरूपण दीर्घकालीन कालावधि तक आंकड़ा आधार के आकलन पर निर्भर करता है।

(ख) जी, हां। इस संबंध में अपेक्षित तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं।

(ग) टेलीमेडिसिन क्रियाकलाप के आयोजन के लिए सुविज्ञता के चार विस्तृत क्षेत्रों की जरूरत होती है :

- रोगी के स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित सूचना जैसे नैदानिक जांच रिपोर्टें, प्रतिबिंबिकियां इत्यादि के मानीटरन के लिए विनिर्देशन। ये कार्य उन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें इस प्रकार की सूचना के विश्लेषण की अच्छी जानकारी होती है और वे आवश्यक सलाह और उपचार प्रदान करते हैं।
- रोगी से संबंधित सूचना, जिसमें एक्सरे की विभिन्न प्रतिबिंबिकियों, ई.सी.जी., रोगात्मक स्लाइडें इत्यादि शामिल हैं, टेलीमेडिसिन कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा रोगी के छोर और विशिष्ट अस्पताल के छोर, दोनों स्थानों पर संसाधित की जाएगी। ये साधन देश में वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध हैं।
- यह सूचना रोगी के छोर वाले अस्पताल में स्थित कंप्यूटर से इन्सैट उपग्रह के साथ अपलिंक की गई वी–सैट प्रणाली के माध्यम से प्रेषित की जाती है, जिसे विशिष्ट अस्पताल वाले छोर पर इसी प्रकार की वी–सैट प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यह क्षमता भी देश में विद्यमान है और वाणिज्यिक रूप में देश में उपलब्ध है।
- विशिष्ट अस्पतालों में प्राप्त एक्सरे, सी.टी., एम.आर.आई., ई.सी.जी. इत्यादि जैसी वीडियो प्रतिबिंबिकियों का अर्थ–निर्वचन, उन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने कार्डियोलोजी, रेडियोलोजी, रोगविज्ञान, नेत्र–विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में इस प्रकार की विशेषज्ञता निरूपित की है।

कुल मिलाकर, भारत के पास टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में सांगोपांग सुविज्ञता विद्यमान है।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्रीलंका की राष्ट्रपति का दौरा

*574. **श्री के. मलयसामी :**
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका की राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस अवसर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दौरे के दौरान तमिलनाडु से श्रीलंका के शरणार्थियों को वापस भेजने का मुद्दा भी उठाया गया; और

(च) यदि हां, तो मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए क्या निबंधन और शर्तें रखी गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) महामान्या श्रीमती चन्द्रिका भण्डारनायके कुमारतुंग 7 से 10 अप्रैल, 2003 तक भारत की कार्य संबंधी दौरे पर आईं। उन्होंने राष्ट्रपति, उपप्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त तथा कंपनी कार्य मंत्री, विपक्ष की नेता एवं तामिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने भारत–श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और श्रीलंका में शांति प्रक्रिया की नवीनतम स्थिति पर अपने आकलन से अवगत कराया। इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं हुआ। तमिलनाडु से श्रीलंका के शरणार्थियों को वापस भेजने के मसले को नहीं उठाया गया।

आप्टीकल फाइबर केबल की कमी

*575. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में 'आप्टीकल फाइबर केबल' (ओएफसी) की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनको अभी तक 'आप्टीकल फाइबर केबल'/माइक्रोवेव सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा कम–से–कम उन एक्सचेंजों को 'आप्टीकल फाइबर केबल'/माइक्रोवेव सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिनके पास 1000 लाइनें हैं; और

(ङ) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को आप्टीकल फाइबर केबल सुविधाएं/माइक्रोवेव सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं। देश में आप्टीकल फाइबर केबल की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) प्रत्येक राज्य के उन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या विवरण में दी गई है जिन्हें अभी आप्टीकल फाइबर केबल/माइक्रोवेव सुविधाएं नहीं दी गई हैं। यह देखा जा सकता है कि केवल 2 प्रतिशत एक्सचेंज ओएफसी/माइक्रोवेव मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं।

(घ) पंजाब में 36 और तमिलनाडु तथा मिजोरम में एक–एक एक्सचेंज को छोड़कर, 1000 तथा इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले सभी एक्सचेंजों को आप्टीकल फाइबर केबल/माइक्रोवेव सुविधा प्रदान की गई है। इन सुविधारहित 38 एक्सचेंजों को वर्ष '2003–2004 के दौरान आप्टीकल फाइबर केबल/माइक्रोवेव कनेक्टीविटी प्रदान की जाने की संभावना है।

(ङ) मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण एक्सचेंजों सहित सभी एक्सचेंजों को आप्टीकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, केबल पीसीएम या भूमिगत केबलों जैसे विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा जाना है। अतः सभी एक्सचेंजों को केवल आप्टीकल फाइबर केबल/माइक्रोवेव से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। बीएसएनएल नेटवर्क के 36073 एक्सचेंजों में से 35,912 एक्सचेंज विश्वसनीय माध्यम से जोड़े जा चुके हैं तथा शेष 161 एक्सचेंजों को 30.6.2003 तक विश्वसनीय माध्यम से जोड़ दिया जाएगा।

विवरण

ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या जिन्हें ओएफसी/माइक्रोवेव सुविधा प्रदान नहीं की गई है :

क्र.सं.	राज्य	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या जिन्हें ओएफसी/माइक्रोवेव सुविधा प्रदान नहीं की गई है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	8
3.	बिहार	47
4.	झारखंड	0
5.	गुजरात	21
6.	हरियाणा	40
7.	हिमाचल प्रदेश	26
8.	जम्मू और कश्मीर	40
9.	कर्नाटक	9
10.	केरल	0
11.	मध्य प्रदेश	8
12.	छत्तीसगढ़	0
13.	महाराष्ट्र	161
14.	गोवा	0
	पूर्वोत्तर-I	
15.	मेघालय	12
16.	त्रिपुरा	18
17.	मिजोरम	22
	पूर्वोत्तर-II	
18.	अरुणाचल प्रदेश	13
19.	मणिपुर	0
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	1
22.	पंजाब	105
23.	राजस्थान	125
24.	चेन्नई सहित तमिलनाडु	14
25.	उत्तर प्रदेश	0
26.	उत्तरांचल	71
27.	कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल	29
28.	सिक्किम	1
	कुल	777

सी.जी.एच.एस. योजना में सुधार

*576. **श्री कमल नाथ :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की समस्याओं का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की बहुधा कमी रहती है और चिकित्सा कर्मचारियों का व्यवहार भी सौहार्दपूर्ण नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रणाली को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(1) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की कवरेज

(i) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों द्वारा पसंद की जाने वाली योजना है क्योंकि इसमें उनका विश्वास है और इस सच्चाई के कारण भी कि वैकल्पिक सुविधाएं महंगी हैं।

(ii) पूर्व उप–राष्ट्रपति, पूर्व राज्यपालों, संसद सदस्यों तथा पूर्व संसद सदस्यों को दी जाने वाली के.स.स्वा.यो. सुविधाओं को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना बजट का भाग नहीं बनाया जाना चाहिए। स्वशासी निकायों के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं दी जानी चाहिए।

(2) प्रत्येक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए फोटो सहित हैल्थ कार्ड की शुरूआत।

(3) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाकर सही समय पर सही गुणवत्ता वाली औषधों की अधिप्राप्ति हेतु चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय पर निर्भर न रहते हुए अपनी खरीद स्वयं की जानी चाहिए :

(i) विवेकपूर्ण तथा व्यापक फार्मूलरी।

(ii) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं द्वारा 100 प्रतिशत अधिप्राप्ति तथा सप्लाई।

(iii) विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की जाने वाली दवाओं को मुख्यतया फार्मूलरी औषधों तक सीमित रखा जाए।

(iv) यद्यपि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नियुक्त प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट छूट दे रहे हैं, तथापि सरकार द्वारा अनुमोदित की गई दरों पर औषधों की खरीद करना केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए मितव्ययी होगा।

(4) प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हेतु कंप्यूटरीकृत समेकित सूचना प्रणाली का विकास करना।

(5) मानव संसाधन विकास।

(i) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों तथा विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए समेकित सतत चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

(ग) और (घ) स्थानीय केमिस्टों के हड़ताल, कुछ प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों द्वारा औषधालयों, जिनसे वे जुड़े हुए हैं; से स्वेच्छापूर्वक अलग होने के कारण औषधों की सप्लाई में कमी के अवसर आए हैं। औषधों की कमी पर काबू पाने के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने विनिर्माताओं से बड़ी मात्रा में औषधों की अधिप्राप्ति की है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का स्टाफ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के प्रति अनुक्रियाशील तथा शिष्ट बना रहे, सामान्य अनुदेश विद्यमान हैं।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों, निगरानी तथा मार्गदर्शन के जरिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के काम–काज को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में एक अंतर्निमित तंत्र है। दिल्ली में स्थित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के काम–काज की मानीटरिंग करने के लिए आठ विशेष निरीक्षण दल भी गठित किए गए हैं। दिल्ली के बाहर स्थित शहरों में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के काम–काज की मानीटरिंग करने के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंधित अपर निदेशकों/संयुक्त निदेशकों द्वारा समय–समय पर आकस्मिक दौरे किए जाते हैं और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा

***577. श्री वाई. जी. महाजन :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के

दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं एवं प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी राशि आवंटित एवं जारी की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु शुरू की गई/शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिवार कल्याण योजना आयोग की विषय–निर्वाचन समिति ने अपनी रिपोर्ट सितंबर, 2002 में प्रस्तुत की। समिति ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की और दसवीं योजना के लिए व्यापक कार्यनीतियां भी सुझाईं। इसने नोट किया कि अनेक राज्यों ने नौवीं योजना के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ घटकों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया जिससे यह प्रदर्शित होता है कि इन्हें मौजूदा आधारभूत ढांचे, जनशक्ति और निवेशों (इनपुट्स) के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ :

- आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने जन्म दरों में पर्याप्त कमी दर्शाई है। बाद के तीन राज्यों द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से पहले ही प्रजननता के पुनः स्थापन स्तर को प्राप्त किए जाने की संभावना है।
- पंजाब ने सभी अन्य राज्यों से काफी आगे रह कर दम्पत्ति सुरक्षा दर और जन्मों में अंतराल रखने की विधियों के इस्तेमाल को हासिल कर लिया है।
- तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने सांस्थानिक प्रसवों में वृद्धि हासिल की है।
- केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु ने प्रतिरक्षण कवरेज में सुधार किया।
- तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने प्रसवपूर्व परिचर्या की कवरेज और गुणवत्ता में सुधार हासिल किया।

(ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 परिवार कल्याण सेवाओं को लागू करने में प्रजनक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए और लक्ष्य रहित नीति को जारी रखते हुए स्वैच्छिक और सूचित पसंद के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

राज्यों द्वारा 2002 तक निष्पादन के प्रत्याशित स्तर के मुकाबले हासिल की गई प्रगति संलग्न विवरण–I में दी गई है। राज्य सरकारों को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 2002–2003 में बंध्यीकरण स्वीकार करने वालों को मजदूरी की क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए जारी की गई निधियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के लिए नियत किए गए दस मानीटर किए जाने योग्य लक्ष्यों में से निम्नलिखित तीन परिवार कल्याण से संबंधित हैं :

- 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर को कम करके 16.2 प्रतिशत करना।
- नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करके 2007 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 45 तथा 2012 तक 28 करना।
- मातृ मृत्यु अनुपात को कम करके 2007 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 2 तथा 2012 तक 1 करना।

दसवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यवार अनुमानित परिवार नियोजन सेवाओं के बढ़े हुए स्तर संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(घ) प्रजनन दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके लिए परिवार कल्याण विभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए निजी क्षेत्र से धन जुटाने के लिए 100 करोड़ रुपये की कुल धनराशि के साथ जनसंख्या स्थिरता कोष पंजीकृत किया जा रहा है। सामाजिक–जनांकिकीय रूप से पिछड़ रहे आठ राज्यों अर्थात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान की विशिष्ट पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शक्ति प्राप्त कार्यदल बनाया गया है। सेवा प्रदानगी में सुधार करने के प्रयास

के रूप में देश भर में 8669 उप केंद्र मंजूर करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अप्रैल, 2002 से उप केंद्रों की समग्र संख्या के लिए वित्तपोषण करना मान लिया है। कार्यक्रम में नए गर्भनिरोधक अर्थात आई. यू.डी., 380 ए और आपाती गर्भनिरोधक जोड़े गए हैं।

परिवार नियोजन और मां एवं शिशु परिचर्या के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–II कार्यक्रम के अधीन और अधिक प्रयास किए जाएंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्थानीय सरकारी संस्थाओं को शामिल करने के लिए एक सामुदायिक प्रोत्साहन योजना तैयार की जा रही है। गैर–सरकारी संगठनों को एक अधिक सार्थक तरीके से शामिल करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देशों को संशोधित किया गया है कि गैर–सरकारी संगठन केवल अनुसमर्थन जुटाने से हटकर सेवा प्रदानगी की तरफ बढ़ें। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए सामाजिक विपणन दिशा–निर्देशों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिवार कल्याण विभाग देश के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने के लिए आवश्यक कोर सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट अध्ययन कर रहा है। किशोरों के स्वास्थ्य और शहरी तथा जनजातीय जनसंख्या के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी में वृद्धि करने की कोशिश की जाती है। साथ ही, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम को लिंग संवेदी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

विवरण-I

उपलब्धियों का प्रत्याशित स्तर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीबीआर		आईएमआर		टीएफआर	
		2002 तक उपलब्धि का प्रत्याशित स्तर	2001 की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार वर्तमान स्तर	2002 तक उपलब्धि का प्रत्याशित स्तर	2001 की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार वर्तमान स्तर	2002 तक उपलब्धि का प्रत्याशित स्तर	1999 की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार वर्तमान स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	24–23	25.4	56–50	66	2.9–2.6	3.2
1.	आंध्र प्रदेश	20–18	20.8	60–55	66	2.3–2.1	2.4
2.	असम	25–22	26.8	60–55	73	2.7–2.5	3.2
3.	बिहार	27–25	31.2	50–44	62	4.0–3.0	4.5
4.	छत्तीसगढ़	29–25	26.3	80–70	76	3.5–2.8	3.9
5.	गुजरात	22–20	24.9	40–35	60	2.5–2.2	3.0
6.	हरियाणा	27–23	26.7	50–45	65	3.0–2.5	3.2
7.	झारखंड	27–25	26.3	50–44	62	4.0–3.0	4.5
8	कर्नाटक	21–20	22.2	60–50	58	2.4–2.1	2.5
9.	केरल	16–15	17.2	10–9	11	1.7–1.6	1.8
10.	मध्य प्रदेश	29–25	30.8	80–70	86	3.5–2.8	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	20–17	20.6	41–36	45	2.5–2.2	2.5
12.	उड़ीसा	25–21	23.4	90–70	90	2.7–2.4	2.7
13.	पंजाब	21–18	21.2	44–40	51	2.5–2.2	2.5
14.	राजस्थान	28–24	31.0	56–50	79	3.5–3.0	4.2
15.	तमिलनाडु	18–16	19.0	39–35	49	1.9–1.7	2.0
16.	उत्तर प्रदेश	30–26	32.1	75–60	82	3.8–3.4	4.7
17.	पश्चिम बंगाल	24–20	20.5	51–46	51	2.6–2.4	2.4
18.	अरुणाचल प्रदेश	22–20	22.0	50–45	39	4.0–3.0	2.8
19.	दिल्ली	18–16	18.7	24–20	29	2.5–2.2	1.6
20.	गोवा	14–12	13.9	10– 9	19	1.6–1.5	1.0
21.	हिमाचल प्रदेश	22–20	21.0	50–45	54	2.5–2.3	2.4
22.	जम्मू एवं कश्मीर	27–24	20.1	45–45	48	2.7–2.5	अनुपलब्ध
23	मणिपुर	18–16	18.2	24–20	20	2.4–2.1	2.4
24.	मेघालय	25–23	28.3	40–35	56	2.8–2.5	4.0
25.	मिजोरम	18–16	15.7	24–20	19	2.4–2.1	अनुपलब्ध
26.	नागालैंड	16–15	अनुपलब्ध	8 – 5	अनुपलब्ध	2.6–2.4	1.5
27.	सिक्किम	18–17	21.6	40–35	42	2.4–2.1	2.5
28.	त्रिपुरा	18–16	16.1	40–35	39	2.4–2.1	3.9
29.	उत्तरांचल	30–26	18.5	75–60	48	3.8–3.4	4.7
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	16–15	16.8	24–20	18	2.0–1.8	1.9
31.	चंडीगढ	15–14	16.1	40–35	24	2.0–1.8	2.1
32.	दादरा एवं नगर हवेली	26–25	29.3	55–50	58	2.5–2.0	3.5
33.	दमन एवं दीव	18–16	22.3	24–20	40	2.0–1.8	2.5
34.	लक्षद्वीप	22–20	20.4	24–20	33	2.2–2.0	2.8
35.	पांडिचेरी	18–16	17.9	18–16	22	1.9–1.7	1.8

विवरण-II

नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंध्यीकरण और आईयूडी निवेशन के लिए मुआवजे की योजना के अधीन जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नौवीं योजना के दौरान	2002–03
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7981.23	1864.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.33	25.18
3.	असम	1137.62	1262.00
4.	बिहार	1195.68	630.79
5.	गोवा	74.36	4.80
6.	गुजरात	3038.36	604.84
7.	हरियाणा	1269.98	215.59
8.	हिमाचल प्रदेश	315.19	72.86
9.	जम्मू व कश्मीर	132.9	17.97
10.	कर्नाटक	5185.74	1038.01
11.	केरल	1808.62	418.20
12.	मध्य प्रदेश	3700.66	633.67
13.	महाराष्ट्र	6182.86	1542.05
14.	मणिपुर	67.25	8.35
15.	मेघालय	65.82	55.79
16.	मिजोरम	119.92	69.77
17.	नागालैंड	41.84	29.00
18.	उड़ीसा	1276.09	314.40
19.	पंजाब	1660.78	105.24
20.	राजस्थान	2753.77	503.04
21.	सिक्किम	53.62	39.24
22.	तमिलनाडु	4827.73	1119.86
23.	त्रिपुरा	148.74	86.92
24.	उत्तर प्रदेश	5306.49	1307.50
25.	पश्चिम बंगाल	3101.38	958.17
26.	छत्तीसगढ़	269	317.39
27.	झारखंड	238	279.47
28.	उत्तरांचल	184.3	223.57
	कुल–राज्य	52151.76	13748.10
	विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र		
1.	पांडिचेरी	132.75	48.00
2.	दिल्ली	488.85	
	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिव्यय		
1.	अं. व नि. द्वीपसमूह	24	
2.	दादरा व नगर हवेली	20	
3.	चंडीगढ़	48	
4.	लक्षद्वीप	3.15	
5.	दमन और द्वीव	8.5	
	कुल–संघ राज्य क्षेत्र	725.25	48.00
	महायोग	52877.01	13796.10

विवरण-III

दसवीं योजना के लक्ष्य—मार्च 2007

क्र.स.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	गर्भनिरोधक स्वीकार्यता का संभावित स्तर (आधुनिक)		जन्म दर का संभावित स्तर	कुल प्रजनन दर का संभावित स्तर	शिशु मृत्यु दर का संभावित स्तर	नवजात शिशु मृत्यु दर का संभावित स्तर	सुरक्षित प्रसव का संभावित स्तर	3 प्रसवपूर्व परिचर्या का संभावित स्तर	बंध्यीकरण के वर्तमान स्वीकार-कर्ता (000 में) 2001-02	2007 तक प्रतिवर्ष बंध्यीकरण किए जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या	आई.यू.डी. के वर्तमान स्वीकार-कर्ता (000 में) 2001-02	2007 तक आई.यू.डी. लगाई जाने वाली महिलाओं की अपेक्षित संख्या (000 में)	ई.क्यू.मु.से.गो. के उपयोग के वर्तमान स्वीकार-कर्ता (000 में) 2001-02	2007 तक प्रति वर्ष ई.क्यू. मु.से.गो. के उपयोग-कर्ताओं की अपेक्षित संख्या	ई.क्यू. कंडोम उपयोग के वर्तमान स्वीकार-कर्ता (000 में) 2001-02	2007 तक प्रति वर्ष ई.क्यू. कंडोम के उपयोग के स्वीकार-कर्ताओं की वर्तमान संख्या (000 में)
		स्थाई	जन्म अंतराल														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	भारत	50.0	15.0	21	2.3	45	26	80	90	4726	8234	6202	17232	7475	15006	14569	30013
I.	**बड़े राज्य**																
1.	आंध्र प्रदेश	65.0	10.0	17	1.8	42	22	90	95	808	897	280	882	242	768	543	1536
2.	असम	35.0	16.9	22	2.3	50	30	55	80	26	142	39	434	20	378	26	755
3.	बिहार	30.0	10.0	24	2.8	45	25	70	80	152	467	145	984	84	857	63	1713
4.	छत्तीसगढ़	45.0	10.0	22	2.6	50	38	95	85	99	270	105	536	170	466	285	933
5.	गुजरात	60.0	21.2	20	2.1	40	22	80	95	255	491	402	1120	188	975	893	1950
6.	हरियाणा	56.3	26.0	22	2.2	40	23	80	95	88	195	159	582	68	507	342	1014
7.	झारखंड	30.0	10.0	22	2.6	50	35	60	80	68	152	51	320	16	278	3	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	कर्नाटक	60.0	12.7	20	2.0	40	21	85	95	399	511	323	688	158	600	278	1199
9.	केरल	60.0	10.7	15	1.6	9	5	100	100	150	278	73	319	27	278	102	556
10.	मध्य प्रदेश	55.0	17.0	23	2.6	58	30	70	85	328	785	466	1555	521	1354	1239	2709
11.	महाराष्ट्र	66.0	14.9	17	2.1	34	20	95	98	696	1023	460	1457	339	1268	410	2537
12.	उड़ीसा	55.0	12.9	21	2.2	68	35	70	90	92	314	171	471	128	410	262	821
13.	पंजाब	55.0	30.0	18	2.1	35	15	90	95	110	199	352	697	138	607	448	1215
14.	राजस्थान	45.0	15.5	22	2.7	50	30	70	80	252	425	238	937	533	816	1057	1632
15.	तमिलनाडु	60.0	12.0	16	1.7	30	20	100	100	390	577	389	730	191	636	230	1271
16.	उत्तर प्रदेश	35.0	21.0	24	2.7	58	35	75	80	418	954	2256	3649	816	3178	1569	6355
17.	प. बंगाल	50.0	19.4	17	2.1	38	25	80	95	282	658	75	1609	394	1401	358	2802
II.	**छोटे राज्य**																
1.	अरुणाचल प्रदेश	30.0	20.8	20	2.4	40	30	65	80	2	5.1	3	22	2	19	1	38
2.	गोवा	45.0	12.4	12	1.5	9	20	75	100	5	9.1	3	16	2	14	1	28
3.	हिमाचल प्रदेश	65.0	19.6	20	2.0	35	15	80	85	35	69	32	133	23	116	69	231
4.	ज. व क.	40.0	18.5	17	2.0	40	30	75	80	16	59	19	175	7	152	13	308
5.	मणिपुर	30.0	15.8	16	2.0	20	10	85	80	0.8	9.2	6	31	0.8	27	3	53
6.	मेघालय	30.0	10.8	23	2.6	50	40	50	80	2	9.4	2	21	3	18	1	37
7.	मिजोरम	56.8	15.5	16	2.0	19	12	90	90	2	7	2	12	2	10	1	21
8.	नागालैंड	30.0	14.1	15	1.5	32	15	60	85	0.6	6.3	2	19	2	16	0.2	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	सिक्किम	31.3	28.5	17	2.1	45	20	60	85	0.8	2.5	1	14	3	12	1	24
10.	त्रिपुरा	30.0	36.4	16	2.6	35		60	85	6	16	4	122	33	106	17	213
11.	उत्तरांचल	40.0	18.2	18	2.0	40	30	80	80	28	49	105	186	46	162	75	325
III.	संघ राज्य क्षेत्र																
1.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	50.0	15.0	15	1.7	22		80	100	2	3.1	1	6	1	5	2	10
2.	चंडीगढ़	40.0	35.0	14	1.9	25		80	85	3	6.4	5	36	0.5	32	12	63
3.	दादरा एवं नगर हवेली	35.0	10.0	23	2.8	50		60	85	0.8	1.3	0.3	2	0.2	2	0.009	4
4.	दमन व दीव	50.0	10.0	16	2.1	45		85	90	0.6	1.2	0.3	2	0.3	1	1	3
5.	दिल्ली	40.0	30.0	16	1.6	25	20	85	85	39	102	63	496	16	432	182	864
6.	लक्षद्वीप	30.0	10.0	20	2.4	25		85	100	0.03	0.3	0.04	1	0.08	1	0.4	1
7.	पांडिचेरी	65.0	10.0	16	1.6	20		100	100	13	12	4	12	2	10	11	20

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों का विस्तार

*578. **श्री जी. एस. बसवराज** : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रमुख पत्तनों के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे संबंधित कोई मामला सरकारी निवेश बोर्ड के पास लंबित है;

(घ) यदि, हां तो इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और इस विस्तार कार्य को पूरा करने के लिए कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है; और

(ङ) अनुमानित निवेश और संसाधन जुटाने संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) और (ख) समुद्री व्यापार की मांगों को ध्यान में रखते हुए महापत्तनों का विस्तार उनके विकास की सतत प्रक्रिया का एक भाग है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान महापत्तनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण सहित विकास के लिए 4531.29 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। इसमें से, 2955.37 करोड़ रुपये दसवीं योजना के दौरान आरंभ की जाने वाली नई स्कीमों के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र द्वारा उक्त अवधि के दौरान महापत्तनों में लगभग 11257.00 करोड़ रु. के निवेश का भी विचार है। दसवीं योजना में शामिल इन स्कीमों से विभिन्न महापत्तनों में नई अधिप्राप्ति, पुनर्स्थापना/उन्नयन के द्वारा अतिरिक्त बर्थों का निर्माण, विद्यमान बर्थों का विस्तार तथा कार्गो हैंडलिंग उपकरणों का आधुनिकीकरण करके 127.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की संभावना है। इसमें से, नई स्कीमों से 63.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एड्स नियंत्रण कोष पर निगरानी

*579. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा धनराशि प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों के पूर्ववृत्तों की जांच करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे कदाचार, यदि कोई हैं, को रोकने के लिए अपनाई गई निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली प्रभावी है; और

(ग) यदि नहीं, तो एड्स नियंत्रण में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन कार्यकलापों हेतु वित्तपोषण संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा किया जाता है ताकि स्थानीय स्तर पर गहन मानिटरिंग को सुकर बनाया जा सके और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, गैर-सरकारी संगठन कार्यकलापों हेतु अपने दिशा-निर्देशों के भाग के रूप में कतिपय मानदंड निर्धारित करता है ताकि गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके एक कठोर तथा पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए गैर-सरकारी संगठनों का चयन हो सके। उन गैर-सरकारी संगठनों, जो अनुदान हेतु आवेदन करते हैं, की विधिक स्थिति, अवसंरचना, संगठनात्मक ढांचे और अन्य विकास संबंधी क्षेत्रों में उनके कार्यों के पूर्व रिकार्डों (पास्ट ट्रैक रिकार्ड) के संबंध में जायजा लिया जाता है। गैर-सरकारी संगठन के पास तीन वर्षों के उनके कार्यकलापों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टें और वार्षिक रिपोर्टें होना अपेक्षित है। उस गैर-सरकारी संगठन को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालॉजी (कापार्ट) अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों में से नहीं होना चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तकनीकी सलाहकार समिति गैर-सरकारी संगठन के प्रस्तावों का अनुमोदन करती है और तब केवल अनुमोदित गैर-सरकारी संगठनों के बारे में ही स्थानीय समुदाय में विश्वसनीयता का निर्धारण करने हेतु संयुक्त मूल्यांकन दल द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण करके अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। तकनीकी सलाहकार समिति और संयुक्त मूल्यांकन दल की सिफारिशों को, राज्य सरकार में सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता

वाली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुदान की मंजूरी हेतु अंतिम निर्णय के लिए रखा जाता है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम में एक विस्तृत मानिटरिंग और मूल्यांकन पद्धति अंतर्निहित की गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना पद्धति और कार्यक्रम वित्त प्रबंध पद्धति तैयार की गई है। ये पद्धतियां और प्रक्रियाएं मूल्यांकन हेतु विविध मापदंडों के संबंध में गैर–सरकारी संगठनों से उनकी संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए नियमित फीड–बैक सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के गैर–सरकारी संगठन सलाहकार द्वारा नियमित दौरे किए जाते हैं। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विस्तृत कार्यकलाप रिपोर्टें और व्यय के लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित होता है। वित्तपोषित गैर–सरकारी संगठनों के लेखे आगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा समय–समय पर लेखा परीक्षा के अध्यधीन होते हैं।

जो गैर–सरकारी संगठन तीन वर्षों से अधिक समय से सुधारात्मक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं उनके मामले में वाह्य मूल्यांकन किया जाता है।

इन गहन मानिटरिंग तथा मूल्यांकन पद्धतियों से राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां, गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने वाले कदाचार को नियंत्रित करने में सफल रही हैं। परिणामस्वरूप, वर्ष 2000–01 के दौरान, 19 गैर–सरकारी संगठनों के वित्त पोषण को रोक दिया गया था; और वर्ष 2001–02 के दौरान, 22 गैर–सरकारी संगठनों के वित्त पोषण को रोका गया था।

प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

*580. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रदान की जाने वाली प्रसव–पूर्व स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं और पौष्टिक भोजन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें किस तरह से उपरोक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं, चल रहे प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं। रोग निरोधन और लौह–अल्पता एनिमिया के उपचार सहित अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपात प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के जरिए रेफरल परिवहन की व्यवस्था और उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्रथम रेफरल एककों में उपकरणों तथा औषधों की व्यवस्था इन व्यवस्थाओं में शामिल हैं।

गर्भावस्था के दौरान माता के लिए पोषण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने न्यूनपोषित गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए महिला व बाल विकास विभाग के जरिए देश के 51 जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना चलाई है। इस योजना में 3–6 महीनों की अवधि के लिए 6 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से पूरी तरह से निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाना प्रतिपादित है।

मौजूदा उपायों के लाभों में सुधार करने और सांस्थानिक प्रसवों को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। यह योजना राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना को चल रहे मातृ स्वास्थ्य योजनाओं में न केवल मिलाएगी बल्कि यह अनेक नई पहलों की शुरूआत भी करेगी। इस नई योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होंगी :

(i) यह योजना शत–प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना होगी।

(ii) इसके लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाली सभी महिलाओं में लिए उपलब्ध होंगे।

(iii) 19 वर्ष और उससे अधिक उम्र की वे सभी महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गृहिणी हों।

(iv) इसका कार्यान्वयन शहरी क्षेत्रों में नगर–निगम स्वास्थ्य प्राधिकारियों के जरिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के ज़रिए किया जाएगा।

(v) दो जीवित जन्मों तक, लड़के के जन्म पर 500/– रुपये की सहायता और लडकी के जन्म पर

1000/– रुपये की सहायता दी जाएगी। बंध्यीकरण का चयन करने वाली गर्भवती महिलाओं को दो बच्चों के जन्म के पश्चात भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

(vi) यद्यपि तीन प्रसवपूर्व जांचों पर जोर नहीं दिया जाएगा तथापि लाभ प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल में प्रसव कराना आवश्यक होगा।

(vii) गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल तक लाने के लिए 150/– रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

(viii) यदि गर्भवती महिला के पास बीपीएल कार्ड न हो तो गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति के संबंध में स्व–घोषणा स्वीकार की जाएगी।

(ix) गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों तक लाने के लिए दाइयों को प्रति महिला 25/– रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

(x) यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर पर परिवार कल्याण विभाग के जरिए कार्यान्वित की जाएगी। अपने–अपने जिलों में सहायक नर्स धात्रियों/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिला स्तर की समितियों की होगी। प्रसव के पश्चात लाभार्थियों में वितरण हेतु सहायक नर्स धात्रियों/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास 5,000/– रुपये की पेशगी राशि रखी जाएगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों का शामिल किया जाना

*581. **श्री अनन्त नायक :**
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार कल्याण कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानीय सरकारी निकायों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को ऐसी जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में पंचायती राज संस्थाओं की पहचान जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन को और आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में की गई है। तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा शिक्षा को पहले ही ग्राम पंचायतों की जिम्मेवारी बनाया जा चुका है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया गया :

(i) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को 500/– रुपये की नकद सहायता देने के लिए राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना।

(ii) आपातकाल के दौरान रेफरल एकक तक ले जाने के लिए चुनिंदा राज्यों के 25 प्रतिशत उप केंद्रों में गरीब परिवारों की महिलाओं की सहायता हेतु रेफरल परिवहन योजना।

(iii) सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन नीति, जिसमें ग्रामीण समुदाय शामिल हैं, के अंतर्गत सहायक नर्सधात्रियों द्वारा किया जा रहा ग्राम स्तरीय नियोजन।

(iv) जिला साक्षरता समिति के माध्यम से जिला सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार करना।

(v) राज्यों में कार्यान्वित कुछ क्षेत्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत, भवनों के निर्माण का कार्य स्थानीय पंचायती राज संस्था निकायों को सौंपा गया।

(vi) महिला स्वास्थ्य संघों तथा ग्राम स्वयं–सहायता समूहों का उपयोग ग्रामों में परिवार कल्याण की कार्यसूची का प्रचार करने के लिए किया गया। यद्यपि, ये निकाय सही अर्थ में पंचायती राज संस्था प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, तथापि ग्राम के

जागरूक एवं सक्रिय सदस्यों का अक्सर ही पंचायती राज संस्थाओं तथा ऐसे निकायों, दोनों में प्रतिनिधित्व होता है।

(vii) पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा इसमें उनकी भूमिका के बारे में जागरूक बनाने तथा इसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए एक नई सामुदायिक प्रोत्साहन योजना की परिकल्पना की जा रही है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना, रेफरल परिवहन योजना तथा सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन नीति के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज्यों को शामिल करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं। दिनांक 3–4 फरवरी, 2003 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका" पर एक राष्ट्रीय परामर्शदाई कार्यशाला आयोजित की गई। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल हुए। परिवार कल्याण विभाग एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली तथा विभिन्न प्रजनन तथा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों से संबंधित सूचना होगी, जिसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा उड़ीसा जैसे आठ शक्ति संपन्न कार्य दल राज्यों के ग्राम/खंड/जिला स्तरों के पंचायत प्रमुखों को वितरित किया जाएगा।

राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम में भिन्न–भिन्न हद तक शामिल कर रही हैं। केरल सरकार ने विकेंद्रीकृत नियोजन के माडल के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को धन, कार्य एवं कार्यकर्ता स्थानांतरित कर दिए हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा उड़ीसा जैसे राज्य भी कार्यक्रम की स्वीकार्यता तथा प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए कल्याण कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने हेतु प्रयास कर रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग

*582. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में इस संबंध में कोई उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले;

(घ) उन दक्षिण कोरियाई कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनका भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उन अन्य देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग स्थापित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) जी, हां। भारत और दक्षिण कोरिया ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए निम्नलिखित समझौता–पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं :

(i) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच अप्रैल, 2001 में निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्योग से उद्योग के मध्य सहयोग को सुकर बनाने के लिए एक समझौता–पत्र पर हस्तारक्षर किए गए हैं :

- दूरसंचार सॉफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर
- सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं
- ई–वाणिज्य और सूचना सुरक्षा
- इलेक्ट्रॉनिक शासन
- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर
- सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास

- अनुसंधान और विकास
- तीसरे देश के बाजार का पता लगाना
- पक्षकारों की पारस्परिक सम्मति से अन्य क्षेत्र

(ii) राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार और राष्ट्रीय कम्प्यूटरीकरण एजेंसी (एनसीए), कोरिया गणराज्य के मध्य ई–शासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अप्रैल, 2002 में एक समझौता–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी), नामक एक स्वायत्त संगठन ने इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में भारत और दक्षिण कोरिया के उद्योगों के बीच व्यावसायिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए कोरियाई सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संवर्धन एजेंसी (कीपा) के साथ अप्रैल, 2001 में एक समझौता–पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iv) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा और कंपनी संघ (नैसकॉम) ने भारतीय और दक्षिण कोरियाई उद्योगों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावसायिक संवर्धन को सुकर बनाने के लिए कोरियाई सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संवर्धन एजेंसी (कीपा) के साथ समझौता–पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और दक्षिण कोरिया के उद्योगों के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से अप्रैल, 2002, अगस्त, 2002 और अप्रैल, 2003 में नई दिल्ली में कोरिया–भारत सूचना प्रौद्योगिकी मंचों का आयोजन किया गया।

(घ) दिनांक 1.1.2000 से 31.12.2002 तक की अवधि के दौरान दक्षिण कोरिया से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कम्पनीवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। दिनांक 31.12.2002 तक प्राप्त कुल प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 72.12 करोड़ रुपये है।

(ङ) भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए निम्नलिखित 26 देशों (दक्षिण कोरिया को छोड़कर) के साथ समझौता–पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं

ब्राजील	मंगोलिया	रूस
यूरोपीय संघ	मिस्र	ईरान
वियतनाम	इटली	बुल्गारिया
बेलारूस	मलेशिया	हांगकांग
थाईलैंड	मारीशस	न्यूजीलैंड
सिंगापुर	इजरायल	आयरलैंड
कोलंबिया	चीन	घाना
फ्रांस	रोमानिया	आस्ट्रेलिया
साइप्रस	श्रीलंका	

विवरण

01.01.2000 से 31.12.2002 तक की अवधि के दौरान प्राप्त निवेश का कंपनीवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मार्ग/देश	कंपनी का नाम	निवेश की राशि
1	2	3	4
1.	एफआईपीबी कोरिया (दक्षिण) स्थान : दिल्ली क्षेत्र : वैद्युत उपस्कर (सॉफ्टवेयर एवं विद्युत सहित)	सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स (इंडिया) प्रा. लि.	21.97
2.	एफआईपीबी कोरिया (दक्षिण) स्थान : दिल्ली क्षेत्र : वैद्युत उपस्कर (सॉफ्टवेयर एवं विद्युत सहित)	सॉफ्ट टेक्नालॉजीज इंडिया प्रा. लि.	0.12

1	2	3	4.
3.	आरबीआई कोरिया (दक्षिण) स्थान : कर्नाटक क्षेत्र : वैद्युत उपस्कर (सॉफ्टवेयर एवं विद्युत सहित)	इन्चेंज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि.	0.20
4.	आरबीआई कोरिया (दक्षिण) स्थान : महाराष्ट्र क्षेत्र : वैद्युत उपस्कर (सॉफ्टवेयर एवं विद्युत सहित)	कोर्टिन्ड डिजाइन्स प्रा.लि.	0.01
5.	एफआईपीबी कोरिया (दक्षिण) स्थान : दिल्ली क्षेत्र : वैद्युत उपस्कर (सॉफ्टवेयर एवं विद्युत सहित)	सैमसंग इलैक्ट्रानिक्स (इंडिया) प्रा.लि.	48.82
	कुल योग		71.12

जे.एन.पी.टी. (मुम्बई) में कंटेनर टर्मिनल

5599. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी एण्ड ओ बहुराष्ट्रीय कंपनी का जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) नवा शेवा (मुम्बई) पत्तन पर अपना निजी कंटेनर टर्मिनल है;

(ख) क्या उपर्युक्त टर्मिनल के कारण हमारे टर्मिनल को घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) एक कंपनी न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 95 प्रतिशत शेयरों पर पी. एंड ओ. आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड का हितकारी स्वामित्व है, नवी मुंबई में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास पर निर्माण, प्रचालन और स्थानांतरण (बीओटी) आधार पर कंटेनर टर्मिनल प्रचालित कर रही है।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु संयंत्रों हेतु सुरक्षोपाय

5600. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित रेडियोएक्टिव रिलीज लिमिट्स के समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु संयंत्रों में सुरक्षोपाय अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की तर्ज पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस प्रकार के सुरक्षोपाय की व्यवस्था की जाती है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने यह निर्धारित किया है कि किसी नाभिकीय सुविधा के परिचालन की वजह से जनसामान्य पर पडने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा एक एमएसवी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय वैकिरणिकीय सुरक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों का डिजाइन अंतर्निहित सुरक्षा, विविधता, अतिरेकता के सिद्धांतों पर आधारित है और उनमें समुचित सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों के परिचालन के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस, सुरक्षा प्रणालियों

की बहु–स्तरीय पुनरीक्षा पर आधारित होते हैं। सुरक्षोपाय, उपयुक्त परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा दिए गए लाइसेंस के अंतर्गत प्रशिक्षित मानवशक्ति की तैनाती द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। पर्यावरण में विकिरण के उन्मुक्त होने को रोकने के लिए बहु–रोधक विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त, भली–भांति तैयार की गई योजनाओं और प्रक्रियाओं के तहत, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, आपातस्थिति से निपटने की तैयारी सुनिश्चित की जाती है, जिसका आवधिक रूप से अभ्यास संयंत्र के और राज्य के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

डाक सर्किलों/डिवीजनों का सृजन

5601. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003–2004 के दौरान सरकार के पास कुछ नए डाक सर्किलों और नए डाक डिवीजनों का सृजन करने हेतु प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) नए डाक सर्किलों/डिवीजनों का सृजन आवश्यकता, औचित्य तथा नए पदों के सृजन पर सरकार के आदेशों पर निर्भर करता है। वर्तमान आदेशों के अनुसार नए सर्किलों या डिवीजनों का सृजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध में ढील न दी जाए।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

व्यय में कमी

5602. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों में प्रचार, विज्ञापन, आतिथ्य सत्कार, खानपान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरे (विदेश यात्राओं समेत), एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन बिलों, एयर कंडीशनरों और कूलरों के बिजली के बिलों और अन्य कार्यालय खर्चों जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष–वार कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत हो रहे व्यय को कम करने हेतु कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क)

	2000–2001 (करोड़ रु. में)	2001–2002	2002–2003 (अनन्तिम)
(i) विज्ञापन तथा प्रचार	15.06	22.52	20.25
(ii) अतिथि सत्कार/खानपान/उद्घाटन समारोह	20.68	25.24	19.60
(iii) संगोष्ठियां/सम्मेलन	0.195	0.39	0.21
(iv) यात्राएं (विदेश यात्राओं सहित)	20.71	25.72	26.10
(v) एसटीडी/आईएसडी बिल	03.999	03.73	03.15
(vi) विद्युत बिल (एयर–कंडीशनरों और कूलरों के विद्युत प्रभार सहित–क्योंकि केवल इस मद पर आए प्रभारों के बिल अलग से जारी नहीं किए जाते)	01.32	01.10	01.19
(vii) अन्य कार्यालय व्यय	28.79	27.55	25.99

(ख) और (ग) यह सतत प्रयास रहता है कि उपुर्यक्त शीर्षों के अंतर्गत किए जाने वाले खर्च के मामले में मितव्ययता बरती जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर खोलना

5603. श्री विष्णुदेव साय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में कितने नए डाकघरों को मंजूरी दी गई और यह डाकघर कहां-कहां खोले गए;

(ग) उक्तावधि के दौरान राज्यों में कितने डाकघरों को दर्जा बढ़कर जिला डाकघर किया गया; और

(घ) इन डाकघरों के लिए मंजूर किए गए नए पदों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 11 नए डाकघर और मध्य प्रदेश राज्य में 28 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव था।

(ख) उपर्युक्त राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 5 जिला डाकघरों (मुख्य डाकघर) का और मध्य प्रदेश राज्य में 8 का दर्जा बढ़ाया गया है।

(घ) इन डाकघरों के लिए किसी नए पद को मंजूरी नहीं प्रदान की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्वीकृत नए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा

छत्तीसगढ़ राज्य

क्र.सं.	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
1.	पुटपुरा	इराई	खैरझिली
2.	पर्सादा	उमरगांव	सुरेली
3.	हाथनेवरा	हिर्री	पुस्पल
4.	शिकारीपाली	बनागांव	छिंदवाड़ा
5.	सामनापुर	मूदपर सरदी	देवसागर
6.	कसीरा	बेलारदोना	बाघडोला
7.	कुरकुंगा	बुचाटोला	खैजा
8.	शाहपुर	मुंडी भंवर	खोखसीपली
9.	घाटपिपरिया	दर्रीघाट	राजपुर
10.	बरेलाघाट	तालाकुर्रा	बहराखार
11.	करंडिया	मरडा	मोहलाली
12.	बंजारी	मरमुरडा	
13.	ताली	छुरिया	
14.	छापरा		
15.	हदबाड़ा		
16.	भागोहर		
17.	बिंझिया		
18.	जानपुर		
19.	मूघापुर		
20.	नैकिन		
21.	सहाजपुरा		
22.	विजयपानी		
23.	सुभाषनगर		
24.	मिसिरगावां		
25.	दरबाई		
26.	मोहगांव हवेली		

मध्य प्रदेश राज्य

क्र.सं.	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4
1.	भोपाल कोलार रोड, टीएसओ	टेकापर गढ़ी	सूरज नगर, भोपाल
2.	न्यू हाई कोट, ग्वालियर	टिडनी	चंपा खेड़ी
3.	मोहगांव हवेली (दर्जा बढ़ाकर)	कुंवरपुर	टीला
4.	बड़गांव खुर्द	खेड़ीनाका	सतनई
5.	बड़नगर	कुटकीपुरा	गोगरपुरा
6.	बारखेड़ी तुमेन	भड़ाटा	लसुड़िया
7.	सगवाली	देवरी	हरनावाड़ा
8.	रिंडा	अजनौढ़ा	छायां
9.	लिंबोडा (होटपिपल्या)	पटोंडी (बीनागंज)	पंडाजागीर
10.	डबरा गांव	हसीना बाद (बुरहानपुर)	ढबला छागवान
11.	दूधलई	गोहिंडा	खेड़ा
12.	जैदा मंडी	ताल	परसलीघटा
13.	लालकनेड़ा (जाओरा)	खड़बाड़ा कुकदेशेश्वर	सहेली
14.	खजूरिया बीना	अरोलिया (अष्टा)	तालनपुर
15.	डाबडी	उमरथना	जाजम खेड़ी
16.	खलबुजुर्ग	बानी	धेकाना
17.	हरसवात	रायपुर धमकान (नारवाड़)	गोपालपुरा
18.	कालसुड़ा खुर्द	सिरवल (बिस्तन)	हरदुली
19.		कोईडिया (अंजद)	बांसा
20.		जमनापुर (खलवा)	अगसौड़
21.		मेहगांव देब	दिघौरी
22.		बाघ मुगलिया	मंगाली
23.		मागरोनी	झूरेमाइन्स
24.		मुरैना जिला न्यायालय	सेवती
25.		राजपुरा	पोखड़ा
26.		सरौली	जूरी
27.		लमहैटा	घुघरी
28.		गांगी	
29.		गोकलथाना	
30.		खटोला	
31.		खारी	
32.		कौआडोंगरी	
33.		टोप	
34.		राजेन्द्रनगर कालोनी	
35.		जेपीपुरम	
36.		कोसमडोंगड़री	
37.		मोहनिया	

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या

5604. श्री शिवाजी माने : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है और उनकी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने की आवश्यकता है; और

(ग) राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा राजमार्गों की मरम्मत से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 14 है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने से संबंधित सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार को वापस कर दिए गए हैं जिनमें महाराष्ट्र के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। विद्यमान राजमार्गों का नेमी/सामान्य मरम्मत करके अनुरक्षण किया जा रहा है।

तेल क्षेत्र का विनिवेश

5605. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछलें तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तेल क्षेत्र में किए गए विनिवेश के कारण कितनी धनराशि अर्जित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार तेल क्षेत्र में और अधिक विनिवेश करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2000–01, 2001–02 और 2002–03) तेल क्षेत्र के कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से सरकार द्वारा जुटाई गई धनराशि 2471 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) में 34.01 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अनुकूल बिक्री के माध्यम से और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में 35.20 प्रतिशत इक्विटी की शेयरों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सार्वजनिक पेशकश करने के माध्यम से विनिवेश करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के माध्यम से कर्मचारियों को दोनों कंपनियों में 5 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का भी निर्णय लिया गया है।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

5606. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय उत्तरदायित्व में हिस्सा बंटाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य–वार कौन–कौन से कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की गईं और राज्यों को इस संबंध में कितनी धनराशि, ऋण, अनुदान अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और लोगों को चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। यह मंत्रालय इस काम में राज्य सरकारों के प्रयासों में आवर्धन करता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता प्रदान की है विवरण–I संलग्न है। इनमें से 8 संस्थाओं को छोड़कर, जो या तो प्राइवेट स्वामित्व वाले हैं अथवा इस मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित हैं, शेष 12 को राज्य सरकारों से धन मिलता है और इन क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को इस मंत्रालय का अंशदान केवल उपकरणों को खरीदने के लिए 75 लाख रुपये का वार्षिक आवर्ती अनुदान ही है।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यह मंत्रालय लोगों में जागरूकता पैदा करने और उपचार एवं अनुसंधान कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमें चला रहा है जिनके ब्यौर संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। राज्य सरकारों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों की सूची

*कमला नेहरू मोमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किदवई मैमोरियल आन्कोलॉजी संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक

*क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु

आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केंद्र, उड़ीसा

क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसायटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश

*कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली

*आर.एस.टी. अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, नागपुर, महाराष्ट्र

पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ

क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरूवनन्तपुरम

*गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात

एमएनजे आन्कोलाजी संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसायटी जिपमेर, पांडिचेरी

डा. बी.बी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम

*टाटा मैमोरियल अस्पताल, मुम्बई, महाराष्ट्र

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट एवं अनुसंधान संस्थान, बीकानेर, राजस्थान

क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक, हरियाणा

सिविल अस्पताल, आइजोल, मिजोरम

विवरण-II

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

मेडिकल कालेज अस्पताल में ऑन्कोलाजी विंग का विकास

यह स्कीम देश में कैंसर की पहचान और उपचार में भौगोलिक अंतर को समाप्त करने के लिए केवल सरकारी मेडिकल कालेजों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत किसी संस्थान को कोबाल्ट, मशीन, ब्राइकेथिरेपी आदि जैसे उपस्कर खरीदने के लिए 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना

सरकारी संस्थाओं में कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 1.50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गैर–सरकारी संगठनों को कोबाल्ट थिरेपी यूनिट के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की जाती है।

कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने की स्कीम के अंतर्गत मेमोग्राफी उपस्कर को भी शामिल किया गया है। उन संस्थानों/संगठनों जिनके पास कैंसर रोगियों के उपचार के लिए सुविधाएं और सुसज्जित रेडियोथिरेपी विभाग हैं, को 30.00 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह भी एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1990–91 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा, पहचान और दर्द निवारक उपायों के लिए जिला परियोजना (अवधि–पांच वर्ष) हेतु एक स्कीम आरम्भ की गई थी। इस स्कीम में, परियोजना अवधि के बाकी चार वर्षों के लिए प्रत्येक जिले के लिए 10.00 लाख रुपये प्रति वर्ष के प्रावधान की स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक चुनिंदा जिले हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पांच वर्षों के बाद, इस परियोजना का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा कर लिया जाता है।

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता

यह योजना राज्य सरकार की विशेष सिफारिशों पर कैंसर में स्वास्थ्य शिक्षा और जल्दी पहचान कार्यकलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए है।

क्षेत्रीय कैंसर केंद्र

इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता दी है। और संस्थान के विकास

*गैर–सरकारी संगठन

हेतु उपकरणों के प्रापण के लिए 75.00 लाख रुपये की धनराशि सालाना प्रदान की जाती है। ये क्षेत्रीय कैंसर केंद्र कैंसर के क्षेत्र में उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान करते हैं।

विवरण-III

धनराशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5
	(क) सरकारी संस्थाओं को क्षेत्रीय कैंसर केंद्र अनुदान			
1.	प. बंगाल	300.00	450.00	700.00
2.	तमिलनाडु*	75.00	75.00	75.00
3.	केरल	75.00	75.00	75.00
4.	कर्नाटक	75.00	75.00	75.00
5.	गुजरात*	75.00	75.00	75.00
6.	आंध्र प्रदेश	–	75.00	75.00
7.	महाराष्ट्र*	75.00	75.00	75.00
8.	मध्य प्रदेश	75.00	75.00	75.00
9.	राजस्थान	75.00	82.50	75.00
10.	बिहार	75.00	75.00	75.00
11.	छत्तीसगढ़	–	75.00	35.00
12.	उड़ीसा	75.00	75.00	75.00
13.	उत्तर प्रदेश*	75.00	75.00	75.00
14.	हिमाचाल प्रदेश	75.00	75.00	–
15.	हरियाणा	75.00	–	–
16.	मिजोरम	–	–	75.00
17.	आईआरसीएच (एआईआईएमएस) नई दिल्ली	1500.00	1300.00	1000.00
18.	पांडिचेरी	–	75.00	75.00
	(ख) सरकारी संस्थानों को कोबाल्ट अनुदान			
1.	आंध्र प्रदेश	–	71.00	79.00
2.	केरल	7.50	–	–
3.	उत्तर प्रदेश	–	150.00	200.00
4.	हरियाणा	150.00	–	–
5.	तमिलनाडु	300.00	–	–
6.	प. बंगाल	157.50	285.00	–
7.	नई दिल्ली	325.00	–	400.00
	(ग) सरकारी संस्थाओं को आन्कोलॉजी अनुदान			
1.	प. बंगाल	–	200.00	200.00
2.	तमिलनाडु	–	90.00	231.00
3.	राजस्थान	–	–	110.00
4.	कर्नाटक	400.00	–	200.00
5.	मध्य प्रदेश	320.00	–	80.00
6.	उत्तर प्रदेश	–	200.00	–
7.	महाराष्ट्र	150.00	–	–
8.	मिजोरम	–	101.00	–
9.	हरियाणा	–	100.00	–
10.	छत्तीसगढ़	–	150.00	–
11.	झारखंड	–	229.00	–
12.	बिहार	–	200.00	–
13.	गुजरात	–	300.00	–
14.	चंडीगढ़	–	200.00	–

*निजी संस्थान

[अनुवाद]

आयुर्वेद का विकास

5607. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयुर्वेद के विकास हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) 2002–2003 के दौरान केरल में 2 आयुर्वेद कॉलेजों और सरकारी संगठनों द्वारा औषधीय पादपों के विकास से जुड़ी 9 परियोजनाओं के लिए सहायतानुदान तथा औषधालयों के लिए औषधियां खरीदने की सहायता कुछ परियोजनाएं हैं जो पहले से अनुमोदित कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

बंद की गई स्वास्थ्य परियोजनाएं

5608. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 1996 में शुरू की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित राज्य स्वास्थ्य विकास परियोजना आज की स्थिति के अनुसार बंद कर दी गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गईं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्ष 1996 में आरम्भ राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना–II को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी गई है न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। उस वर्ष के दौरान, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में परियोजनाएं शुरू की गई थीं। इन परियोजनाओं को मार्च, 2002 में पूरा हो जाना था। तथापि, विश्व बैंक इस परियोजना को मार्च, 2004 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना के अंतर्गत इन तीनों राज्यों में हासिल उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(i) कर्नाटक : विश्व बैंक पुनरीक्षा मिशन ने जून, 2002 में सूचित किया था कि ऋण राशि में से लगभग 84 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी थी। परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए 204 अस्पतालों में से जून, 2002 तक 178 अस्पतालों में काम पूरा हो चुका था। इसके साथ ही परियोजना के अन्य संघटकों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है जैसे कि बिस्तरों की संख्या, उपकरणों और औषधों की खरीद, रोग निगरानी, प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण आदि में वृद्धि हुई है।

(ii) पंजाब : विश्व बैंक पुनरीक्षा मिशन ने नवम्बर, 2002 में सूचित किया था कि ऋण राशि में से लगभग 81 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी थी। औषधों में आपूर्तियों की उपलब्धता में सुधार हुआ है, डाक्टरों एवं नर्सों की क्लिनिकीय कुशलता में वृद्धि हुई है और बिस्तरों की संख्या में वृद्धि हुई है। परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए 154 अस्पतालों में से नवम्बर, 2002 तक 150 अस्पतालों का नवीकरण/उन्नयन किया गया है।

(iii) पश्चिम बंगाल : विश्व बैंक पुनरीक्षा मिशन ने नवम्बर, 2002 में सूचित किया था कि ऋण राशि में से लगभग 81 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी थी। परियोजना के अंतर्गत शामिल 214 अस्पतालों में से नवम्बर, 2002 तक 199 अस्पतालों का नवीकरण/उन्नयन किया गया है। इसके साथ ही, परियोजना के अन्य संघटकों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है अर्थात औषधों एवं आपूर्तियों की उपलब्धता तथा काम पूरा हो चुके स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में उपकरणों में वृद्धि हुई है। डाक्टरों, नर्सों व पराचिकित्सकों की क्लिनिकीय कुशलता में वृद्धि हुई है। सभी जिलों में रोग निगरानी एकक बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

शाखा डाकघरों को खोलना

5609. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुवानुकरसर) : (क) और (ख) जी हां। चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या, दूरी तथा आय संबंधी निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक योजना के अंतर्गत शाखा डाकघर खोले जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश भर में 1000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। लक्ष्य का सर्किलवार ब्यौरा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है।

सेल्यूलर सेवा कम्पनियों को मुआवजा

5610. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर सेवा कंपनियों ने निर्धारित लाइन आपरेटरों को उनके लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क में वायरलैस में सीमित गतिशीलता की अनुमति द्वारा उनके घाटे की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि सेल्यूलर सेवा के लाइसेंस शुल्क को बुनियादी सेवाओं के बराबर कर दिया जाए, इंटरकनेक्शन के अधिकाधिक प्वाइंट्स की अनुमति दी जाए और सेल्यूलर प्रचालकों को उनकी जीएसएम अवसंरचना के आधार पर स्थिर फोन को सुविधा प्रदान करने की अनुमति देने के साथ–साथ उनके द्वारा स्थिर फोन की कालों के लिए वसूल किए गए प्रभारों का 5 प्रतिशत उनके पास रहने की अनुमति दी जाए। यह उस अवधि के लिए लागू है जिसके लिए सीमित मोबिलिटी का निषेध नहीं किया जाता।

नियुक्ति के लिए उचित दिशानिर्देश

5611. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूएस) में सरकारी भागीदारी के विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाने के लिए विनिवेश बैंकरों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के दिशानिर्देश न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश प्रक्रिया में सरकार की सहायता करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग और विनिवेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से युक्त प्रत्येक विनिवेश सौदे के लिए विशेष रूप से गठित एक अन्तर्मंत्रालय दल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उस क्षेत्र में विशेषज्ञता, अनुभव, अनुसंधान क्षमताओं, सौदे के दल की अर्हताओं आदि पर आधारित पात्रता मापदण्ड के आधार पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के मध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त सलाहकारों को, विनिवेश मंत्रालय द्वारा 13 जुलाई, 2001 को जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अधीन पात्रता हासिल करने की आवश्यकता भी पड़ती है जो विवरण–I के रूप में संलग्न हैं। हित की अभिव्यक्तियां प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है और उस विज्ञापन को विनिवेश मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। इच्छुक पार्टियों को अंतर्मंत्रालय दल के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने की भी आवश्यकता होती है जो प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल को उस विशेष सलाहकार की नियुक्ति करने की सिफारिश करता है जिसकी सिफारिशें विनिवेश मंत्री के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाती हैं। सलाहकार आमतौर पर, मर्चेन्ट बैंकर, परामर्शी कंपनियां अथवा लेखा संबंधी फर्में होती हैं।

विवरण

सं. 6/4/2001–वि.वि. II
भारत सरकार
विनिवेश विभाग

ब्लॉक नं. 14,
केंद्रीय सरकार कार्यालय परिसर,
नई दिल्ली।

दिनांक 13 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विनिवेश प्रक्रिया के लिए सलाहकारों की अर्हता के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने, सलाहकारों के चयन के लिए मापदंडों को परिभाषित करते हुए व्यापक तथा पारदर्शी दिशा–निर्देश बनाने के मुद्दे पर विचार किया है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई पार्टियां, जन–साधारण के विश्वास को प्रेरित कर सकें। इसके पूर्व क्षेत्र अनुभव, ज्ञान, वचनबद्धता आदि जैसे निश्चित मापदंड का उपयोग किया जाता था। अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों के परामर्श से सरकार ने, विनिवेश सौदों के लिए सरकार के सलाहकारों के रूप में काम करने के लिए पार्टियों की अर्हता/अयोग्यता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मापदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है :

(क) परामर्शी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध गंभीर अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोष सिद्धि अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा अभ्यारोपण आदेश अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवेदना को आघात पंहुचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध में निर्णय, सरकार द्वारा, मामले के तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला–दर–मामला आधार पर लिया जाएगा। इसी प्रकार सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलतः नियंत्रित हैं।

(ख) किसी हस्ती के सलाहकार के रूप में नियुक्त होने के बाद इस प्रकार की अयोग्यता घटित हो जाने की दशा में, पार्टी विनिवेश प्रक्रिया से स्वेच्छा से अपना नाम वापस लेने के लिए बाध्य होगी अन्यथा सरकार, नियुक्ति/अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ग) अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(घ) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने से अयोग्य ठहराया गया है, संबद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(ङ) अयोग्यता का मापदंड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विनिवेश सौदों के लिए, उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(च) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे अयोग्य करार क्यों न कर दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(छ) ये मानदंड, इसके बाद सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इसके अलावा इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच–पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा इसके किन्हीं निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच–पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच–पड़ताल आरंभ की गई है, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच–पड़ताल आरंभ की गई है उनके

नाम तथा पदनाम तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की जानी चाहिए। अन्य मापदंड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी। उनको इस आशय की वचनबद्धता भी देनी होगी कि यदि उन्हें सौदा पूरा होने से पूर्व किसी समय निर्धारित मापदंडों के अनुसार अयोग्य ठहराया गया है, उनको इस बारे में सरकार को सूचित करना होगा और इस नियुक्ति से स्वेच्छापूर्वक अपना नाम वापस लेना होगा।

(ज) इच्छुक पार्टियों को यह वचनबद्धता भी करनी होगी कि सौदे के निपटान में सलाकार के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख तक हित का कोई विरोध विद्यमान नहीं है और यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई हित का विरोध उत्पन्न होता है, तो सलाहकार इसकी जानकारी तत्काल सरकार को देगा। विनिवेश प्रयोजनों के लिए, हित के विरोध की परिभाषा में किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगे रहना अथवा अनुबंध के दौरान सलाहकार द्वारा किसी तीसरी पार्टी की सहभागिता में व्यवसाय करना शामिल है जो भारत सरकार अथवा सौदे के संबंध में (विनिवेश की जा रही) कंपनी के हित को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामग्रीगत तौर पर बुरी तरह प्रभावित करेगी तथा युक्त-युक्त तरीकों से उससे यह संभावना बनी रहेगी, जिसके बारे में सलाहकार के पास कोई जानकारी है अथवा अनुबंध के दौरान वह किसी प्रकार की उपयुक्तता अथवा ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है जो भारत सरकार अथवा सौदे में (विनिवेशित की जा रही) कंपनी के सामग्रीगत नुकसान के लिए ऐसे ग्राहक द्वारा किसी प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है। हित का विरोध स्वतः उत्पन्न हुआ मान लिया जाएगा यदि किसी परामर्शी फर्म/कंपनी का, किसी बोलीदाता फर्म/कंपनी के साथ उसी विनिवेश सौदे के लिए ऐसे सौदे के लंबित रहने के दौरान, किसी प्रकार का व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक संबंध हो। इस परिप्रेक्ष्य में, सलाहकार फर्म तथा बोलीदाता फर्म दोनों का अभिप्राय, भिन्न और पृथक विधिक हस्तियों से होगा और इसमें उनकी सहायक कंपनी, कंपनी समूह अथवा संबद्ध आदि शामिल नहीं होगी। व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक संबंध की परिभाषा में बोलीदाता की ओर से कार्य करने अथवा बोलीदाता के लिए किसी भी प्रकृति का कार्य आरंभ करना शामिल है चाहे वह विनिवेश सौदे से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है अथवा नहीं।

(झ) हित के विरोध पर जानकारी प्राप्त होने पर सरकार, सलाहकार को या तो निश्चित समय के भीतर हित का विरोध समाप्त करने अथवा सौदे से अपना नाम वापस लेने का विकल्प देगी और सलाहकार को तदनुसार काम करना होगा अन्यथा सरकार, नियुक्ति/अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ए. के. तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में रिक्त पद

5612. डा. बलिराम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में 1 नवम्बर, 1998 से मार्च 31, 2003 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त और सेवाकाल में मृत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा रिक्त किए गए विभिन्न श्रेणियों में पदों को भरने के लिए की गई नियुक्तियों की संख्या कितनी है और मृतकों के कितने आश्रितों को नौकरियां दी गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रिक्त पदों को, अगर कोई हो, कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में 1 नवम्बर, 1998 से मार्च 31, 2003 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अथवा सेवाकाल में मृत कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या निम्नलिखित है :

श्रेणी	सेवाकाल में मृत कर्मचारियों की संख्या	सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या
क	25	232
ख	22	191
ग	657	1544
घ	467	581

(ख) मृतक कर्मचारियों के उन आश्रितों की संख्या निम्नलिखित है जिन्हें नौकरियां दी गईं :

समूह 'ग'	समूह 'घ'
499	765

उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिक्त हुए विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए की गई नियुक्तियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) नियुक्ति पर सामान्य रोक को देखते हुए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

पंजाब में सड़कों को चौड़ा करना

5613. श्री जे. एस. बराड : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में वर्ष 2003-04 के दौरान सड़कों को चौड़ा करने का कार्य प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पंजाब से गुजरने वाले अथवा पंजाब में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खंडों को वर्ष 2003-04 के दौरान 4 लेन का बनाए जाने का लक्ष्य है।

(i) रा.रा. 1 का 387 से 407 किमी. तक जालंधर-अमृतसर खंड

(ii) रा.रा. 1 का 26 से 117 किमी. तक जालंधर-पठानकोट खंड

कार्य सौंपने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास उपलब्ध संसाधनों में से 4 लेन बनाने के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग के चंडीगढ़ से कीरतपुर और रा.रा. 22 के अंबाला से कालका खंड जो पंजाब से गुजरते हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी से 4 लेन का बनाने की संभावना की जांच के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को 387 से 407 किमी. तक छोड़कर जालंधर से वाघा सीमा तक 4 लेन का बनाने के लिए वित्त पोषण के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तथापि, यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि इन खंडों को 4 लेन का बनाने का कार्य 2003-04 में शुरू किया जाएगा या नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

5614. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्रीमती निवेदिता माने :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने हाल ही में आरसीएफ (राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड) सहित कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार का क्या रवैया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सरकारी इक्विटी के विनिवेश करने की सिफारिश तत्कालीन विनिवेश आयोग ने अगस्त, 1999 में प्रस्तुत अपनी XII वीं रिपोर्ट में की थी। जुलाई, 2001 में गठित विनिवेश आयोग ने अभी तक 15 कंपनियों के संबंध में नई सिफारिशों से युक्त और चार कंपनियों के संबंध में समीक्षा सिफारिशों की रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

रिपोर्ट	माह	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
सं XIII	जनवरी, 2002	1. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. (समीक्षा)
		2. मैगनीज ओर (इंडिया) लि. (समीक्षा)
		3. रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा लि. (समीक्षा)
		4. परियोजना एवं उपस्कर निगम लि. (समीक्षा)
सं. XIV	सितम्बर, 2002	1. इरकॉन इंटरनेशनल लि.
		2. केंद्रीय अंतर्देशी जल परिवहन निगम
		3. कोचीन शिपयार्ड लि.
		4. हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.
सं. XV	नवम्बर, 2002	1. ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
		2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
		3. सेमीकंडक्टर कॉम्पलैक्स लि.
		4. टेलीकम्युनिकेशंस कंस्लटैन्ट्स इंडिया लि.
सं. XVI	दिसम्बर, 2002	1. कोटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
		2. इंडियन मेडीसिंस फार्मास्युटिकल्स लि.
		3. जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
		4. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
सं. XVII	जनवरी, 2003	1. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
		2. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
		3. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
सं. XVIII	मार्च, 2003	1. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.
		2. कर्नाटक एंटीबायटिक एंड फार्मास्युटिकल्स लि.

(ग) विनिवेश आयोग ने सेमीकंडक्टर कम्पलैक्स लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के विनिवेश के मामले में कोई सिफारिश नहीं की है। सरकार ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और मैगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड, केंद्रीय अंतर्देशी जलपरिवहन निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निगम लिमिटेड में भी अपनी इक्विटी के विनिवेश करने का निर्णय लिया है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

विदेश स्थित सांस्कृतिक केंद्रों की गतिविधियां

5615. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
प्रो. दुखा भगत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का विचार

विदेशों में स्थित सांस्कृतिक केंद्रों की गतिविधियों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशों में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की गतिविधियों की लगातार समीक्षा उन देशों में स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुख द्वारा नियमित पर्यवेक्षण के माध्यम से और इन केंद्रों से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग परिसंघ का अभ्यावेदन

5616. श्री मानसिंह पटेल :
प्रो. दुखा भगत :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु उद्योग परिसंघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे कि सरकार से कुछ कंपनियों को दंडित किए जाने और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान हटाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार को विभिन्न स्थानों से बड़े विनिर्माताओं द्वारा आरक्षण नीति के उल्लंघन की अवसरिक तौर पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरक्षण नीति का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (आईडीआर एक्ट) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जाती है। जहां तक आरक्षण के प्रावधानों को हटाए जाने के लिए प्रतिवेदनों का संबंध है, केवल लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए मदों के आरक्षण/अनारक्षण मामले की आईडीआर एक्ट के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निरंतर आधार पर जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग मंत्रालय इस संबंध में स्टेकहोल्डरों से सदैव परामर्श करता है।

[अनुवाद]

प्री-पेड कार्डों पर सेवा कर

5617. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ निजी मोबाइल संचालकों विशेषकर एयरटैल ने उपभोक्ताओं को सूचित किए बिना प्री–पेड कार्डों पर प्रोसेसिंग और सेवा कर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) ट्राई अधिनियम के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ट्राई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए "एयरटेल" ब्रांड नाम वाली भारती समूह की कंपनी सहित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के कुछ निजी प्रचालकों ने हाल ही में अपनी प्री–पेड टैरिफ योजनाएं संशोधित की हैं। इस संशोधन में, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रोसेसिंग शुल्क में वृद्धि और कॉल प्रभारों में कमी शामिल है। तथापि, ऐसा कोई दृष्टांत सामने नहीं आया है जहां संशोधित टैरिफ उपभोक्ताओं को सूचना दिए बिना कार्यान्वित किए गए हों।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति

5618. श्री राजो सिंह : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कंपनियों के विनिवेश के बावजूद उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति जारी रहेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो आरक्षण नीति की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) अनुकूल बिक्री का रास्ता अपनाने के माध्यम से, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम हो जाती है, सरकार द्वारा विनिवेश करने के मामले में सरकार और अनुकूल साझीदार के बीच संपन्न करार में विशेष रूप से इस प्रकार का खंड-वाक्य सम्मिलित किया जाता है कि अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धांतों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा इसमें विशेष रूप से यह भी शामिल किया जाता है कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छंटनी अंत में हो।

[अनुवाद]

रासायनिक हथियार अभिसमय

5619. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रासायनिक हथियार अभिसमय के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) क्या भारत निर्धारित समय सीमा के तहत अपने रासायनिक हथियारों के भंडार और इनके उत्पादन संबंधी सुविधाओं की घोषणा समय-समय पर करता रहा है;

(ग) क्या भारत ने अभिसमय के मानदंडों के अनुसार अनुसूचित रसायन उत्पादन के संबंध में घरेलू विधान बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) 29.4.1997 को प्रवृत्त रासायनिक हथियार अभिसमय के मूल हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने रासायनिक हथियार अभिसमय के अंतर्गत अपनी बाध्यता को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित उपाय किए हैं। रासायनिक हथियार अभिसमय के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की 5 मई, 1997 की तरह स्थापना की गई है। संसद द्वारा रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम का अधिनियमन किया गया है। इस अधिनियम में रासायनिक हथियार अभिसमय के विभिन्न प्रावधानों को मूर्त रूप देने की व्यवस्था है। रासायनिक हथियार अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न बाध्यताओं के संबंध में भारत नियमित तथा आवधिक घोषणाएं करता रहा है।

[हिन्दी]

सीबीआई को सौंपे गए मामले

5620. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में सीबीआई को कई मामले सौंपे गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने मामले सौंपे गए;

(ग) वर्ष-वार ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जांच पूरी कर ली गई है; और

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिन्हें उक्त अवधि के दौरान सीबीआई द्वारा न्यायालयों को सौंपा गया?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कलैंडर वर्ष	मामलों की संख्या		
	राज्य सरकारों/ न्यायालयों द्वारा सौंपे गए	जिनमें जांच पूरी कर ली गई	न्यायालयों को सौंपे गए मामले
1	2	3	4
1999	157	21	6

1	2	3	4
2000	113	64	28
2001	155	91	39
2002	142	97	51

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी स्कीम

5621. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी स्कीम' के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को जारी रखने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) योजना का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा 5 स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपा गया है तथा मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद इसके परिणाम का पता लगेगा।

(ख) और (ग) योजना को जारी रखने का निर्णय मूल्यांकन की रिपोर्टों का विश्लेषण हो जाने के बाद लिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्रों को अनुदान

5622. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण आंध्र प्रदेश स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश से भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों के संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश के खेल प्राधिकरण ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार खेल प्रशिक्षण केंद्रों में खेल विधाओं और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है।

स्थल	विद्यमान खेल विधा	कुल	प्रस्तावित खेल विधा	कुल
एसटीसी, निजामाबाद	तीरंदाजी	15	कुश्ती	15
			एथलेटिक्स	15
एसटीसी, इलुरू	भारोत्तोलन	23	भारोत्तोलन	20
			एथलेटिक्स	15
			जलक्रीडा	15
एसटीसी, सिकंदराबाद	हाकी	56	वही खेल विधाएं प्रस्तावित हैं	48
	बैडमिंटन	12		12
	एथलेटिक्स	14		16
एसटीसी, कुर्नूल	फुटबाल	29	फुटबाल	25
			बास्केटबाल	38

(ग) और (घ) जी, हां। खेल प्राधिकरण आंध्र प्रदेश ने अनुरोध किया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, मेडक को एथलेटिक्स और मुक्केबाजी की विद्यमान विधाओं सहित जिम्नास्टिक्स खेल विधा को सम्मिलित कर हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया जाए।

मुक्केबाजी, तैराकी, वालीबाल और एथलेटिक्स खेल विधाओं के साथ विशाखापट्टनम में एक नया केंद्र भी प्रस्तावित है।

राज्यों को केंद्रीय सड़क निधि से सहायता

5623. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रति वर्ष राजमार्गों के लिए लगभग 1000 करोड़ रु. की और ग्रामीण सड़क विकास के लिए करीब 2500 करोड़ रु. की सहायता राशि दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए धनराशि का प्रबंधन इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं है। वर्ष 2002–03 के लिए राज्यीय सड़कों के सुधार हेतु केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा और जारी की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2002–03 के लिए राज्यीय सड़कों के सुधार हेतु केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा और जारी की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2002–03 के लिए जमाराशि	वर्ष 2002–03 में जारी की गई धनराशि (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	81.45	111.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.86	10.08
3.	असम	15.40	35.64
4.	बिहार	33.90	23.99
5.	छत्तीसगढ़	17.28	42.85
6.	गोवा	4.09	1.31
7.	गुजरात	68.13	63.76
8.	हरियाणा	35.75	21.03
9.	हिमाचल प्रदेश	10.75	11.89
10.	जम्मू और कश्मीर	31.05	22.70
11.	झारखंड	11.25	5.39
12.	कर्नाटक	58.13	76.34
13.	केरल	27.71	6.68
14.	मध्य प्रदेश	66.59	80.55
15.	महाराष्ट्र	101.41	96.81
16.	मणिपुर	3.24	2.60
17.	मेघालय	4.29	6.64
18.	मिजोरम	2.96	0.96
19.	नागालैंड	2.47	2.11
20.	उड़ीसा	29.82	18.21
21.	पंजाब	40.43	54.12
22.	राजस्थान	76.7	99.34
23.	सिक्किम	1.10	1.55
24.	तमिलनाडु	67.22	62.30
25.	त्रिपुरा	1.93	2.09
26.	उत्तरांचल	7.59	10.55
27.	उत्तर प्रदेश	96.43	50.19

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	36.88	23.82
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1.83	0.00
30.	चंडीगढ़	2.21	2.86
31.	दादरा एवं नगर हवेली	1.07	0.41
32.	दमन एवं दीव	0.76	0.00
33.	दिल्ली	27.05	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.05	0.00
35.	पांडिचेरी	2.19	2.19
	जोड़	980.00	950.28

पुराने जहाजों पर प्रतिबंध

5624. श्री भास्करराव पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोपीय संघ ने हाल ही में पुराने जहाजों के यूरोपीय जल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे निर्णय का 'शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया' के स्वामित्व वाले भारतीय जहाजों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोपीय संघ 1 जुलाई, 2003 तक सिंगल हुल ऑयल टैंकरों के यूरोपीय जल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के नए नियम को अपनाने के लिए कार्य योजना पर सहमत है और कड़ी समय सारणी निर्धारित की है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम के पास सिंगल हुल क्रूड ऑयल टैंकर हैं जो 23 वर्ष से अधिक पुराने हैं। जिनमें से 02 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा ब्रिटिश गैस की भंडारण ड्यूटी पर हैं। अन्य 06 टैंकर फारस की खाड़ी और भारत तथा भारतीय तट पर परिचालन में हैं। इसलिए, इस निर्णय का भारतीय नौवहन निगम के टैंकर बेड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) 1973 के पोत प्रदूषण निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते से भारत पहले ही सहमत है जिसे 1978 के नयाचार द्वारा संशोधित (एमएआरपीओएल 1973/78) किया गया है। समझौते के विनियम 13 जी में विश्व के 500 सकल पंजीकृत टनभार वाले अधिकतर सिंगल हुल टैंकरों को वर्ष 2015 तक हटाने की व्यवस्था की गई है। नौवहन महानिदेशालय ने दिसम्बर, 2002 को सभी भारतीय पोत स्वामियों को श्रेणी 1 के सभी पोतों को 2005 और श्रेणी 2 के सभी पोतों को 2010 और श्रेणी 3 के सभी पोतों को 2015 के पश्चात प्रचालित रहने संबंधी अनिवार्य कंडीशन एसेसमेंट स्कीम की आदेशात्मक प्रयोजनीयता के संबंध में परिपत्र जारी किया है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद

5625. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परिषद में किन-किन लोगों को रखा गया है;

(ग) क्या परिषद में ऐसे लोगों और दलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है जो सड़क सुरक्षा के लिए निरंतर काम करते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) परिषद के गैर–सरकारी सदस्य सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति और संगठन हैं। इसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-I खंड-1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 106] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अप्रैल 24, 2003/२/वैशाख, 4, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2003

सं. आर.टी.–25014/2/2002–स.सु.प्र.–मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय–समय पर यथा संशोधित 16 मई, 1991 के संकल्प, सं. आर टी–23018/3/88–टी का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष परिषद का पुनर्गठन करते हैं जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	सं.	संक्षिप्त टिप्पणी
1	2	3	4
क. सरकारी सदस्य			
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	1	अध्यक्ष
2.	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क परिवहन प्रभारी मंत्री	35	सदस्य
3.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक		
4	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि	7	सदस्य
	(i) गृह मंत्रालय		
	(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
	(iii) रेल मंत्रालय		

1	2	3	4
	(iv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
	(v) औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय		
	(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय		
	(vii) योजना आयोग		
5.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
6.	अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1	सदस्य
7.	महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य सचिव
ख.	**गैर-सरकारी सहयोजित सदस्य**		
9.	सड़क सुरक्षा पुरस्कार विजेता	2	सदस्य
	(i) श्री शाम सुंदर जुनेजा, लुधियाना, पंजाब		
	(ii) मै. कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा		
10.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति	5	सदस्य
	(i) उप कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी, उत्तरांचल		
	(ii) श्री चंदु भीड़े परमार, पुणे (तीन सदस्य बाद में नामित किए जाएंगे)		
11.	गैर–सरकारी संगठन (स.परि. और रा.मंत्रा. द्वारा वित्तपोषित)	5	सदस्य
	(i) मै. ट्रस्ट इन द एरिया ऑफ सोशल एक्टिविटिज, तमिलनाडु		
	(ii) मै. इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर), नई दिल्ली		
	(iii) मै. अवध ग्रामीण विकास संस्थान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश		
	(iv) मै. लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन, पुणे, महाराष्ट्र		
	(v) मै. जोरम्स ड्राइवर्स यूनियन आइजोल, मिजोरम		
12.	सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और बीमा संबंधी सरकारी संस्थाएं	7	सदस्य
	(i) अध्यक्ष, बीमा नियामक एवं भारतीय विकास प्राधिकरण		
	(ii) निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे		
	(iii) निदेशक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली		
	(iv) निदेशक, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, नई दिल्ली		
	(v) निदेशक, वाहन अनुसंधान विकास स्थापना, अहमदनगर		

1	2	3	4
	(vi) निदेशक, आईआईपी देहरादून, उत्तरांचल		
	(vii) आयुक्त, रेलवे सुरक्षा, नई दिल्ली		
13.	सड़क सुरक्षा से संबंधित संघ	6	सदस्य
	(i) अध्यक्ष/सचिव, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मेनुफेक्चर्स, नई दिल्ली		
	(ii) अध्यक्ष/सचिव, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया		
	(iii) कार्यपालक निदेशक, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ, नई दिल्ली		
	(iv) अध्यक्ष, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मेनुफेक्चर्स एसोसिएशन, दिल्ली		
	(v) इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली		
	(vi) ऑल इंडिया कॉनडेफरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल आनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली		

2. समिति के कार्य एवं विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं

(i) सड़क परिवहन क्षेत्र में योजना एवं नीतियों के समन्वय और सुरक्षा मानकों से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना।

(ii) राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों तथा सड़क परिवहन की अन्य प्रभावी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु सड़क सुरक्षा कार्यक्रम बनाना और संस्तुति करना।

(iii) सडक दुर्घटना सांख्यिकी का अनुरक्षण और उनका विश्लेषण सहित सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं के सुधार हेतु अनुसंधान और विकास के लिए क्षेत्रों का सुझाव देना।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा उपायों का केंद्रीय स्तर पर पर्यवेक्षण व निगरानी करना।

3. अपनी कार्यप्रणाली की प्रक्रिया एवं विधि का निर्धारण परिषद द्वारा किए जाएगा।

4. परिषद की वर्ष में कम से कम बैठक अवश्य होगी क्रम सं. 9 से 11 के सामने उल्लिखित गैर–सरकारी सह–योजित सदस्यों की भारत सरकार के ग्रेड–I अधिकारियों के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार यात्रा/महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय वातानुकूलित रेल का किराए अथवा वास्तविक जो भी कम हो, होगा।

5. उपर्युक्त सहयोजित संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा जिसकी गणना संकल्प पारित होने की तिथि से की जाएगी।

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

[हिन्दी]

एनएच 101-107 की स्थिति

5626. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 101–107 की हालत खराब है;

(ख) क्या राज्य की ओर से इनके सुधार के लिए किसी अनुमानित राशि का प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 101 और 107 के कुछ खंडों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 101 के लिए 50.5 किमी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार के लिए 7.85 करोड़ रु. के 3 प्राक्कलन वर्ष 2002–2003 में प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के लिए 62 किमी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार के लिए 16.51 करोड़ रु. के 7 प्राक्कलन वर्ष 2002–03 में प्राप्त हुए थे।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 101 पर 15.5 किमी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार के लिए 2.46 करोड़ रु. का 1 प्राक्कलन और राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर 25 किमी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार के लिए 4.76 करोड़ रु. के 2 प्राक्कलन स्वीकृत कर दिए गए हैं।

वर्ष 2002–03 के दौरान किए गए आवंटन की सीमा तक निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं। बिहार के लिए आगे स्वीकृत, आवंटन में वृद्धि पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं को ऋण

5627. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार उपभोक्ताओं को सीधे ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) जी, नहीं। डाक विभाग का उपभोक्ताओं को सीधे ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर में बाहरी रिंग रोड

5628. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बंगलौर बाहरी रिंग रोड का निर्माण कार्य अपने हाथों में ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बाहरी रिंग रोड के निर्माण कार्य को कब तक आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्क कार्डिऐक सोसायटी

5629. श्री अनन्त गुढे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्क कार्डिएक सोसायटी जिसमें क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ थे, की हाल में नई दिल्ली में अपनी छमाही बैठक आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किस एजेंडे पर चर्चा हुई और उचित कार्यवाही हेतु इसमें कौन–कौन सी मुख्य टिप्पणियां/सिफारिशें की गईं; और

(ग) सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सार्क कार्डिएक सोसायटी ने 10–12 फरवरी, 2002 तक नई दिल्ली में अपनी द्विवार्षिक बैठक की जिसका आयोजन एक निजी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था। बैठक में सार्क क्षेत्र में हृदयवाहिका (कार्डियोवास्कुलर) रोगों को रोकने के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई और उन्हें ज़ारी किया।

गैर-शिक्षण विशेषज्ञों के पदनामों में परिवर्तन

5630. श्री ए. सी. जोस : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में गैर–शिक्षण विशेषज्ञों के पदनामों को शिक्षण विशेषज्ञों में परिवर्तित करने पर मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सीजीएच्एस नियमों के विरुद्ध नहीं है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले भर्ती नियमों के विपरीत है; और

(ग) यदि हां, तो पदनाम में ऐसे परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली में कुछ अर्ध–नैदानिक और नैदानिक विषयों में चिकित्सा शिक्षकों के पदों की अनुपलब्धता के कारण यह मंत्रालय निम्नलिखित शर्तों के अधीन वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कार्य कर रहे गैर–शिक्षण विशेषज्ञ अधिकारियों को शिक्षण पदनाम देने हेतु गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

1. शिक्षण उप–संवर्गों को छोड़कर केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को शिक्षण पदनाम प्रदान करने की बात सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्थित वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यकरण के शैक्षणिक प्रयोजनों तथा सीमित होगी।

2. शिक्षण पदनाम प्रदान करने से किसी प्रकार से भी केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उप–संवर्ग में नियमित करने/समावेशन/पदोन्नति इत्यादि का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और अधिकारियों पर, समय–समय पर संशोधित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1996 में यथा उल्लिखित उनके उप–संवर्गों की सेवा शर्तें लागू की जाती रहेंगी।

3. शिक्षण पदनाम प्रदान करने से उस अधिकारी को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उप–संवर्ग के अधिकारियों के साथ वरिष्ठता की तुलना करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली-हरिद्वार मार्ग का विस्तार

5631. डा. अशोक पटेल :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–हरिद्वार मार्ग को चौड़ा करने और इसे 'चार लेनों वाले मार्ग' में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को उत्तरांचल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली–हरिद्वार सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 है। दिल्ली से मेरठ सड़क खंड 4 लेन की है। मेरठ (2/2 किमी.) से ऋषिकेश (216 किमी.) के समीप तक इस सड़क को निर्माण–प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 4 लेन का बनाए जाने की परिकल्पना है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल्को मजदूरों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना संबंधी धनराशि

5632. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनी बाल्को के निजीकरण के पश्चात छत्तीसगढ़ में इसके कोरबा संयंत्र से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने वाले मजदूरों को इस योजना की पूरी

राशि प्रदान नहीं की गई है और उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पूरी राशि पर पैनल रैंट आदि आय कर वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) जैसा कि कंपनी द्वारा सूचित किया गया है, स्रोत पर लागू कर की कटौती करने के बाद, भविष्य की चार किस्तों पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का भुगतान पांच किस्तों में किया गया है। किस्त योजना के अंतर्गत, पहली किस्त के साथ उपदान की धनराशि का पूरा-पूरा भुगतान किया जाता है। नोटिस वेतन, अवकाश वेतन आदि के साथ देय अनुग्रह राशि में से सभी बकाया ऋण और उस पर उपार्जित ब्याज आदि को घटाकर शेष राशि को पांच किस्तों में विभाजित किया जाता है। ऋण की कटौती भी पांच किस्तों में की जाती हैं न कि पहली किस्त में।

इलाज से इनकार

5633. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 2 अप्रैल, 2003 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद कुछ सरकार अस्पतालों में गंभीर चोटों वाले उन रोगियों को भर्ती नहीं किया जाता और उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान नहीं किया जाता जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सरकार और निजी अस्पतालों को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले संघात पीड़ितों को प्रथम उपचार प्रदान करने के कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) से (ड) जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी (सी) सं. 796/92-पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में अपने दिनांक 6.5.1996 के निर्णय में वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों के तत्काल चिकित्सीय देखभाल और उपचार को सुनिश्चित करने के लिए सुधारक उपाय करने का सुझाव दिया। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि अन्य राज्यों, यद्यपि वे पक्ष नहीं थे, को जांच समिति, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने गठित किया था, द्वारा की गई संस्तुतियों के प्रकाश में और न्यायालय द्वारा आगे दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक उपाय करने चाहिए। सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को 12.12.1996 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करने के वास्ते सुझावों सहित माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रतियों को परिचालित किया गया। केन्द्र 15.12.1996 को सरकार के अधीन सभी अस्पतालों/संस्थाओं नामतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जिपमेर, पांडिचेरी, स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़, सफदरजंग अस्पताल, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली को आपाती रोगियों से निपटने के वास्ते समुचित, दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी रोगियों, जिनकी स्थिति बहुत अधिक बिगड़ी हुई/गंभीर होती है, को, यदि पलंग उपलब्ध न भी हों तो भी अस्पताल में दाखिल किया जाना चाहिए और उनकी सभी आवश्यक देखभाल की जानी चाहिए। आपाती/दुर्घटना विभाग में विभिन्न पलंगों के अभाव के कारण किसी भी स्थिति में रोगी को देखभाल के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

चूंकि भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए निजी अस्पतालों का विनिमय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

सी-डॉट में धन का अभाव

5634. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्यागिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी–डॉट पिछले कई वर्षों से धनराशि के अभाव का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनाभाव के कारण इसके विकास और संचार क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विभागीय उप-डाकघरों का खोला जाना

5635. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विभागीय उप–डाकघर खोले गए;

(ख) क्या देश में इस समय चल रहे डाकघरों की संख्या लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में बड़ी अपर्याप्त है;

(ग) आवश्यकता के अनुरूप डाक सेवाओं का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या कतिपय डाक गतिविधियों के लिए एजेंटों को फ्रैंचाइज नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में खोले गए विभागीय उप–डाकघरों की संख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। देश में डाकघरों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो देश के कोने–कोने में फैला है और प्रत्येक वर्ष उभरती जरूरतों का आकलन करने तथा डाक सुविधाएं सुलभ कराने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) डाक सेवाओं का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है, जो अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता और डाकघरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मानदंडों के पूरा होने पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ऐसी योजनाएं मौजूद हैं जिनके अंतर्गत कतिपय डाक कार्यकलापों जैसे डाक–टिकटों की बिक्री के लिए लाइसेंसधारी डाक–टिकट विक्रेता और पंचायत संचार सेवा एजेंटों की नियुक्ति की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में लाइसेंसधारी डाक एजेंसी प्रणाली की पूर्ववर्ती योजना की समीक्षा भी जारी है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए विभागीय उप–डाकघर

क्र.सं.	सर्किल	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	शून्य	शून्य
2.	असम	3	2	1
3.	बिहार	1	शून्य	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	1	1	1
5.	दिल्ली	2	2	1
6.	गुजरात	4	2	शून्य
7.	हरियाणा	1	1	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	1	शून्य	शून्य
10.	झारखंड	1	1	शून्य
11.	कर्नाटक	2	2	1
12.	केरल	1	1	1
13.	मध्य प्रदेश	3	3	1

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	7	10	8
15.	उत्तर पूर्व	3	2	1
16.	उड़ीसा	2	2	1
17.	पंजाब	2	8	1
18.	राजस्थान	2	4	2
19.	तमिलनाडु	2	2	1
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	2	1
21.	उत्तरांचल	1	1	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	10	5	3
	कुल	52	51	25

गुजरात में दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव शामिल हैं।

केरल में लक्षद्वीप शामिल है।

महाराष्ट्र में गोवा शामिल है।

उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

पंजाब में चंडीगढ़ शामिल है।

पश्चिम बंगाल में अंडमान वे निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम शामिल हैं।

[हिन्दी]

डाक एजेंट

5636. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में लाइसेंस धारक डाक एजेंटों के लिए संशोधित योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) से (ग) जी, हां। विभाग शहरी क्षेत्रों में लाइसेंसधारी डाक एजेंटों के लिए पूर्व योजना को चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित करने का प्रस्ताव कर रहा है। संशोधित योजना का विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार किया जाना बाकी है।

कोड संख्याओं में कमी

5637. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल एसटीडी कोड़ों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार कोड संख्याओं में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) एसटीडी कोड संख्याओं में कमी के परिणामस्वरूप जिन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ड) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) इस समय देश में एसटीडी कोडों की कुल संख्या 2645 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ड) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

5638. श्री हरिभाई चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे के पश्चात देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति और उनके रखरखाव हेतु अपर्याप्त धनराशि के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर रख–रखाव हेतु राज्यों को और धनराशि आवंटित करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूड़ी) : (क) से (ग) बाढ़ और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत राज्य लोक निर्माण विभागों अथवा अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से तत्काल कराई जाती है और सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। सरकार ने अनुरक्षण प्रयासों को पूरा करने के लिए सन् 1999 से विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। अब तक लगभग 29,000 किमी. में गुणता सुधार किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों की शेष लंबाई में अगले दो वर्षों में गुणता सुधार कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2002–03 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए 258.64 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया था जबकि धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 88.50 करोड़ रु. ही आवंटित किए जा सके।

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि की आवश्यकता और आवंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं

वर्ष	आवश्यकता (करोड़ रु.)	धनराशि का आवंटन (करोड़ रु.)
2000–2001	1350.00	702.50
2001–2002	2000.00	725.00
2002–2003	2000.00	702.33

[हिन्दी]

बंद हो चुकी लघु उद्योग इकाइयों का पुनरुद्धार

5639. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बंद पड़े लघु उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार हो चुके कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन लघु उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बंद इकाइयों के बारे में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि वर्ष 2000–2001 के दौरान पंजीकृत इकाइयों के संबंध में किया गया नमूना सर्वेक्षण जो कि 31.3.1998 तक पंजीकृत इकाइयों के बारे में था, के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि देश में 29 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयां बंद थीं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में आंकड़ों का संकलन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार मार्च, 2002 के अंत तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों की क्रमशः 7270, 17843 और 6679 इकाइयों सहित देश में 1,77,336 रुग्ण इकाइयां थीं। बंद हो जाने/रुग्णता के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या के संबंध में राज्यवार आंकड़ों का अनुरक्षण केंद्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार, लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता के प्रति पूर्णतया सजग है इसने संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों की समय पर पहचान तथा पुनर्वास के लिए अनेक उपाय किए हैं। रुग्णता से निपटने के लिए किए गए कुछ विशिष्ट उपाय निम्न प्रकार हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 2002 को रुग्णता की प्रारंभिक चरणों में पहचान करने तथा ऐसी रुग्ण इकाइयों जिनकी पहचार संभाव्य जीवनक्षम के रूप में की गई है उनके पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधित परिभाषा के अनुसार रुग्ण इकाइयों की पहचान हेतु मानदंड शामिल हैं।
- संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों की समय पर पहचान करने तथा पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय अन्तरसंस्थागत समितियों (एसएलआईआईसी) के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
- बैंकों तथा राज्य वित्त संस्थानों में विशेष पुनर्वास एकक (सैल्ज) बनाना।
- पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय बैंक द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया जाना।

– भारतीय रिजर्व बैंक ने देनदारियों के एकमुश्त बंदोबस्त के लिए 27 जुलाई, 2000 को 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए एकमुश्त बंदोबस्त सूत्र (समाधान योजना) की घोषणा की है।

– भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी, 2003 को 10 करोड़ रुपये तक के लिए एकमुश्त स्कीम की घोषणा की है।

झारखंड में लघु उद्योग इकाइयां

5640. श्री नागमणि : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) संघ सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड सरकार से लघु उद्योग की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डाकघरों का खोला जाना

5641. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री श्रीचन्द कृपलानी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों में नए डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में डाकघर सुविधा वाले गांवों की संख्या कितनी है;

(ङ) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक खोले गए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(च) राज्य में वर्ष 2003–2004 के दौरान कितने नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(छ) किन स्थानों पर इन डाकघरों/उप–डाकघरों को खोले जाने का प्रस्ताव है; और

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार देश में 456836 गांवों में डाकघर नहीं हैं।

(ख) और (ग) नए डाकघरों का खोला जाना मानदंड आधारित औचित्य और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) देश के सभी गांवों, जिनमें राजस्थान के गांव भी शामिल हैं, में डाक वितरण और संग्रहण तथा डाक–टिकटों व डाक लेखन सामग्री संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक खोले गए डाकघरों का विवरण संलग्न है।

(च) और (छ) वर्ष 2003–2004 के दौरान राज्य में खोले जाने वाले नए डाकघरों के लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डाकघरों का स्थान मानदंडों के अनुसार औचित्य पर निर्भर करेगा।

विवरण

राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक खोले गए नए डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा

वर्ष	क्र.सं.	स्थान	जिला
1	2	3	4
2000–01	1.	विद्याधर नगर जयपुर डीएओ	जयपुर
	2.	बिनानीग्राम डीएसओ	सिरोही
	3.	सीथल बीओ	अलवर
	4.	पारसवाड़ा बीओ	भरतपुर
	5.	चवनधेरा बीओ	दौसा
	6.	बादलूस बीओ	सवाईमाधोपुर

1	2	3	4
	7.	कोतवाल बीओ	चित्तौड़गढ़
	8.	सरेरी सेहू बीओ	बांसवाड़ा
	9.	कारेडिया बीओ	डूंगरपुर
	10.	जाडोली बीओ	उदयपुर
	11.	अमली बीओ	टोंक
	12.	फालामादा बीओ	भीलवाड़ा
	13.	उदपुरा बीओ	चित्तौड़गढ़
	14.	रलायता बीओ	भीलवाड़ा
	15.	सीतसर बीओ	चूरू
	16.	देवराजगढ़ बीओ	जोधपुर
	17.	हासियाबाद बीओ	चूरू
	18.	कराडका बीओ	सीकर
	19.	समेजा बीओ (15 पीटीडी)	श्रीगंगानगर
	20.	घर्मसिंहवाला बीओ	श्रीगंगानगर
	21.	आदर्शनगर बीओ	झुंझनू
	22.	देलीटाली बीओ	बीकानेर
2001–02	1.	खजूरीवास डीएसओ	अलवर
	2.	हीरापुरा जयपुर डीएसओ	जयपुर
	3.	उतरादा बीओ	भरतपुर
	4.	मोखमपुरा बीओ	जयपुर
	5.	निजामनगर	अलवर
	6.	सावा डीएसओ	चित्तौड़गढ़
	7.	ओगना डीएसओ	उदयपुर
	8.	प्रतापगढ़ बीओ	पाली
	9.	भद्रोना बीओ	जालौर
	10.	लूनावास बीओ	जालौर
	11.	नन्देरी बीओ	जोधपुर
	12.	14 एस (मांजीवाला) बीओ	श्रीगंगानगर
	13.	जेतसरा बीओ	जोधपुर
	14.	खादत बीओ	सिरोही
	15.	जयदारा बीओ	सिरोही
	16.	एसटीपीएस सूरतगढ़ बीओ	हनुमानगढ़
	17.	केसरपुरा बीओ	चित्तौड़गढ़
	18.	सनकारिया बीओ	चित्तौड़गढ़
	19.	कास्याकलां बीओ	भीलवाड़ा
	20.	पनासीचोटी बीओ	बांसवाड़ा
	21.	सन्तोकपुरा बीओ	भीलवाड़ा
	22.	गढ़जसराजपुरा बीओ	डूंगरपुरा
	23.	गोदना बीओ	उदयपुर
	24.	चिबोदा	उदयपुर
2002–03	1.	जगतपुरा जयपुर डीएसओ	जयपुर
	2.	रथनजना डीएसओ	चित्तौड़गढ़
	3.	सिंघानियां बीओ	सवाईमाधोपुर
	4.	सलेटा बीओ	अलवर
	5.	ऊन्द्रा बीओ	भरतपुर
	6.	सूराना जयपुर बीओ	जयपुर
	7.	गढ़गोकुलपुरा बीओ	बूंदी
	8.	छेतपुर बीओ	उदयपुर
	9.	जलिया बीओ	चित्तौड़गढ़
	10.	मोरीला बीओ	उदयपुर
	11.	माताजी का खेड़ा बीओ	भीलवाड़ा
	12.	सगवा बीओ	बांसवाड़ा

1	2	3	4
	13.	झाड़स बीओ	बांसवाड़ा
	14.	बाबूगुलेरियां बीओ	बाड़मेर
	15.	दाघवाड़ा बीओ	नागौर
	16.	भूनी बीओ	नागौर
	17.	साडोकान बीओ	नागौर
	18.	बारकीधानी बीओ	झुंझुनू
	19.	हिम्मतपुरा एचओ	जोधपुर
	20.	लीलकी बीओ	चूरू
अब तक अर्थात 2003–04		शून्य	

[अनुवाद]

गुजरात में डाकघरों का खोला जाना

5642. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलेवार कितने डाकघर खोले गए;

(ख) राज्य में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां डाकघर नहीं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए नए डाकघरों की जिलावार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) गुजरात में 9894 गांव ऐसे हैं जहां डाकघर नहीं हैं।

(ग) नए डाकघर खोलना जनसंख्या, दूरी और आय संबंधी मानदंडों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। डाक वितरण और संग्रहण तथा डाक लेखन सामग्री और डाक–टिकटों बिक्री की सुविधा देश के सभी गांवों में उपलब्ध है जिनमें गुजरात के भी गांव शामिल हैं। ऐसे पंचायत गांवों में पंचायत संचार सेवा योजना के तहत बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जहां वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया जाता और पंचायत ने उपर्युक्त योजना का विकल्प चुना हो।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात में खोले गए नए डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 2000–01	वर्ष 2001–02	वर्ष 2002–03
1.	सूरत	1		
2.	गांधीनगर	1		
3.	बनासकंठा	1	1	1
4.	बाबरकंठा	2	2	2
5.	पंचमहल	1	5	5
6.	बलसाड़	2	3	2
7.	भड़ूच	1	3	1
8.	बारडोली		3	3
9.	नवसारी		2	
10.	वडोदरा			1
	कुल	9	19	15

चालू वर्ष अर्थात् 2003–2004 के दौरान अब तक कोई नया डाकघर नहीं खोला गया है।

एच.आई.वी.-टी.बी. परियोजना

5643. श्री किरीट सोमैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय, नाको और क्षय रोग विभाग का मुंबई में एच.आई.वी.–टी.बी. की कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मुंबई में एच.आई.वी. के कारण क्षय रोगियों की संख्या में हुई हाल की वृद्धि में कोई संबंध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वैश्विक कोष से एच.आई.वी.–टी.बी. परियोजना हेतु धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उनके मंत्रालय, नाको, क्षय रोग विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं ने इस संबंध में मुंबई के लिए किसी समन्वित प्रयास की योजना बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

मुंबई सहित भारत में एच.आई.वी. की उच्च व्याप्तता दर वाले छह राज्यों में एक संयुक्त एच.आई.वी.–क्षय रोग कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। संयुक्त एच.आई.वी.–क्षय रोग कार्यक्रम का बुनियादी प्रयोजन निवारण और नियंत्रण के संदर्भ में और अधिक अनुकूल परिणामों और प्रभावों के लिए दो रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में अभीष्टतम सहक्रिया को सुनिश्चित करना है।

(ख) और (ग) पिछले 3–4 वर्षों में मुंबई में प्रत्यक्ष निगरानी अल्पकालिक उपचार (डॉट) पर रखे गए क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है :

वर्ष	उपचार किए गए रोगियों की संख्या
1999	13643
2000	16404
2001	17764
2002	22685

इस वृद्धि के कारण हैं (i) महाराष्ट्र राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को शामिल करने के कारण रोगियों का अधिक संख्या में पता लग जाना, (ii) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में चिकित्सीय लोगों की सहभागिता। इस समय इस वृद्धि का निश्चित कारण मुंबई में एच.आई.वी. को ठहराया जा सकता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) जी, हां।

(छ) इस प्रयोजन के लिए कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक एच.आई.वी.–क्षय रोग समन्वय समिति स्थापित की गई है। परियोजना निदेशक, मुंबई जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एमडीएसीएस) और सदस्य–सचिव, मुंबई जिला क्षय रोग नियंत्रण सोसाइटी (एमडीटीसीएस) भी इस समिति के सदस्य हैं। हर तिमाही में इस समिति की बैठक की जाती है। अधिकतर अस्पतालों/संस्थाओं में थूक सूक्ष्मदर्शी केन्द्र और डॉट्स उपचार केन्द्र चलाए गए हैं जहां स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केन्द्र स्थित हैं। स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केन्द्र (वीसीटीसी) के कर्मचारियों को एच.आई.वी.–क्षय रोग कार्यक्रम समन्वय के महत्व के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। एच. आई.वी.–क्षय रोग के बारे में सूचना, शिक्षा व संप्रेषण सामग्री तैयार की गई है और जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे सभी स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केन्द्रों और सूक्ष्मदर्शी केन्द्रों इत्यादि में प्रदर्शित किया जाता है।

प्रमुख बंदरगाहों से आय

5644. श्री खगेन दास : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को सभी प्रमुख बंदरगाहों से गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी आय हुई;

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान बंदरगाहों के रखरखाव पर कुल कितनी राशि खर्च की;

(ग) क्या हमारे बंदरगाह आयातित यूरिया और अन्य उर्वरकों को चढ़ाने–उतारने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में स्थिति का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो आयातित उर्वरकों को समुचित तरीके से चढ़ाने–उतराने के लिए किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) शून्य।

(ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों में योजना और गैर–योजना स्कीमों के लिए 889.98 करोड़ रुपए बजटीय सहायता के रूप में जारी किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

5645. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के अंतर्गत तीन वर्षों से घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों का विनिवेश किए जाने की संभावना है; और

(ग) घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का कब तक विनिवेश कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) लोक उद्यम विभाग के वर्ष 2001-2002 के सर्वेक्षण के अनुसार, केन्द्र सरकार के अधीन उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जो 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के पिछले तीन वर्षों में घाटे में चले आ रहे हैं क्रमशः 105, 110 और 109 है।

(ख) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम, जो 2001-2002 में घाटे में चल रहे थे और जिनमें विनिवेश प्रक्रिया विभिन्न चरणों पर है, विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कब तक विनिवेशित हो जाएगा, बाजार परिस्थितियों, उद्योग-वार व्यापार चक्र में उतार-चढ़ाव, संभावित बोलीदाताओं की अभिरुचि और मूल्य बोली की पर्याप्तता सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा सरकार अपनी इक्विटी धारिता की बिक्री जल्दबाजी में नहीं करती है। जहां भूमि तथा भवनों का मूल्य अधिक महत्व रखता है, ऐसे मामलों में अक्सर विलम्ब हो जाता है क्योंकि संपत्ति के अधिकार अस्पष्ट होते हैं और इन संपत्ति अधिकारों को विधिक रूप से स्थापित करने में समय लग जाता है, हालांकि प्राप्य मूल्य को अधिकतम करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है।

विवरण

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.

ब्रेथवेट एण्ड कंपनी

बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कंपनी

हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.

हिन्दुस्तान कॉपर लि.

मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.

मेकॉन लि.

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.

नेपा लि.

भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.

भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि.

इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि., कोटा (मदर यूनिट) पालक्कड़ यूनिट सहित, जिसको अलग से विनिवेशित किया गया है।

होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.-(टिप्पणी-1)

भारत पर्यटन विकास निगम (टिप्पणी-2)

भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त क्षेत्र होटल संपत्तियां

होटल रांची अशोक, रांची

होटल नीलांचल अशोक, पुरी

होटल लेकव्यूह अशोक, भोपाल

होटल पांडिचेरी अशोक, पांडिचेरी

टिप्पणी 1. होटल एयरपोर्ट दिल्ली (सेफेयर दिल्ली सहित) और सेफेयर मुंबई। होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया विनिवेशाधीन है। कुल मिलाकर होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया वर्ष 2001-2002 में घाटे में रहा है।

2. भारत पर्यटन विकास निगम के होटल सम्राट, नई दिल्ली, होटल जयपुर अशोक, होटल पाटलीपुत्र अशोक, होटल कलिंग अशोक, होटल जम्मू अशोक विनिवेशाधीन है। कुल मिलाकर भारत पर्यटन विकास निगम 2001-2002 में घाटे में रहा है।

उड़ीसा में परियोजनाएं

5646. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गोपालपुर पोर्ट सिटी को एक्सप्रेस राजमार्ग द्वारा टेखर से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए 173.66 करोड़ रुपए लागत की 67 परियोजनाएं चल रही हैं। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय की वर्तमान प्राथमिकता सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार तथा नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर का बनाना है। एक्सप्रेस मार्ग जैसे अन्य सुधारों पर उसके बाद विचार किया जाएगा।

विवरण

(लाख रुपये)

1.04.2003 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में चालू निर्माण कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	कार्य का नाम	रा.रा.सं.	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत/ संशोधित राशि
1	2	3	4	5
	पुल कार्य			
1.	74/208 पर नेता नाले पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	23	29.12.98/ 20.09.00	295.415/ 345.115
2.	244/3–6 पर बिसोई नाले पर छोटे पुल का निर्माण	6	31.03.99	84.85
3.	सामकोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	23	09.07.99	874.19
4.	347/4–6 सासाहांडी नाले पर छोटे पुल का निर्माण	43	08.08.2001	89.35
	सड़क कार्य			
5.	बांगरीपोसी घाट में 229–235 कि.मी. तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	6	19.01.98	328.50/ 404.46/ 463.67
6.	358–361 कि.मी. में भूमि अधिग्रहण	43	30.11.98	7.99
7.	437–446 कि.मी. तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	43	29.12.98/ 09.03.00	329.42/ 415.05
8.	देवगढ़ बाइपास के लिए तकनीकी–आर्थिक साध्यता अध्ययन	6	31.03.99	2.86
9.	315 कि.मी. में ज्यामिती सुधार	23	31.03.2000	15.99
10.	172–173 व 181–182 कि.मी. में भूमि अधिग्रहण	42	31.03.2000	2.39

1	2	3	4	5
11.	च. 46110–54580 तक मिसिंग लिंक का निर्माण तथा भूमि व सीडी कार्य	23	31.03.2000	344.41
12.	548–558 कि.मी. तक दो लेन के कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण	6	31.03.2000	314.68
13.	सीडीआर–223–229 कि.मी. पी.एस. की व्यवस्था	6	9.03.2001	45.75
14.	3–7, 14–19/5, 23–27 कि.मी. तक पेवड शोल्डर की व्यवस्था	203	02.11.2001	198.28
15.	348–357 कि.मी. तक एसएस का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	43	29.11.2001	498.66
16.	संभलपुरा रा.रा. प्रभाग के तहत विविध कार्य	6/201	21.02.2002	108.53
17.	रा.रा. 201 के 143/0 से 147/0 कि.मी. और 177/0 से 185/0 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	201	28.02.02	189.46
18.	रा.रा. 5 के 260/0 से 280/0 कि.मो. तक सड़क गुणता सुधार	5	13.03.02	406.25
19.	24–34 कि.मी. तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	215	15.03.2002	452.33
20.	70–80 कि.मी. तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	215	15.03.2002	413.14
21.	257.–270 कि.मी. तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	201	22.03.2001	163.28
22.	पुलिया संख्या 144/4, 146/4, 147/2, 147/2, 150/1 व 168/2 की मरम्मत/पुनर्निर्माण	42	31.03.2002	28.13
23.	संबलपुर रा.रा. प्रभाग में क्षतिग्रस्त पुलों/पुलियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण, नालियों का निर्माण, संरक्षण कार्य	6/42/ 201	31.03.2002	65.20
24.	रा.रा. 200 के 389/5 से 405/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	200	10.07.02	280.68
25.	रा.रा. 23 के 243/6 से 250/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	23	10.07.02	135.35
26.	रा.रा. 5 के 200/0 से 216/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	5	12.07.02	295.93
27.	रा.रा. 6 के 275/0 से 285/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	6	26.07.02	187.40
28.	रा.रा. 203 के 0/0 से 8/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	203	19.09.02	294.98
29.	रा.रा. 42 के 206/6 से 230/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	42	19.09.02	456.06
30.	रा.रा. 43 के 322/0 से 329/0 कि.मी. और 368/0 से 382/0 में सड़क गुणता सुधार	43	19.09.02	360.97
31.	रा.रा. 201 के 300/0 से 313/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	201	22.10.02	250.46
32.	रा.रा. 200 के 66/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	200	22.10.02	99.23
33.	रा.रा. 215 के 109/0 से 121/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	215	22.10.02	227.37

1	2	3	4	5
34.	रा.रा. 217 के 0.500 से 6.000, 48.000 से 51.000 व 62.000 से 67.000 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	217	22.10.02	229.08
35.	रा.रा. 6 के 256/0 से 263/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	6	22.10.02	130.03
36.	रा.रा. 215 के 200/0 से 206/290 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	215	22.10.02	154.09
37.	रा.रा. 6 के 10/0 से 13/0 कि.मी. और 55/0 से 62/0 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	6	22.10.02	255.63
38.	रा.रा. 43 के 389/0 से 393/0, सें 397/0 से 401/0 व 402 से 403/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	43	22.10.02	160.77
39.	रा.रा. 5 के 233/0 से 237/0, 238/0 से 243/0, 243/0 से 245/0 और 250/0 से 251/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	5	22.10.02	229.26
40.	रा.रा. 5 ए के 41/0 से 51/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	5–ए	22.10.02	265.74
41.	रा.रा. 217 के 256/0 से 259/0, 284/0 से 286/0 व 351/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	217	23.10.02	121.78
42.	रा.रा. 200 के 294/0 से 300/0 कि.मी. और 309/0 से 319/0 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	200	22.10.02	187.75
43.	रा.रा. 201 के 1/0 से 3/0 कि.मी. और 6/0 से 19/0 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	201	24.10.02	276.72
44.	रा.रा. 200 के 219/0 से 227/0 कि.मी. और 232/0 से 240/0 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	200	24.10.02	83.03
45.	रा.रा. 200 के 0/0 से 6/0, 10/0 से 15/0, 17/0 से 20/0 और 30/0 से 34/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	200	24.10.02	161.95
46.	रा.रा. 217 के तहत 136/0 से 138/0, 139/0 से 147/0, और 180/0 से 182/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	217	24.10.02	56.27
47.	रा.रा. 217 के 376/0 से 388/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	217	24.10.02	171.36
48.	रा.रा. 217 के 357/0 से 375/0 कि.मी. खंड में सडक गुणता सुधार	217	24.10.02	253.54
49.	रा.रा. 217 के 390/0 से 404/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	217	24.10.02	185.68
50.	रा.रा. 201 के 114 वें कि.मी. पर हाती नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य	201	28.10.02	8.89
51.	रा.रा. 43 के 409/0 से 412/0, 415/0 से 417/0, और 429/0 से 432/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	43	28.10.02	192.28

1	2	3	4	5
52.	रा.रा. 215 के 241/100 से 269/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	215	07.11.02	458.46
53.	रा.रा. 42 के 195/0 से 201/290 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	42	07.11.02	152.27
54.	रा.रा. 215 के 138/0 से 171/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	215	07.11.02	541.07
55.	रा.रा. 217 के 405/0 से 414/0, 417/0 से 421/0, 423/0 से 432/0 और 434/0 से 438/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	217	08.11.02	432.91
56.	रा.रा. 200 के 342/0 से 352/0 कि.मी. और 378/0 से 389/500 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	200	08.11.02	364.10
57.	रा.रा. 6 के 295/0 से 310/0 कि.मी. और 314/0 से 320/0 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	6	08.11.02	404.48
58.	रा.रा. 201 के 72/0 से 80/0, 116/0 से 134/0 ओर 147/0 से 152/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	201	08.11.02	422.88
59.	रा.रा. 6 के 368/0 से 383/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	6	08.11.02	355.56
60.	रा.रा. 215 के 36वें कि.मी. पर कुसेई नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य	215	13.11.02	9.53
61.	रा.रा. 203 के 59/0 से 61/521 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	203	28.11.02	569.44
62.	रा.रा. 6 के 330/0 से 357/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	6	13.02.03	600.60
63.	रा.रा. 6 के 427/0 से 440/0 कि.मी. खंड में सड़क गुणता सुधार	6	13.02.03	802.71
64.	रा.रा. 215 पर 222/9 कि.मी. में 6.0 मीटर स्पैन आरसीसी स्लैब पुलिया का पुनर्निर्माण	215	31.03.03	44.20
65.	रा.रा. 23 के 312/850 से 315/070 कि.मी. में 5 पुलियों के संबंध में वर्टीकल ग्रेडिएंट का सुधार	23	31.03.03	47.29
66.	रा.रा. 200 पर 20/225 से 20/500 कि.मी. में वर्टीकल ग्रेडिएंट का सुधार और नालियों का निर्माण	200	31.03.03	40.11
67.	रा.रा. 201 के 257.55 कि.मी. में सुकतेल नदी पर दो स्पीलजोन पुल और पहुंच मार्गों के साथ-साथ उच्च स्तरीय पुल के शेष कार्यों को पूरा करना	201	31.03.03	281.27
		जोड़		17366.7 रु.

चिकित्सा अवसंरचना और उपकरणों हेतु सहायता

5647. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चिकित्सा अवसंरचना और अद्यतन चिकित्सा उपरकणों की खरीद हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान अस्पतालों और विशेष वार्डों के निर्माण हेतु राज्यवार अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना

5648. श्री चिंतामन वनगा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना हेतु गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम राहत सेवा योजना लागू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000–01 में इसकी शुरूआत के समय से राज्य सरकारों/गैर–सरकारी संगठनों को कुल 112 एंबुलेंस और 70 क्रेन प्रदान की गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2002–03 के दौरान 18 राज्यों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 79 गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की गई। इन गैर–सरकारी संगठनों के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गैर–सरकारी संगठनों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1
अरुणाचल प्रदेश	5
असम	4
हरियाणा	3
कर्नाटक	7
केरल	5
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	6
मणिपुर	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	6
पंजाब	2
राजस्थान	5
तमिलनाडु	2
उत्तरांचल	2
उत्तर प्रदेश	7
पश्चिम बंगाल	6
दिल्ली	8
जोड़	79

[हिन्दी]

धनबाद मंडल में दूरभाष एक्सचेंज

5649. प्रो. रीता वर्मा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या झारखंड सर्किल के अंतर्गत धनबाद दूरसंचार मंडल में भारत संचार निगम लिमिटेड के सभी दूरभाष एक्सचेंज आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दूरभाष एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया;

(ग) क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले सभी दूरभाष एक्सचेंज अच्छी तरह काम कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही की आग लगने संबंधी दुर्घटनाओं के कारण नए दूरभाष एक्सचेंजों को भारी हानि उठानी पड़ी है;

(च) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इन दूरभाष एक्सचेंजों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। धनबाद टेलीकॉम डिवीजन में सभी एक्सचेंज डिजिटल टाइप के हैं और सुचारु रूप से काम कर रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (झ) ऊपर भाग (ङ) के उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

धनबाद मंडल में संस्थापित आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंज का नाम	संस्थापना वर्ष
1	2	3	4
1.	धनबाद	धनबाद (उत्तर)	1993–94
		धनबाद (दक्षिण)	1999–2000
		झरिया	1993–94
		लोयाबाद	1999–2000
		बलियापुर	1996–97
		सिन्दरी	1998–99
		बाघमारा	1996–97
		सिनीडीह	2002–03
		कतरास	1999–2000
		कुसुम विहार	1999–2000
		मांडु	1999–2000
		मोको	2000–01
		सीएफआरआई	2001–02
		हीरापुर	2002–03
		तोपचांची	1997–98
		गोमो	2001–02
		राजगंज	1997–98
		भुलीनगर	2002–03
		जामाबोदा	2002–03
		गोविंदपुर	1997–98
		तुंडी	1997–98
		चिकुंडा	1999–2000
		नीरसा	2001–02
		मुगमा	2002–03
		मैथन	1999–2000
		पनचेट	2000–01
		महाराजगंज	2000–01
		पूर्वी बरवा	2001–02
		कलियासोल	2002–03
2.	बोकारो	बोकारो ई–10थी	1993–94
		ईडब्ल्यूएसडी बोकारो	2000–01
		सेक्टर–v बोकारो	1999–2000

1	2	3	4
		चास	1997–98
		चास बाजार	2001–02
		बालीडीह	1998–99
		सेक्टर–viii बोकारो	2000–01
		सेक्टर–xii	2000–01
		सेक्टर–iv	2001–02
		जैनामोर	2002–03
		भोजुडीह	1999–2000
		चंदन कियारी	1998–99
		गोमिया	2002–03
		लालपानीन	2001–02
		बोरमो	2000–01
		भंडारीदह	2000–01
		कथारा	2000–01
		पेटेरवार	2002–03
		बीटीपीएस	2000–01
		तेनुघाट	2001–02
		नावाडीह	2002–03
		तुपकाडीह	2000–01
		सीटीपीएस	2000–01
		बहादुरपुर	2000–01
		कशमार	2000–01
		दुग्धा	2001–02
		पिचारी	2001–02
		खैराचातर	2001–02
		कुरपनिया	2002–03
		अंगवाली	2002–03

[अनुवाद]

एस्बेस्टॉस का प्रयोग

5650. श्री राम नरेश त्रिपाठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल पाइप के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एस्बेस्टॉस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) पीने के पानी की आपूर्ति के लिए आमतौर पर एस्बेस्टोज पाइपों का उपयोग किया जाता है। आईपीसीएस (1986) पर्यावरणिक स्वास्थ्य मानदंडों के अनुसार आज तक किए गए अध्ययन सार्वजनिक जल आपूर्तियों में एस्बेस्टोज और कैंसर होने के बीच किसी संबंध का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं देते। पीने के पानी की आपूर्ति वाले पाइपों में एस्बेस्टोज फाइबरों के उच्च केन्द्रीकरण रखने वाले क्षेत्रों में किए गए परिस्थिति–विज्ञानीय और जनपादिक रोग–विज्ञानीय अध्ययनों से एस्बेस्टोज सीमेन्ट पाइप से एस्बेस्टोज फाइबरों के स्तरों और पाचन नली के कैंसर की घटना के बीच किसी संबंध के कोई प्रमाण होने का पता नहीं चला है।

(ग) इस समय एस्बेस्टोज के उपयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कनाडा के साथ संयुक्त चांद अभियान

5651. श्री रामजीवन सिंह :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त चांद अभियान के लिए कनाडा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त अभियान में सरकार की भागीदारी का स्वरूप क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अभियान पर अनुमानतः कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) चांद अभियान के कब भेजे जाने की संभावना है;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। तथापि, कनाडा के साथ एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोगी कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए प्रावधान है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कर्नाटक में उपरि पुलों का निर्माण

5652. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सहायता से कर्नाटक में कुछ उपरि पुलों का निर्माण चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इन उपरि पुलों की परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता की कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(घ) परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सहायता के कर्नाटक में कुल 103 फ्लाई ओवर निर्माणाधीन हैं।

(ख) से (घ) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	रा.रा.सं.	खंड	फ्लाई ओवरों की संख्या (ग्रेड सेपरेटर, अंडर/ओवर पास)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	केन्द्रीय सहायता (लागत का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1.	4	कि.मी. 29.5 से कि.मी. 62.00	4	21.70	लगभग 16 प्रतिशत
2.	4	कि.मी. 62 से कि.मी. 75	3	7.70	100 प्रतिशत
3.	4	कि.मी. 75 से कि.मी. 116.400	8	4.60	100 प्रतिशत
4.	4	कि.मी. 122.3 से कि.मी. 189	18	9.70	100 प्रतिशत
5.	4	कि.मी. 189 से कि.मी. 207	8	6.40	100 प्रतिशत
6.	4	कि.मी. 207 से कि.मी. 284	23	15.50	100 प्रतिशत
7.	4	कि.मी. 284 से कि.मी. 340	9	8.80	100 प्रतिशत
8.	4	कि.मी. 340 से कि.मी. 404	4	18.00	100 प्रतिशत
9.	4	कि.मी. 433 से कि.मी. 495	4	8.30	100 प्रतिशत
10.	4	कि.मी. 495 से कि.मी. 515	8	20.00	100 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
11.	4	कि.मी. 515 से कि.मी. 592	7	7.00	100 प्रतिशत
12.	7	कि.मी. 555.90	1	50.00	65 प्रतिशत
13.	7	कि.मी. 556–539 और 525 कि.मी. से कि.मी. 527	6	22.74	100 प्रतिशत
		जोड़	103	200.44	

गाजियाबाद में डाकघरों को बंद किया जाना

5653. **श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद शहर में लगाई गई कई पत्र पेटिकाएं खुली पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई डाकघर बंद कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान बंद किए गए डाकघर कौन से हैं;

(ङ) क्या गाजियाबाद रेल डाक सेवा/मुख्यालय से प्रतिदिन दो के बजाय केवल एक डाक भेजी जा रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) जी, नहीं। गाजियाबाद शहर में कोई पत्र–पेटी बिना ताले की नहीं है।

(ग) और (घ) कार्यभार में कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान (i) नेहरू नगर एनडीटीएसओ और (ii) जैन औद्योगिक क्षेत्र स्थित डाकघरों को बंद कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। गाजियाबाद मुख्य डाकघर से गाजियाबाद शहर छंटाई कार्यालय/आरएमएस को डाक की कई खेप भेजी जाती हैं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्नाटक के सॉफ्टवेयर उद्योग को सहायता

5654. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में सॉफ्टवेयर उद्योग में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विचार किए गए अथवा प्रस्तावित किए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य में सॉफ्टवेयर उद्योग में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) एसटीपीआई, बंगलौर की स्थापना भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए 527 लाख रुपए के आरंभिक वित्तपोषण से वर्ष 1991 में की गई थी।

(ख) बंगलौर के अतिरिक्त, एसटीपीआई ने मैसूर, मणिपाल, मंगलौर और हुबली में 4 अन्य एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इन केन्द्रों की स्थापना के लिए 200 लाख रुपए (50 लाख रुपए प्रति केन्द्र की दर से) का सहायता अनुदान दिया है।

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय

5655. **श्री रामदास आठवले** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, आतिथ्य, खान–पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेश दौरों सहित), एसटीडी एवं आईएसडी टेलीफोन बिलों, विद्युत बिल,

विशेषकर वातानुकूलन संयंत्रों एवं कूलरों के विद्युत बिल एवं अन्य कार्यालय व्यय जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार कितना व्यय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (भेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) नवम्बर, 2000 में तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विभाजन के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बनाया गया। तथापि, इसका औपचारिक विभाजन 1.6.2001 को प्रभावी हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कोई विभाग और उपक्रम नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान मंत्रालय के विभिन्न बजट उप–शीर्षों के अंतर्गत हुए व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं

उप शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2001–02 (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2002–03 (रुपए)
विज्ञापन/प्रचार	शून्य	शून्य
आतिथ्य	5,76,217	6,87,854
टेलीफोन	55,50,055	32,51,293
यात्रा भत्ता (घरेलू)	17,30,000	10,63,137
यात्रा भत्ता (विदेशी)	22,93,704	19,86,090
बिजली	9,76,446	6,57,021
अन्य कार्यालय खर्चे	1,63,47,099	1,86,96,517

एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिजली के बिलों पर हुए व्यय के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार व्यय में कटौती करने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश में लघु उद्योग इकाइयों को बंद किया जाना

5656. श्री विष्णुदेव साय : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में कितनी लघु उद्योग इकाइयां बन्द पड़ी हैं;

(ख) उक्त इकाइयों में कितना पूंजी निवेश किया गया है और कितने लोग कार्यरत हैं; और

(ग) इनको पुनर्जीवित करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बंद इकाइयों के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि वर्ष 2000–2001 के दौरान पंजीकृत इकाइयों के संबंध में किया गया नमूना सर्वेक्षण जो कि 31.3.1998 तक पंजीकृत इकाइयों के बारे में था, के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि देश में 29 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयां बंद थी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में आंकड़ों का संकलन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्यों में मार्च, 2002 के अंत तक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 64 तथा 6964 है और इन इकाइयों की ओर बकाया राशि क्रमशः 4.31 करोड़ और 152.00 करोड़ रुपए है। इन इकाइयों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या संबंधी डाटा का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(ग) सरकार, लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता के प्रति पूर्णतया सजग है और इसने संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों की समय पर पहचान तथा पुनर्वास के लिए अनेक उपाय किए हैं। रुग्णता से निपटने के लिए किए गए कुछेक विशिष्ट उपाय निम्न प्रकार हैं

– भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 2002 को रुग्णता की प्रारंभिक चरणों में पहचान करने तथा ऐसी रुग्ण इकाइयों जिनकी पहचान संभाव्य जीवनक्षम के रूप में की गई है उनके पुनर्वास के लिए उपचारात्मक

उपाय करने के लिए बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधित परिभाषा के अनुसार रुग्ण इकाइयों की पहचान हेतु मानदंड शामिल हैं।

– संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों की समय पर पहचान करने तथा पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय अन्तरसंस्थागत समितियों (एसएलआईआईसी) के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करना।

– बैंकों तथा राज्य वित्त संस्थानों में विशेष पुनर्वास एकक (सैल्ज) बनाना।

– पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय बैंक द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया जाना।

– भारतीय रिजर्व बैंक ने देनदारियों के एकमुश्त बंदोबस्त के लिए 27 जुलाई, 2000 को 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए एकमुश्त बंदोबस्त सूत्र (समाधान योजना) की घोषणा की है।

– भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी, 2003 को 10 करोड़ रुपए तक के लिए एकमुश्त स्कीम की घोषणा की है।

विदेशों में भारत के रुख को रखा जाना

5657. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विदेश स्थित हमारे दूतावास हमारी विदेश नीति, कश्मीर मुद्दे, आतंकवाद एवं नाभिकीय निशस्त्रीकरण जैसे कई मुद्दों पर अपने पक्ष को रखने में समुचित रूप से सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो अपने मत को प्रभावी रूप से रखने हेतु सरकार द्वारा किन कदमों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें अंतर्ग्रस्त व्यय का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय का विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों को पर्याप्त अद्यतन सूचना और प्रचार सामग्री प्रदान करने का सतत प्रयास रहा है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे दृष्टिकोण को प्रभावी तौर पर प्रस्तुत करते हुए हमारे देश की सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सकें। मिशन, विदेश मंत्रालय के समन्वयन में सुपरिभाषित कार्रवाई के तहत कार्य करते हैं जिसमें अन्य बातों सहित मत निर्धारकों के साथ निकट संपर्क, सामग्रियों और सूचना का प्रसार, वेबसाइटों का रख–रखाव वार्ताएं और विचार गोष्ठियां, प्रेस ब्रीफिंग इत्यादि शामिल हैं। मिशनों के लिए प्रचार हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाता है।

[अनुवाद]

फॉयलेरिया मामलों की रोकथाम

5658. श्री परसुराम माझी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फॉयलेरिया को नियंत्रित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में फॉयलेरिया प्रवण/प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में फॉयलेरिया नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना द्वारा फॉयलेरिया नियंत्रण के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) फॉयलेरिसिस की रोकथाम के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय फॉयलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1995 से चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा स्थानिकमारी वाले राज्यों को लारवानाशी एवं फाइलेरिया रोधी औषध की आपूर्ति की जाती है।

(ख) उड़ीसा में अंगूल, बलासोर भद्रक, कटक, धेनकनाल, गजपती, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, कोरापुट, नयागढ़, पुरी और रायगढ़ जिलों की फॉयलेरिया प्रवण/फॉयलेरिया प्रभावित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है।

(ग) राज्य में लारवा रोधी उपाय करने के लिए 25 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट, माइक्रोफाइलेरिया संवाहकों

एवं रोगियों का पता लगाने एवं उपचार हेतु 15 फॉयलेरिया क्लीनिक्स और फॉयलेरिया के उन्मूलन हेतु व्यापक औषध प्रदानगी के अंतर्गत पुरी, गंजाम, बलासोर और खुर्दा जिलों को कवर किया गया है।

(घ) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार लक्ष्य फॉयलेरिया एवं रोग दर क्रमशः वर्ष 2000 में 0.95 प्रतिशत और 1.96 प्रतिशत, वर्ष 2001 में 0.68 प्रतिशत व 1.42 प्रतिशत तथा वर्ष 2002 में 0.42 व 0.92 प्रतिशत थी।

प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

5659. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत दो वर्षों के दौरान प्राथमिकता आधार पर आवंटित किए गए और लगाए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्राथमिकता आधार पर जारी किए गए सभी आवंटित टेलीफोन कनेक्शन लगा दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) तमिलनाडु में पिछले दो कैलेण्डर वर्षों के दौरान अग्रता आधार पर आवंटित एवं संस्थापित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्रमशः 6165 और 5875 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) क्षेत्रों के तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण कनेक्शन लंबित हैं।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम

5660. श्री शिवाजी माने :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्धन स्कूली बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) इस समय स्कूल जाने वाले निर्धन बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें पाठ्यक्रम और सह–पाठ्यक्रम दृष्टिकोण अपनाकर स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

[अनुवाद]

चिकित्सकों द्वारा घर पर देखने जाना

5661. श्री अखिलेश यादव :
डा. राजेश्वरम्मा बुक्कला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशनभोगी अपनी पसंद के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का विकल्प चुनने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या औषधालय–प्रभारी को यह शर्त रखने का अधिकार है कि चिकित्सक आपातकाल में भी पेंशनभोगियों के आवास पर उन्हें देखने नहीं जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या वर्ष 2002–03 के दौरान दिल्ली में सुन्दर विहार औषधालय में ऐसा वचनबंध दिए जाने पर जोर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगी कार्ड धारकों के पास केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी संबंधित शहर में स्थित किसी एक के.स.स्वा. योजन औषधालय में अपने के. स.स्वा. योजना कार्ड को पंजीकृत करवाने का विकल्प है। भले ही, उनका आवास उस के.स.स्वा. योजना औषधालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पड़ता हो या नहीं। तथापि, यदि पेंशनभोगी का आवास औषधालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के बाहर पड़ता

है तो उनको दी जाने वाली के.स.स्वा. योजना सुविधाएं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी :

(i) वे न तो के.स.स्वा. योजना के डाक्टर द्वारा घर पर दौरा किए जाने के पात्र होंगे और न ही औषधालय से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कोई यात्रा व्यय पाने के पात्र होंगे।

(ii) वे दिल्ली में नार्थ एवेन्यू और साऊथ एवेन्यू स्थित के.स.स्वा. योजना के विशिष्ट व्यक्तियों के किसी औषधालय तथा अन्य अधिक कार्यभार वाले के.स.स्वा. योजना औषधालयों से संबद्ध होने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। घर पर दौरे प्रायः आपाती स्थिति में किए जाते हैं जिसके लिए के.स.स्वा. योजना के डाक्टर लाभभोगियों के यहां जाते हैं, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं, बशर्ते कि उनके आवास के.स.स्वा. योजना के किसी औषधालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आते हों। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए वचन पत्र पर जोर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंस/अभिघात परिचर्या वाहन

5662. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपलब्ध कराई गई एंबुलेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सहायता पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दुर्घटना मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात परिचर्या चल वाहनों को उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) तमिलनाडु राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत 11 एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा सहायता का प्रावधान राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(ग) और (घ) अभिघात परिचर्या सुविधाएं इस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

सेल्यूलर संचालकों को हुआ घाटा

5664. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. चरणदास महंत :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण ने हाल में सेल्यूलर संचालकों को लिमिटेड मोबिलिटी सेवाओं के कारण उन्हें हुए घाटे का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल्यूलर संचालकों ने टी.डी.एस.ए.टी. को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना

5665. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम के कार्य और उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए दिसम्बर, 1997 में श्री पी.के. उमाशंकर, पूर्व निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी।

(ग) जी, हां। समिति ने पहले ही नवम्बर, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(घ) समिति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

(1) ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम का मूल उद्देश्य अधिकांशतया पूरा नहीं हुआ है। समुदाय और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के बीच कार्यात्मक कड़ी तैयार करने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है;

(2) इस स्कीम को चलाने के लिए जिम्मेदार अधिकतर राज्य सरकारों का इस स्कीम में विश्वास नहीं रह गया था।

(3) समिति की भी यही सुविचारित राय है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को सक्रिय एवं उपयोगी बनाना संभव नहीं है;

(4) समिति ने यह भी पाया कि राज्यों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करने में विफल रहने पर उनमें ग्राम स्वास्थ्य गाइड की उनकी मौजूदगी की अनदेखी करने की प्रवृत्ति आ गई; और

(5) पंचायती राज संस्थाएं भी ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की सेवाओं का किसी महत्वपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं कर पाई।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समिति ने ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम को यथा संभव शीघ्र समाप्त करने की अनुशंसा की थी।

भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया और इस स्कीम को 1.4.2000 से बन्द कर दिया। तथापि, राज्य सरकारों को यह छूट है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संसाधनों को मौजूदा उन्नत संशोधित रूप में इस स्कीम को जारी रख सकते हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा धन जुटाया जाना

5666. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने खुले बाजार में बांड व्यवस्था के माध्यम से धन जुटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जुटाए जाने वाले धन की कोई सीमा तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ)- भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को और अधिक सक्रिय निकाय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के लिए दसवीं योजना परिव्यय में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 136 करोड़ रु. के बंधपत्रों के माध्यम से संसाधन जुटाने की व्यवस्था है।

(ङ) अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन नीति, जो कि भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के एक बेहतर भूमिका निभाने में सहायक है, पहले से ही विद्यमान है।

हेपेटाइटिस ए और बी प्रतिरक्षण

5667. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाओं को हेपेटाइटिस ए और बी के प्रतिरक्षण हेतु राज सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001, 2002 के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक प्रत्येक संस्था को कितनी राशि की राज सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। परिवार कल्याण विभाग के गैर–सरकारी संगठन प्रभाग ने लगभग एक लाख बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने के लिए युवक प्रतिष्ठान, नीलम नगर, मुलंद (पूर्व), मुंबई को 35 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

(ग) यह धनराशि दो किस्तों में जारी की गई थी।

(i) 20 लाख रुपए की पहली किस्त 2000–01 के दौरान जारी की गई थी।

(ii) 15 लाख रुपए की दूसरी किस्त 2002–03 के दौरान जारी की गई थी।

व्यस्त जंक्शनों/इंटरसेक्शनों पर फ्लाइ ओवर्स

5668. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुचारु यातायात सुनिश्चित करने हेतु सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यस्त जंक्शनों/इंटरसेक्शनों पर फ्लाइ ओवर्स के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यवार और स्थानवार कितने फ्लाइ ओवर्स का निर्माण किया जाना है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर जहां कहीं आवश्यक हों फ्लाइओवर्स के निर्माण से सुचारु यातायात को सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, सड़क प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान किए जाने के लिए विद्यमान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क गुणता में सुधार कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। तथापि, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन स्थानों पर उपरि पुलों/सड़क उपरि पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है।

ड्रग-कोटेड स्टेंट्स

5669. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सकों द्वारा एंजियोप्लास्टी के पश्चात धमनियों में रक्त प्रवाह को पुनः रुकने से बचाने में ड्रग–कोटेड स्टेंट्स को अधिक प्रभावी माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ड्रग–कोटेड स्टेंट्स का उत्पादन भारत में किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश में ड्रग–कोटेड स्टेंट्स का उत्पादन कौन–कौन सी कंपनियां कर रही हैं;

(घ) प्रत्येक ड्रग–कोटेड स्टेंट्स का वर्तमान मूल्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किया कि सरकार द्वारा ड्रग–कोटेड स्टेंट्स का मूल्य कम किया जाए या उस पर राजसहायता दी जाए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) धमनी में रुकावट को स्थाई रूप से हटाने के लिए औषधयुक्त एंजियोप्लास्टी स्टेंट्स सर्वाधिक कारगर उपाय है। एंजियोप्लास्टी के दौरान सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले औषधि रहित स्टेंट्स के विपरीत

औषधयुक्त स्टेंट्स से, जो हाल ही में आई है, एंजियोप्लास्टी के बाद फिर से रुकावट होने की घटनाएं बहुत कम होती हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार (i) सहजानंद मेडिकल टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड (ii) केयर प्लोममेड लिमिटेड ने औषधयुक्त स्टेंट्स का हाल ही में निर्माण आरंभ किया है। लेकिन अभी भी उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। औषध युक्त स्टेंट्स की लागत 81,000/– रुपए से लेकर 1,37,500/– तक है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। क्योंकि औषधयुक्त एंजियोप्लास्टी स्टेंट्स बाजार में अभी हाल ही में उपलब्ध हुई है और प्रयोगाधीन है क्योंकि दीर्घकालिक परिणाम उपलब्ध नहीं है।

एनेस्थिटिस्ट्स की कमी

5670. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एनेस्थीरिया के चिकित्सकों की भारी कमी के कारण अत्यधिक मातृत्व संबंधी मौतें हुई हैं जैसा कि दिनांक 3 अप्रैल, 2003 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकर्षक और भावी संभावनाओं की कमी के कारण अधिकांश चिकित्सक एनेस्थीसिया के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने को प्राथमिकता नहीं देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एनेस्थीसिया को विशेषज्ञता का पसंदीदा क्षेत्र बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) गर्भावस्था और बच्चे के जन्म संबंधी जटिलताओं की सदैव भविष्यवाणी नहीं की जाती है और बहुत से मामलों में गर्भवती महिलाओं का उसकी जान बचाने के लिए पर्याप्त रूप से उपकरणों से सुसज्जित और कार्मिक युक्त रेफरल केन्द्रों/अस्पतालों में तुरन्त उपचार करना आवश्यक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपात प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था में सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक समस्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर संवेदनाहरण में विशेषज्ञ के पद की अनुपलब्धता की रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग जैसे केवल चार अन्य विशेषज्ञों के ही स्वीकृत पद हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संवेदनाहरण की विशिष्टता में स्नातकोत्तर सीटों को स्नातक–पूर्व डाक्टरों द्वारा तत्काल ले लिया जाता है। तथापि, आपातिक प्रसूति रोग परिचर्या की व्यवस्था के लिए संवेदनाहरण में प्रशिक्षित डाक्टरों हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रजनन एवं बाल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

(i) राज्यों को भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ परामर्श करके संवेदनाहरण के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा धन देने की वचनबद्धता दी गई है।

(ii) तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्यों को उप–जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आपात प्रसूति मामलों के लिए प्रति मामला 1000/– रुपए के भुगतान पर निजी क्षेत्र में संवेदनाहरण विज्ञानियों को रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

(iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आपातिक प्रसूति परिचर्या के लिए जीवन रक्षक संवेदनाहरण दक्षताओं पर एम.बी.बी.एस. डाक्टरों के प्रशिक्षण के लिए 18 सप्ताह का एक प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस प्रायोगिक कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर इसे देश में अन्य चिकित्सा कालेजों में भी शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों को प्रशिक्षण

5671. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना को लागू करने हेतु कितनी निधियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त योजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों को कितना लाभ होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा कई चालू योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों सहित लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) कारीगरों सहित लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए चालू योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित द्वारा चलाई जा रही योजनाएं शामिल हैं :

1. लघु उद्योग मंत्रालय। वे हैं :

   (i) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण

   (ii) प्रबन्ध विकास प्रशिक्षण

   (iii) कुशलता विकास प्रशिक्षण

   ये योजनाएं लघु उद्योग मंत्रालय के फील्ड संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लघु उद्योग मंत्रालय ने उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपए की राशि आवंटित की है।

2. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय। वे हैं :

   (i) प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत उद्यमियों को अपने उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए कारीगरों सहित उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.05 करोड़ रुपए की सीमा तक निधियां उद्दिष्ट की गई हैं।

   (ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) जिसके अंतर्गत कारीगरों सहित उद्यमियों को मुगा सिल्क सहित सिल्क की कताई/बुनाई, फलों एवं सब्जियों के संसाधन, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती एवं मोमबत्ती बनाने, हस्त-निर्मित कागज बनाने, बेंत और बांस से फर्नीचर एवं अन्य उपयोगिता मदें तैयार करने आदि सहित प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 311.21 लाख रुपए का बजट उद्दिष्ट किया है।

3. विकास आयुक्त (हथकरघा) तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय, बुनाई, ड्राइंग, डिजाइनिंग के साथ-साथ हस्तशिल्प के विनिर्माण में कारीगरों सहित उद्यमियों को प्रशिक्षण देता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा) ने 4.5 लाख रुपए का बजट उद्दिष्ट किया है, जबकि विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने 14 लाख रुपए का बजट उद्दिष्ट किया है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कारीगरों सहित उद्यमियों को विभिन्न विभागों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें अपने लघु/अति लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए उनके ज्ञान एवं कुशलता का उन्नयनीकरण करना तथा प्रभावी तौर पर उनका प्रबन्ध करना है।

हाट लाइन सेवाएं

5672. श्री नागमणि : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए सभी हाट लाइन टेलीफोन ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों का निपटान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केवल चतरा-रांची पुलिस हाट लाइन काम नहीं कर रही है क्योंकि जिला पुलिस मुख्यालय के स्वामित्व वाले प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पीबीएक्स) बोर्ड में खराबी है और यह बोर्ड सेवा योग्य नहीं रह गया है। तथापि, बीएसएनएल द्वारा प्रदान किया गया चैनल ठीक-ठाक कार्य कर रहा है जिस पर यह हाट लाइन मौजूद है।

[हिन्दी]

गुणवत्ता वाली शिक्षा

5673. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नीतियां तैयार करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा परिषद स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है; और

(ग) सरकार द्वारा चिकित्सकों को विशेषज्ञ शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिक अवसर सृजित करने लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का क्या प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर को बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद मौजूद है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में देश के विभिन्न भागों में नए सरकारी मेडिकल और दंत चिकित्सा कालेजों के लिए धन व्यवस्था करने हेतु और देश के मौजूदा सरकारी मेडिकल और दंत चिकित्सक कालेजों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु धन व्यवस्था के लिए चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करना परिकल्पित है ताकि चिकित्सा शिक्षा का उन्नत स्तर सुनिश्चित हो सके।

(ग) केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाएं पहले ही अनेक स्नातकोत्तर और अतिविशिष्टता पाठ्यक्रम चला रही हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं का समय-समय पर नए स्नातकोत्तर तथा अति विशिष्टता पाठ्यक्रम शुरू करके और डाक्टरों के विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए अधिक अवसर सृजित करने के लिए इन पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाकर उन्नयन भी किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में चिकित्सा में नए अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने की व्यवस्था है। इन विनियमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा निजी न्यासों द्वारा संचालित संस्थाओं में स्नातकोत्तर और अतिविशिष्टता पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए और इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनुमति प्रदान कर रही है, जो एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

अहमदाबाद से भड़ूच तक राष्ट्रीय राजमार्ग

5674. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **सडक परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अहमदाबाद से भड़ूच वाया पेटलाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ-साथ दूरसंचार डक्ट्स

5675. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **सडक परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ-साथ दूरसंचार डक्ट्स बिछाने की योजना तैयार कर ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बीएसएनएल की भी बोलियों का अभी मूल्यांकन किया जाना है;

(ग) क्या विशेषज्ञों द्वारा योजना की व्यवहार्यता तथा ऐसी परियोजनाओं को चलाने की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की क्षमताओं पर आशंका व्यक्त की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दूरसंचार डक्ट्स परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कृपया उपर्युक्त (क) का उत्तर देखें।

आई.टी.डी.सी. और उर्वरक कंपनियों का विनिवेश

5676. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आईटीडीसी की शेष संपत्तियों तथा उर्वरक कंपनियों का विनिवेश करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश द्वारा अभी तक वसूल की गई कुल राशि और वसूल की गई राशि के उपयोग के तरीके का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम लि. की होटल संपत्तियों और उर्वरक क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चल रहे विनिवेश मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है

भारत पर्यटन विकास निगम

क्र.सं.	होटल
1	2
1.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर
2.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर
3.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना
4.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू
5.	होटल सम्राट, नई दिल्ली (पट्टा–सह–प्रबंधन अनुबन्ध पर)
भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम की होटल संपत्तियां	
6.	होटल रांची अशोक, रांची
7.	होटल नीलांचल अशोक, पुरी
8.	होटल लेकव्यूह अशोक, भोपाल
9.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी
10.	होटल पाण्डिचेरी अशोक, पाण्डिचेरी
11.	होटल दोनयी पोलो अशोक, ईटानगर
12.	होटल आनन्दपुर अशोक, आनन्दपुर साहिब (अपूर्ण परियोजना)

उर्वरक क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
1.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
2.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
4.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.

(ग) 1991–92 के बाद, 29,486 करोड़ रुपए की धनराशि विनिवेश अर्थागम के रूप में जुटाई गई है। आज की तारीख तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से जुटाई गई धनराशि, भारत के संचित कोष में जमा की गई है। विनिवेश अर्थागम का उपयोग सामाजिक एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में करने की सरकार की निरन्तर वचनबद्धता को संपूर्ण दृश्यता प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार चालू वर्ष के दौरान एक विनिवेश कोष स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। इस कोष का उपयोग, नए रोजगार के अवसरों का वित्त–पोषण करने और निवेश करने तथा सार्वजनिक ऋण से मुक्ति पाने के लिए किया जाएगा।

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पुराने पोत

5677. श्री अनन्त नायक : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कितने पोत हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश पोत पुराने हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में

दिनांक 24.4.2003 तक 2.53 मिलियन जीटी (4.32 मिलियन डी डब्ल्यू टी) के 86 पोत और 16,834 जीटी (26.174 डी डब्ल्यू टी) का एक पोत पट्टे पर है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार के आयु संबंधी मानदंड के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों को पोतों का प्रभावी जीवनकाल 20–30 वर्ष के मध्य है। भा.नौ.नि. के पोतों के आयु की रूप–रेखा निम्नानुसार है।

5 वर्ष से कम	5–10 वर्ष	10–15 वर्ष	15–20 वर्ष	20 वर्ष से अधिक	योग
7	11	12	40	17	87

20 वर्ष से अधिक आयु वाले पोतों की सूची निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पोत का नाम	श्रेणी	निर्माण वर्ष
1	2	3	4
1.	रामानुजम	यात्री/कार्गो	1972
2.	एन.एन. बोस	क्रूड ऑयल कैरियर	1973
3.	हर्षवर्धन	यात्री/कार्गो	1974
4.	विवेकानन्द	क्रूड ऑयल कैरियर	1974
5.	सी.पी. शिवाजी	क्रूड ऑयल कैरियर	1974
6.	बी.आर. अम्बेडकर	क्रूड ऑयल कैरियर	1974
7.	सत्यामर्ती	क्रूड ऑयल कैरियर	1975
8.	लोकमान्य तिलक	क्रूड ऑयल कैरियर	1975
9.	राजेन्द्र प्रसाद	क्रूड ऑयल कैरियर	1975
10.	महर्षि कर्वे	ओबीओ	1978
11.	स्टेट ऑफ नागालैंड	सामान्य कार्गो	1978
12.	विश्व कौमुदी	सामान्य कार्गो	1980
13.	रानी पदमनी	ड्राई बल्क कैरियर	1981
14.	सी.वी. रमन	क्रूड ऑयल कैरियर	1981
15.	झूलेलाल	प्रोडक्ट कैरियर	1981
16.	बसवेश्वर	प्रोडक्ट कैरियर	1982
17.	होमी भाभा	क्रूड ऑयल कैरियर	1982

(घ) भा.नौ.नि. ने उपर्युक्त पुराने कुछ टैंकरों को प्रतिस्थापित करने हेतु निम्नलिखित क्रूड ऑयल टैंकर के निर्माण के आदेश दिए हैं :

(i) हुंडई शिपयार्ड, दक्षिण कोरिया में एफ्रामेक्स आकार के 03 क्रूड ऑयल टैंकरों का नव निर्माण का आदेश दिया है, इनमें से एक टैंकर डिलीवरी दिनांक 25.4.2003 को होनी थी और अन्य पोतों की डिलीवरी की तिथि क्रमशः मई, 2003 और अगस्त, 2003 है।

(ii) देबू शिपयार्ड, दक्षिण कोरिया में सुवेजमेक्स आकार के 02 क्रूड ऑयल टैंकरों के नवनिर्माण का आदेश दिया है और इन टैंकरों की डिलीवरी तिथि क्रमशः फरवरी, 2004 और मई, 2004 है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भा.नौ.नि. की दो नवनिर्मित बहुत बड़े आकार के क्रूड ऑयल कैरियर (वीएलसीसी) और पुराने हो रहे उक्त टैंकरों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नवनिर्मित एफ्रामेक्स आकार के क्रूड ऑयल कैरियर खरीदने की भी योजना है।

कैंसर दवा की कीमतें

5678. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कैंसर के इलाज के लिए आयातित दवाओं में से ज्यादातर के प्रतिषेधक मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार 74 अनुसूचित बल्क औषधों तथा उन पर आधारित दवाओं के मूल्यों का निर्धारण/उनमें संशोधन करता

है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अधिकांश औषधें मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं।

जो औषधें मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत नहीं हैं, के मूल्यों का निर्धारण/उनमें संशोधन उत्पादन लागत, पहुंच पर आयात की लागत, विपणन लागत, व्यापार में लाभ की गुंजाइश इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माताओं/आयातकों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) उन औषधों के मूल्यों की भी मानिटरिंग करता है जो मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं। जहां कहीं मूल्यों में असामान्य वृद्धि देखी जाती है, एनपीपीए औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करता है।

सरकार ने बाजार की शक्तियों को कार्य करने की अनुमति देते हुए, तर्कसंगत मूल्यों पर औषधों की उपलब्धता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भेषजीय क्षेत्र को पूरी तरह से लाइसेंस रहित कर दिया है जिससे निवेश तथा उत्पादन में वृद्धि एवं प्रतियोगिता को बढ़ावा मिल रहा है।

[हिन्दी]

कर्नाटक हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

5679. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक हेतु 35 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्वीकृत की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से छः अभी भी लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो किन प्रमुख कारणों से इन छः परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं। मंत्रालय ने वर्ष 2002–03 के दौरान कर्नाटक के लिए 16321.50 लाख रु. के 78 कार्य स्वीकृत किए हैं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

व्यय में कटौती

5680. श्री रामदास आठवले : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, आतिथ्य, खान–पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेशी दौरों सहित) एसटीडी और आईएसटीडी टेलीफोन बिलों, विद्युत बिलों विशेषकर एयरकंडीशनरों तथा कूलरों के विद्युत बिलों और अन्य कार्यालय संबंधी व्ययों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त मदों पर व्ययों में कटौती करने हेतु कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और संसद के पटल पर रख दी जाएगी।

मलेरिया और डेंगू का उन्मूलन

5681. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए कोई कार्रवाई की है जैसा कि पोलियो के मामले में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) मलेरिया और

डेंगू, जो वेक्टरजनित रोग हैं, का उन्मूलन तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

तथापि, डेंगू और मलेरिया के उन्मूलन के लिए उपाय किए जा रहे हैं। अपनाई गई कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- रोगी का शीघ्र पता लगाना और तुरन्त उपचार करना।
- चुनिंदा वेक्टर नियंत्रण।
- व्यक्तिगत संरक्षण विधियों को बढ़ावा देना।
- महामारियों का शीघ्र पता लगाना और नियंत्रण करना।
- व्यक्तिगत रोकथाम और सामुदायिक सहभागिता के प्रति सूचना, शिक्षा और संचार।
- संस्थानिक और प्रबंध क्षमता सृजन, प्रशिक्षित जनशक्ति विकास और कुशल प्रबंध सूचना पद्धति।
- सभी निवारक और नियंत्रण उपायों के बारे में सुझाव देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम तौर पर चेतावनी जारी करना।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में लोक शिकायत प्रकोष्ठ

5682. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तमिलनाडु में किन स्थानों पर लोक शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन लोक शिकायत प्रकोष्ठों द्वारा प्राप्त की गई मांगों/सुझावों/शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मांगों/सुझावों/शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) उन स्थानों के नाम निम्नानुसार हैं जहां बीएसएनएल द्वारा लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं :

(1) चेन्नई (2) चेंगलपट्टू (3) कोयम्बटूर (4) कुन्नूर (5) कड्डालोर (6) सीआरडीए (कुंबाकुनम) (7) धरमापुरी (8) इरोड (9) कराइकुडी (10) मदुरई (11) नगरकोइल (12) पांडिचेरी (13) सलेम (14) त्रिची (15) तंजावुर (16) तिरुनेलवेली (17) तूतीकोरिन (18) वेल्लोर और (19) विरुधनगर।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लोक शिकायत प्रकोष्ठों द्वारा प्राप्त मांगों/सुझावों/शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	2000–01	2001–02	2002–03
प्राप्त मामलों की संख्या	33410	29508	23617

(ग) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित मामलों को छोड़कर सभी मामले निपटाए जा चुके हैं।

बकाया राशि

5683. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई.टी. एण्ड टी. कारपोरेशन लिमिटेड के पास अब भी अपना फ्रैंचाइजी नेटवर्क है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई.टी. एण्ड टी. कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 23 सितम्बर, 2000 के बाद नियुक्त किए गए फ्रैंचाइजी का ब्यौरा क्या है;

(घ) 30 जून, 2002 की तिथि के अनुसार प्रत्येक फ्रैंचाइजी पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनसे बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

5684. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. चरणदास महंत :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो के उन्मूलन के विश्वस्तरीय प्रयासों में उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाधक है जैसा कि 7 अप्रैल, 2003 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश में पोलियो के खतरे पर चिन्ता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस राज्य में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम पोलियो के नियंत्रण और उन्मूलन में असफल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्य में पोलियो उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा कौन सी नई रणनीति अपनाई जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) वर्ष 2002 के दौरान, देश में सूचित किए गए 78 प्रतिशत रोगी (1600 में से 1242) और वैश्विक रूप से सूचित किए गए 64 प्रतिशत रोगी (1921 में से 1242) उत्तर प्रदेश में थे। वर्ष 2003 के दौरान अब तक सूचित किए गए 73 रोगियों में से 22 रोगी उत्तर प्रदेश में थे।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में रोगियों की संख्या 1998 में 881 से गिरकर वर्ष 1999 में 773, 2000 में 179 और 2001 में 216 रह गई। उत्तर प्रदेश में पोलियो ग्रस्त जिलों की संख्या वर्ष 2000 में 46 से गिरकर 2001 में 30 रह गई। इस प्रकार, वर्ष 2001 तक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में कतिपय केन्द्रों तक विषाणु के फैलाव को सीमित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल हुई। तथापि, पोलियो उन्मूलन प्रयास को वर्ष 2002 में धक्का लगा जब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोग का प्रकोप हुआ और इसका संचरण अन्य पड़ोसी राज्यों में हुआ।

(ङ) उत्तर प्रदेश में पोलियो के दौरों की संख्या को 1999–00 के दौरान 6 से घटाकर 2000–01 के दौरान 4, 2001–02 के दौरान तीन किया जाना और वर्ष 2001–02 के पोलियो दौरों के दौरान 10–15 प्रतिशत तक बच्चों को वैक्सीन न दिया जाना।

(च) पोलियो उन्मूलन हेतु वार्षिक कार्यनीति राज्यों के साथ परामर्श करते हुए भारतीय विशेषज्ञ सलाहकारी दल (आईईएजी) की सिफारिशों, जानपदिक रोगविज्ञान संबंधी डाटा और देश के अलग–अलग भागों में वास्तविक संचरण स्थिति के आधार पर निश्चित की जाती है। वर्ष 2003–04 की कार्यनीति में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2002–03 के दौरान चार दौरों के मुकाबले अप्रैल (6.4.03 को पहले ही किया जा चुका है), जून (1.6.03 को होना निर्धारित है), सितम्बर 03, नवम्बर 03, जनवरी 04, और फरवरी 04 के दौरान 6 दौरों का प्रावधान है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही राज्य में पोलियो उन्मूलन गतिविधियों की सूक्ष्मता से मानिटरिंग और पर्यवेक्षण कर रही हैं। पोलियो दौरों की गुणवत्ता में सुधार हेतु और जिन बच्चों तक पहुंचा नहीं जा सका उन तक इसकी पहुंच बनाने हेतु विभिन्न कार्यकलाप किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी नेमी प्रतिरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु पहलें की हैं।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

5685. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन घातक बीमारियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इसमें से धनराशि दी जाएगी; और

(घ) महंगे स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकता वाले लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आरोग्य निधि हाल ही में स्थापित नहीं की गई है। सरकार के दिनांक 8.4.2003 के संकल्प संख्या डब्ल्यू 110011/2/2003–एनआईएएफ के द्वारा राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि जो 1997 में रखा गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आरोग्य निधि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे रोगियों, जो प्रमुख जीवन घातक रोगों से पीड़ित हैं, को किसी भी सरकारी/अतिविशिष्टता अस्पताल/संस्थान में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसे रोगों की एक निदर्शी सूची विवरण के रूप में संलग्न है। गरीब रोगियों को "एक–बारगी अनुदान" के रूप में वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

विवरण

निधि के अंतर्गत उपचार के लिए शामिल रोगों की श्रेणी की एक निदर्शी सूची नीचे दी गई है :

1. कार्डियोलॉजी और कार्डियक शल्य चिकित्सा

टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियो–प्लास्टी अहेरयटामी, सीएबीजी सहित जन्मजात और प्राप्त की गई स्थितियों के लिए हृदय शल्य चिकित्सा, वास्कुलर सर्जरी स्टेंट्स और कार्डियक प्रतिरोपण आदि सहित इन्टरनेशलन प्रक्रिया हेतु निपटानार्थ पेसमेकर।

2. कैंसर

सभी प्रकार का विकिरण उपचार कैंसर रोधी केमोथिरेपी।

3. मूत्रविज्ञान/नेफ्रोलॉजी

उपभोज्य वस्तुओं (कायल्स और डायलिसिस घोल आदि) के साथ डायलिसिस, डायलिसिस के लिए वास्कुलर शन्ट्स, पी.सी.एन. और पी.सी.एन.एन. किटें, लिथोट्रिप्सी (पथरी के लिए)–मूत्रविज्ञान और जठरांत्र रोगविज्ञान में एंडोस्कोपिक शल्यक प्रक्रिया के लिए डिस्पोजेबल्स और स्टेन्ट्स, रीनल और हेपाटी प्रतिरोपण।

4. विकलांग चिकित्सा

अंगों के लिए कृत्रिम प्रास्थेसिस, प्रतिरोपण, पूर्ण कूल्हा (कुल हिप) और घुटना बदलने के वाह्य फिक्सेटर, अस्थि रोग और फ्रैक्चर्स के इलाज में प्रयुक्त ए.ओ. प्रतिरोपण।

5. विविध

इन्ट्राआकुलर लेंस प्रतिरोपण, श्रवण सहायता यंत्र और हाइड्रोसिफेलस के लिए शन्ट्स।

6. जांचें

अल्ट्रासाउंड, डोप्लर शिडर्स, रेडियोओन्यूकोलाइड, स्कैन्स, सी.टी. स्कैन, मैम्मोग्राफी, सभी अंगों के लिए एंजियोग्राफी, एम. आर.एल., ई.ई.जी., ई.एम.जी., यूरोडायनामिक अध्ययन।

7. औषधें

इम्युनो–सुप्रेसिव औषधें, क्षयरोधी औषधें, डी. रोधी, हेमोफिली ग्लोबुलिन रोधी, इरिथ्रोपोइटेन, जले हुए रोगियों के लिए रक्त और रक्त उत्पाद/प्लाजमा।

8. चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सकों की समिति द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त समझी गई अन्य प्रमुख बीमारियों को सूची में जोड़ा जा सकता है।

*इस सूची को तकनीकी समिति द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

चिकित्सा सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता

5686. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आज तक झारखंड में अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं में सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए झारखंड से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त उद्देश्यों के लिए झारखंड तथा बिहार हेतु अधिक धन का आवंटन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) वर्ष 2001–02 के दौरान, मेडिकल कालेज, रांची और पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद को अन्कोजाली स्कंध के विकास के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन क्रमशः 100.00 लाख रुपए और 129.00 लाख रुपए की रकम जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, मेहरबाई टाटा अस्पताल, जमशेदपुर, जो एक प्राइवेट अस्पताल है, को कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना करने के लिए 100.00 लाख रुपए की रकम भी जारी की गई थी। झारखंड और बिहार को और निधियों का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों और योजनाओं की शर्तों को पूरा करने तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन

5687. श्री नरेश पुगलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण कुछ राज्यों पर बोझ पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामतः राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार ने प्रत्येक राज्य की योजना में कोई प्रावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ड) मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में ऊर्ध्वमुखी संशोधन होने के कारण, राज्य सरकारों के वित्त में 1997 से ही ह्रास हुआ है। तुलनात्मक रूप से राज्य सरकारों के स्थिर राजस्व ने उन्हें उधार ली गई निधियों पर अधिक से अधिक निर्भर रहने के लिए बाध्य कर दिया था।

राज्यों के वित्तीय प्रबन्धन का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और संबंधित राज्य सरकार द्वारा ही उपचारी कार्रवाई शुरू की जानी होती है। तथापि राज्यों के नकद प्रवाह में बेमेल को दूर करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार की आवश्यकता और अनुरोध के आधार पर अग्रिम रूप से योजना सहायता, केन्द्रीय करों में हिस्से और लघु बचत ऋण जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली साधन सहायता के अतिरिक्त केन्द्र सरकार भी राज्यों को साधन सहायता अग्रिम मुहैया कराती है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा एक मध्यम अवधि राजकोषीय सुधार योजना (एमटीएफआरपी) तैयार की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को मध्यम अवधि में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की ओर लक्षित मानीटर करने योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राजकोषीय सुधार लक्ष्यों की उपलब्धि में की गई प्रगति के आधार पर राज्यों को आवधिक रूप से प्रोत्साहन निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

भारत-श्रीलंका समझौते का उल्लंघन

5688. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चैतिवु द्वीप पर भारतीय मछुआरों के मछली मारने तथा जाल सुखाने के पारम्परिक अधिकार को समाप्त कर श्रीलंका समझौते का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते में दिए गए हमारे मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या समझौते के अनुसार भारतीय मछुआरों को दिए गए परम्परागत अधिकार 1983 से ताक पर रखे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार का किस तरह से स्थिति से निपटने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) जी, नहीं। भारत–श्रीलंका समुद्री सीमा का निपटारा, वर्ष 1974 एवं 1976 के समझौतों के माध्यम से किया गया था। इन समझौतों की शर्तों के अनुसार, कच्चैतिवु द्वीप, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के श्रीलंकाई पक्ष में पड़ता है। इस संबंध में सरकार के मत में कोई बदलाव नहीं आया है।

इन समझौतों में किए गए प्रावधानों के अनुसार कच्चैतिवु तक पहुंच के संबंध में हमारे मछुआरों के पारंपरिक अधिकार वहां विश्राम करने, जाल सुखाने और सेन्ट एन्टोनी के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लेने तक सीमित हैं। पारम्परिक अधिकारों में कच्चैतिवु में और उसके आस–पास मछली पकड़ने का अधिकार शामिल नहीं है।

(ख) से (ड) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता

5689. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उपचार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000–01, 2001–02 और 2002–2003 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उपचार के प्रति

लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा कितनी निधियां खर्च की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार प्रिंट और दृश्य–श्रव्य मीडिया, प्रचार–प्रसार सामग्री के वितरण, प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों के आयोजन और स्वास्थ्य मेलों में भाग लेने के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी उपचार के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी उपचार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा खर्च की गई निधि इस प्रकार है :

वर्ष	रुपए (लाखों में)
2000–01	357.34
2001–02	208.24
2002–03	480.34

[अनुवाद]

चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

5690. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मेहसाना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

इराक द्वारा देय बकाया राशि

5691. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराकी बांड्स के तहत फंसी 1200 करोड रुपए से अधिक की धनराशि को इसकी शासन में आसन्न परिवर्तन के पश्चात वसूले जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इराक के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों के कारण इस धनराशि को बट्टे खाते में डाल दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका ने इराक की सभी असैनिक देनदारियों को चुकाने का वादा किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत का विचार उक्त धनराशि के भुगतान हेतु अपना दावा पेश करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना) : (क) से (च) भारत सरकार और इराक की सरकार ने इराक में भारतीय कंपनियों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए भुगतान के संबंध में 1983 और 1989 के बीच विलम्बित भुगतान के अनेक करार संपन्न किए थे। 1990 में खाड़ी युद्ध तथा इराक पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात, इराक ने विलम्बित भुगतान करारों तथा अन्य प्राप्तियों के तहत कोई भुगतान नहीं किया था। भारत सरकार ने इराक से प्रमाणित प्राप्तियों के विरुद्ध लगभग 1568.72 करोड़ रुपए की सीमा तक भारतीय कंपनियों के लिए नकद और बांड जारी किए। अमरीका ने इराक के गैर–सैनिक दायित्वों का भुगतान करने का वायदा नहीं किया है। भारत ने इराक सरकार के साथ जारी देय तथा दायित्वों को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

पेटेंट प्रणाली पर सर्वेक्षण

5692. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार अनुसंधान फर्म ए.सी. नेल्सन ओ.आर. जी. मार्ग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार साक्षात्कार किए गए मात्र 17 प्रतिशत डाक्टरों को ही भारत में वर्तमान पेटेंट प्रणाली की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अध्ययन का उद्देश्य भेषज पेटेंटों के बारे में चिकित्सा समुदाय के ज्ञान का स्तर और उनकी राय सुनिश्चित करने का था;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो डाक्टरों को पेटेंट प्रणाली के बारे में शिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) सरकार को मार्किट अनुसधान फर्म ए.सी. नेल्सन ओ.आर. जी–मार्ग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त नहीं हुए प्रतीत होते हैं। तथापि, इस मामले पर आगे सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत सरकार के सभी संबंधित विभागों को पेटेंट कानून के निहितार्थों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जरिए नई पेटेंट प्रणाली के बारे में भारतीय डाक्टरों के ज्ञानाधार में सुधार करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों और भारत में विभिन्न मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थाओं में डाक्टरों के लिए आई.पी.आर./ डब्ल्यू.टी.ओ. जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करता आ रहा है।

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

5693. श्री जे. एस. बराड : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को विदेश भेजती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजे गए भारतीय युवाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए युवाओं और अधिकारियों के चयन के क्या मानदंड हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष–वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

वर्ष	युवाओं की संख्या	व्यय (लाख रुपए में)
2000–01	56	1.50
2001–02	68	2.94
2002–03	60	6.30

(ग) मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ और नेहरू युवा केन्द्र संगठन से नामांकन के लिए मांग करता है। युवाओं और अधिकारियों का अंतिम रूप से चयन सरकार द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों की खेती

5695. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में औषधीय पौधों की खेती, सुरक्षा और विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता उलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के विकास के लिए प्रोत्साहक और वाणिज्यिक योजनाएं आरंभ की हैं, जिसमें उनकी खेती और सुरक्षा (संरक्षण) भी शामिल हैं।

(ग) बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक योजनाओं को वित्त पोषित किया है। दी गई सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	सभी राज्य	महाराष्ट्र
2000–01	0.935 करोड़	0.108 करोड़
2001–02	9.97 करोड़	0.508 करोड़
2002–03	14.19 करोड़	0.37 करोड़

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जाना

5696. श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान मेरिन सिक्युरिटी एजेन्सी द्वारा काफी संख्या में भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मछुआरों और उनकी नावों को पाकिस्तानी हिरासत से छुड़वाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में पाकिस्तान की हिरासत में 282 भारतीय मछुआरे और 54 मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं।

(ग) सरकार, राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान सरकार से उनकी रिहाई और उनको वापिस भेजने के मामले को लगातार उठाती रही है। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान सरकार ने 26–29 मार्च, 2003 तक 245 मछुआरों को कौंसली सहायता उपलब्ध कराई है। उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार से उनकी हिरासत में बचे मछुआरे को भी कौंसली सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इससे श्पूर्व 24.2.2003 को पाकिस्तान द्वारा 280 भारतीय मछुआरों और 44 नौकाओं को छोड़ा गया था।

[हिन्दी]

तूफान के कारण होने वाली हानि

5697. श्री रामदास आठवले : क्या **सडक परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान आज तक तूफान में राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की क्षति के कारण कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या ऐसी क्षति भारी वर्षा के कारण दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी हुई है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और अन्य राज्यों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त सड़कों/पुलों की मरम्मत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दिल्ली सरकार ने इन क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत करने हेतु विशेष केंद्रीय निधि से धनराशि लेने के लिए अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुए अनुमानित नुकसान के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) बाढ़ और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों/पुलों की मरम्मत राज्य लोक निर्माण विभागों अथवा अनुरक्षण एजेंसियों के माध्यम से शीघ्र कराई जाती है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत प्राक्कलनों की धनराशि

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	595.04	274.09	323.00
2.	असम	376.18	751.72	652.00
3.	बिहार	967.43	1074.64	1299.00
4.	छत्तीसगढ़	70.00	400.00	632.74
5.	गोवा	59.95	44.92	129.53

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	513.93	238.23	116.20
7.	हरियाणा	172.37	27.87	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	770.76	517.91	430.15
9.	जम्मू और कश्मीर	14.92	33.08	0.00
10.	झारखंड	260.36	136.09	13.00
11.	कर्नाटक	270.00	300.28	649.51
12.	केरल	1003.76	801.62	501.09
13.	मध्य प्रदेश	150.00	501.00	649.99
14.	महाराष्ट्र	550.00	810.00	655.00
15.	मणिपुर	129.05	101.38	265.00
16.	मेघालय	127.65	10.26	270.00
17.	मिजोरम	166.53	101.99	268.00
18.	नागालैंड	117.05	53.36	0.84
19.	उड़ीसा	600.00	1543.00	1341.96
20.	पांडिचेरी	10.29	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	56.07	0.00
22.	राजस्थान	502.55	499.86	0.00
23.	तमिलनाडु	122.50	306.38	208.81
24.	उत्तर प्रदेश	968.64	1000.01	873.09
25.	उत्तरांचल	430.36	350.01	118.32
26.	पश्चिम बंगाल	2525.46	1013.61	683.29

नोट–उपर्युक्त के अलावा गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत के लिए सीमा सडक संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रमशः 1889 करोड रु. और 1660 करोड रु. आवंटित किए गए।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बोली में कर्मचारियों का भाग लेना

5698. श्री वी. वेत्रिवेलबन : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री में बोली लगाने के लिए कर्मचारियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 2003 के का.ज्ञा.सं. 4/ 38/2002 वि.वि.–II के अंतर्गत अनुकूल बिक्री में प्रबंधन–कर्मचारी बोलियों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी/प्रबंधन की बोलियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं

(i) "कर्मचारी" शब्द में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी स्थाई कर्मचारी और उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक शामिल होंगे। कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों के निकाय द्वारा प्रस्तुत की गई बोली को "कर्मचारी बोली" कहा जाएगा।

(ii) एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कुल कर्मचारियों को कम–से–कम 15 प्रतिशत अथवा 200 कर्मचारियों को, इनमें से जो भी कम हो, बोली में भागीदारिता करनी चाहिए।

(iii) एक कर्मचारी बोली को किसी न्यूनतम कारोबार के मानदंड से छूट दी जाएगी लेकिन उसे निर्धारित निवल मूल्य मानदंड के संदर्भ में अहर्ता को पूरा करने की आवश्यकता होगी। उन्हें हर प्रकार के ब्यौरों के साथ रुचि की अभिव्यक्ति दायर करने, जैसा कि अन्य निवेशकों के लिए लागू है, खरीद मूल्य आदि के भुगतान के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने सहित, लेकिन इन्हीं की सीमा तक नहीं, अनुकूल बिक्री की प्रक्रिया में इच्छुक पार्टियों द्वारा भागीदारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

(iv) कर्मचारी निवल मूल्य जैसे वित्तीय मापदंड को पूरा करने के प्रयोजन के लिए या तो सीधे तथा स्वतंत्र रूप से बोली लगा सकते हैं अथवा एक संकाय बना सकते हैं अथवा किसी संयुक्त उद्यम अथवा

किसी बैंक, संयुक्त उद्यम पूंजीगत अथवा वित्तीय संस्थान के साथ किसी विशेष प्रयोजन साधान के माध्यम से बोली लगा सकते हैं। तथापि, कर्मचारियों को अन्य कंपनियों के साथ संकाय का गठन करने की अनुमति नहीं होगी।

(v) यदि कर्मचारियों की बोली लगाने वाली हस्ती कोई संकाय, संयुक्त उद्यम अथवा कोई विशेष प्रयोजन साधन है, तब कर्मचारियों के पास नियंत्रण भागीदारी होगी और बोली लगाने वाली हस्ती के नियंत्रण में होगी।

(vi) यदि बोली किसी संकाय, संयुक्त उद्यम अथवा विशेष प्रयोजन साधन के माध्यम से प्रस्तुत की गई हो, तब कर्मचारियों को वित्तीय बोली का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान करना चाहिए।

(vii) यदि कर्मचारी किसी संकाय का गठन करते हैं, संकाय के साझीदारों को, स्वतंत्र रूप से अलग-अलग बोली प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

(viii) यदि यह उच्चतम बोली नहीं है, तब कर्मचारी बोली पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उक्त बोली उच्चतम बोली के 10 प्रतिशत के भीतर हो।

(ix) उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कर्मचारी बोली को प्रस्ताव के अंतर्गत शेयरों को अर्जित करने का पहला विकल्प होगा, बशर्ते वे उच्चतम बोली के साथ मेल खाती हों, और उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक हो।

(x) यदि कर्मचारी बोली उच्चतम बोली नहीं है और 10 प्रतिशत के दायरे के एक से अधिक कर्मचारी बोलियां हों, तो कर्मचारी बोलियों में से उच्चतम कर्मचारी बोली को उच्चतम बोली पर खरीद के लिए वरीयता दी जाएगी। यदि इस प्रकार का कर्मचारी बोली दाता अनिच्छुक है अथवा उच्चतम बोली से मेल खाने में असमर्थ है तब यह विकल्प दूसरी उच्चतम कर्मचारी बोली को और इस प्रकार आगे सभी कर्मचारी बोलियों को तब तक जाता रहेगा जब तक 10 प्रतिशत दायरे के भीतर बोलियां समाप्त न हो जाती हों।

(xi) 10 प्रतिशत के दायरे के भीतर इच्छुक अथवा उच्चतम बोली के साथ मेल खाने वाले किसी बोलीदाता के न होने की दशा में प्रस्ताव के अंतर्गत शेयर उच्चतम बोली लगाने वाली हस्ती को चले जाएंगे।

(xii) सरकार द्वारा विनिवेशित शेयरों के लिए तीन वर्ष का लॉक-इन पीरियड होगा।

प्रबंधन-कर्मचारी खरीद के लिए सभी बोलीदाताओं को, तत्कालीन विनिवेश विभाग के दिनांक 13 जुलाई, 2001 के का.ज्ञा.सं. 6/4/2001 वि.वि.-II द्वारा जारी किए गए 'विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अहर्ता के दिशा-निर्देशों' अथवा आमतौर पर लागू तथा इसमें विशेष रूप से शामिल न किए गए अन्य अहर्ता मापदण्ड के साथ बाद में यथा-संशोधित उपबन्धों को भी पूरा करना होगा।

नाभिकीय क्षेत्र में भारत-अमरीका सहयोग

5699. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र परमाणु विनियामक आयोग (यू. एन. न्यूक्लियर रेगूलेटरी कमीशन) के अध्यक्ष के दौरे से सिविलियन नाभिकीय क्षेत्र में भारत-अमरीका के बीच वह सहयोग पुनः सक्रिय हो गया है जिस पर पोखरन परीक्षण के बाद लगाए गए प्रतिबंधों का प्रभाव पड़ा था;

(ख) क्या 1990 के दशक के मध्य में भारत-अमरीका सहयोग मोर्चे पर किए गए तीन मौलिक कार्यक्रमों में दो नए कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं;

(ग) यदि हां तो जोड़े गए नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अधिकारी के दौरे से दोनों देशों के बीच नाभिकीय संबंधों को कितना प्रोत्साहन मिला है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) अमरीकी परमाणु विनियामक आयोग के अध्यक्ष के दौरे से, परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-अमरीका सहयोग को पुनः सक्रिय करने में मदद मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) दो नए क्षेत्र निम्नलिखित हैं

(i) जोखिम सूचना कार्यनिष्पादन आधारित विनियामन;

(ii) लाइसेंस के नवीनीकरण और सुरक्षा संबंधी आवधिक पुनरीक्षा हेतु प्रक्रियाएं ;

(घ) अमरीकी अधिकारियों के दौरे से, भारतीय परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और अमरीकी परमाणु विनियामक आयोग के बीच परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने के बारे में चल रही बातचीत को बल मिला है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य

5700. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा गुजरात सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, संघशासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार तथा गुजरात राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की संख्या के संबंध में वर्ष-वार सूचना निम्न प्रकार है

वर्ष	संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार	गुजरात
2000-01	89	7289
2001-02	70	5599
2002-03	63	3935

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों की विस्तृत सूचना जिला स्तर पर रखी जाती है।

[हिन्दी]

वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना

5701. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 2002-03 के लिए वार्षिक योजना के परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन राज्यों को 'विशेष केन्द्रीय' सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्यों की वार्षिक योजना 2002-03 को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्यों की वार्षिक योजना 2002-03 के मुख्य क्षेत्रक-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) जिन राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी उनके नामों सहित वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण-II, III और IV संलग्न हैं।

विवरण-I

राज्यों की अनुमोदित वार्षिक योजना 2002-03 के ब्यौरे

(करोड रुपए)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2002-03
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	676.00
3.	असम	1750.00
4.	बिहार	2964.40
5.	छत्तीसगढ़	1757.00
6.	गोवा	586.00
7.	गुजरात	7600.00
8.	हरियाणा	2034.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1840.00

1	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	2200.00
11.	झारखंड	2652.00
12.	कर्नाटक	8610.61
13.	केरल	4026.00
14.	मध्य प्रदेश	4821.00
15.	महाराष्ट्र	11562.00
16.	मणिपुर	550.00
17.	मेघालय	545.00
18.	मिजोरम	430.00
19.	नागालैण्ड	424.00
20.	उड़ीसा	3100.00
21.	पंजाब	2793.00
22.	राजस्थान	5160.00
23.	सिक्किम	350.00
24.	तमिलनाडु	5750.00
25.	त्रिपुरा	625.00
26.	उत्तर प्रदेश	7250.00
27.	उत्तरांचल	1533.13
28.	पश्चिम बंगाल	6307.00
	कुल	97996.14

विवरण-II

2000–01 के दौरान राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	एचएडीपी	टीएसपी	बीएडीपी	विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश		21.83			21.83
2.	अरुणाचल प्रदेश			6.75		6.75
3.	असम	50.90	24.44	3.74		79.08
4.	बिहार		17.11	3.64		20.75
5.	छत्तीसगढ़		36.95			36.95
6.	गोवा					0.00
7.	गुजरात		31.40	10.26		41.66
8.	हरियाणा					0.00
9.	हिमाचल प्रदेश		5.14	8.16		13.30
10.	जम्मू और कश्मीर		7.76	39.65		47.41

1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखंड		34.23			34.23
12.	कर्नाटक		6.16			
13.	केरल		2.19			2.19
14.	मध्य प्रदेश		62.57			62.57
15.	महाराष्ट्र		29.75			29.75
16.	मणिपुर		6.09	4.16		10.25
17.	मेघालय			4.70		4.70
18.	मिजोरम			12.32		12.32
19.	नागालैण्ड			4.16		4.16
20.	उड़ीसा		51.88			51.88
21.	पंजाब			14.08		14.08
22.	राजस्थान		29.15	30.32		59.47
23.	सिक्किम		0.86	4.63		5.49
24.	तमिलनाडु	22.01	2.58			24.59
25.	त्रिपुरा		8.32	12.96		21.28
26.	उत्तर प्रदेश	240.86	0.42	8.32		249.60
27.	उत्तरांचल		0.58	4.16		4.74
28.	पश्चिम बंगाल	22.23	17.59	37.99		77.81
	कुल (राज्य)	336.00	397.00	210.00		943.00

टिप्पणियां : उत्तराचल राज्य का सृजन होने से वर्ष 2001-02 से उत्तर प्रदेश को एचएडीपी से बाहर कर दिया गया है।

एचएडीपी–पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम टीएसपी–जनजातीय उपयोजना बीएडीपी–सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

विवरण-III

2001–02 के दौरान राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	एचएडीपी	टीएसपी	बीएडीपी	विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश		27.33			27.33

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश			13.51		13.51
3.	असम	51.11	30.59	7.48		89.18
4.	बिहार		5.57			5.57
5.	छत्तीसगढ़		46.26			46.26
6.	गोवा					0.00
7.	गुजरात		39.31			39.31
8.	हरियाणा					0.00
9.	हिमाचल प्रदेश		6.44	19.31		25.75
10.	जम्मू और कश्मीर		9.72	34.85		44.57
11.	झारखंड		58.70			58.70
12.	कर्नाटक		7.71			7.71
13.	केरल		2.74			2.74
14.	मध्य प्रदेश		78.33			78.33
15.	महाराष्ट्र		37.24			37.24
16.	मणिपुर		7.62	4.16	125.00	136.78
17.	मेघालय			5.36		5.36
18.	मिजोरम			16.08		16.08
19.	नागालैण्ड			4.16		4.16
20.	उड़ीसा		64.95			64.95
21.	पंजाब			10.08		10.08
22.	राजस्थान		36.50	30.32		66.82
23.	सिक्किम		1.08	5.72		6.80
24.	तमिलनाडु	22.10	3.23			25.33
25.	त्रिपुरा		10.41	12.96		23.37
26.	उत्तर प्रदेश		0.32	8.32		8.64
27.	उत्तरांचल		0.93	2.08		3.01

1	2	3	4	5	6	7
28.	पश्चिम बंगाल	22.33	22.03	19.78		
	कुल	95.54	497.01	194.17	125.00	911.72

टिप्पणियां : उत्तरांचल राज्य का सृजन होने से वर्ष 2001-02 से उत्तर प्रदेश को एचएडीपी से बाहर कर दिया गया है।

एचएडीपी–पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम टीएसपी–जनजातीय उपयोजना बीएडीपी–सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

विवरण-IV

2002–03 के दौरान राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	एचएडीपी	टीएसपी	बीएडीपी	विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश		27.32			27.32
2.	अरुणाचल प्रदेश			13.51		13.51
3.	असम	51.11	30.58	7.48		89.17
4.	बिहार		5.56	7.28		12.84
5.	छत्तीसगढ़		39.30			39.30
6.	गोवा					0.00
7.	गुजरात		6.43	10.26		16.69
8.	हरियाणा					0.00
9.	हिमाचल प्रदेश		9.71	10.98	200.00	220.69
10.	जम्मू और कश्मीर		7.71	100.00	421.00	528.71
11.	झारखंड		2.73			2.73
12.	कर्नाटक		78.33			78.33
13.	केरल		37.23			37.23
14	मध्य प्रदेश		7.61			7.61
15.	महाराष्ट्र		64.95			64.95
16	मणिपुर		36.49	4.16	100.00	140.65
17	मेघालय			8.00		8.00

1	2	3	4	5	6	7
18.	मिजोरम			16.32	48.42	64.74
19.	नागालैण्ड			4.46		4.46
20.	उड़ीसा		1.08			1.08
21.	पंजाब			10.08		10.08
22.	राजस्थान		3.23	40.32		43.55
23.	सिक्किम		10.41	5.72		16.13
24.	तमिलनाडु	22.10	0.32			22.42
25.	त्रिपुरा		22.02	18.19		40.21
26.	उत्तर प्रदेश		46.26	17.45		63.71
27.	उत्तरांचल		58.70	5.23		63.93
28.	पश्चिम बंगाल	22.33	0.92	45.56		68.81
	कुल (राज्य)	95.54	496.89	325.00	769.42	1686.85

टिप्पणियां : उत्तरांचल राज्य का सृजन होने से वर्ष 2001-02 से उत्तर प्रदेश को एचएडीपी से बाहर कर दिया गया है।

एचएडीपी–पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम टीएसपी–जनजातीय उपयोजना बीएडीपी–सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का विनिवेश

5702. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड आदि के निजीकरण के लिए संसद की पूर्व अनुमति लिए बिना उनके विनिवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अपना जवाब दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) मैसर्स सैंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दिनांक 13.03.2003 को दायर की गई एक रिट याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि रिट याचिका की याचना के संदर्भ में नियम सापेक्ष (रूल निसे) क्यों न जारी कर दिया जाए और की गई याचना के अनुसार स्थगन आदेश की अनुमति क्यों न दे दी जाए। रिट याचिका में याचिकाकर्ता की याचना यह है कि संसद के अनुमोदन के बिना और ऐस्सो (भारत में उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1974, बर्मा शैल (भारत में उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 तथा कॉल्टेक्स (भारत काल्टेक्स तेल शोधन लि. तथा काल्टेक्स इण्डिया लि. के लिए भारत में सभी उपक्रमों के शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1977 में संशोधन किए बिना अथवा उन्हें निरस्त किए बिना सरकार को एचीपीसीएल तथा बीपीसीएल की इस प्रकार की विनिवेश प्रक्रिया से रोका जाए जिससे कि इन कंपनियों का सरकारीकरण समाप्त हो जाए।

(ग) और (घ) भारत सरकार विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर माननीय उच्चतम न्यायालय के नोटिस का उत्तर देगा।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर के दुष्प्रभाव

5703. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 जनवरी, 2003 के 'द हिन्दु' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक कंप्यूटरों पर काम करने से रक्त के थक्के बन सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, रक्त स्कंदन (क्लॉट) कम्प्यूटर पर लंबे समय तक काम करने के कारण नहीं, बल्कि ऐंठन वाली स्थिति में बैठने के कारण होता है, जिससे गहन शिरा (वेनस) थ्राम्बोसिस हो सकता है।

भारतीयों के प्रति भेदभाव

5704. डा. अशोक पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 10 मार्च, 2003 के 'न्यूज–टाइम्स' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारतीयों के प्रति भेदभाव के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) विभिन्न देशों से प्राप्त रिपोर्टों के ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इससे संबंधित अधिकारियों से किस–किस प्रकार का विरोध दर्ज कराया गया है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को ब्रिसटल विश्वविद्यालय द्वारा एक ब्रिटिश नागरिक सुश्री सुशीला फिलिप्स, जिसकी माता भारतीय मूल की है, के विरुद्ध भेदभाव के एक विशेष मामले जैसाकि, 10 मार्च, 2003 के न्यूजटाइम्स में छपा है, की जानकारी है; संदर्भित विश्वविद्यालय ने कथित रूप से सुश्री फिलिप्स को प्रवेश देने से इंकार किया है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) चूंकि सुश्री फिलिप्स एक ब्रिटिश नागरिक है इसलिए भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप में अपने आपको इस मामले में संलिप्त नहीं कर सकती।

मलेशियाई कंपनी द्वारा बाउल्डरों की आपूर्ति

5705. श्री सुनील खां : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशियाई कंपनी को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के लिए बांकुरा जिले से बाउल्डरों की आपूर्ति की कोई निविदा प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी ने कितनी मात्रा में बाउल्डरों की आपूर्ति की है और इसकी प्रतिवर्ग फुट दर क्या है;

(ग) क्या यह बाउल्डर पश्चिम बंगाल/बिहार के बीरभूम जिले के पाकुर से बेहतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंफोटेक कंपनियों का कार्य निष्पादन

5706. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल रही मंदी, खाड़ी युद्ध तथा अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट से भारतीय इंफोटेक कंपनियों के लाभ में कमी आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बचाए रखने हेतु उन्हें अधिक सुविधाएं और रियायतें देकर उनके कष्टों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) चालू वैश्विक मंदी, खाड़ी युद्ध और अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लाभ पर कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है। मात्रा में अभी भी अच्छी दर से वृद्धि हो रही है, यद्यपि लाभ में कमी हुई है।

किंतु, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवा के लिए वैश्विक आउटसोर्सिंग माडल मुख्य धारा में आ गया है और इसमें तेजी आ रही है। खाड़ी युद्ध से आरंभ में इस क्षेत्र में विकास की दर धीमी हो गई थी। परन्तु इस कैलेण्डर वर्ष के शेष भाग में गति बढ़ने की संभावना है।

(ग) सरकार को इस स्थिति की जानकारी है। सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संवर्धन के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5 प्रतिशत शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अंतर्गत है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थाई समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफिरलों पर वृद्धिमान मूल्यहास मानदंडों में बढ़ोतरी की गई। इनका मूल्यहास 3 वर्ष की अवधि से संपूर्ण सीमा के 90 प्रतिशत तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यहास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत, फ्लॉपी डिस्क पर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से 0 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25–35 प्रतिशत से 15 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

   - कंप्यूटर और उपांग उपस्करों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण

संघटक–पुर्जों पर 0 प्रतिशत की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5 प्रतिशत की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत, दूरसंचार के पुर्जों पर 5 प्रतिशत सेल्यूलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16 प्रतिशत की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16 प्रतिशत की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/ईएसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभा पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80 एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमरेकिा/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं :

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100 प्रतिशत धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कंप्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर–वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर–व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कंपनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय

पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरंभिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियों इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कंपनी में साम्यापूंजी के कुल 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001–02 के बजट में इस सीमा को 40 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

26. धारा 80–1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के दिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कंपनियां विदेशों में पूंजी निवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का पूंजी निवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान सीमा 50 मिलियन अमरीकी डॉलर है (बजट 2002–03 की घोषणा)।

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कंपनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50 प्रतिशत तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25 प्रतिशत है (बजट 2002–03 की घोषणा)।

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्था या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में गिरावट

5707. श्री वाई. वी. राव : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों में भारी

गिरावट आई है। जैसा कि 17 मार्च, 2003 के 'दि इकॉनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नौ–परिवहन, कण्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, ड्रेजिंग कारपोरेशन, नाल्को, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल के संबंध में अलग–अलग तारीखों में शेयरों मूल्यों का उतार–चढ़ाव दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) शेयर मूल्यों में उतार–चढ़ाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। विनिवेश संबंधी निर्णय तथा इसकी प्रक्रिया अनेक कारकों में एक कारक होता है। जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जुलाई, 2002 तक 87 प्रतिशत चढ गया था और यह मार्च, 2003 तक सीमान्त रूप से 7 प्रतिशत नीचे आ गया है। जुलाई, 2002 से मार्च, 2003 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंबई स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य सूचकांक में घटोतरी बंबई स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक की प्रवृत्ति के अनुरूप रही है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	तारीख	मूल्य (प्रति शेयर)	तारीख	मूल्य (प्रति शेयर)	पिछले स्तम्भ से वृद्धि का प्रतिशत	तारीख	मूल्य (प्रति शेयर)	पिछले स्तम्भ से वृद्धि का प्रतिशत	दिसम्बर, 01 से मार्च, 03 तक वृद्धि का प्रतिशत
1.	इंजी. इण्डिया लि.	31.12.01	80	17.06.02	391	389	07.03.03	242	–38	202
2.	शिपिंग कॉर्पो. ऑफ इण्डिया लि.	31.12.01	30	04.06.02	110	265	13.03.03	249	–49	85
3.	कंटेनर कॉर्पो. ऑफ इण्डिया	31.12.01	147	11.06.02	334	127	11.03.03	56	–37	44
4.	ड्रेजिंग इण्डिया कॉपो. लि.	01.01.02	90	08.04.02	388	331	11.03.03	211	–41	156
5.	नाल्को	31.12.01	50	06.06.02	106		13.03.03	230	–25	60
6.	एचपीसीएल	31.12.01	140	06.06.02	265	114	13.03.03	79	7	103
7.	बीपीसीएल	31.12.01	189	06.06.02	248	90	13.03.03	283	–15	11
8.	बीएसई पीएसयू इन्डैक्स	31.12.01	907	12.06.02 15.07.02	1673 1700	31 84	13.03.03 13.03.03	210 1587	–5 –7	75
9.	बीएसई संवेदी सूचकांक	31.12.01	3263	12.06.02	3344	2	13.03.03	3108	–7	–5

स्रोत : सेअटर्स : बम्बई स्टॉक एक्सचेंज

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर

5708. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी स्कूलों और कालेजों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एन.आर.सी.) की इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी की योजना गैर-छात्र युवाओं के लिए है।

धनराशि का उपयोग

5709. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को स्वास्थ्य कल्याण और अन्य ऐसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को चलाने के लिए अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि इस प्रकार से दिए जाने वाले अनुदान का उपयोग इसी प्रयोजनार्थ हो;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को जिन परियोजनाओं के लिए अनुदान दिए गए हैं और इस अनुदान का पूर्णतः उपयोग करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 30 : 70 और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 : 10 के एकसमान अनुदान : ऋण अनुपात में दी जाती है। पिछले तीन वर्षों 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान राज्यों को स्वास्थ्य, कल्याण और अन्य ऐसे क्षेत्रकों में परियोजनाएं चलाने के लिए प्रत्यक्ष अनुदान नहीं दिए गए हैं। प्रत्यक्ष योजना अनुदान मुख्य रूप से उन विशिष्ट क्षेत्रकों के विकास के लिए दिए जाते हैं जो असामान्य विशेषताओं से युक्त होते हैं और जिनका योजना निधियों के विशेष आवंटन के माध्यम से समाधान किया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, उन ब्लॉकों के विकास के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान दिए जाते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाएं हैं।

(ग) जिस प्रयोजन के लिए निधियां स्वीकृत की जाती हैं, राज्यों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही संवैधानिक तंत्र मौजूद है। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए राज्य सरकारों के वित्तीय कार्य-व्यापार के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्टें, जिसमें निधियों का समुचित उपयोग और मंजूर किए गए प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए निधियों के विपथन, जैसे मामले शामिल हैं, विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और यह नागरिक और राजस्व प्राप्तियों के संबंध में लोक लेखा समिति को भेजे जाते हैं। तब सरकारी विभागों को सभी लेखा परीक्षा पैरों पर अपनी ओर से की गई कार्रवाई पर टिप्पणियां और समीक्षाएं लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच करके लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की जानी होती हैं। लोक लेखा समिति विस्तृत जांच के लिए कुछेक पैरों/समीक्षाओं का चयन करती है जिसके पश्चात उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत की जाती है।

(घ) उत्तर प्रदेश को पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में कोई परियोजना विशिष्ट अनुदान नहीं दिए गए हैं।

(ङ) जिन स्कीमों के लिए अनुदान दिए जाते हैं उनके कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों में निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुपालन की जाने वाली सामान्य वित्तीय और लेखा-परीक्षा कार्यविधि की व्यवस्था है। योजना आयोग भी कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करता है और इसने दसवीं योजना से राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना स्कीमों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की तिमाही आधार पर समीक्षा शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

अपमिश्रण

5710. श्री रामचन्द पासवान :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ व्यापारी दूध, खाद्य तेल, मसालों और दालों में मिलावट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितने ऐसे उत्पादों के नमूने लिए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों और उसके अंतर्गत बने नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिलावट की जांच करने के लिए कड़ी चौकसी रखने की सलाह भी दी जाती है।

[हिन्दी]

बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट्स

5711. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को 23 खंडों में बांटने और चार लेन वाला बनाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने हेतु चुनी गई 23 बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के नए मानदंड अपनाने का है;

(ग) क्या ये बोलियां परियोजना-व्यवहार्यता से निर्माण, संचालन और रख-रखाव सहित एक संपूर्ण टर्न की पैकेज के लिए होंगी,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन खंडों की लंबाई का ब्यौरा क्या है और ये कहां से शुरू एवं कहां समाप्त होंगे;

(च) इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(छ) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें इन खंडों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है; और

(ज) इन खंडों में प्रत्येक के निर्माण पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यातायात की मात्रा, निर्माण की लागत, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर खंडों का चयन किया जाएगा।

(च) ठेका सौंपे जाने के बाद निर्माण अवधि में 3-5 वर्षों का अंतर हो सकता है।

(छ) आज तक किसी खंड के लिए कोई निविदा नहीं मांगी गई है और कोई एजेंसी निर्धारित नहीं की गई है।

(ज) ठेके सौंपे जाने के बाद निर्माण की लागत का पता लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

नैसकॉम द्वारा क्षति नियंत्रण उपाय

5712. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैसकॉम ने 'काल सेन्टर्स' व्यवसाय सेवाओं

के आउट सोर्सिंग के मुद्दे पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के हित में एक लॉबी तैयार करने हेतु अमरीका में एक शिष्टमंडल भेजकर कोई क्षति नियंत्रण उपाय शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से नैसकॉम आउटसोर्सिंग, नौकरियों के सृजन और विभिन्न उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता के लाभों को प्रकाश में लाने के लिए संयुक्त राज्य नीति निर्माताओं, मीडिया, विधायकों, ग्राहकों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग संघों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य कर रहा है। इसने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की ओर से लॉबी करने के लिए एक प्रतिष्ठित जनसंपर्क कंपनी को भी भाड़े पर लिया है। नैसकॉम के एक प्रतिनिधिमंडल ने मार्च, 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया तथा न्यूजर्सी, वाशिंगटन डी.सी., मेरीलैण्ड और वाशिंगटन में इसकी बैठकें हुईं।

नागालैंड में दूरभाष केन्द्र

5713. श्री के. ए. सांगतम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागालैंड में, विशेषकर जूनहेबोटो और ट्यून्सांग जिलों में कार्यरत दूरभाष केन्द्र तडित विद्युत प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तड़ित विद्युत के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है या कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तड़ित विद्युत के कारण इन दूरभाष केन्द्रों में बार-बार बिजली कटने और इन्हें होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। मै. आई.टी.आई. को अध्ययन करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नेमी निवारक उपाय किए जा रहे हैं और अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर विशिष्ट कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात के पुनर्वास के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)

5714. श्री किरीट सामैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के अंतर्गत प्रारंभ की गई पुनर्वास कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में संसद सदस्यों द्वारा एकत्रित/अंशदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना में एक करोड़ या उससे ज्यादा धनराशि का योगदान देने वाले सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लम्बे समय से कार्य में विलंब हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) 31.03.2003 तक कच्छ में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत 21 प्राथमिक विद्यालयों, 31 सामुदायिक भवनों, प्राथमिक विद्यालयों में 185 कमरों एवं 75 कार्य शेडों का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष पुनर्वास कार्य, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोकसभा एवं राज्य सभा समिति द्वारा अभिज्ञात किए गए दोनों कार्यकारी अभिकरणों को दिए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास

परियोजनाओं के लिए लोकसभा सांसदों द्वारा 21.93 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया। राज्य सभा सांसदों का अंशदान 25.70 करोड़ रुपए है।

(घ) लोकसभा के 5 सांसदों एवं राज्य सभा के 6 सांसदों द्वारा 1 करोड़ तथा उससे अधिक का अंशदान दिया गया है।

(ङ) प्रारंभ में विलंब के पश्चात, कार्यान्वयन की गति में सुधार हुआ है।

(च) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की संसदीय समितियों द्वारा समय-समय पर पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा राज्य प्राधिकारियों एवं कार्यकारी अभिकरणों को उपयुक्त निर्देश दिए जाते हैं।

विवरण

गुजरात के कच्छ जिले के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आवंटित/पूरे किए कार्यों का ब्यौरा

(क) आवासीय एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित कार्य

	आवंटित कार्यों कार्यों की संख्या	पूरे किए गए कार्यों की संख्या	शीघ्र ही पूरे किए जाने वाले कार्यों की संख्या	कुछ समय पश्चात पूरे होने वाले की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	139	21	67	51
सामुदायिक भवन	62	13	13	36
डिसपेंसरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल	7	–	4	3
आश्रमशाला/धर्मशाला	4	–	3	1
व्यावसायिक शिक्षण संस्थान	1	–	1	–
कार्य शेड	120	75	45	–
विपणन केन्द्र	1	–	1	–

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित कार्य

	आवंटित कार्यों की संख्या	पूरे किए गए कार्यों की संख्या	शीघ्र ही पूरे किए जाने वाले कार्यों की संख्या
प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाएं	330	185	145
सामुदायिक भवन	68	18	50
डिसपेंसरी	8	–	8
उपकेन्द्र	3	–	3
आईटीआई	1	–	1

[हिन्दी]

बिहार में परियोजनाएं

5715. श्री राजो सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चल रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है और विगत वर्ष सड़कों को चौड़ा करने, विस्तार करने और मरम्मत के कार्य का ब्यौरा क्या है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में शुरू की गई है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी लागत समय पर कार्य पूरा न होने के कारण बढ़ गई है;

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी कार्य कब तक पूर्ण

होने की संभावना है और शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी उक्त कार्यों के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि से बचने के लिए परियोजनाओं को गति देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) बिहार में 64 विकास परियोजनाएं चल रही हैं। पिछले वर्ष, सड़कों के चौड़ीकरण तथा विस्तार करने के 48 कार्यों और मरम्मत के 25 कार्यों को शुरू किया गया है।

(ख) अभी तक कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष खंडों पर कार्य निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा।

(घ) वर्ष 2000–01, 2001–02 और 2002–03 के दौरान बिहार मे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और मरम्मत पर क्रमशः 215.74 करोड़ रु., 141.09 करोड़ रु. और 209.52 करोड़ रु. व्यय किए गए।

(ङ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए समय पर भुगतान, बारंबार निरीक्षण और समीक्षा बैठकें जैसे कुछ उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

योग के लिए अनुसंधान और विकास योजना

5716. श्री अनंत गुढे : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में योग के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं की हाल ही में समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में योग के अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यरत और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और राज्य में उनके कार्य निष्पादन और धनराशि के उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे कौन–कौन से गैर–सरकारी संगठन हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय दूरभाष उद्योग का विकास

5717. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरभाष उद्योग हेतु बजटीय सहायता में इन वर्षों के दौरान क्रमिक रूप से कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय दूरभाष उद्योग विकास हेतु प्रयास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में दी गई बजटीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	वर्ष	करोड रुपए
(i)	1998–1999	21.18
(ii)	1999–2000	5.11
(iii)	2000–2001	4.00
(iv)	2001–2002	4.00
(v)	2002–2003	6.63

(ग) और (घ) मैसर्स आईटीआई लिमिटेड कंपनी का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है। मुख्यतः इसका निदेशक मंडल इसके कार्यकरण और विकास हेतु उत्तरदायी है। तथापि, सरकार कंपनी को आरक्षण कोटा, अग्रिम, बोली संबंधी बंध–पत्र की छूट आदि प्रदान करके इसकी सहायता करती है।

संचार अवसंचरना नेटवर्क की परियोजनाएं

5718. श्री ए. नरेन्द्र
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में संचार अवसंरचना नेटवर्क की चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं को पूरा करने में क्या मानक निगरानी मानदंड, लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन राज्यों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में संचार अवसंरचना नेटवर्क का विकास करने, प्रोत्साहन देने और इसे सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा की गई नई पहलों और की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) :

दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में उत्तर

(क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना नेटवर्क की चल रही परियोजनाओं की उपलब्धियों का त्रैमासिक रूप से अनुवीक्षण कर रहा है। वर्ष 2002–2003 के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जनजातीय क्षेत्रों के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

पैरामीटर	आंध्र प्रदेश		कर्नाटक	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
सीधी एक्सचेंज लाइनें	2750	4970	21790	15785
स्विचन क्षमता	6100	5498	29920	23690
टेलीफोन एक्सचेंज	2	1	3	13
ओएफसी (रूट कि.मी.)	0	122	75	128

(ग) बीएसएनएल ने वर्ष 2003–2004 के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित अस्थाई लक्ष्यों का प्रस्ताव किया है, बशर्ते कि मांग और संसाधन उपलब्ध हों।

पैरामीटर	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
सीधी एक्सचेंज लाइनें	1500	8000
स्विचन क्षमता	1500	12500
ओएफसी (रूट कि.मी.)	50	50

टिप्पणी : नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना नहीं है क्योंकि डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) द्वारा कवरेज का प्रस्ताव है।

डाक क्षेत्र के संबंध में उत्तर

(क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, महत्वपूर्ण योजनागत परियोजनाओं, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं, के कार्यान्वयन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा मासिक आधार पर अनुवीक्षण किया जाता है।

(ग) डाक नेटवर्क का विकास और सुदृढ़ीकरण पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के माध्यम से कायान्वित योजनागत स्कीमों के माध्यम से किया जाता है। विभाग द्वारा देशभर में 100 उप डाक घर, 1000 शाखा डाक घर और 5000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने की योजना है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सामान्य और जनजातीय क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों का आवंटन उक्त योजना के तदनुरूपी वर्षों के दौरान किया जाएगा।

अवसंरचना सुदृढ़ करने की अन्य योजनाओं में डाक, मेल और प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण शामिल हैं। दसवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी मुख्य कार्यालयों, और डाकघरों (2 से अधिक काउंटर वाले) को कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजना के दौरान, कर्नाटक के एक प्रधान रिकार्ड कार्यालय (एचआरओ) नामतः क्यू डिवीजन, बंगलौर का कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सर्किल में विभिन्न मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण विचाराधीन है परंतु कार्यालयों के नाम अभी तक अभिज्ञात नहीं किए गए हैं और ऐसा गुणावगुण तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

प्रचालन और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए भवनों तथा

स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण को भी दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि विस्तृत स्कीम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

इण्डो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर

5719. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इण्डो–अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, हैदराबाद को वित्तीय सहायता देने के लिए आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विभिन्न उपरकणों की खरीद तथा प्रस्तावित कैंसर जांच स्कंध कार्यक्रम को सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता हेतु इण्डो–अमेरिकन कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सैंटर से प्राप्त लगभग 6025 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि कोबाल्टथिरेपी यूनिट की स्थापना की योजना के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए की राशि पहले ही 1999 में श्रीमती एन. बी. टी. रामा राव मेमोरियल कैंसर फाउन्डेशन, हैदराबाद, जिसे इस संस्थान द्वारा प्रोन्नत किया गया है, को निर्मुक्त की जा चुकी है और कि यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की गैर–सरकारी संगठन योजना के अंतर्गत, इण्डो–अमेरिकन कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, हैदराबाद से 5.00 लाख रुपए का एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अनुदान की मंजूरी, अपेक्षित सूचना (जो पहले ही मांगी गई है) तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता वाली विकिरण चिकित्सा विकास कार्यक्रम पर स्थाई समिति द्वारा उसकी स्वीकृति पर निर्भर करती है।

पश्चिम बंगाल में बाईपास सड़क

5720. श्री सुनील खां : क्या **सडक परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–2 सीधे पानागढ़ बाजार से होकर गुजर रहा है या पश्चिम बंगाल में एक बाईपास सड़क की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–2 के बनने के एक वर्ष के भीतर ही डीवीसी मोड़ दुर्गापुर से मुचीपाड़ा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल तक के बीच यह सड़क बिल्कुल खराब हो गई; और

(ग) यदि हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) पानागढ़ के आसपास एक बाईपास की योजना है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। यह सड़क यातायात योग्य स्थिति में है। इसमें कुछ गड्ढे हो गए थे जिन्हें दोष दायित्व अवधि में ठेकेदार की लागत पर ठीक करा लिया गया था।

एथलीटों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग

5721. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
श्री मंजय लाल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई बड़े भारतीय एथलीट प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के दोषी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एथलीटों को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाए जाने के बावजूद राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त एथलीटों और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में उन्हें भाग लेने की अनुमति दी थी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) परीक्षित एथलीटों, जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया था, के 464 नमूनों में से 22 एथलीट प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के दोषी पाए गए।

(ग) और (घ) भारतीय ओलंपिक संघ संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राज्य ओलंपिक संघ को राष्ट्रीय खेल आवंटित करता है। संबंधित राज्य ओलंपिक संघ इन खेलों में भाग लेने के लिए अपनी टीमें भेजते हैं। चूंकि डोप परीक्षण रिपोर्टें खेलों के बाद प्राप्त हुई थीं, अतः इन एथलीटों ने खेलों में भाग लिया था।

(ङ) ये रिपोर्टें 'क' नमूना परीक्षण पर आधारित हैं। एक एथलीट को केवल तभी सजा दी जा सकती है जब वह उचित जांच किए जाने और उसे अपने मामलों का बचाव करने के लिए मौका दिए जाने के बाद भी अपराधी सिद्ध हो जाए।

राष्ट्रीय युवा नीति

5722. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई राष्ट्रीय युवा नीति के प्रारूप की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यों एवं अन्य के साथ परामर्श जारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की थी। तथापि, युवाओं की आकस्मिक आवश्यकताओं तथा देश में हुए तीव्र सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युवा नीति को संशोधित करने की जरूरत महसूस की गई थी। तद्नुसार, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, विश्व–विद्यालयों, राजनैतिक दलों की युवा शाखाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के परामर्श से नई राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा नीति सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग 78

5723. श्री विष्णुदेव साय : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी–गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार इस पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) किन कार्यों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और किन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है;

(घ) क्या कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो यह जांच किसके द्वारा की गई है; और

(च) घटिया निर्माण एवं मरम्मत हेतु चूककर्ता अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी) : (क) से (ग) कटनी–गुमला सड़क को 6.1.99 को राष्ट्रीय राजमार्ग 78 के रूप में घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 31.3.2003 तक 23.00 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। गत तीन वर्षों के दौरान 34.43 करोड़ रुपए की राशि के 26 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य लोक निर्माण विभाग और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को अनुदेश दिए गए हैं कि वह इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैशपुर से पाठलगांव के बीच कुछ खंडों में घटिया गुणता की रोड़ी व्यवहृत करने के लिए ठेकेदार का नाम काली सूची में डालने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

5724. श्री किरीट सोमैया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002 के दौरान विशेषकर मुंबई में इन योजनाओं में कितने गैर–सरकारी संगठन लगे हैं;

(ग) वर्ष 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004 के दौरान इस संबंध में कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(घ) सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं में से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट योजनाओं के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है :

(क) युवा संबंधी गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण।

(ख) राष्ट्रीय एकीकरण का विकास।

(ग) साहस का संवर्धन।

(घ) खेल अवस्थापना का सृजन।

(ङ) सिंथेटिक खेल सतह बिछाना।

2001–02 से 2003–04 के दौरारन उपर्युक्त पांच योजनाओं के अंतर्गत बजट आवंटन का विवरण निम्नलिखित है

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान		
		2001–02	2002–03	2003–04
1.	युवा संबंधी गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	5.40	6.50	6.50
2.	राष्ट्रीय एकीकरण का विकास	4.50	3.40	4.50
3.	साहस का संवर्धन	2.25	2.25	2.25
4.	खेल अवस्थापना का सृजन	8.50	7.90	13.00
5.	सिंथेटिक खेल सतह बिछाना	5.40	3.81	4.50

वर्ष 2002 के दौरान मुंबई के किसी भी गैर–सरकारी संगठन को इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता नहीं दी गई थी।

(घ) उपर्युक्त योजनाओं का कार्यान्वयन, मुख्य रूप से गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता का एक उदाहरण है।

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उन्नयन

5725. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर, लातूर, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली और अमरावती स्थित सरकारी मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उन्नयन करने का फैसला किया है ताकि उन्हें क्षेत्रीय रेफरल केन्द्रों में परिवर्तित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को जापान सरकार से उसके इस मामले की सिफारिश करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) जी, हां। कोल्हापुर, लातूर, गढ़चिरौली, चन्द्रपुर और अमरावती स्थित सरकारी मेडिकल कालेजों और सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्षेत्रीय रेफरल केन्द्र बनाने हेतु जापान से 21.45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लेने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ था।

यह प्रस्ताव फरवरी, 2002 में जापान सरकार को प्रस्तुत किया गया है और जापान सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

5726. श्री शिवाजी माने :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा गया है तथा लाभ के उद्देश्य से उसे पुनः बेचा गया है;

(ख) बिक्री के हर स्तर पर बोली लगाने/पुनः बिक्री की कीमत के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लिमिटेड की शेयर धारिता की बिक्री का एक उदहारण सरकार की जानकारी में लाया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम की एक इकाई, संतूर होटल एयरपोर्ट, मुंबई (सीएचएमए) का समस्त कारोबार, विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से स्लम्प सेल के आधार पर 18.01.2002 को प्राप्त उनकी 83 करोड़ रुपए की वित्तीय बोली के आधार पर मैसर्स बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीएचपीएल) को हस्तांतरित किया गया था। होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. और बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के बीच बिक्री करार 18.04.2002 को निष्पादित किया गया था और बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के पक्ष में कारोबार का हस्तांतरण 05.06.2002 को सम्पन्न हुआ था। बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ए.एल. बत्रा ने सूचित किया है कि दिनांक 10.10.2002 को बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. की समस्त शेयरधारिता, बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के उस समय विद्यमान शेयरधारकों से सहारा इण्डिया ग्रुप द्वारा खरीद ली गई है। सहारा ग्रुप इण्डिया ने यह भी सूचित किया है कि बीएचपीएल के शेयरधारकों को प्रदत्त कुल सौदे का मूल्य 70.50 करोड़ रुपए की सीमा तक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से ऋण की पुनः अदायगी के अतिरिक्त 45 करोड़ रुपए था। संतूर होटल एयरपोर्ट, मुंबई के कारोबार को बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. को हस्तांतरण के लिए होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया और बत्रा हास्पीटलिटी प्राइवेट लि. के बीच सम्पन्न बिक्री करार, होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की पूर्वानुमति के बिना, करार के अधीन, करार के लाभ अथवा उत्तरदायित्व सौंपना प्रतिबंधित करता है। इसी प्रकार उस भू-भाग के लिए, जिस पर होटल अवस्थित है, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. के बीच पट्टा करार, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना, बत्रा हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लि. द्वारा संपत्ति को गिरवी रखने, किसी को सुपुर्द करने, हस्तांतरण करने अथवा संपत्ति को सह-पट्टे पर देने के लिए प्रतिबंधित करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत के महान्यायवादी से बत्रा हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीएचपीसीएल) द्वारा अपनी समस्त शेयरधारिता की सहारा इण्डिया ग्रुप को बिक्री और सहारा हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) के रूप में कंपनी के नाम में उत्तरवर्ती परिवर्तन पर सलाह मांगी थी। इस मुद्दे पर भारत के महान्यायवादी द्वारा दी गई सलाह इस प्रकार है :

इस प्रश्न के संबंध में, कि क्या होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की सहमति के बिना बीएचपीएल के तत्कालीन शेयरधारकों द्वारा सहारा इण्डिया ग्रुप (एसआईजी) को समस्त शेयरधारिता के हस्तांतरण के कारण बीएचपीएल और होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (एचसीआई) के बीच बिक्री के करार के अनुच्छेद 13.4 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, विद्वान महान्यायवादी ने मत व्यक्त किया है कि यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई कंपनी अपने सदस्यों से भिन्न एक निगमित निकाय होता है। दूसरे शब्दों में कोई कंपनी एक विधिक व्यक्ति होता है और अपने शेयरधारकों से भिन्न होता है। बीएचपीएल के तत्कालीन शेयरधारकों द्वारा समस्त शेयरधारिता का एसआईजी को हस्तांतरण कानून की दृष्टि में एक "अभ्यर्पण" नहीं बनता है। बीएचपीएल शेयरों से पृथक एक विधिक हस्ती है। शेयरधारिता के हस्तांतरण के बाद भी बीएचपीएल बिक्री के करार के निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। बीएचपीएल द्वारा एसआईजी को बिक्री के करार के "लाभ अथवा दायित्वों" का कोई अभ्यर्पण नहीं हुआ है। तत्पश्चात, बिक्री के करार के अनुच्छेद 13.4 द्वारा अपेक्षित कोई पूर्व सहमति प्राप्त करना बीएचपीएल के लिए बाध्यकारी नहीं था और बीएचपीएल द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि क्या भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की सहमति के बिना बीएचपीएल के तत्कालीन शेयरधारकों द्वारा समस्त शेयरधारिता के एसआईजी को हस्तांतरण के कारण बीएचपीएल और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के बीच पट्टा करार के अनुच्छेद 24 के उपबन्धों के उल्लंघन किया गया है, विद्वान महान्यायवादी ने मत व्यक्त

किया है कि पट्टा करार के अनुच्छेद 24 में पट्टाधारी को पूर्व लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि पट्टाधारक अर्थात बीएचपीएल पट्टे पर दिए गए भू–गृह आदि को गिरवी रखने, अभ्यर्पण करने, हस्तांतरित अथवा शिकमी पर देने का इच्छुक हो। किसी कंपनी की शेयरधारिता का हस्तांतरण, गिरवी, अभ्यर्पण, हस्तांतरण अथवा पट्टे पर दी गई भूमि का शिकमी पट्टा नहीं बनता है। तत्पश्चात, पट्टाधारक अर्थात भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से लिखित में पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना बाध्यकारी नहीं था, अतः पट्टा करार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इस प्रश्न की प्रतिक्रिया में कि क्या बीएचपीएल ने एसएचपीएल के रूप में कंपनी के नाम में परिवर्तन के कारण बिक्री के करार और पट्टा करार के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। विद्वान महान्यायवादी ने सलाह दी है कि यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नाम में परिवर्तन कंपनी की हस्ती अथवा इसी हस्ती के रूप में इसकी निरन्तरता को प्रभावित नहीं करता है। कंपनी वही निगमित निकाय बनी रहती है और परिवर्तन इसके किसी अधिकार अथवा उत्तरदायित्वों को प्रभावित नहीं करता है अथवा इसके द्वारा अथवा इसके विरुद्ध किसी विधिक कार्रवाई को दोषपूर्ण नहीं बनाता हे। महाधिवक्ता की राय में यह विधिक स्थिति कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 23(3) द्वारा प्रबल बनाया जाता है, जिसको निम्न प्रकार पढ़ा जाता है।

> "नाम में किया गया परिवर्तन, कंपनी के किन्हीं अधिकारों अथवा उत्तरदायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा अथवा इसके द्वारा अथवा इसके विरुद्ध किसी विधिक कार्रवाई को दोषपूर्ण नहीं बनाएगा; और कोई भी विधिक कार्रवाई, जो कंपनी के पहले के नाम से कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के विरुद्ध जारी रखी जा सकती थी, कंपनी के नए नाम से, कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के विरुद्ध जारी रखी जा सकती है।"

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या निगमित आवरण को छेदने के लिए बीएचपीएल और एसएचपीएल के विरुद्ध कोई कारवाई की जा सकती है और करारों को निरस्त करने के लिए कोई उपचारात्मक कार्रवाई की जा सकती है, विद्वान महान्यायवादी ने सलाह दी है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो सौदों में कोई कपटपूर्ण आचरण अथवा किसी अवैधता को स्थापित करती हो और अतः निगमित आवरण को छेदने का सिद्धान्त अप्रभावी हो जाएगा। अतः महान्यायवादी की राय में करारों को निरस्त करना न्यायोचित नहीं होगा।

पंचायत संचार सेवा योजना

5727. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंचायत संचार सेवा योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने गांव शामिल किए गए हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार अभी कितने गांव शामिल किए जाने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड) योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) 31.3.2002 तक गांवों में 4677 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए थे। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों में 5000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। एक पंचायत संचार सेवा केन्द्र पंचायत के एक या अधिक गांवों में सेवा उपलब्ध करा सकता है।

(ग) जी, हां। पंचायत संचार सेवा केन्द्र ऐसे गांवों में खोले जाते हैं जहां आय के मानदंडों के आधार पर शाखा डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया जाता है बशर्ते कि पंचायत द्वारा इस सुविधा की मांग की जाए।

(घ) इससे संबंधित कारणों में संचार के वैकल्पिक और तीव्रतर माध्यमों की उपलब्धता, सीमित उत्पाद संख्या, पंचायतों की ओर से इस योजना में रुचि की कमी, अधिक मॉनीटरिंग और नियंत्रण की आवश्यकता आदि शामिल हैं।

(ड) इस संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों से संपर्क करके प्रयास किए गए हैं ताकि ग्राम पंचायतों को इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की जानकारी दी जाए। इन सेवाओं को चलाने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने और अधिक मॉनीटरिंग और देखरेख सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	1997–1998*	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	31	30	60	30	151
2.	असम	शून्य	शून्य	5	21	135	161
3.	बिहार	शून्य	17	40	464	570	1091
4.	छत्तीसगढ़			45	106	99	150
5.	दिल्ली			0	0	0	0
6.	गुजरात	शून्य	20	38	68	50	176
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	10	69	70	149
8.	हिमाचल	शून्य	शून्य	10	50	55	115
9.	जम्मू व कश्मीर			0	12	12	24
10.	झारखंड			4	77	72	153
11.	कर्नाटक	शून्य	10	12	20	18	60
12.	केरल			0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	55	35	115	175	380
14.	महाराष्ट्र	शून्य	10	62	208	150	430
15.	उत्तर पूर्व	शून्य	शून्य	5	47	118	170
16.	उड़ीसा	1	29	24	76	19	149
17.	पंजाब	शून्य	5	20	44	26	95
18.	राजस्थान	शून्य	शून्य	35	77	80	192
19.	तमिलनाडु	शून्य	12	30	80	80	202
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	30	62	284	240	616
21.	उत्तरांचल			5	44	43	92
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	5	10	6	शून्य	21
	कुल	1	224	482	1928	2042	4677

*कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया।

राज्यों को अनुदान

5728. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्य–वार कितना अनुदान दिया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खलेकूद को बढ़ावा देने हेतु "ग्रामीण खेल कार्यक्रम और ग्रामीण स्कूलों को खेल उपस्करों की खरीद और मैदान के विकास के लिए अनुदान" की योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी किए गए अनुदानों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.07	2.7	1.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.32	1.79	–
3.	असम	6.26	18.5	8.67
4.	बिहार	4.22	7.83	1.72
5.	गोवा	4.23	2.02	2.35
6.	गुजरात	2.69	1.10	1.55
7.	हरियाणा	5.07	42.92	14.74
8.	हिमाचल प्रदेश	2.32	34.45	11.57
9.	जम्मू व कश्मीर	4.10	6.60	3.70
10.	कर्नाटक	3.58	18.57	28.08
11.	केरल	5.71	7.01	5.27
12.	मध्य प्रदेश	23.81	28.78	14.12
13.	महाराष्ट्र	6.13	19.00	35.76
14.	मणिपुर	8.06	3.21	6.30
15.	मेघालय	–	–	–
16.	मिजोरम	2.1	–	0.75
17.	नागालैंड	16.27	3.25	6.62
18.	उड़ीसा	11.25	18.67	27.53
19.	पंजाब	0.67	8.10	7.78
20.	राजस्थान	7.08	20.78	
21.	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	85.04	79.39	20.13
23.	त्रिपुरा	3.41	4.89	3.74
24.	उत्तर प्रदेश	17.12	17.29	24.05
25.	पं. बंगाल	51.72	38.45	88.55
26	दिल्ली	1.46	–	–
27.	छत्तीसगढ़	–	5.58	6.40
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
29.	चंडीगढ़	–	–	0.60
30.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–
31.	दमन व द्वीव	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–
33.	लक्षद्वीप	–	–	0.60

उत्तर-दक्षिण–पूर्व-पश्चिम गलियारा

5729. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के उत्तर–दक्षिण–पूर्व–पश्चिम के गलियारे के अंतर्गत तमिलनाडु में किए गए कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी कार्यों विशेषकर

उपरि पुलों एवं बाइपास सड़कों के निर्माण में विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में लंबित पड़े ऐसे कार्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्य को पूरा करने हेतु कुल कितना धन आवंटित किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग–5, 7, 46 और 4 पर स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 342 कि.मी. है। इसमें से हथीपली और होसुर के बीच रा.रा. 7 पर 16 कि.मी. को पहले ही चार लेन का बना दिया गया है तथा शेष खंड कार्यान्वयनधीन है, जिन्हें दिसंबर, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तमिलनाडु में रा.रा. 7 पर उत्तर–दक्षिण महामार्ग की लंबाई 851 कि.मी. है जिसमें से बंगलौर–सलेम खंड पर 26 कि.मी. को चार लेन का कर दिया गया है और 28 कि.मी. कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) भूमि अधिग्रहण और ठेकेदार द्वारा धीमी गति से सामग्री जुटाने जैसी समस्याओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग–4 के पूनामली–कांचीपुरम खंड को पूरा करने में विलंब हुआ है। विद्यमान रेलवे लेवल क्रासिंग पर सात सड़क उपरि पुलों (आरओबी) के निर्माण में धीमी प्रगति के कारण कुछ अन्य खंडों को पूरा करने में भी विलंब हो सकता है। सात में से 6 सड़क उपरि पुलों का निर्माण रेलवे द्वारा पहले से ही जमा कार्य के रूप में किया जा रहा है। इन सड़क उपरि पुलों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करना,

(ii) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए क्षेत्रीय मुख्य इंजीनियरों और रेल मंत्रालय के साथ नियमित मासिक बैठकें करना,

(iii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर लगातार मानीटरिंग करना।

विवरण

तमिलनाडु में नियत तारीख के बाद निर्माणाधीन सड़क उपरि पुलों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्थान	रा.रा.सं.	रा.रा. कि.मी. खंड	अनुमानित लागत (लाख रु.)
1.	तिरुमालपुरम–कांचीपुरम	4	72.50	807.73
2.	जोलरपेटई–केतनदापेटई	46	44.30	1020.38
3.	केतनदापेटई–बनियामबाड़ी	46	46.79	757.52
4.	केतनदापेटई–बनयामबाडी (बनियामबाड़ी बाइपास)	46	50.39	844.79
5.	बनियामबाड़ी–पचाकुप्पम	46	73.60	904.67
6.	वेल्लोर बाइपास	46	117.03	877.69
7.	करूपुर–मैग्नीसाइट	7	195.00	250.00

टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र

5730. **श्री किरीट सोमैया** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने अपने लघु बचत अभिकर्ताओं के लिए टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र जारी करने की एक प्रणाली का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद सदस्यों और लघु बचत अभिकर्ता संघ द्वारा इस संबंध में किसी त्रुटि को मुंबई डाकघर के ध्यान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुंबई क्षेत्र में अभिकर्ताओं को कोई टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्ष 2002–03 के लिए टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए विकसित की गई प्रणाली का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) लघु बचत एजेंटों को टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए विकसित प्रणाली में कोई खामी नहीं है। मुंबई क्षेत्र में एजेंटों को टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र जारी किए जा रहे हैं कुछ समय के लिए टी.डी.एस. फार्मों की कुछ कमी थी लेकिन अब सभी डाकघरों को निर्धारित फार्मों की आपूर्ति के लिए कार्रवाई कर दी गई है।

(च) वर्ष 2002–2003 के लिए लघु बचत एजेंटों को टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र डाकघरों द्वारा तैयार किए गए कमीशन और टीडीएस के रिकार्ड के आधार पर जारी किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुराने पेट्रोल पंप

5731. श्री अधीर चौधरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने आईआरसी दिशानिर्देश 1983 के अनुसार स्वीकृत और नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पुराने पेट्रोल पंपों के प्रवेश मार्गों को बंद करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनेक वर्षों से संचालित सभी पेट्रोल पंपों को हटाने/स्थानांतरित करने का है;

(घ) क्या इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन नए दिशानिर्देशों के भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार पुराने और स्वीकृत पेट्रोल पंपों को इससे छूट देने का है, और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यातायात में बढ़ोतरी, वाहनों की गति और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अगस्त, 2000 में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार, लाइसेंस के नवीकरण के समय किसी भी कमी को ठीक किया जाए जिसके लिए वर्तमान लाइसेंस के समाप्त होने से चार महीने पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसा न किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(घ) पिछले मार्गनिर्देश अगस्त, 2000 में जारी किए गए।

(ङ) और (च) कृपया उपर्युक्त (ख) और (ग) का उत्तर देखें।

(छ) जी, नहीं।

(ज) अगस्त, 2000 में मार्गनिर्देश अनिवार्य हैं।

दूरसंचार का विकास

5732. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान देश में विशेषतः कर्नाटक में दूरसंचार के विकास और विस्तार के लिए तैयार की गई योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या उक्त योजनावधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) देश में दूरसंचार के विकास और विस्तार के लिए तैयार की गई दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1. ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी सुविधारहित क्षेत्रों को सार्वभौमिक सेवा प्रदान करना।

2. दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आधुनिक तथा कुशल दूरसंचार अवसंरचना का निर्माण करना।

3. दूरसंचार के क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश के रूप में परिवर्तित करके सभी प्रतियोगियों को समान अवसर तथा बराबरी का दर्जा प्रदान करना।

4. देश में अनुसंधान तथा प्रयासों को मजबूत बनाना।

5. भारतीय दूरसंचार कंपनियों को वास्तव में विश्वस्तरीय सेवा प्रदाता बनाने हेतु सक्षम बनाना।

कर्नाटक सहित भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्रमशः विवरण । और ॥ के अनुसार हैं। बीएसएनएल के सर्किलों की वार्षिक योजना वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है अतः कर्नाटक दूरसंचार सर्किल के लिए समूची दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा दे पाना संभव नहीं है। तथापि, कर्नाटक दूरसंचार सर्किल के वर्ष 2002–2003 के लक्ष्य और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का वित्तीय परिव्यय 66412 करोड़ रुपए है। अलग–अलग राज्यों/सर्किलों के लिए निधियों का आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है। वर्ष 2002–2003 के लिए बीएसएनएल के लिए समग्र रूप से आवंटित निधि 10804.94 करोड़ रुपए है और विशेषकर कर्नाटक दूरसंचार सर्किल के लिए यह 633.32 करोड़ रुपए है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एमटीएनएल द्वारा 11955.46 करोड़ रुपए की निधियां अभिनिर्धारित की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के दस्तावेज में दसवीं योजना अवधि के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा 255 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें जोड़े जाने का उल्लेख किया गया है।

विवरण-I

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के दौरान बीएसएनएल के वास्तविक लक्ष्य–बढ़ाए जाने वाले प्रस्तावित नेटवर्क

क्र.सं.	पैरामीटर	इकाई	लक्ष्य
1.	(क) स्थिर फोन	लाख	81.7
	(ख) मोबाइल फोन	–वही–	218.34
	(ग) डब्ल्यूएलएल फोन	–वही–	67.60
	कुल	–वही–	367.64
2.	ऑप्टिकल फाइबर	आरकेएमएस (रूट किलोमीटर)	250000
3.	माइक्रोवेव	–वही–	15000
4.	टीएएक्स लाइनें	लाख	57.60

कर्नाटक दूरसंचार सर्किल के 2002–2003 अर्थात दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लक्ष्य–उपलब्धियां

क्र.सं.	दूरसंचार पैरामीटर	2002–2003 के दौरान	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाइनें)	430000	362151
2.	स्विचन क्षमता (लाइनें)	455350	475133
3.	टीएएक्स (लाइनें)	17500	18500
4.	ओएफसी (रूट कि.मी.)	1500	2802
5.	माइक्रोवेव (रूट कि.मी.)	0	174

विवरण-II

एमटीएनएल (दिल्ली और मुंबई) हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1. ऐक्सेस नेटवर्क में एडीएसएल, एचडीएसएल, डीएलसी जैसी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा बैकबोन और जंक्शन नेटवर्क में डीडब्ल्यूडीएम की शुरूआत।

2. स्मार्ट कार्ड आधारित पे–फोन का विस्तार।

3. डाटा सेवाएं, कॉल सेन्टर तथा मनोरंजन आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना।

4. फस्ट जनरेशन डिजिटल ई–10बी स्विचों का प्रतिस्थापन।

5. पेपर कोर केबल का प्रतिस्थापन।

दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	मद	कुल
1.	लैंड लाइन डीईएल + डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) फोन	1599098
2.	मोबाइल फोन	1157500
3.	डब्ल्यूएलएल सहित स्विचन क्षमता	1782000
4.	जीएसएम क्षमता	1275000
5.	टीएएक्स/टेंडम क्षमता	448000
6.	ओएफ केबिल (रूट कि.मी.)	9930
7.	इंटरनेट क्षमता	410000
8.	ई–10बी एक्सचेंजों की प्रतिस्थापना	923150
9.	पीसीयूटी (पेपर कोर यूनिट टिवन) केबल की प्रतिस्थापना (एलसीकेएम) (लाख कंडक्टर कि.मी.)	583

कंपनियों का विनिवेश

5733. श्री शिवाजी म्हने : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कौन–सी कंपनियों को विनिवेश के लिए निश्चित किया गया, उस दौरान उनका कुल कारोबार तथा लाभ/हानि क्या थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजार में उनके शेयर का औसत मासिक मूल्य क्या था;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है कि बिक्री आगम पर लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रतिबिंबित मूल्यह्रास और निर्धारित तिथि उनके शेयर मूल्यों को प्रभावित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कारोबार और लाभ–हानि खातों के साथ उन कम्पनियों के नाम विवरण–I में दिए गए हैं, जिनमें विनिवेश प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए अथवा निम्नलिखित सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए यथा–उपलब्ध औसत मासिक शेयर बाजार मूल्य विवरण–II में दिया गया है।

1. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
2. बॉमर लॉरी एण्ड कम्पनी लि.
3. इंजीनियर्स इण्डिया लि.
4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
5. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.
6. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.
7. नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि.
8. शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया
9. भारत राज्य व्यापार निगम लि.
10. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
11. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.

(ग) से (ङ) जी, नहीं। शेयर मूल्यों का उतार–चढाव विभिन्न बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सरकार का विनिवेश करने का निर्णय तथा उस प्रक्रिया का क्रियान्वयन उन कारकों में से एक कारक है।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	कारोबार (करोड़ रुपये)			करोपरान्त लाभ (करोड़ रुपये)		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	20001–2002
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	421.18	408.29	301.04	–105.02	–39.06	(–)62.68
राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	2452.66	2808.74	2943.13	34.89	27.31	40.61
बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	693.97	744.18	724.54	14.32	6.01	8.01
ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी	62.04	111.84	40.52	–14.13	1.74	(–)33.55
बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कम्पनी	164.88	166.3	91.75	–35.41	–45.22	(–)78.35
भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	125.52	256.69	234.09	–20.36	0.94	1.46
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड	138.55	211.91	367.49	–48.13	17.76	9.43
फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	1547.61	1732.9	1197.28	–39.8	–151.95	0.57
हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	4.83	5.24	5.35	–2.91	–2.19	(–)1.91
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	511.46	655.87	605.56	–147.46	–105.8	(–)184.04
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1230.04	1404.81	1044.46	24.98	–29.76	(–)70.31
मेकॉन लिमिटेड	235.04	274.47	275.71	–20.27	–51.36	(–)112.68
खनिज एवं धातु व्यापार निगम	4802.27	5338.37	7267.94	14.97	12.39	18.54
नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	2142.32	2406.32	2385.74	511.53	655.83	409.35
नेशनल इन्स्ट्रूमैन्टेस लिमिटेड	2.94	5.35	7.09	–27.03	0.09	(–)5.90
नेपा लिमिटेड	97.68	130.79	96.01	5.68	4.86	(–)35.16
भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	1321.17	1077.67	1590.44	22.92	26.65	(–)40.79
शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया	2542.76	2994.76	2784.67	161.61	382.56	241.56
टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया	59.24	36.6	18.92	–60.62	–66.43	(–)67.41
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	31.18	38.57	15.60	0.08	0.07	(–)20.03
इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड	444.14	972.82	546.74	126.2	123.86	24.71
मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड	134.11	165.22	167.92	11.73	20.05	19.52
स्पांज आयर इण्डिया लिमिटेड	20.68	29.29	32.26	–14.7	6.64	0.55

1	2	3	4	5	6	7
भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड	1.6	1.6	1.6	−37.69	−37.69	(−)37.69
इन्स्ट्रूमैन्टेशन लि. कोटा (मदर यूनिट) इसमें पालक्कड यूनिट शामिल है, जिसका अलग से विनिवेश किया जा रहा है	124.48	106.74	107.85	−28.35	−34.52	(−)30.49
हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	441.87	531.54	594.24	10.6	32.8	436.00
होटल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टिप्पणी 1)	84.57	90.49	75.76	−1.6	−25.08	(−)35.56
भारत पर्यटन विकास निगम (टिप्पणी 2)	274.36	295.71	175.83	−27.33	−35.47	(−)32.86
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	33384.68	45932.07	39829.48	701.64	820.12	849.83
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	33830.87	48566.84	44433.84	1057.41	1088.01	787.98
होटल रांची अशोक, रांची	1.18	1.37	1.74	−0.46	−0.07	(−)0.21
होटल नीलांचल अशोक, पुरी	0.27	0.36	0.31	−1.03	−0.98	(−)0.98
होटल लेकव्यूह अशोक, भोपाल	2.02	1.75	1.64	−0.54	−0.57	(−)0.51
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	2.27	2.83	2.98	−0.41	−0.2	0.16
होटल पांडिचेरी अशोक, पांडिचेरी	0.75	0.68	0.67	−0.1	−0.25	(−)0.25
होटल दोनयी पोलो अशोक, ईटानगर	0.68	0.70	0.69	0.011	0.014	0.05
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	284.74	301.69	402.98	12.29	1.61	3.70
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	2372.87	2091.69	2054.20	35.08	64.97	24.21
केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम लि.	10.92	5.23	9.6	(−)65.48	(−)78.26	431.28

टिप्पणी 1. दिए गए आंकडे समग्र कम्पनी के हैं। तथापि, होटल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की 2 इकाइयों, दिल्ली स्थित सैंतूर होटल एयरपोर्ट (सेफेयर दिल्ली सहित), सेफेयर मुम्बई का विनिवेश किया जा रहा है।

2. दिए गए आंकडे समग्र कंपनी के हैं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम की 5 इकाइयों होटल सम्राट, नई दिल्ली, जयपुर, पाटलीपुत्र, भुवनेश्वर और जम्मू का विनिवेश किया जा रहा है।

3. मारुति उद्योग लि. के शेष शेयरों का विनिवेश भी 2003–04 में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण-II

बीपीसीएल		बीएलएमआर		ईआईएल		एचपीसीएल		एचएमटी		एचओसीएल	
महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अप्रैल–00	120	अप्रैल–00	22	अप्रैल–00	174	अप्रैल–00	128	अप्रैल–00	7	अप्रैल–00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मई–00	92	मई–00	22	मई–00	134	मई–00	126	मई–00	7	मई–00	6
जून–00	103	जून–00	22	जून–00	166	जून–00	134	जून–00	7	जून–00	7
जुलाई–00	101	जुलाई–00	20	जुलाई–00	168	जुलाई–00	125	जुलाई–00	8	जुलाई–00	7
अगस्त–00	85	अगस्त–00	20	अगस्त–00	174	अगस्त–00	117	अगस्त–00	8	अगस्त–00	6
सितम्बर–00	89	सितम्बर–00	22	सितम्बर–00	158	सितम्बर–00	119	सितम्बर–00	7	सितम्बर–00	7
अक्तूबर–00	78	अक्तूबर–00	21	अक्तूबर–00	122	अक्तूबर–00	107	अक्तूबर–00	6	अक्तूबर–00	6
नवम्बर–00	100	नवम्बर–00	23	नवम्बर–00	134	नवम्बर–00	126	नवम्बर–00	7	नवम्बर–00	7
दिसम्बर–00	119	दिसम्बर–00	25	दिसम्बर–00	138	दिसम्बर–00	138	दिसम्बर–00	7	दिसम्बर–00	9
जनवरी–01	140	जनवरी–01	26	जनवरी–01	134	जनवरी–01	163	जनवरी–01	7	जनवरी–01	8
फरवरी–01	183	फरवरी–01	32	फरवरी–01	159	फरवरी–01	187	फरवरी–01	8	फरवरी–01	9
मार्च–01	180	मार्च–01	28	मार्च–01	98	मार्च–01	166	मार्च–01	6	मार्च–01	7
अप्रैल–01	197	अप्रैल–01	23	अप्रैल–01	98	अप्रैल–01	167	अप्रैल–01	5	अप्रैल–01	6
मई–01	200	मई–01	25	मई–01	102	मई–01	172	मई–01	6	मई–01	7
जून–01	186	जून–01	28	जून–01	108	जून–01	161	जून–01	6	जून–01	7
जुलाई–01	181	जुलाई–01	24	जुलाई–01	89	जुलाई–01	153	जुलाई–01	5	जुलाई–01	8
अगस्त–01	179	अगस्त–01	20	अगस्त–01	93	अगस्त–01	136	अगस्त–01	4	अगस्त–01	8
सितम्बर–01	150	सितम्बर–01	20	सितम्बर–01	76	सितम्बर–01	113	सितम्बर–01	4	सितम्बर–01	7
अक्तूबर–01	163	अक्तूबर–01	20	अक्तूबर–01	78	अक्तूबर–01	119	अक्तूबर–01	4	अक्तूबर–01	7
नवम्बर–01	181	नवम्बर–01	22	नवम्बर–01	88	नवम्बर–01	137	नवम्बर–01	5	नवम्बर–01	7
दिसम्बर–01	202	दिसम्बर–01	25	दिसम्बर–01	86	दिसम्बर–01	148	दिसम्बर–01	5	दिसम्बर–01	7
जनवरी–02	205	जनवरी–02	27	जनवरी–02	89	जनवरी–02	156	जनवरी–02	5	जनवरी–02	7
फरवरी–02	289	फरवरी–02	42	फरवरी–02	153	फरवरी–02	241	फरवरी–02	7	फरवरी–02	11
मार्च–02	315	मार्च–02	36	मार्च–02	201	मार्च–02	299	मार्च–02	6	मार्च–02	12
अप्रैल–02	303	अप्रैल–02	49	अप्रैल–02	300	अप्रैल–02	283	अप्रैल–02	8	अप्रैल–02	13
मई–02	282	मई–02	63	मई–02	329	मई–02	278	मई–02	14	मई–02	18
जून–02	267	जून–02	99	जून–02	376	जून–02	272	जून–02	23	जून–02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जुलाई–02	291	जुलाई–02	96	जुलाई–02	368	जुलाई–02	286	जुलाई–02	29	जुलाई–02	22
अगस्त–02	290	अगस्त–02	90	अगस्त–02	332	अगस्त–02	277	अगस्त–02	25	अगस्त–02	17
सितम्बर–02	212	सितम्बर–02	85	सितम्बर–02	319	सितम्बर–02	212	सितम्बर–02	18	सितम्बर–02	14
अक्तूबर–02	193	अक्तूबर–02	84	अक्तूबर–02	294	अक्तूबर–02	206	अक्तूबर–02	19	अक्तूबर–02	14
नवम्बर–02	187	नवम्बर–02	75	नवम्बर–02	230	नवम्बर–02	209	नवम्बर–02	18	नवम्बर–02	15
दिसम्बर–02	209	दिसम्बर–02	80	दिसम्बर–02	273	दिसम्बर–02	269	दिसम्बर–02	20	दिसम्बर–02	18
जनवरी–03	219	जनवरी–03	53	जनवरी–03	286	जनवरी–03	297	जनवरी–03	18	जनवरी–03	19
फरवरी–03	212	फरवरी–03	80	फरवरी–03	281	फरवरी–03	311	फरवरी–03	16	फरवरी–03	19
मार्च–03	219	मार्च–03	75	मार्च–03	284	मार्च–03	297	मार्च–03	14	मार्च–03	15

नाल्को		एससीआई		एसटीसी		एमएफएल		फैक्ट	
महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत	महीना	मासिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल–00	46	अप्रैल–00	14	अप्रैल–00	20	जनवरी–01	10	जनवरी–01	53
मई–00	45	मई–00	13	मई–00	15	फरवरी–01	7	नवम्बर–01	47
जून–00	48	जून–00	13	जून–00	16	मार्च–01	9	फरवरी–02	45
जुलाई–00	51	जुलाई–00	15	जुलाई–00	20	अप्रैल–01	6	अप्रैल–02	39
अगस्त–00	44	अगस्त–00	16	अगस्त–00	18	मई–01	6	मई–02	24
सितम्बर–00	44	सितम्बर–00	18	सितम्बर–00	17	जून–01	6	जून–02	47
अक्तूबर–00	41	अक्तूबर–00	16	अक्तूबर–00	18	जुलाई–01	4	जुलाई–02	40
नवम्बर–00	44	नवम्बर–00	23	नवम्बर–00	18	अगस्त–01	4	अगस्त–02	29
दिसम्बर–00	47	दिसम्बर–00	27	दिसम्बर–01	20	सितम्बर–01	6	सितम्बर–02	22
जनवरी–01	47	जनवरी–01	30	जनवरी–02	39	अक्तूबर–01	5	अक्तूबर–02	25
फरवरी–01	53	फरवरी–01	42	फरवरी–02	44	नवम्बर–01	5	नवम्बर–02	31
मार्च–01	56	मार्च–01	33	मई–02	106	दिसम्बर–01	5	दिसम्बर–02	31
अप्रैल–01	56	अप्रैल–01	33	जून–02	168	जनवरी–02	4	जनवरी–02	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मई–01	60	मई–01	39	जुलाई–02	160	फरवरी–02	4	फरवरी–03	31
जून–01	59	जून–01	34	अगस्त–02	126	मार्च–02	4	मार्च–03	25
जुलाई–01	58	जुलाई–01	31	सितम्बर–02	124	अप्रैल–02	8		
अगस्त–01	55	अगस्त–01	29	अक्तूबर–02	109	मई–02	13		
सितम्बर–01	46	सितम्बर–01	23	नवम्बर–02	101	जून–02	16		
अक्तूबर–01	44	अक्तूबर–01	24	दिसम्बर–02	102	जुलाई–02	13		
नवम्बर–01	51	नवम्बर–01	27	जनवरी–03	100	अगस्त–02	10		
दिसम्बर–01	50	दिसम्बर–01	29	फरवरी–03	103	सितम्बर–02	9		
जनवरी–02	54	जनवरी–02	34	मार्च–03	92	अक्तूबर–02	9		
फरवरी–02	71	फरवरी–02	55			नवम्बर–02	9		
मार्च–02	84	मार्च–02	66			दिसम्बर–02	9		
अप्रैल–02	89	अप्रैल–02	71			जनवरी–03	10		
मई–02	96	मई–02	90			फरवरी–03	9		
जून–02	101	जून–02	94			मार्च–03	8		
जुलाई–02	108	जुलाई–02	87						
अगस्त–02	115	अगस्त–02	78						
सितम्बर–02	98	सितम्बर–02	78						
अक्तूबर–02	93	अक्तूबर–02	71						
नवम्बर–02	77	नवम्बर–02	58						
दिसम्बर–02	91	दिसम्बर–02	65						
जनवरी–03	88	जनवरी–03	61						
फरवरी–03	91	फरवरी–03	67						
मार्च–03	80	मार्च–03	56						

पेट्रोल पम्पों के संबंध में दिशानिर्देश

5734. श्री अधीर चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले पेट्रोल पम्पों और सरकारी सम्पत्तियों के मामले में आई.आर.सी. के 1983 के दिशानिर्देश लागू होते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी सम्पत्तियों और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले पेट्रोल

पम्पों के संपर्क मार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बन्द किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और तत्संबंधी सूची में कौन-कौन सी संपत्तियां और पेट्रोल पम्प शामिल हैं;

(घ) हरियाणा राज्य में ऐसी कौन-कौन सी संपत्तियां और पेट्रोल पम्प हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर बीच से काटकर रास्ता दिया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान पेट्रोल पम्पों के मामले में कुछ नियमों/दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है; और

(च) यदि हां, तो इन दिशानिर्देश का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) आईआरसी दिशानिर्देश, 1983 सड़कों की सभी श्रेणियों पर लागू होते हैं। उसके कुछ उपबंधों में अगस्त, 2000 में इस मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संशोधन किया गया था। ये हरियाणा और पंजाब राज्यों सहित पूरे देश में लागू हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पम्पों के लिए कोई भेदभाव नहीं है।

(घ) शून्य।

(ङ) अगस्त, 2000 में जारी दिशानिर्देश वर्तमान पेट्रोल पम्पों पर लागू हैं।

(च) अगस्त, 2000 दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :

(1) दो निकटवर्ती फुटकर दर दुकानों की न्यूनतम दूरी कम से कम तीन सौ मीटर होनी चाहिए।

(2) फुटकर दर दुकान, जांच चौकी से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए।

(3) प्रवेश और निकास कम से कम नौ मीटर चौड़ा होना चाहिए।

(4) अग्रभाग न्यूनतम तीस मीटर होना चाहिए।

(5) कम से कम बारह मीटर लंबी और तीन मीटर चौड़ी बफर स्ट्रिप उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 1244(अ) जो 29 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1269(अ) जो 5 दिसंबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1270(अ) जो 5 दिसंबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1315(अ) जो 13 दिसंबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै

खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 233(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टू–टिंडीवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 234(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य बेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई–रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 244(अ) जो 27 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 को जोड़ने वाले बाई–पास के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 326(अ) जो 26 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2000 की अधिसूचना सं.का.आ. 556(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 238(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं.का.आ. 1016(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 397(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर–गांधीनगर खंड के अजमेर में) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 241(अ) जो 27 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 [आगरा से जसवंत नगर (इटावा)] के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 294(अ) जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर–सेलम–मदुरै खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 296(अ) जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के बेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी–रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 297(अ) जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी–रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 312(अ) जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क (कृष्णगढ़ से नसीराबाद खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (नसीराबाद से बाराल खंड) के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अधीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) जिला अजमेर, राजस्थान को ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 315(अ) जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी–रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) के (i से iv) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7581/2003]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अन्तर्गत दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण (प्ररूप, सत्यापन और अपील फाइल करने के लिए फीस) नियम, 2003 जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल.टी. 7582/2003]

(2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी 7583/2003]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, मैं श्री ए. राजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7584/2003]

(3) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तथा परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7585/2003]

(4) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 191(अ), जो 4 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 732(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7586/2003]

(5) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7587/2003]

(7) (एक) कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल (रीजनल

कैंसर सेंटर), इलाहाबाद के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल (रीजनल कैंसर सेंटर), इलाहाबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7588/2003]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7589/2003]

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7590/2003]

(3) दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2003 (खंड I से III)* के शुद्ध किए गए संस्करण की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7591/2003]

[हिन्दी]

पोत परिवहन में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7592/2003]

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7592क/2002]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 253(अ) जो 28 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

*दिनांक 9.4.2003 को सभा पटल पर रखी गई दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002–2007 (खंड I से III तक) को उपरोक्त कागजातों द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा।

जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2003 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 321(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2003 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 125(अ) जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2003 को स्वीकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7593/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं 'प्राकृतिक आपदाओं में राहत और पुनर्वास उपाय' के संबंध में प्राक्कलन समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

डा. वी. वी. रमैया (एलूरू) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की अनुमति से, वित्त विधेयक को निपटाने अथवा मध्याह्न भोजन के पश्चात् इनमें जो भी बाद में हो, के पश्चात् ध्यानाकर्षण सूचना को चर्चा हेतु लेना चाहता हूं।

मैं आशा करता हूं कि सभा मेरी बात से सहमत है। अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपके सामने है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां बड़ा भारी बिजली का संकट है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के साथ जो वार्ता हो रही है...*(व्यवधान)* इस पर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके सभी मुद्दों पर परसों चर्चा होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई देने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, बगैर सदन और देश को विश्वास में लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता हो रही है।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है? आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश नहीं है और कल ही जम्मू में 13 आतंकवादी और हमारे 6 जवान मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)* बहुत गंभीर प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। आप इस पर बोले भी हैं। फिर बार-बार क्या है? बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से सरकार को बहुत जल्दी है?...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर प्रश्न है। सरकार का बयान इस पर जरूर आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल अवकाश होने के कारण, आप इस मुद्दे को परसों उठा सकते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वित्त विधेयक पर वाद–विवाद का उत्तर वित्त मंत्री देंगे। इसलिए, उनका उत्तर अब आरंभ होगा।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, स्थगन प्रस्ताव की मेरी सूचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2003*—जारी

अध्यक्ष महोदय : मैं डा. वी. सरोजा को अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ध्यान एक विशेष परिस्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* इससे आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ेगा।...*(व्यवधान)* किसानों पर आज भारी संकट आ गया है। किसान आज संकट की स्थिति में है। वह जो बोगी इस्तेमाल करता है, उसके टायरों पर 24 प्रतिशत की ड्यूटी लगा दी गई है।...*(व्यवधान)*

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): اسپیکر صاحب، میں فائنانس منسٹر صاحب کا دھیان ایک خاص حالت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔...(مداخلت)...اس سے آپ کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا۔...(مداخلت) کسانوں پر آج بھاری سنکٹ آ گیا ہے۔ کسان آج سنکٹ کی حالت میں ہے۔ وہ جو بوگی استعمال کرتا ہے، اس کے ٹائروں پر 24 فیصد کی ڈیوٹی لگادی گئی ہے۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज कोई 'शून्य काल' नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा : सारे देश के किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के जमाने में भी उस पर कोई टैक्स नहीं था।

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): سارے ملک کے کسان اس کا استعمال کرتے ہے۔ کانگریس کے زمانے میں بھی اس پر کوئی ٹیکس نہیں تھا۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेनु कुमारी को भी अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा : यह टैक्स लगने से यह टायर 800 रुपये का पड़ेगा। इससे किसानों को काफी परेशानी होगी। यह किसानों के लिए गम्भीर समस्या है।

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): یہ ٹیکس لگنے سے وہ ٹائر 800 روپے کا پڑے گا۔ اس سے کسانوں کو کافی پریشانی ہوگی۔ یہ کسانوں کے لئے گمبھیر مسئلہ ہے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय, अब आप बोलना आरंभ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा : यू.पी. की सरकार ने अलग से उस पर टैक्स लगा रखा है और आपने भी अब लगा दिया है। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी इसको वापस लें।...*(व्यवधान)*

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): یوپی کی سرکار نے الگ سے اس پر ٹیکس لگا رکھا ہے اور آپ نے بھی اب لگا دیا ہے۔ میری درخواست ہے کی فائنانس منسٹر جی اس کو واپس لیں...(مداخلت)

---

*विधेयक दिनांक 25 अप्रैल, 2003 को श्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे नोट कर लिया है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : एमपी लैड को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मेरा कहना है कि एमपी लैड को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : हम इनका समर्थन करते हैं।

श्री रामदास आठवले : एमपी लैड को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए। वित्त मंत्री जी को इसकी घोषणा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शायद वही अनाउंसमेंट वित्त मंत्री जी करना चाहते हैं। अब आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कहते हैं वो कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप मुझसे अनुमति लिए बिना बोल रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

****श्री पी. आर. किन्डिया (शिलांग)** : वित्त विधेयक 2003 पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान क्रिसमस की पूर्व संध्या, 24 दिसंबर, 1997 को घोषित की गई पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक नीति 1997 की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। उक्त नीति पर सही ढंग से विचार किया गया था और उस नीति के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से 5 अद्वितीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत थी।

1. क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में व्यापक पिछड़ापन।
2. 1947 में भारत के विभाजन के प्रतिकूल प्रभाव जो कि वास्तव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के लिए बहुत भारी आघात था।
3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता से पहले के दिनों में बहिष्कृत क्षेत्रों और अर्ध–स्वतंत्र छोटे राज्यों समेत यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अलग–थलग था।
4. यह क्षेत्र महाद्वीप मुख्य भूमि से दूर है। देश का विभाजन होने से पूरे क्षेत्र से संपर्क कट गया और यह केवल अति सीमित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
5. विद्रोह।

संक्षिप्त में नीति ने सभी औद्योगिक उपक्रमों और क्रियाकलापों को 10 वर्ष के लिए कर छूट दी। इसमें परिवहन राजसहायता भी सम्मिलित है।

इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों ने नीति की घोषणा को पूरे क्षेत्र में आर्थिक दशाओं में परिवर्तन लाने के रूप में उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। इस घोषणा को वास्तव में क्रिसमस पर दिए गए उपहार के रूप में देखा गया।

इस नीति की पुष्टि उस समय और की गई जब प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिनांक 20 जनवरी, 2000 को शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु बैनर एजेंडे के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों द्वारा इस घोषणा का स्वागत किया गया था।

दुर्भाग्यवश वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय उत्पाद छूट को मनमाने ढंग से संशोधन कर नीति वक्तव्य में उठाए गए कदमों से निवेशकों के दिमाग में असुरक्षा की भावना घर कर गई है और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। समय से छूट वापस लेने से नीति की विषय–वस्तु को ही सिर्फ फीका नहीं करेगा वरन् केन्द्र सरकार के बहुत अच्छे उद्देश्य को ही नकार देगा। वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए ये कदम उन सभी उद्योगों के लिए अवरोधक होंगे जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के लिए

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. आर. किन्डिया]

योजना बनाई है या पहले ही पहल कर चुके हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए एक धक्का है। समान रूप से इससे केन्द्र सरकार की विश्वसनीयता को भी धक्का पहुंचा है।

वित्त विधेयक में भूतलक्षी प्रभाव से 10 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 1999 में घोषित प्रोत्साहनों को खत्म करने हेतु खंड भी शामिल है। शायद विश्व में किसी भी स्थान के जनतांत्रिक ढांचे में सरकार द्वारा घोषित नीति के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों को भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जाता। मेरा अपना मानना है कि यह कदम अधोगामी है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए और वहां सुशासन के लिए जो भी प्रस्तावित है उसे किया जाए।

मैं अपने राज्य, मेघालय विशेषकर अपने चुनाव क्षेत्र, शिलांग द्वारा, सामना की जा रही प्राथमिकता समस्याओं पर अब कुछ कहना चाहूंगा।

जबकि हाल ही में मेघालय विद्युत के मामले में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य था लेकिन बिरनीहाट क्षेत्र, खासी हिल्स में औद्योगीकरण की गति तेज होने से राज्य में विद्युत की कमी हो गई है। केवल बिरनीहाट स्थित हमारे औद्योगिक परिसर में लंबित औद्योगिक कनेक्शनों के लिए शीघ्र अतिरिक्त विद्युत खरीदने की आवश्यकता पड़ गई जिसे 100 मेगवाट विद्युत की आवश्यकता है। अभी जो नितांत आवश्यक है वह यह कि सरुसजाए में 100 एम.वी.ए. 220/132 के.वी. ट्रांसफार्मर सहित 8 कि.मी. लंबे सरुसजाए—चरण IV 220 के. वी. डी/सी का निर्माण। इस फीडर लाइन का मेघालय वाला हिस्सा वर्ष 1999—2000 में ही पूरा हो गया है लेकिन असम वाला हिस्सा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वित्त मंत्री से इस महत्वपूर्ण फीडर लाइन के असम वाले हिस्से को पूरा करने हेतु 10 करोड़ रु. की राशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

जैसा कि विद्युत विकास का इंजन है, और एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है, इसलिए मैं अपने चुनाव क्षेत्र के एक अन्य क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा जहां विद्युत की कमी है और सुदूर ख्लीहरीमट क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। ठीक इसी समय विद्युत ग्रीड निगम और नीपको (एन.ई.ई.पी.सी.ओ.) के द्वारा भी बिजली प्राप्त की जा सकती है और असम के कोपीली से मेघालय के ख्लीहरीमट, जैंतिया हिल्स से बिजली लाने के लिए पारेषण लाइन प्रदान की जा सकती है। क्या मैं इस परियोजना के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु वित्त मंत्री से निवेदन कर सकता हूं?

मेघालय आज तक भारत के रेल नक्शे में कहीं नहीं दिखता। इसका न तो रेल सम्पर्क है और न ही रेलवे मुख्यालय है। तीव्र आर्थिक विकास हासिल करने के उद्देश्य से मेघालय में रेल लाइनों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। रेल प्राधिकारियों द्वारा असम के अजारा से मेघालय के बिरनीहाट तक रेलवे लाइन के पुनः संरेखण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है लेकिन धनराशि की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। मैं वित्त मंत्री से मेघालय के लिए यथाशीघ्र रेलवे मुख्यालय हेतु रेल मंत्रालय को धनराशि प्रदान करने का निवेदन करता हूं।

शिलांग बाई—पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 के गुवाहाटी—शिलांग खंड पर 61/800 किमी. पर यूमीयाम में प्रस्तावित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के शिलांग जोवाई खंड के 35/00 खंड पर मारोंगकेंग में समाप्त हो जाता है। यह बाई—पास शिलांग में बढ़ते यातायात के लिए नितांत आवश्यक है जिसके अभाव में बराक घाटी असम, मिजोरम और त्रिपुरा से आने वाले यातायात के कारण प्रतिदिन विलंब होता है। यह परियोजना कई वर्षों से लंबित है। मुझे यह समझाया गया है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यविधि का समाधान राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है। धनराशि की कमी को पूरा किया जाना शेष है। मैं वित्त मंत्री से धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

जोवई—अमरमारेम—दावकी राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे जोवई से जोड़ने की जरूरत है, जैंतिया हिल्स जिले का मुख्यालय और दावकी जो एक सीमा है और व्यापार शहर है, जो बंगलादेश से लगा है, वह सड़क सामरिक महत्व की है। इस राजमार्ग के शीघ्र निर्माण के लिए धनराशि का निर्धारण और आवंटन महत्वपूर्ण है। मैं इस मामले पर वित्त मंत्री से सभी तरह की सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जिनका पूर्वोत्तर क्षेत्र से लगाव जगजाहिर है, उठाए गए मुद्दों के समाधान में सभी तरह की सहायता प्रदान करेंगे, विशेष रूप से उनमें जो पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के संदर्भ में है और जिसे पूर्वोत्तर संसद सदस्य मंच द्वारा शुरू किया गया है, यह मंच एक निकाय है जो दलगत भावना से ऊपर है।

***डा. वी. सरोजा (रासीपुरम)** : अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुतिकरण से ऐसा लगता है कि यह एक औपचारिकता बनकर रह गया है। बजट में वित्त योजना परिव्यय के लिए संसाधन जुटाना आवश्यक होता है जो अंततोगत्वा योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता साफ करता है।

केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद को खत्म कर दिया गया है। आयात शुल्क में भारी कमी की गई है और उत्पाद, सेवाकर की दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है और 10 और सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव है। आयकर के लिए, न्यूनतम छूट सीमा को बढ़ाए जाने की आशा थी, पर ऐसा नहीं किया गया है। स्लैब वही रहेगा। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष कर के लिए कर प्रस्ताव आने वाले हैं जिसमें प्रत्येक विधेयक में आयकर कानून में जोड़-घटाव सामान्य बात है ताकि वित्त विधेयक 2003 बड़ी संख्या में होने वाले संशोधनों के मद्देनजर अपवाद नहीं है।

प्रत्यक्ष कर मोर्चे पर कई रियायतों के दिए जाने से वित्त मंत्री के पास अतिरिक्त कर के रूप में केवल 339 करोड़ रु. शेष रह गए हैं। यहां 2,995 करोड़ रु. की राजस्व घाटा है।

अप्रत्यक्ष कर मोर्चे पर 3,294 करोड़ रु. का लाभ हुआ है।

वास्तव में, वर्ष 2003-04 के लिए राजस्व प्राप्ति 7.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है पर कुल व्यय 8.6 प्रतिशत के आस-पास रहने की आशा है।

केलकर कृतक बल ने घरेलू कंपनियों के लिए 30% और विदेशी कंपनियों के लिए 35% तक निगमित कर में कटौती की सिफारिश की थी। इसके विपरीत वित्त मंत्री ने स्वदेशी कंपनियों के लिए 35.8% और विदेशी कंपनियों के लिए 41% प्रभावी कर दर को कम कर दिया गया है।

ये दरें अभी भी विश्व में सबसे ज्यादा हैं। सिंगापुर में, यह 22%, यू.के. कार्पोरेट कर दर 30%, जर्मनी में 26.5%, चीन में घरेलू कंपनियों का कर दर 33% और हांगकांग में केवल 16 प्रतिशत है। इसलिए, भारतीय कंपनियों के लिए समान स्तर (लेवल प्लेइंग फील्ड) की बात कहां है। वे विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकती हैं। इस तरह से भारत में उच्च कर वाली अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार ये अन्य देशों की कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों को अप्रतिस्पर्धात्मक बनाती है। जब भारत में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात पर कुल कर दस प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, धनी लोगों पर से विभिन्न प्रकार के कर हटाना, बुद्धिमानी का काम नहीं है। सेवा कर में वृद्धि पांच प्रतिशत से बढ़कर आठ प्रतिशत हो गई है।

मूल्यवर्धित कर की प्रस्तावित शुरूआत एक महत्वपूर्ण कदम है। अनेक लॉबी और दबाव समूह प्रस्तावित वैट प्रणाली में या तो स्थगन अथवा संशोधन के लिए दबाव डाल रहे हैं। वैट की श्रेष्ठता इस तथ्य से निकलती है कि यह कराधान के क्रमिक प्रभाव को रोकता है। यह पारदर्शी होता है और कर से बचने की संभावना को कम करता है। अधिकतर वस्तुओं पर एक समान 12.5% कर लगाने का परिणाम यह निकलेगा कि कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। औषधियों के मूल्य इसका एक उदाहरण हैं।

कराधान के माध्यम से संसाधन जुटाने संबंधी नजरिया यह स्मरण कराती है कि प्रत्यक्ष कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है, इसमें वर्ष 1990-91 में 1.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 3.2 प्रतिशत वृद्धि होने के बाद वर्ष 2001-2002 में 3 प्रतिशत तक गिरावट आ गई थी।

एक ओर, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वर्ष 1991 में 7.9 प्रतिशत से 1997-98 में 5.9 प्रतिशत तक कमी आ गई और इसमें 2001-2002 में 5.1 प्रतिशत की और कमी आ गई है।

केन्द्र सरकार की कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वर्ष 1990-91 में 17.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1996-97 में 13.9 प्रतिशत तक गिरावट आने के बाद इसमें वर्ष 1997-98 से वृद्धि होनी प्रारंभ हुई।

वृहत आर्थिक स्थिति निःसन्देह गंभीर है। वर्ष 2002-03 के दौरान कृषि के सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत तक कम हो गई है। कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियों में भारी गिरावट आने से वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमान से 5.9 प्रतिशत के उच्च घाटे का पता चलता है।

आज, राजस्व प्राप्तियों का 48.5 ब्याज भुगतान के लिए है। इसलिए विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के पर्याप्त रूप से वित्तपोषण की बहुत कम संभावना है।

बजट दस्तावेजों को देखने से पता चलता है कि 1,84,860

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. वी. सरोजा]

करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्ति के मुकाबले चालू वर्ष के लिए पूंजी व्यय 72568 करोड़ रुपये ही है। अतः पूंजी प्राप्तियों और पूंजी व्यय में भारी अंतर है। इससे पता चलता है कि आस्ति सृजन हेतु धनराशि को राजस्व साइड में लगा दिया गया है।

वित्त मंत्री द्वारा अगले पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रस्ताव के साथ बजट में अवसंरचना पर जोर दिया गया है।

तथापि, सामाजिक क्षेत्र में विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में निवेश नहीं किया गया है। गरीबों के लिए निर्धारित की गई अधिकांश निधियां उन तक नहीं पहुंचती हैं। काम के बदले अनाज नामक अधिक महत्वाकांक्षी योजना हेतु बड़ी मात्रा में खाद्य भंडार का उपयोग करने हेतु कोई योजना नहीं है जिससे ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण और उसके सुधार में सहायता मिल सकती है। प्रस्तावित समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना एक अच्छा विचार है यदि इसे उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए।

केन्द्र और राज्य सरकारें ऋण विनिमय योजना शुरू करने हेतु परस्पर सहमत हो गई हैं जो निम्न ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करेंगी जिससे सरकार से लिए गए महंगे स्थानीय ऋण का पूर्व भुगतान करने में राज्यों की सहायता हो सके और इस प्रकार अनुमानित 81000 करोड़ रुपये की बचत हो सके।

राज्यों के व्यय पैटर्न की चिंताजनक विशेषता यह है कि वर्ष 2002–2003 में 4.1 प्रतिशत पर विकास व्यय में वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत गैर विकास व्यय की वृद्धि दर की अपेक्षा कम होगी।

इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों को अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करना कठिन हो रहा है।

भारत में गरीबी का मुख्य कारण कम विकास तथा कम निवेश है। बजट में नौकरियों के सृजन हेतु कुछ नहीं कहा गया है। वर्ष 1994 से पूर्व रोजगार में एक वर्ष में 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। उस वर्ष से लगभग एक प्रतिशत ही रोजगार दिया गया।

गरीबी उपशमन की तुलना में रोजगार में वृद्धि निवेश में विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि पर निर्भर करती है। किन्तु दुर्भाग्यवश यद्यपि बजट में निर्धनता उन्मूलन और हमारे नागरिकों की जीवनपर्यन्त की चिंताओं, अवसंरचनागत विकास आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है फिर भी इसमें इन क्षेत्रों का वित्त पोषण करने की किसी कार्यनीति और वित्त के स्रोतों के बारे में नहीं बताया गया है। सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान, राजसहायता, रक्षा व्यय, कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में खर्च हो जाता है इसलिए सामाजिक क्षेत्रों के वित्त पोषण हेतु कुछ नहीं बचता। इस परिदृश्य में बजट को संसाधन जुटाने, कर अपवंचन को रोकने और काले धन का पता लगाने हेतु उत्साही प्रभाव वाला बनाया जाना चाहिए था।

हमारे किसान विशेषकर छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, असंगठित कामगार, मीडिया और लघु उद्योग हथकरघा और विद्युत करघा आदि पर हमें अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी कर नीतियों से इनको क्षति न हो, हमारे व्यय प्रस्तावों से इन खंडों को अधिकाधिक लाभ पहुंचे।

सूखा राहत उपायों जिनका उल्लेख तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया है नकद और खाद्यान्नों के संबंध में अर्थात् 1760 करोड़ रुपये नकद और 5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया जा सकता है।

क्या भारत सरकार कॉटन ट्रेडिंग कारपोरेशन शुरू करने और कपास की खरीद और सहकारी समितियों के माध्यम से विद्युत करघा और हथकरघा क्षेत्रों को आपूर्ति करने हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव कर सकती है ताकि भारत में 2000 कताई मिलों के 17.5 लाख विद्युत करघा और हथकरघा क्षेत्रों को उबारा जा सके। वर्तमान कर प्रणाली अर्थात् भारत सरकार की 9.2% उत्पाद शुल्क और धागे की खरीद के समय विद्युत करघा स्वामियों द्वारा भुगतान किए गए 4% विक्रय कर को इस देश में विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयां कम करने के लिए जारी रखा जा सके।

वित्त मन्त्री ने वित्त विधेयक 2003 प्रस्तुत करते समय बताया था कि विश्व में कपास के नम्बर एक उत्पादक देश से हम विश्वव्यापी कपड़ा प्रतिस्पर्द्धा में चौथे नम्बर पर आ गए हैं। इसलिए सरकार को कपास के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए और कपास के निर्यात को कम करना चाहिए और सरकार को विद्युत करघा उत्पादों अर्थात् कपड़ों के निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि सेनवैट को वापस लिया जाए।

गैर–निष्पादनकारी आस्तियां वसूल करने में मुख्य प्रबंधक निदेशकों और संपूर्ण वित्त क्षेत्र पर जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री की नदियों को आपस में जोड़ने की स्वप्न परियोजना जिसका आश्वासन उन्होंने 20 नवम्बर, 2002 को लोक सभा में दिया है और दक्षिण राज्यों में नदियों को जोड़ने में तेजी लाई जाए।

तमिलनाडु के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कावेरी नदी जल प्राधिकरण की शीघ्रातिशीघ्र बैठक बुलाई जाए।

***श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी)** : मेरे कई मित्रों ने बजट 2003 की पहले ही गहन समीक्षा की है, किन्तु मैं अपने आपको अपने क्षेत्र दक्षिण कन्नड़ के विकास से संबंधित कुछ मुद्दों पर ही सीमित रखना चाहता हूं।

प्रस्तावित वैट (वीएटी) प्रणाली से छोटे–छोटे व्यापारियों और व्यावसायियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे सावधिक लेखा–जोखा का हिसाब रखने और उसे प्राधिकारियों के समक्ष पेश करने में सक्षम नहीं होते हैं। वे नियमित लेखा–जोखा के लिए अकाउण्टेंट नहीं रखते हैं और न ही वार्षिक विवरण तैयार कराने के लिए लेखा परीक्षक रख सकते हैं। यदि वैट प्रणाली लागू की जाती है, तो इससे छोटे–छोटे व्यापारी परेशान होंगे।

आम बजट में मैंने पाया है कि न ही कोर प्रोजेक्ट और न ही समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के विकास से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं/परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं :

1. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी को पुनर्जीवित कर आयात/निर्यात संबंधी कार्यों के संचालन के लिए न्यू मंगलोर पोर्ट का विस्तार और मंगलोर–हसन बड़ी रेल लाइन को पूरा करना;
2. चौड़े आकार के विमानों के लिए धाबनपट्टी को लंबा करने के साथ–साथ बाजपे (मंगलोर) हवाई अड्डे का विस्तार;
3. न्यू मंगलोर पोर्ट के निकट पुरगई में मत्स्य पालन के लिए समर्पित बंदरगाह बनाना;
4. दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में समुद्र तटीय पर्यटन स्थल, तीर्थस्थलों आदि सहित वहां टूरिज्म सर्किट बनाना;
5. उस क्षेत्र में सुपारी, नारियल आदि जैसी बागवानी से संबंधित फसलों के लिए नियमित बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करना;
6. मछुआरों को राहत देने संबंधी मुरारी समिति की सिफारिशों को मंजूर करना और उन्हें क्रियान्वित करना;
7. बागान लगाने के साथ–साथ उस क्षेत्र में उद्यान कृषि/पुष्पकृषि का विकास करना और उसे प्रोत्साहन देना;
8. हसन मंगलोर स्ट्रेच को चार लेनों वाले बनाए जाने के साथ–साथ न्यू मंगलोर पोर्ट को गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल के साथ जोड़ना;
9. पेदुबिद्रि में विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) का क्रियान्वयन;
10. क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी को परंपरागत रोजगार उपलब्ध कराने वाले बीड़ी और टाइल उद्योग को पुनर्जीवित करना;
11. फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पाद की प्रचुर आपूर्ति का उपयोग करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना;
12. समुद्र–तट अपरदन को रोकने वाली स्थायी दीवार का निर्माण और तटबंध को मजबूत करना;
13. पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय नदियों को एक–दूसरे से जोड़ना;
14. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अधिक से अधिक ग्रामीण सड़कों को बनाया जाना;
15. मंगलौर–उडुपी के बीच कम्प्यूटर–आईटी कॉरिडोर की स्थापना;
16. बेल्लारी–होसपेट हॉल्ड ग्रू हसन–मंगलोर बड़ी लाइन (निर्माणाधीन) से अतिरिक्त अयस्क के प्रसंस्करण के लिए कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड पुनर्जीवित करना;

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री विनय कुमार सोराके]

17. सिंडिकेट बैंक के कॉर्पोरेट मुख्यालय को मणिपारण में बनाए रखना;

18. तटीय कर्नाटक में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन हेतु विशेष विकास पैकेज प्रदान करना;

19. दक्षिण कन्नड़ के तटीय क्षेत्र में स्वजलधारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान।

उक्त वर्णित परियोजाएं/योजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहां रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं और इनसे कृषक समुदाय को राहत मिलेगी और मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के तहत धन का आवंटन करने में पर्याप्त उदारता दिखाएं।

***श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार)** : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री को निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के लिए जोर देना चाहता हूं क्योंकि वे देश की जनता के दिमाग में उद्वेलित कर रहे हैं और इनके उच्चस्तरीय समाधान की शीघ्र जरूरत है।

मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस देश की 75 फीसदी आबादी कृषकों और कृषि मजदूरों की है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और इस वर्ग के लोगों को नकार दिया गया है। किसान गेहूं, धान, सब्जियां आदि जैसे उत्पादों की पैदावार करते रहे हैं, किन्तु विधि की विडम्बना है कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे किसानों के उत्पादों की सरकारी मूल्यों पर खरीद के लिए जिला स्तर पर नोडल एजेंसियां बनाएं।

महोदय, सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पन्द्रह राज्य भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं और वर्षा कम होने से पेयजल की कमी हो गई है। कर्नाटक पेयजल की अब तक की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है क्योंकि वहां कोलार, चित्रदुर्ग और बंगलोर के ग्रामीण इलकों में तथा गुलबर्गा और बिजापुर जैसे राज्य के अन्य भागों में जल स्तर 600 से 700 फीट नीचे चला गया है। जो कुछ थोड़ा बहुत जल उपलब्ध है उसमें फ्लुराइड की मात्रा काफी अधिक है और यदि उसे उपयोग में लाया गया तो उससे अस्थि कैंसर और दांत का नुकसान हो सकता है।

जल की कमी से उपजी इस भयंकर स्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने नदियों को एक–दूसरे से जोड़ने के निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि इस मसले को पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने ही उठाया है। टास्क फोर्स कमेटी ऑफ द रिवर लिंकिंग के चेयरमैन श्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में प्रेस से अपनी बातचीत में कहा है कि इस क्षेत्र में पहले चरण में आठ नदियों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें कृष्णा, गोदावरी और अन्य नदियों को एक–दूसरे से जोड़ा जाएगा। किन्तु किन्तु मुझे इस बात का अफसोस है कि उन्होंने कावेरी नदी को लिंक करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे टास्क फोर्स को कावेरी नदी को प्रथम चरण में ही लिंक करने का निर्देश जारी करें क्योंकि इस क्षेत्र की समस्या बहुत गंभीर है।

महोदय, सरकार की विनिवेश नीति ने तो घरेलू उद्योग को नष्ट ही कर दिया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह वक्तव्य पीछे छूट गया है जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि भारी उद्योग देश का आधुनिक मंदिर (मॉडर्न टेम्पल्ज ऑफ द कंट्री) है। भाजपा सरकार ने तो संपूर्ण औद्योगिक संरचना ही नष्ट कर डाली है और उन्होंने लाखों लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। लोगों को वीआरएस का लालच देकर सरकार द्वारा अपनाई गई इस नई प्रक्रिया से समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। अवकाश ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि से जनसमूह की समस्याएं नहीं सुलझने जा रही हैं। बल्कि, इससे तो परोक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आसानी से आमंत्रित ही किया जा रहा है और देश में उनके उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते उत्पादों की आ रही बाढ से हमारे उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। देश की आम जनता के खून–पसीना से निर्मित अशोका, लक्ष्मी पैलेस, सेंटार आदि महत्वपूर्ण होटलों को उनकी वास्तविक लागत से भी कम दामों पर बेचा जा रहा है। सरकार की इन सभी धारणाओं से देश में परोक्ष रूप से एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित किया जा रहा है और आने वाले दिनों में यह एक प्रकार से देश को किसी दूसरे पर निर्भरता और गुलामी की ओर धकेलने वाला कदम होगा।

महोदय, उदारीकरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और इस नीति के परिणामस्वरूप यह देश विश्व परिदृश्य में एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। लेकिन जिस दयनीय

*भाषण समा पटल पर रखा गया।

स्थिति में इस देश को रखा गया है उसे देखकर दुःख होता है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के घरेलू उद्योग को बचाया जाए और सरकार भारतीय उद्योग के उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे। चीन और अन्य देशों से सिल्क के आयात होने से देश का समस्त सिल्क उद्योग बुरे दिन से गुजर रहा है। इस उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं। यदि सरकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए गए, तो समस्त घरेलू उद्योग बंद होने के कगार पर होगा। देश में आयात पर अंकुश लगाने और स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 100% या 200% की ड्यूटी (आयात शुल्क) लगा सकती है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता का सवाल है, तो कुल आबादी के 30% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिल्कुल नकार दिया गया है।

इस वर्ग के लिए बजट में आवंटित धनराशि अत्यंत कम है। इन लोगों के लिए यह कुल बजट का 1% भी नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सर्वप्रथम हमें प्रत्येक नागरिक के लिए दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना होगा। यदि सरकार देश के नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान भी सुलभ कराने में समर्थ नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। गरीबों की सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए। यदि सरकार जनता को खाना, शिक्षा और बेहतर आर्थिक दशाएं प्रदान करने में समर्थ हो तो तभी स्वतंत्रता का कुछ मतलब है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए अधिक धनराशि आवंटित करें ताकि वे देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जिला मुख्यालयों में आवासीय विद्यालय प्रारंभ करें। इस संबंध में मैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को विगत दस वर्षों से प्रस्ताव भेज रहा हूं परन्तु इस संबंध में कोई परिणाम नहीं आया। मैं प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री से आशा करता हूं कि वे नवोदय विद्यालयों की प्रणाली के आधार पर संपूर्ण देश के जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए विशेष परियोजनाएं तैयार करें ताकि जनता को मुख्य धारा में लाया जा सके।

[हिन्दी]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : सईदुज्जमा जी, आप बेताब क्यों हो रहे हैं, आपने कल ही फरमाया था, हम उसको देख लेंगे और माननीय सदस्य पांच करोड़ रुपये की रट न लगाएं तो अच्छा है, सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा धीरज रखिए।

[अनुवाद]

महोदय, वित्त विधेयक, 2003 की चर्चा से मुझे काफी लाभ पहुंचा। सदस्यगण जानते हैं कि यह बजट चक्र की पूर्णता का द्योतक है। वास्तव में यह 28 फरवरी को प्रारंभ हुआ और अब हम अप्रैल के अंत में आ गए हैं। वास्तव में बजट के प्रस्तुतीकरण से वित्त विधेयक पर चर्चा की समाप्ति तक की यह अवधि कम होनी चाहिए। यदि हम इस प्रक्रिया के समय को कम कर सकते तो यह वित्तीय प्रबंधन के लिए भी अच्छा होता। बहरहाल यह विषय से अलग बात है। मैं वित्त विधेयक की चर्चा से अत्यंत लाभान्वित हुआ हूं। तीन दिन तक चली इस चर्चा में भाग लेने वाले 40 से ज्यादा माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। आज यह चौथा दिन है जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे इसका उत्तर देने का मौका मिला है।

वित्त विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर माननीय सदस्यों की व्यक्त की गई टिप्पणियों के लिए मैं उनको धयवाद देता हूं। वे मात्र वित्त विधेयक तक ही सीमित नहीं रहे। निःसंदेह अनिवार्यतः माननीय सदस्यों ने अपने संसदीय क्षेत्रों से संबंधित हितों, राज्य से संबंधित हितों के विभिन्न पहलुओं और सामान्य जानकारी और विभिन्न सुझावों सहित विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिए। मैं उनका आभारी हूं।

वित्त विधेयक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों और करों के विस्तृत सिद्धांत जिससे हमारे प्रयासों को मार्गदर्शन मिलता है से संबंधित होता है और यह आज भी ऐसा ही है जो कि विभिन्न अवसरों पर प्रतिपादित किया गया है।

सीमा शुल्क के मामले में भी उच्चतम दरों की क्रमिक कटौती के साथ दरों का युक्तिकरण किया गया है जबकि इसके साथ ही इससे स्वदेशी कृषि और इसके उत्पादों के घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा की गई है।

उत्पाद शुल्क के संबंध में हमारा ध्येय शुल्क व्यवस्था को आसान बनाना और दरों की बहुलता में कमी करने का

[श्री जसवंत सिंह]

रहा है। इसीलिए हमने 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत का त्रिस्तरीय शुल्क ढांचा बनाया है। मैंने पहले से ही चली आ रही व्यवस्था को जारी रखा है और अब 16 प्रतिशत की मध्यम दर और खराब सामानों और जनसामान्य के उपभोग के सामानों के लिए क्रमशः उच्च और निम्न दर की व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है यह उदार कानून कर ढांचे में सरलीकरण और उन नागरिकों के बोझ को हल्का करने के सिद्धान्त पर आधारित है जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है।

अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की प्रशंसा करेंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण भी इस बात की प्रशंसा करेंगे। 40 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। प्रत्येक माननीय सदस्य की टिप्पणी का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया ये टिप्पणियां वित्त विधेयक से लेकर सामान्य टिप्पणियों तक वित्तीय स्थिति, बजट इत्यादि से संबंधित थीं। इसलिए महोदय मुझे करारोपण संबंधी विषयों पर सीधे आने की अनुमति दें।

पहले, मैं प्रत्यक्ष करों पर आता हूं। 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्यक्ष करों में नीतिगत और प्रशासनिक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए थे ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके और करदाताओं को अधिकतम संभव वर्ग को राहत प्रदान की जा सके। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है हमारे नागरिकों के उद्यमी चरित्र और सृजनात्मक प्रतिभा को निखारना। मैं इस समय सरकार द्वारा की गई पहलों को दोहराना नहीं चाहता। परन्तु अब मेरे पास विभिन्न दृष्टिकोण और मत हैं और उनका संज्ञान लेते हुए मैं स्वीकार करता हूं कि पहले किए गए कुछ प्रस्तावों में काट–छांट की आवश्यकता है। अब मुझे उनका संक्षिप्त विवरण देने दीजिए। पुनः यहां प्रत्येक बिन्दु की व्याख्या करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। परन्तु मैं मुख्य बातों की चर्चा कर रहा हूं।

महोदय, यह प्रस्ताव लिया गया था कि जिन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम किसी भी वर्ष में कुल बीमित राशि के 20 प्रतिशत से ज्यादा रहा हो उन्हें प्रदत्त कर छूट हटा ली जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी पॉलिसियां निवेश के साधन के तौर पर प्रयोग की जाती हैं न कि जीवन का जोखिम कवर करने के लिए। मुझे बताया गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन से संशोधन पूर्व पॉलिसियों द्वारा हुई आय पर भी कर लग जाएगा और यह अनुचित होगा। मैं इसे मानता हूं। इसलिए, इस गैर इरादतन प्रभाव को हटाने के लिए प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है ताकि 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व ली गई पॉलिसियों की आय पर कर से छूट पूर्ववत जारी रहेगी।

महोदय, वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुर्घटना पीड़ितों को भुगतान की गई ब्याज और क्षतिपूर्ति पर भी स्रोत पर कर कटौती की जाती है। इसमें स्पष्टतः व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। विशेषकर उन निर्धनों के लिए जो कि दुर्घटना के दुर्भाग्यशाली शिकार होते हैं और उन ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए जो कि कर सीमा में नहीं आते। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती न की जाए यदि यह 50,000 रु. से अधिक नहीं है।

हमारे नागरिकों में 'इक्विटी' संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया था कि भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयरों पर दीर्घावधि पूंजीगत आय जो मार्च 1, 2003 या उसके पश्चात् परन्तु मार्च, 2004 के पूर्व लिए गए हों उन्हें कर में छूट दी जाएगी।

कुछ लोगों ने यह आशंका जताई है कि प्रस्तावित प्रावधान का जाली कारोबार या नगण्य कारोबार वाले शेयरों में जाली कारोबार दिखाकर धन शोधन करके दुरुपयोग किया जा सकता है। स्पष्टतः यह सरकार का मंतव्य नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि मार्च 1, 2003 के अनुसार बी.एस.ई.–500 की सूची में दर्शाए गए इक्विटी शेयरों और यहां क्रय–विक्रय भारत के किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के माध्यम से हुआ है। उनमें दी गई छूट को सीमित किया जाए। मेरा प्रस्ताव यह भी है कि जिन इक्विटी शेयरों का आवंटन 1 मार्च, 2003 को या उसके बाद सार्वजनिक निर्गम द्वारा हुआ है और जो कि 1 मार्च, 2004 के पूर्व मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सूची में हों उनको भी यह छूट प्रदान की जाए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) में स्थापित उपक्रमों को लगातार पांच वर्षों से लाभ और आय के शत–प्रतिशत के बराबर कटौती मिल रही है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) में स्थापित उद्योगों को व्यवसाय में हुए लाभ के 50 प्रतिशत तक पुनः विनिवेश भत्ता दिए जाने की लगातार मांगें हो रही हैं। इस अनुरोध में दम है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। इस

निर्णय को लागू करने हेतु आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। व्यापार घाटे को आगे ले जाने पर लगे प्रतिबंध तथा विशेष आर्थिक जोनों से इन बैंकों की अवशोषित मूल्यवृद्धि भी समाप्त हो रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाइयों को निर्यात दर्जा दिए जाने हेतु आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। ऐसी बिक्रियों पर भी धारा 80 एच.एच.सी. के तहत एक वर्ष के लिए कर लाभ मिलेगा।

सरकार विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित विदेश स्थित बैंक इकाइयों को तीन वर्षों के लिए शत–प्रतिशत कर की छूट तथा उसके अगले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत कर छूट दे रही है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से यह मांग की जाती रही है। हमने इस मांग को जायज पाया है और यह छूट भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद दी गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ताओं और इस क्षेत्र की इकाइयों के वित्त पोषण के लिए विदेश स्थित बैंक इकाइयों द्वारा किए जा रहे कार्यों को होने वाली आय पर छूट उपलब्ध होगी।

फिलहाल किसी राजनैतिक पार्टी को गृह सम्पत्ति, अन्य स्रोतों और दान से होने वाली आय को कर से मुक्त रखा गया है। परन्तु पूंजी लाभों से होने वाली आय पर कराधान होता है। इसे मेरी जानकारी में लाया गया है कि इससे कुछ परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतः मेरा विचार राजनैतिक दलों को पूंजी लाभों से होने वाली आय पर से कर हटाने का है।

चाय उद्योग को मिलने वाले कुछ लाभ अब कॉफी उद्योग को भी दिए जा रहे हैं। रबड़ उद्योग जो स्वयं भी एक पादप रोपण उद्योग है—जिसके लिए प्रधान मंत्री जी एक पादप रोपण निधि की घोषणा पहले ही कर चुके हैं—से उठ रही व्यापक मांग के मद्देनजर मेरा विचार इस उद्योग को भी वे सभी लाभ देने का है जो चाय उद्योग को दिए जा रहे हैं।

वर्तमान प्रावधानों के तहत, यदि कोई जहाज रानी कम्पनी आठ वर्ष पूरा होने के पहले आरक्षित खाते से खरीदे गए जहाजों की बिक्री या हस्तांतरण करती है तो उसे मिलने वाले कर लाभ नहीं मिलते। ऐसा बताया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत आठ वर्षों की यह अवधि काफी लम्बी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास हो रहा है। मैं इस लक्ष्य को स्वीकार करता हूं और इसके मद्देनजर मेरा विचार इस लॉकइन अवधि को आठ वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर` का है।

किसी माननीय सदस्य ने आयकर अधिनियम की धारा 50(ग) की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें स्टॉम्प शुल्क हेतु आकलित मूल्य के आधार पर पूंजी लाभ की संगणना के लिए भूमि और मकान के मूल्यांकन का उपबंध किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अचल संपत्ति के अग्रकय की सहकालिक वापसी के साथ इस प्रावधान को गत वर्ष के वित्त विधेयक में शामिल किया गया है। पूंजी लाभों की संगणना हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन में होने वाली अनावश्यक मुकदमेबाजी और तदर्थता को रोकने के लिए यह उपाय करना पड़ा है। यदि करदाता मूल्यांकन से सहमत नहीं होता है तो निर्धारण अधिकारी इस मामले को मूल्यांकन अधिकारी के पास भेज सकता है। मेरे विचार से वस्तुतः यह उपाय करदाता के हित में है जो परिसम्पत्ति मूल्यांकन में तदर्थता से परहेज करता है और इसीलिए मैं इसे बनाए रखना चाहता हूं।

2001 में गुजरात में आए भूकम्प को देखते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 80जी में संशोधन किया गया ताकि भूकम्प पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु प्रयुक्त होने वाले दान पर शत–प्रतिशत छूट दी जा सके। तथापि इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2002 तक किया जाना था। बाद में इस तिथि को 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दिया गया था। सदन के दोनों पक्षों से तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों से इस तिथि को आगे बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए दान के उपयोग की अन्तिम तिथि एक वर्ष और अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक बढ़ा दी है।

प्रमुख विपक्षी दल से माननीय वक्ता, श्री दासमुंशी और अनेक अन्य वक्ताओं ने खेलकूद को प्रोत्साहन दिए जाने के संबंध में बात कही है। वास्तव में, प्रधान मंत्री जी ने कुछ समय पहले विशेष खेलकूद निधि की घोषणा की थी तथा वह इसकी आवश्यकता पर लगातार जोर देते रहे हैं। माननीय श्री दासमुंशी द्वारा सुझाव दिया गया था कि 30 वर्ष तक के खिलाड़ियों की आय को आयकर से मुक्त रखा जाए। यह अव्यवहारिक होगा क्योंकि यह निर्णय कौन लेगा कि कौन व्यक्ति खिलाड़ी है और कौन व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है। इसके बजाय हमारा इरादा है कि खिलाड़ियों को विशिष्ट संस्थानाओं से स्वीकृत पुरस्कार के रूप में प्राप्त होने वाली नकद व अन्य प्रकार की आय आयकर से पहले ही मुक्त हो।

अब मेरा विचार खेलकूदों में भाग लेने के लिए पेशेवर शुल्क के रूप में प्राप्त आय पर 75,000 रुपये तक विशेष छूट देने का है। इस योजना को लागू करने हेतु खेल

[श्री जसवंत सिंह]

मंत्रालय से परामर्श करके समुचित तौर–तरीके निर्धारित किए जाएंगे।

मैं ओलम्पिक खेलों की तैयारी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए खेल–कूद के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। यह कहने के पश्चात् अब मैं इस पर चर्चा करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आपने टैक्सटाइल के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री जसवंत सिंह : मैं उस विषय पर भी आ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : क्या यह नेशनल गेम्स के लिए भी एप्लीकेबल है?

श्री जसवंत सिंह : मैंने जनरली कहा कि हम नेशनल स्पोर्टस और ओलम्पिक्स के लिए कंसिडर करेंगे। मैं इस बारे में पहले कह चुका हूं। एक माननीय सदस्य ने नेशनल गेम्स के बारे में पूछा। मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस बारे में पहले कह चुके हैं और उसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणा की थी, हम उसे पूरा करेंगे चाहे वे नेशनल गेम्स हों या ओलम्पिकस हों। हम उसकी तैयारी में धनराशि की कमी नहीं होने देंगे। माननीय सदस्यों ने सर्विस टैक्स के बारे में कहा कि कई प्रकार की भ्रांतियां खड़ी हुई हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मुझे सेवा कर के पूरे पहलू की व्याख्या करने की अनुमति दें। इस बजट में कुछ अन्य नयी सेवाओं पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव किया गया था। अभी संसद ने इस संबंध में कानून बनाना है क्योंकि इसकी भागीदारी राज्यों और केन्द्र के बीच होनी होती है और हम संवैधानिक संशोधन लाने जा रहे हैं जिसे मेरा विश्वास है कि अगले सप्ताह लाया जाएगा।

मुझे यह स्पष्ट करने दें कि यह कर उस तिथि से ही लागू होगा जिसकी अधिसूचना अभी जारी की जानी है। संसद द्वारा कानून बनाने के पश्चात्, कर को अधिसूचित करने से पूर्व हम भी पूर्व प्रचलन के अनुसार सभी आवश्यक ब्यौरा वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पर रखेंगे ओर सेवा कर संबंधी प्रस्तावों पर संबंधित नागरिकों, व्यापार व उद्योग जगत और प्रत्येक व्यक्ति से उनके विचार मांगेंगे।

मैं विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर व्यावसायिक और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों से सेवा कर की प्रत्याशा में इस प्रस्तावित कर के विरुद्ध पहले से ही प्राप्त प्रतिवेदनों का जिक्र करने का प्रयास करूंगा। मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष की पहली जुलाई के बाद इस नये सेवा कर के प्रभावी होने के पहले कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य सभी सुझावों पर पूर्णतः विचार किया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों और कुछ व्यापार प्रतिनिधियों ने भी शंका जाहिर की है कि विनिमेय विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतानों पर लगाए जाने वाले सेवा कर से छूट को वापस लिए जाने से हमारी सेवाओं का निर्यात प्रभावित हो सकता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सेवा कर स्थान आधारित है। जो भी सेवा विदेशों में निर्यात की जाती है, चाहे वह ठेके पर कम्प्यूटर अथवा चिकित्सा के माध्यम से हो, वह कानूनन प्रस्तावित सेवा कर से बाहर होगी। इसलिए इस संबंध में किसी को शंका या परेशानी नहीं होनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि माननीय श्री थामस ने, जो कि संभवतः यहां उपस्थित नहीं हैं, एक प्रतिवेदन दिया है कि जब धार्मिक स्थलों चाहे वह गिरिजाघर हों अथवा मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद हों के परिसरों को किसी सामाजिक कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो उससे प्राप्त ईनाम पर सेवा कर नहीं लगाया जाना चाहिए। अब यद्यपि यह मुद्दा बजट से वस्तुतः संबंधित नहीं है, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस पर ध्यान देंगे और मैं इस संबंध में जो कुछ भी उचित राहत दे सकता हूं उसे मैं दूंगा।

महोदय, मैं अप्रत्यक्ष करों की चर्चा करने से पहले 'वैट' के संबंध में बोलूंगा। मैं अपने द्वारा पहले कही गई बात को दोहराता हूं कि वैट एक ऐसा आधुनिक और प्रगतिशील सुधार है जिस पर राज्यों ने अमल करने के लिए आपस में सहमति जतायी है। मैंने सभा में पहले ही बताया है कि राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रस्तुत वैट कानून स्वयं अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, मुझे यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि वस्तुओं की स्वीकृत सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। इन पर साढ़े बारह प्रतिशत मूल्यवर्धित कर लगाने का प्रावधान है।

अधिकार प्राप्त समिति ने 29 अप्रैल अर्थात् कल हुई अपनी बैठक में इन मुद्दों पर विचार किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों और 5 मई तक सर्वसम्मत दरों के अनुरूप राज्यों के विधानों में संशोधन किया जाए। अन्यथा, जैसा कि राज्यों ने स्वयं सुझाव दिया है, 1 जून से मूल्यवर्धित कर को लागू करना सम्भव नहीं होगा।

अब यहां एक बात और है जिससे मैं माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहता हूं कि केन्द्रीय बिक्री कर की दर में चार प्रतिशत से दो प्रतिशत की प्रस्तावित कटौती सभी बड़े राज्यों और भारत के सभी क्षेत्रों द्वारा मूल्य वर्द्धित कर को लागू करने पर निर्भर करेगी। मैं यहां इस बात पर अवश्य बल दूंगा कि केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्द्धित कर वास्तव में बहुत लम्बे समय तक साथ–साथ नहीं चल सकते हैं। केन्द्रीय बिक्री कर की दो प्रणालियां या देश में दो प्रकार के राज्य यथा जो मूल्यवर्द्धित कर का अनुपालन करते हैं इसलिए वहां कम केन्द्रीय बिक्री कर दर और दूसरे ऐसे राज्य जो ऐसा नहीं करते जैसी बातें सम्भव नहीं हो सकतीं। आपके पास ऐसी स्थित हो सकती है जिसमें दो निकटवर्ती राज्यों में केन्द्रीय बिक्री कर की दरों में चार प्रतिशत से दो प्रतिशत का अन्तर हो सकता है। कर प्रणाली को चलाने का यह व्यवहारिक तरीका नहीं है।

इसलिए, हमें ऐसे अति महत्वपूर्ण कर सुधार को लागू करने से पहले प्रशासनिक मशीनरी में पर्याप्त तैयारी के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। यही कारण है कि मैंने कहा और मैं पुनः दोहराता हूं कि ऐसे कच्चा काम या सही ढंग से लागू नहीं किए मूल्यवर्द्धित कर से हमारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, मूल्यवर्द्धित कर को लागू करने की नई लक्षित तिथि को निर्धारित करने से पूर्व सबसे पहले हमें अपनी तैयारी का काम पूरा कर लेना है।

महोदय, अब मैं कुछ उन मुद्दों पर बात करूंगा जिन्हें उठाया गया है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : कृपया वैट के बारे में यहां स्पष्ट कर दें।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों ने इनका पूरा समर्थन किया था, आज यह वैट लागू करके उनका गला घोंट रहे हैं। आज यह वैट की वकालत कर रहे हैं। भाजपा के लोग यह नहीं कह सकते कि वे कसूरवार नहीं हैं। इन्होंने किसानों का गला घोंटा है, इन्होंने व्यापारियों का गला घोंटा है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : वैट के बारे में जरा स्थिति स्पष्ट कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य शायद मेरी बात समझ नहीं पाए। हम वैट के लागू होने का समर्थन नहीं कर सकते, जब तक पूरी तैयारी नहीं हो जाती है और वह पूरी तैयारी नहीं होगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : और आपको क्या चाहिए?

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : यह पहले कह देते कि इनकी बात नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले नहीं कहा, लेकिन अभी तो कहा, अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : बिना पूरी तैयारी के, जब तक तैयारी पूरी नहीं हुई थी तो वैट को लागू करने का सरकार ने प्रस्ताव क्यों किया था। इसका मतलब है कि सरकार जिन योजनाओं को लागू करना चाहती है, उन्हें बिना तैयारी के लागू किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मदल लाल खुराना : कांग्रेस के अनेक राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि ने वैट का प्रस्ताव किया और लागू करने के लिए एम्पावर्ड कमेटी को लिखित में दिया, तभी केन्द्र ने इसे लागू करने की सहमति दी। अब वही राज्य सरकारें पीछे हट गई हैं। इसका दोष केन्द्र सरकार पर क्यों डाला जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राज बब्बर जी, आप बैठिए, हमारे सामने यहां कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राज बब्बर (आगरा) : इस तैयारी का मापदंड क्या होगा, अगर आदरणीय जसवंत सिंह जी बता देंगे तो शायद दिल को राहत मिलेगी। तैयारी का मापदंड क्या होना चाहिए और क्या होगा, यह बता दें।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : क्या इसका मापदंड चुनाव होगा...*(व्यवधान)* क्या चुनाव मापदंड है, चुनाव के बाद करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें। कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अगर माननीय सदस्य इतने बेताब न हों तो शांति से सुन लें, मैं मापदंड सुना देता हूं। अध्यक्ष जी, अगर याद करें तो जब फाइनेंस बिल पर बसह की शुरूआत की थी, तब मैंने मापदंड पढकर सुनाए थे।...*(व्यवधान)* जो मापदंड हैं, वे एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अपने आप स्वीकृत मापदंड हैं। मापदंड केन्द्र सरकार ने नहीं लगाए हैं। एम्पावर्ड कमेटी ने मापदंड लगाए थे, जिसमें ऑफिशियल्स की पूरी ट्रेनिंग है। डिस्ट्रिक्ट लैवल तक केन्द्र सरकार ने क्या किया है। यह बहुत उपयोगी कर प्रणाली है। हमने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट लैवल तक हम आपको केन्द्र से एक चैक लिस्ट बनाकर देने की कोशिश करेंगे। उस चैक लिस्ट को आप अपने हर राज्य में दिखाएं कि उसमें से कौन–कौन से काम हो गए हैं, यह एक मापदंड का हिस्सा है। जो लेजिस्लेशन बने, उनमें हमने कहा कि मॉडर्न लेजिस्लेशन से यह दूर नहीं होना चाहिए। अभी जैसा मैंने कहा कि एम्पावर्ड कमेटी ने स्वयं वह मॉडर्न लेजिस्लेशन स्वीकार किया और वह राज्यों को भेजा गया, लेकिन स्टेट्स उससे कुछ हट गए। जो हमने कहा कि आप उस मॉडर्न लेजिस्लेशन के अनुसार रहिए, यह दूसरा मापदंड है। उसमें व्यापारियों को कई बातों पर चिंता हुई। हमने कहा कि जितने भी संगठन व्यापारियों के हैं या अन्य संगठन हैं, उद्योगपति हैं, उनकी जो चिंताएं और आशंकाएं हैं, उन पर आप बैठकर सलाह–मशविरा करें, यह राज्यों को करना है। फिर हमने उसमें साढ़े 12 प्रतिशत की बात भी की। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों का यहां उल्लेख करूं क्योंकि इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमने कहा था कि रैवेन्यू न्यूट्रल रेट साढ़े 12 परसेंट हो, यह सबने स्वीकार किया। यह आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। चूंकि माननीय सदस्यों ने पूछा और कई प्रकार की टिप्पणियां कीं, इसलिए मुझे यह कहना पड़ा। साढ़े 12 परसेंट रैवेन्यू न्यूट्रल रेट पर स्वीकृति हुई और यह तय हुआ कि अगर साढ़े 12 प्रतिशत रैवेन्यू न्यूट्रल रेट लगाने के बाद राज्य की रेवेन्यू रिसीट में कोई कमी आएगी, तो पहले साल केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत उसका खमियाजा भुगतान करेगी। उसमें कुछ कमोडिटीज तय हुईं। अब एम्पावर्ड कमेटी स्वयं यह पाती है कि जो कमोडिटीज तय हुई थीं, उन पर राज्यों ने साढ़े 12 प्रतिशत से हटकर रेट लिया। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको भी दुरुस्त करिए। इस प्रकार से कई तरह के प्रिपेट्री मैजर्स हैं। जब तक वे पूरे नहीं पाएंगे, इसे लागू करना सरल नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : ऐसी भव्य घोषणा से पूर्व इन सब बातों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए था। यह प्रस्ताव वापस लेने की सबसे बड़ी घटना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह नहीं बता रहे हैं कि इसके कारण बहुत सी छोटी–छोटी चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, जिनका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, जब विचार का अभाव होता है, तब भाषा का प्रेम अपने आप प्रकट होने लगता है। मैं समझ नहीं पाया हूं कि इस टिप्पणी के बारे में मैं क्या कहूं।

महोदय, वैट के अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ये तैयारियां पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक मैं अपने आपमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसे केन्द्र सरकार के लिए लागू करना सम्भव नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह आश्वासन पर्याप्त होना चाहिए। यह पर्याप्त होगा। अब आप अगले विषय पर बात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवसाइयों पर टैक्स की बात आई, तो इस पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के लोगों को चिन्ता हुई, लेकिन कृषि को आयकर के दायरे में लाने की जो बात चल रही है, इस बारे में वित्त मंत्री जी का क्या कहना है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, भ्रम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना

चाहता हूं कि कृषि पर आयकर लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं माननीय सदस्य के मन की चिन्ता को निर्मूल करना चाहता हूं।

अब जब कर की बात चली है, रघुवंश बाबू यहां नहीं रहे, मुझे क्षमा करें, यहां उपस्थित नहीं हैं। भगवान उनकी शत–शत आयु करे, वे दीर्घायु हों।

मानव संसाधन मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, वे तो पटना में लाठी भांज रहे होंगे।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने मुझसे कहा कि मैं भेद खोलने वाला हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, केलकर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसकी सिफारिशों से ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि कृषि पर कर लगाया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केलकर कमेटी की किसानों पर टैक्स लगाने संबंधी सिफारिश के बारे में मंत्री जी का क्या कहना है, वे इसे स्पष्ट कर दें?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पौराणिक कथा की तरह कह रहे हैं। वे यहां बहुत पुरानी बातें ला रहे हैं। यह बात तो बीत गई।

अध्यक्ष महोदय : उस बात को बीते हुए तो बहुत दिन हो गए।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने चिर–प्रतीक्षित शैली में कहा कि मैं भेद खोलने वाला हूं। उनके ऐसा कहते ही मेरे भी कान खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने कालिदास और कौटिल्य की शैली में कहा कि कर–प्रणाली भंवरे और मधु–मक्खी जैसी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वे आज यहां उपस्थित नहीं हैं, इस बात का मुझे खेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज वे पटना की सड़कों पर लाठी लेकर भंवरे और मधुमक्खियां भगा रहे होंगे।

उन्होंने कृषि के बारे में कुछ बातें जरूर कहीं, मैं उनका उल्लेख कर दूं। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर मशीनरी और कृषि उपकरणों पर एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट होनी चाहिए। इसमें एक एक्सैप्शन है। मैं इसमें लगा हुआ हूं कि ट्रेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी कैसे कम करूं।

कुंवर अखिलेख सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने कार पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, वैसे ही ट्रेक्टर पर भी करें।

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य अगर ये समझें कि हल्ला करने से कम होती है, ऐसा नहीं है, विचार करने से कम होती है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अगर कार पर एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है तो ट्रेक्टर पर कम करने में क्या दिक्कत है?

श्री जसवंत सिंह : मैं वही बता रहा हूं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपने मोटर–कार पर कम किया...*(व्यवधान)* वह 24 प्रतिशत पर आया है और यह 16 प्रतिशत है। अब ट्रेक्टर में जो इनपुट है, स्टील और अन्य चीजों का जो है, वह 16 प्रतिशत है या उससे ऊपर है। जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसे मैं 16 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए कटिबद्ध हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उसे करूं लेकिन उससे पहले मुझे इनपुट को नीचे लाना होगा। यह प्रेक्टीकली रिएलिटी है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है–'कोहनी पर गुड़ चिपकाना'। मैं कोहनी पर गुड़ नहीं चिपका रहा हूं, आप उसे देख लें और चाट नहीं सकें, ऐसा नहीं है। मैं सही कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : हाथ पर सरसों उगा रहे हैं, यहां गुड़ नहीं चिपका रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें क्योंकि मैं वास्तव में इसे कम करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

रिजर्व बैंक से हमने विशेष निवेदन किया था कि आप जो नयी पॉलिसी एनाउंस करें, उसमें कृषि को रियायत दीजिए, उन्होंने दी है। मैं इन सब चीजों की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं कृषि लागत को घटाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं ऐसा करूंगा। रघुवंश बाबू ने कहा कि जीरो टीलर मशीन पर आप कोई टैक्स मत लगाइए, हम इसे समझ नहीं पाए, फिर उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेक्टर।...*(व्यवधान)* विद्युत टीलर पहले ही उत्पाद शुल्क से मुक्त है। माननीय सदस्य अगर जीरो टीलर के बारे में हमें समझा दें तो हम उसे भी एक्साइज ड्यूटी से एग्जम्ट कर देंगे।...*(व्यवधान)*

[श्री जसवंत सिंह]

[अनुवाद]

मैं आर.आई.डी.एफ. के बारे में कहना चाहता हूं। बजट संबंधी चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी ने मुझसे आर.आई.डी.एफ. के बारे में पूछा था। अब जिन बैंकों ने कृषि जैसे प्राथमिकता के क्षेत्र में कम ऋण दिया है। उन्हें नाबार्ड के अन्तर्गत सृजित कोष में योगदान देने की जरूरत है। इस चालू वर्ष में इसमें 5500 करोड़ रुपये की समग्र निधि निर्धारित की गई है। आर.आई.डी.एफ. में योगदान करने पर बैंकों को देय ब्याज की दर को दंडात्मक बना दिया गया है ताकि बैंकों को सीधे कृषि क्षेत्र को ऋण देने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके जिसका तात्पर्य है कि यदि बैंक कृषि ऋण देने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें निर्धारित ऋण लक्ष्य की कमी की राशि को आर.आई.डी.एफ. के पास जमा करना होगा और ब्याज की दर इस रूप में दंडात्मक होगी कि तब यह बहुत कम होगी। इस समय मैं बैंकिंग क्षेत्र के हित में इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता हूं।

हैण्डपम्पों के संबंध में, पेयजल की कमी और उसके संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में, मैं हैण्डपम्पों पर उत्पाद शुल्क में पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

निकिल और मेटकोक के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं। अब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पुनरुद्धार के चरण में इस्पात उद्योग के लिए कतिपय कदम उठाए थे। इससे पूर्व, मैंने निकिल और मेटकोक पर आयात शुल्क को 5 प्रतिशत या 15 प्रतिशत जो कि उत्पाद पर आधारित है से 10 प्रतिशत कर समान कर दिया था। अब इस बारे में यहां अभ्यावेदन है कि इससे लौह और इस्पात और फेरो एलोय उद्योगों की लागत बढ़ गई है। एक तरफ हम इस्पात जैसे अति महत्वपूर्ण उद्योग के पुनरुद्धार के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे प्रति उत्पादक होना चाहिए। पूरे उद्योग को राहत हेतु, मैं इन उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले मेटकोक को विशेष अतिरिक्त शुल्क की छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

इसी तरह से, इस्पात बनाने वाले उद्योगों में प्रयुक्त निकिल आक्साइड सिंटर और अनरॉट निकिल को भी विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) से मुक्त किया जाता है। इस बजट में, हमने निकोटीन पोलासरिलेक्स गम पर शुल्क को 16 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत कर दिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि चूंकि इस गोंद का विशेषकर तम्बाकू की लत हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे भी उस किस्म की अन्य दवाओं के समान माना जाना चाहिए। मुझे इस तर्क में कुछ दम नजर आया है। मैं निकोटीन पोलासरिलेक्स को पूर्णतः उत्पाद शुल्क की छूट देता हूं।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अनेक ऐसी सिरेमिक टाइल की इकाइयां हैं जो इनके भट्टों को जलाने के लिए बिजली और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का उपयोग नहीं करती हैं और कम शुल्क लगाए जाने की हकदार हैं। मैं इससे सहमत हूं। इसलिए, मैं भट्टों को जलाने के लिए बिजली और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का उपयोग न करने वाली परन्तु लकड़ी अथवा कृषि अपशिष्ट का प्रयोग करने वाली इकाइयों द्वारा बनाई जाने वाली टाइलों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुझे श्री आदि शंकर से सुझाव प्राप्त हुआ है कि कृषि अपशिष्ट से निर्मित शत, प्रतिशत वुड-फ्री-प्लेन अथवा प्री-लेमिनेटेड पार्टिकल अथवा फाइबर कोड जिनके संबंध में उत्पाद शुल्क छूट के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, के लिए नियत उत्पाद शुल्क में छूट को शत-प्रतिशत फोरेस्ट वुड फ्री बोर्ड को दिया जाना चाहिए। कृषि आधारित उद्योगों पर आठ प्रतिशत शुल्क पहले से ही है। तथापि मैं फोरेस्ट वुड-फ्री बोर्ड के प्रयोग हेतु भी शुल्क में रियायत देने के सुझाव की जांच करूंगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण उद्योग है जहां हमने जोर-शोर से शुरूआत की है। सूचना औद्योगिकी की वस्तुओं के घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं विशिष्ट पूंजीगत उपकरणों पर सीमा-शुल्क को 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

लेखन संबंधी उपकरणों के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उनमें घरेलू लेखन उपकरण बनाने वाले उद्योग ने ऐसे उपकरणों की विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कतिपय कच्ची सामग्रियों पर सीमा-शुल्क में राहत दिए जाने की मांग की है। इसलिए, मैं लेखन उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला डिकोरेटिव ट्रांसफर फिल्मस् और डेस्टफ्स पर सीमा-शुल्क को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, जहां तक चाय के विकास का संबंध है 1 रुपये का उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर इतना ही उपकर चाय उद्योग के विकास हेतु लगाया गया

है। कई सदस्यों ने विशेषकर श्री सन्तोष मोहन देव जैसे असम के सदस्यों ने अभ्यावेदन दिया था कि 1 रुपये के इस उपकर को भी हटाया जाना चाहिए। इस मांग के प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन मैं इस बारे में भी सोचता हूं कि पूरे चाय उद्योग के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है। जैसा कि आप अवगत हैं कि दक्षिण में चाय उद्योग की समस्याएं असम के चाय उद्योग से अलग हैं। कुछ उपायों जैसे बागान कोष की घोषणा प्रधान मंत्री ने की है और चाय उद्योग के आधुनिकीकरण के लाभार्थ 1 रुपये के उपकर की घोषणा की गई है। यह सबसे पुराने कृषि उद्योगों में से एक है। हमें इसे अनवरत रूप से विभाजित करना चाहिए। मैं ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं नहीं समझता कि इस समय 1 रुपये को हटाने से इसको कोई सहायता मिलेगी। मुझे ही सरलता होती यदि कोई और विचार दिया जाता।

मैं आशा करता हूं कि इस समय श्री सन्तोष मोहन देव इसे स्वीकार करेंगे। यदि मैं, इसे नहीं मानता हूं तो इसका कारण यह नहीं है कि चाय उद्योग के प्रति मेरी कोई वचनबद्धता नहीं है बल्कि वास्तव में मैं महसूस करता हूं कि 1 रुपये का प्रभार बहुत कम है। हमें कुछ समय तक इसे करने दीजिए और बाद में देखिए कि क्या होता है।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : कॉफी उद्योग के बारे में क्या कहना है?

श्री जसवंत सिंह : कॉफी वहां पहले से ही है। मैंने अभी कॉफी के लाभार्थ घोषणा की थी। मैं कॉफी के मूल्यों के बारे में जानता हूं। कई कारक हैं। मैं इन पर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर) : विगत में भी इस उद्योग के सामने कई संकट आए हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे पूरी तरह से छूट दे दी थी और अब इसे वापस लाया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा के लिए इसमें छूट दे दें। इस मंदी की अवधि में इसमें छूट दी जा सकती है। मेरा मात्र यही अनुरोध है।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसे मानता हूं। सभी बागान उद्योग वर्तमान में मंदी के दौर से गुजर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा इस बात को समझें कि वित्त मंत्री का कार्य कोई सराहनीय कार्य नहीं होता। प्रत्येक ने वित्त मंत्री से संसाधनों के बारे में पूछा है और कोई यह नहीं कहता कि उन्हें संसाधन जुटाने चाहिए...*(व्यवधान)* कृपया मेरे साथ सहानुभूति रखें। आप जो कह रहे हैं मैं उसी को सत्य मानूंगा क्योंकि मुझे वित्त विधेयक की प्रतीक्षा नहीं करनी है। मैं पुनः प्रधान मंत्री के पास जाऊंगा और इस विषय पर उनके निर्देश लूंगा। किन्तु पहले मुझे इस मुद्दे पर बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मंत्री महोदय, कर–संग्रहण प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं कर–संग्रहण प्रणाली को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। श्री पवन कुमार बंसल कर–संग्रहण प्रणाली के बारे में बहुत अधिक उत्तेजित हैं। मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : हम इसके सुधार हेतु उपाय नहीं सुझा रहे हैं। यही मैंने कहा है। इन मामलों में लगभग 59000 करोड रुपये की राशि रुकी हुई है। यह धनराशि चूककर्ताओं पर बकाया है...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं खाद्य तेल के बारे में बात करना चाहता हूं। माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने 8% यथामूल्य शुल्क का प्रस्ताव किया था लेकिन किन्तु यह विशेष रूप से ब्रांड वाले रिफाइंड खाद्य तेल और फुटकर विक्रय हेतु मुहरबंद डिब्बों में पैक वनस्पति के लिए यह प्रस्ताव किया था। मैंने इस उपाय के कार्यान्वयन का अध्ययन किया है। वास्तव में इसे लागू किया जाएगा। मैंने माना है कि ऐसे ब्रांड वाले तेल को बिना ब्रांड वाले तेल में बदलने से और शुल्क के भुगतान से बचने के कारण हुआ है। निःसन्देह मैं बहुत चिन्तित हूं कि खाद्य तेल के मूल्यों में अनुचित वृद्धि हुई है। इसलिए स्पष्टतया ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जिससे मूल्य स्थिर होंगे और उत्पाद शुल्क में कमी दूर होगी। इस उद्देश्य के साथ मैं एक किग्रा. रिफाइन्ड खाद्य तेल को एक रुपये की और वनस्पति तेल पर 1.25 पैसे प्रति किग्रा. की विशिष्ट शुल्क दर का प्रस्ताव करता हूं। फिराइनकारी विक्रय केन्द्रों पर लागू यह विशिष्ट दर ब्रांड वाले अथवा बिना ब्रांड वाले तेल के लिए नहीं होगी। यह दर प्रस्तावित आठ प्रतिशत शुल्क का स्थान लेगी। यह एक रुपये दर की राशि बहुत कम है और इस दर से देखी गई विसंगतियां ठीक हो सकेंगी।

साथ ही, मैं आर.बी.डी. पाम आयल पर सीमा शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत—जो 15 प्रतिशत शुल्क में कमी होगी--का भी प्रस्ताव कर रहा हूं जिससे आयातित परिष्कृत

[श्री जसवंत सिंह]

पाम ऑयल और अपरिष्कृत पॉम आयल के बीच उच्च शुल्क अन्तर समाप्त हो। इसके अतिरिक्त ऐसे परिष्कृत पाम ऑयल को एस.ई.डी. से भी छूट दी जाएगी। यह चार प्रतिशत से थोड़ी अधिक की अतिरिक्त कमी है। अतः कुल मिलाकर हम आयातित पाम ऑयल पर बीस प्रतिशत आयात शुल्क कम कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, इससे खाद्य तेल उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने माननीय मंत्री को अगले दिन बताया था कि अब कच्चा घानी की कोई प्रणाली नहीं है। लोग उत्तेजित हैं...*(व्यवधान)* मैंने अनुरोध किया था कि उन्हें पेट्रोलियम पदार्थ परिष्करण और सरसों तेल परिष्करण के मध्य भ्रम नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : यह केवल पॉम ऑयल के बारे में है...*(व्यवधान)* इसकी दर कम हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, मुझे याद है आपने यह मुद्दा उठाया था। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान विरोधी है।...*(व्यवधान)* किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है।...*(व्यवधान)* अब सरकार ड्यूटी कम कर रही है।...*(व्यवधान)* इससे किसान मरेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : इससे नारियल पर प्रभाव नहीं पड़ता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यह सरकार गरीब विरोधी है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह अत्याचार है। किसान पर अत्याचार है। हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो तेल का उद्योग है, उस पर अत्याचार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। मंत्री को उत्तर देने दीजिए। आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : इसमें नारियल शामिल नहीं है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री को उत्तर देने दीजिए। मुझे बताइए उन्हें क्या कहना है। आपने प्रश्न उठाया है। अब इस बारे में मंत्री को कहने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटे–छोटे पेड़ हैं...*(व्यवधान)* आठ फीट नीचे लाकर वे तेल निकालते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, विदेशों से सस्ता माल हमारे यहां आएगा।...*(व्यवधान)* और यहां के खाद्य तेलों की कीमत कम हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, पामोलीन के आयात पर शुल्क कम करने से देश में नारियल की खेती करने वालों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देश में पामोलीन का और अधिक आयात होगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तरफ सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है और दूसरी तरफ कस्टम ड्यूटी घटा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया मुझे सुनने दीजिए कि मंत्री क्या कहने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह व्यवधान नहीं डाल सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो मंत्री अपना भाषण पूरा करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उत्तर दें। आप बैठिए। आप बोलते रहेंगे तो मंत्री जी का उत्तर कैसे आएगा? उन्हें उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अब भाषण जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, इसमें नारियल शामिल नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत दी। आपने प्रश्न पूछा। अभी प्रश्न पूछने के बाद मंत्री जी को उत्तर देने चाहिए। अभी आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : यदि आप मुझे बोलने दें तो मैं बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, आप बैठिए। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पामोलीन तेल उत्पादक किसान पहले से ही कष्ट भोग रहे हैं और यदि मंत्री जी पामोलीन के आयात पर सीमा शुल्क में और कमी करते हैं तो वह स्थानीय किसानों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। अब मंत्री को उत्तर देने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, देश में लाखों नारियल किसान पीड़ित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, शुल्क में कमी पायोलीन पर ही है। नारियल किसानों के हितों की पूर्णरूपेण रक्षा की जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, पामोलीन के आयात पर सीमा शुल्क कम करने से देश में और अधिक पामोलीन का आयात किया जाएगा। इसलिए नारियल किसानों पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? यह एक गम्भीर मुद्दा है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष भी आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा था कि कम शुल्क के साथ पामोलीन तेल का आयात करने के कारण मूंगफली किसान और नारियल के किसान इस देश में पीड़ित हैं और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया था कि पामोलीन के तेल के आयात पर शुल्क में वृद्धि करना बेहतर होगा ताकि हमारे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। उसके बाद, माननीय मंत्री महोदय आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सहमत हुए। अब, पामोलीन के आयात पर शुल्क में कमी से, मूंगफली और नारियल उगाने वाली किसानों पर फिर से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं उनसे इस मुद्दे का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे मंत्री जी का उत्तर सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। दक्षिण भारत के सभी संसद सदस्यों ने कई बार देश में नारियल उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए पामोलीन के आयात पर शुल्क में वृद्धि करने को कहा है। अब पामोलीन के आयात पर शुल्क में कमी के कारण, देश में पामोलीन का अधिक आयात होगा। नारियल और मूंगफली उगाने वाले हमारे किसान पहले से ही हानि उठा रहे हैं।

अपराह्न 13.00 बजे

हम हर बार अधिक शुल्क के लिए कह रहे हैं। अब, दुर्भाग्यवश, वित्त मंत्री महोदय शुल्क घटाने की बात कर रहे हैं। ऐसा करना देश में नारियल और मूंगफली उगाने वाले किसानों के हितों के प्रतिकूल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पहलू पर पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा, अन्यथा इससे पूरे दक्षिण भारत को हानि होगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो मुद्दा विपक्ष उठाना चाहता है वह माननीय मंत्री के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। मंत्री जी को आपके द्वारा उठाए प्रश्नों के आधार पर उत्तर देने हैं। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करते हैं, तो आप उन्हें टोक देते हैं। यदि आप इसी तरह टोकना जारी रखते हैं, तो आप उनसे समुचित उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृपया सहयोग कीजिए।

मैं माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए। मुझे खेद है कि मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा गत वर्ष भी उठाया गया था। मुझे उक्त मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, उक्त मुद्दा केवल पामोलीन के आयात से संबंध रखता है। इसमें मूंगफली शामिल नहीं है, इसमें कवरकोदरा शामिल नहीं है। इसमें सोया शामिल नहीं है...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यदि आप पामोलीन पर शुल्क में कमी करते हैं तो यह अन्य तेलों, उदाहरण के लिए स्वदेशी नारियल के तेल की कीमतों को प्रभावित करेगा।

क्या मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं? कच्चे पामोलीन का आयात कुल आयात का 97 प्रतिशत बैठता है...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात समझिए। अब, शुल्क संरचना में कच्चे सामान के आयात में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि कुल पामोलीन आयात का केवल तीन प्रतिशत ही परिष्कृत है और इससे क्या हो रहा है कि यह देश के बड़े हिस्से में तेल की उपभोक्ता कीमतों पर एक निश्चित सीमा तक दबाव में इजाफा कर रहा है। मैं अब जो कर रहा हूं वह आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क हटाने के लिए कर रहा हूं।

श्री येरननायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की बात कही। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने मुझे पत्र लिखा और उत्पाद शुल्क में कमी करने को कहा ताकि आंध्र प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वे लाभान्वित हो सकें। मुझे अन्य मुख्यमंत्रियों की ओर से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने यह कहा कि तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण उनके राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव बन रहे हैं। हमने जो किया है, वह यह कि हमने इसे नीचे लाने का प्रयास किया है।

यहां एक सुझाव दिया जाता है कि आने वाले कच्चे पामोलीन का 97 प्रतिशत पर शुल्क संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। सत्तानवें प्रतिशत...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, देश में कच्चा तेल आयात किया जाता है और इसे यहां पर परिष्कृत किया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : यह केवल रिफाइंड तेल पर है, जो कि आयातों का तीन प्रतिशत है...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य से बैठ जाने का अनुरोध करता हूं। वह स्वयं को कष्ट क्यों देते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : क्योंकि हम भूखे मर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : वह नहीं...*(व्यवधान)* मैं इसका ध्यान रखूंगा। हम अवश्य ही इसके परिणामों का अध्ययन करेंगे। यह नहीं है कि मानों शुल्क प्रबंधन...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से इन राज्यों के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाने और उनके साथ चर्चा करने का अनुरोध करूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय संसद सदस्यों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, ऐसा इसलिए हो सकता है कि मंत्री महोदय इस समस्या से अवगत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप इसकी चर्चा उनके साथ कर सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...महोदय, आप यह स्वीकार करेंगे कि किसी भी प्रणाली में हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जिसमें शुल्क संरचनाओं पर बात की जा सके। हम निश्चय ही इसकी जांच करेंगे। मैं यहां पर व्यक्त की गई चिंता पर पूरी तरह से विचार करूंगा। यहां उस रिफाइंड पामोलीन का केवल तीन प्रतिशत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं इस पर बहुत सावधानीपूर्वक नजर रखूंगा। लगभग दस दिन के समय में—मैं उन सदस्यों से परिणाम देखने का अनुरोध करूंगा जिन्होंने घरेलू तेल कीमतों की स्थिति पर नजर रखकर अपनी चिंता व्यक्त की है। ऐसी बात नहीं है कि इनमें परितर्वन नहीं किया जा सकता है। ये शुल्क संरचनाएं पत्थरों पर नहीं लिखे जा रहे हैं कि वे परिवर्तित नहीं किए जा सकते। यह बात तर्कसंगत है कि यदि कोई प्रतिकूल परिणाम अथवा प्रतिकूल प्रभाव महसूस किया जाता है तो हम अवश्य ही इसमें संशोधन कर देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : और अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : अब मुझे वस्त्र विभाग पर ध्यान देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वस्त्र विभाग का महत्वपूर्ण मुद्दा। हां।

श्री जसवंत सिंह : यह गत कुछ सप्ताहों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण वाद–विवादों का मामला रहा है। जैसा कि मैंने वित्त विधेयक पर वाद–विवाद के आरम्भ में कहा, वस्त्र उद्योग में जो कि देश में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है जैसा कि मल्टी फाइबर समझौता 2004 के अन्त में समाप्त होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रमुख चुनौती सिर्फ 18 महीने दूर है। इसलिए वस्त्र उद्योग के संबंध में प्रस्तावों का मूल विचार हथकरघे की पूरी तरह से रक्षा करना था। हथकरघे पर किसी भी फैशन के समय में प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे बनारसी सिल्क हो, कांचीपुरम हो, चंदेरी हो, चाहे यह सारे...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे यह भी स्पष्ट रूप से सरकार की प्रतिबद्धता के तौर पर कहना चाहिए कि हम पूरी तरह से छोटे और स्वनियोजित बुनकरों और वस्त्र उत्पादकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि हम इसे कैसे करेंगे। देश में उत्पाद शुल्क में शुल्क संरचना में कमी करना जो हमने पहले कभी नहीं किया है। हमने वस्त्र मशीनरी पर सीमा शुल्क को काफी कम किया और इसे कुछ मशीनरी पर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है जैसा कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा बताया गया है। हमने बजट प्रस्तुतिकरण के समय विद्युत–करघों के लिए आधुनिकीकरण पैकेज को बढ़ावा देने की घोषणा की है। अब, हम पहले ही समस्त वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय और तकनीकी पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। जैसा कि हमने इस्पात उद्योग के लिए किया है। इसे 'कैनवाट' शृंखला को पूर्ण करने और मानित ऋण को समाप्त करने के लिए किया गया और अन्ततः वस्त्र उद्योग के मामले में देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारने के लिए किया गया जिसमें भारत का स्थान कभी पूरे विश्व में शीर्ष पर था, वह आज नं. 4 पर है। हम बांग्लादेश से पीछे हैं। हम पाकिस्तान, थाइलैण्ड और चीन से पीछे हैं। यदि हम इस क्षेत्र में सुधार नहीं करेंगे

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जसवंत सिंह]

तो यह मेरे लिए अत्यन्त पश्चाताप का विषय होगा। ऐसा न हो कि कहीं हम श्रीलंका से भी पीछे हो जाएं।

अब, मैं माननीय सदस्यों को एक और तथ्य बता रहा हूं और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा की वे कृपया इस पर सोच–विचार करें। महोदय वर्ष 2002–03 में वस्त्र उद्योग से कुल 3,775 करोड़ रु. का सीमा राजस्व प्राप्त हुआ था। यह एक स्थापित आंकड़ा है। उद्योग ने 1100 करोड़ रु. की अनुमानित राशि बतौर मानित ऋण के रूप में प्राप्त की है। मानित ऋण धन नहीं होता। यह सरकार के पास नहीं आता। यह उड़ जाता है। इस क्षेत्र को 2300 करोड़ रु. की ड्यूटी ड्रा बैक के रूप में और 13 करोड़ रु. ड्यूटी एनटाइटलमैंट पासबुक (डीईपीबी) के रूप में प्राप्त हुए। यह कुल 3,600 करोड़ रु. होता है। कृपया इस पर सोच–विचार करें। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे इस पर प्रकाश डालें। हमारा कुल वस्त्र उत्पादन 3,775 करोड़ रु. का है। इन आंकड़ों के अनुसार उसमें से 3,600 करोड़ रु. का निर्यात है। 3700 करोड़ रु. से ज्यादा के कुल वस्त्र उत्पादन में से 3600 करोड़ रु. का निर्यात किया गया? मैं इसी को सही करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या यही 'केनवाट' शृंखला को पूर्ण करने और मानित ऋण को समाप्त करने के लिए किया गया है। अब हम वर्तमान में जो विशेष कदम उठा रहे हैं उनकी इस घोषणा पर हूं। मैंने हमेशा यह कहा है कि हम वस्त्र उद्योग के प्रति वचनबद्ध हैं इसलिए यह सोचना ही गलत है कि हम लघु या स्वरोजगारों का ध्यान नहीं रखेंगे? अब मैं घोषणा करता हूं कि यह संभव है।

कुछ विद्युत करघा और वस्त्र उद्योग के लोगों से जुड़ी एक और चिंता की बात है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यह भी संभव है कि कई विद्युत करघा मालिक जो कि सव–रोजगार में लगे हैं उन्होंने अभी तक भी आय–कर रिटर्न नहीं भरा है। मैं यह पहले ही स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक उचित खाते भी तैयार नहीं किए हैं। मैं नहीं चाहता कि वे परेशान हों। मैं 'इंस्पेक्टर राज' को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं इसलिए या तो वे 'केनवाट' के प्रयोजनार्थ अपने स्टॉक की घोषणा करें या इसमें शामिल हों। इसलिए आयकर विभाग को यह निर्देश दिया गया है ताकि उन्हें और विद्युत करघा क्षेत्र या गारमेंट को मुख्य धारा में लाया जा सके। विद्युत करघा मालिकों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने स्टॉक की घोषणा करें। उनके द्वारा घोषित स्टॉक का मूल्य चाहे जितना भी हो और यदि वह प्रति विद्युत करघा 10,000 रु. से अधिक नहीं है तो ऐसी घोषणा पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की जाएगी या संवीक्षा या जांच नहीं की जाएगी।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इसके बारे में कोई व्यवस्था होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : इंस्पेक्टर राज की बात कही है कि नहीं रहेगा, लेकिन यह फिर आ गया।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : हथकरघा और रेडीमेड गारमेंट्स पर उत्पादन शुल्क लगाया है, मंत्री जी उसको वापिस ले रहे हैं या नहीं, इस बारे में साफ सदन में बतलाना चाहिए। रेडीमेड पर पहले एक करोड़ पर उत्पादन शुल्क माफ था, लेकिन मंत्रीजी उसको वापिस लेने का काम नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : गरीब भी पावरलूम से कपड़ा लेते हैं...*(व्यवधान)*

श्री राज बब्बर (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, आपके विचार और वाकपटुता ने भली–भांति प्रूव कर दिया है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कह रहे हैं। आगे–पीछे करके आपके विचारों को जोड़कर देखा जाए, तो टैक्सटाइल इन्डस्ट्री को कहीं न कहीं राहत दे रहे हैं, लेकिन हिन्दोस्तान इंडस्ट्रीज खत्म होती जाएगी और सरकार मल्टीनेशनल्स को दावत दे रही है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री की बेसिक सवाल कपड़े से है। कपड़े पर वैट लगाया और वैट की कैटेगरी में कपड़े को रख दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री को अपना भाषण पूरा कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर : माननीय मंत्री जी जिस तरह से बातों में उलझा रहे हैं, हम इनकी बातों में उलझते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन टैक्सेस का भार आम आदमी पर पड़ने वाला है...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : आप मेरी बात सुनिए। भार नहीं पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न इनके भाषण के समाप्त होने के बाद पूछ सकते हैं। अभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं इकाइयों के लिए विशेष व्यवस्था की घोषणा करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना भाषण पूरा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : मंत्री जी भाषण खत्म कर रहे हैं लेकिन यह बताएं कि वह एक्साइज ड्यूटी खत्म कर रहे हैं या नहीं?...*(व्यवधान)* इसे लेकर लोग आन्दोलन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : हथकरघा पर जो उत्पाद शुल्क लगाया गया है, उसे वापस लेना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, बैठिए। यह तरीका ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी को भाषण खत्म होने के बाद आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। मंत्री जी को भाषण पूरा करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इनके भाषण के समाप्त होने पर आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा, मैं आपको मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। मैं और व्यवधान नहीं चाहता। अब उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। तत्पश्चात्, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखें और उसे पूरा करें।

श्री जसवंत सिंह : इसलिए, मुझे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए। पहले मैं घोषणा करूंगा और फिर स्पष्ट करूंगा। मेरा विचार असंसाधित वस्त्रों को 20 लाख रुपये की पहली स्वीकृति तक उत्पाद–कर से पूर्ण छूट देने का है बशर्ते कि वह 25 लाख का वार्षिक कारोबार करने वाली इकाइयों द्वारा तैयार किया गया हो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला यदि आप व्यवधान डालेंगे तो मैं फिर आपको आगे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जसवंत सिंह : मैं लघु उद्योग और स्वरोजगार वालों की बात कर रहा हूं। अब मैं 20–25 लाख रु. के मार्जिन का मतलब स्पष्ट करता हूं। इसका मतलब है कि जो विद्युत करघे मालिक या परम्परागत विद्युत करघे के संचालक जिनके पास आधुनिक किस्म के विद्युत करघे नहीं हैं और 10 हथकरघे तक हैं उन्हें उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा है।

श्री जसवंत सिंह : मैं मात्र यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण जो मैं कह रहा हूं उसे सुनें। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। मैंने इसे आयकर के सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे अपने स्टॉकों की घोषणा कर देते हैं और प्रति करघा स्टॉक 10,000 है तो उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि यह स्टॉक कहां से आया या उनका इतिहास क्या है। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। दूसरे, मैंने ऐसा कहा क्यों है?

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : आप हमें पूंजीगत निवेश के बारे में भी बताएं।

श्री जसवंत सिंह : मैं उन जटिलताओं में नहीं जाना चाहता हूं। उनकी घोषणाएं बाद में की जाएंगी...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : ट्रैडिशनल पावरलूम से क्या मतलब है?

श्री जसवंत सिंह : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक–एक शट्टल पावरलूम है। आजकल कुछ नए ईजाद हुए हैं जो

[श्री जसवंत सिंह]

बिना शट्टल के हैं। वे ऑटोमैटिक पावरलूम हैं। उनका प्रोडक्शन बहुत हाई है और उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक–एक पावरलूम की कीमत बहुत अधिक है। जो सैल्फ एम्पलायड हैं, जो अपने आप काम करते हैं, वे 60–70 लाख के पावरलूम नहीं ले सकते हैं। आपने ट्रैडिशनल पावरलूम की बात की है। यह हर राज्य में अलग–अलग हैं। मसलन यूपी में पुराने किस्म के पावरलूम चल रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप मेरी बात सुनते नहीं हैं। मेरी बात सुनने के बाद नाराज हो सकते हैं। मैं यह कह रहा हूं।

[अनुवाद]

यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते तो उन्हें 'कैनवाट' में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिकतम हम इन परिस्थितियों में 'कैनवाट' शृंखला को पूरा करने के लिए तथा मानित ऋण की समाप्ति के लिए कर सकते थे किया है जिसके बारे में मैंने माननीय सदस्यों को स्थिति के बारे में अभी बताया है। अब मैं सिलेसिलाए वस्त्रों की बात पर आता हूं। मुझे स्पष्ट करने दीजिए कि इन 20–25 लाख रु. से मेरा क्या तात्पर्य है।

20 लाख रु. तक की पूर्णतया छूट है। मैं गलत भी हो सकता हूं और वास्तविक आंकड़े कुछ और भी हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक विद्युत करघा समान मात्रा में वस्त्र का उत्पादन नहीं करता है। इसलिए मैंने ऐसा क्यों कहा '20 लाख रु. से 25 लाख'? यह एक और सुरक्षा है जो मैं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

माननीय सदस्यों को लगता है कि यह 20 लाख से एक रुपया हो गया है तो अपनी 20 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा। मैं यह कुशन दे रहा हूं। 20–25 लाख पर तो आपको 5 लाख टैक्स लगेगा।

[अनुवाद]

यह एक कुशन है जो मैं प्रदान कर रहा हूं। मैंने अत्यन्त कड़े निर्देश दे दिए हैं कि इन विद्युत करघों का दौरा नहीं किया जाएगा। इनकी जांच नहीं की जाएगी। मैंने एक स्व–मूल्यांकन योजना प्रारंभ की है ताकि इन विद्युत करघों के मालिक अपना स्व–मूल्यांकन दे सकते हैं।

[हिन्दी]

यह हमारा प्रोडक्शन है। मैं आपको इंश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर कभी किसी माननीय सदस्य को यह शिकायत भी मिल जाए कि कोई एक्साइज इंस्पेक्टर वहां जाएगा।

[अनुवाद]

तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं उस स्थिति का ध्यान रखूंगा।

अब मैं सिले हुए वस्त्रों पर आता हूं। मेरा विचार बिना ब्रांड के बुनाई और कढाई वाले तैयार वस्त्रों को भी 25 लाख के पहले स्तर तक उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त रखने का भी है बशर्ते कि वार्षिक कारोबार 30 लाख रु. से अधिक का न हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यगण प्रसन्न होंगे। इस प्रकार की 25–30 लाख सैल्फ एम्पलायड इकाइयों को यद्यपि एक ही रिकार्ड रखने की आवश्यकता होगी और यह रिकार्ड होगा उनके द्वारा खरीदे गए धागे और तैयार वस्त्रों का। मैं उन्हें कोई और रिकार्ड रखने की बात नहीं कह रहा।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय में कर अनुसंधान इकाई है। कर अनुसंधान इकाई में देश के सभी वस्त्र उत्पादकों का ब्यौरा है। हमने कर अनुसंधान इकाई के ब्यौरा का विस्तार से मूल्यांकन किया है। मैंने पाया कि 85 प्रतिशत वस्त्र उत्पादक 20 लाख रु से 25 लाख रु. तक के दायरे में आते हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। जो इससे ऊपर हैं वे वाकई बड़े वस्त्र उत्पादक हैं। वे स्वरोजगार परक नहीं हैं। यह कार्य किराये के श्रमिकों की मदद से करते हैं। मैंने एक और तथ्य पर विचार किया है—देश में आम नागरिक की सामान्य औसतन वार्षिक आय कितनी है। इसके अतिरिक्त, वस्त्रों में यदि आप 20 लाख रु. से 25 लाख रु. तक की पूर्ण कर छूट प्रदान करते हैं तो यह एक सामान्य व्यक्ति की आय के कई गुणा है।

[हिन्दी]

इसमें जो सैल्फ एम्पलायड है, जो खुद हाथ से काम करते हैं, चाहे वह अपने घर पर काम करता हो या किसी

छोटी सी कोठरी किराये पर लेकर काम करता हो, अगर वह खुद ब्रांड का इस्तेमाल करता है और कई लोग कहते हैं कि वह अपना लागकर दिया, उसकी 20 लाख रुपये पर एक्साइज ड्यूटी नहीं होगी, यह मेरा आपसे वायदा है।

[अनुवाद]

मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं कि मेरा विचार इस छूट योजना के दायरे में रबड़ के धागे वाले वस्त्रों, सूती थानों, मच्छरदानियों और मोनोफिलामेंट के वस्त्रों को भी लाने का है। किसी ने इन मच्छरदानियों पर छूट का प्रश्न उठाया है। वे इससे पूर्णतया मुक्त है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि यह 50 लाख करवा दीजिए। इस समय सारे लोग देश में हड़ताल पर हैं। एक करोड़ से कम करके 25 लाख करना बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली और देश की बाकी जगहों पर इंडस्ट्रीज एक महीने से बंद पड़ी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम 50 लाख रुपये करवा दीजिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : माननीय वित्त मंत्री जी, इसे कम से कम 50 लाख करिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे एक करोड़ रुपये तक करिए। यह माननीय वित्त मंत्री जी को यह मानना पड़ेगा कि एग्जैम्प्शन पहले एक करोड़ रुपये था, आपने उसे घटाकर 25 लाख कर दिया।...*(व्यवधान)* महंगाई बढ़ रही है, यह एगजैम्प्शन एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ करने की जगह पर आप इसे 25 लाख कर रहे हैं। 25 लाख आपने बहुत कम किया है, आपको इतना कम नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो एक करोड़ की जगह पर 50 लाख कर दें।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : इसे कम से कम 50 लाख कर दीजिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सर, पचास लाख भी कम हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, आप बैठिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : एक करोड़ रुपये से घटाकर आपने 25 लाख रुपये किया है, यह गलत है, यह अन्याय है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, रेडीमेड गारमेंट्स पर जो उत्पादन शुल्क एक करोड़ रुपये तक मुक्त था, वह पूरा का पूरा माफ होना चाहिए।...*(व्यवधान)* कृषि के बाद इस उद्योग में सबसे अधिक लोग काम करते हैं। 25 लाख रुपये क्या होते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स पर पूरा का पूरा पैसा माफ होना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स पर जो उत्पादन शुल्क 25 से 30 लाख रुपये लगाया गया है, वह पूरा माफ होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का भाषण चल रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि एग्जैम्शन हम एक मर्यादा तक दे सकते हैं। आप मर्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए यह कोई तरीका नहीं है कि सदन में लोग खड़े होकर बोलें, तब मंत्री जी करेंगे। लेकिन हो सकता है कि सदन की इच्छा को वह जरूर ध्यान में रखें और इस विषय में आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अभी आप मंत्री जी को बोलने दें। उन्हें जो कहना है वह कहेंगे। अब आप मुझे मंत्री जी को सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आपको कितना समय और लगेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : सर, खुराना जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वह भी उत्पादन शुल्क बढ़ाने पर नाराज हैं और पार्टी के बहुत लोग नाराज हैं, मंत्री जी को इस मामले में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप किना समय और लेंगे।

श्री जसवंत सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : वह पूरी तरह से असंगठित हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : आपको जो जंचे वह गाली जरूर दीजिए।...*(व्यवधान)* यह मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो

[श्री जसवंत सिंह]

कुछ भी किया गया है, यह सभी विचार करके और सारा विश्लेषण करके किया गया है। जैसा पहले मैंने निवेदन किया कि यह संभव नहीं है कि इस प्रकार से हम कुछ भी रेट्स दे दें। मैं इस पर आगे चलता हूं। यही चीज रबराइज्ड टैक्सटाइल फैब्रिक्स, कॉटन बैल्टिंग, मॉस्कीटो नैट्स एंड फैब्रिक्स ऑफ मोनो फिलामेंट पर भी लागू होगी।

[अनुवाद]

मैं मुख्यतः हस्त–प्रसंस्कृत वस्त्रों पर जिनमें विद्युत या भाप की सहायता से कुछ विशेष अंतिम प्रसंस्करण किए जाते हैं जिससे उनमें पूर्णतः विद्युत या भाप की सहायता से प्रसंस्कृत वस्त्रों से आवश्यक भिन्नता लाई जा सके। पर शुद्ध सूती वस्त्र के मामले में दस प्रतिशत से पांच प्रतिशत और अन्य वस्त्रों के मामले में दस प्रतिशत से आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इस प्रोत्साहन से हस्त प्रसंस्करण उद्योग आगे आएगा और जल प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाने के आवश्यक कदम उठाएगा। मैं इस उद्योग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के परिप्रेक्ष्य में हस्त प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए शुल्क प्रणाली की आगे समीक्षा करूंगा।

मैं बजट में वस्त्र पर अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में देखी गई विसंगतियों को भी दूर करना चाहता हूं। ये निम्नलिखित हैं :

मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि पहने जाने वाले वस्त्रों पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है जबकि परिधानों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरलाइनिंग वस्त्रों पर यह 16 प्रतिशत है। इस विसंगति को दूर करने के लिए मैं इंटरलाइनिंग वस्त्रों पर भी उत्पाद शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अब मैं पुराने धागों से बने कपड़े की बात करूंगा। यह लघु और महत्वपूर्ण उद्योग है किन्तु यह देश के विभिन्न भागों में स्थित है। उसमें मुख्य सामग्री आयातित पुराने धागे होते हैं जिस पर शुल्क दर अधिक है और इस पर यह आपत्ति की जाती रही है कि हमारा कुछ विशेष दर्जा था इसलिए शुल्क दर जारी थी।

पूरी विषय वस्तु का आकलन करने के बाद मुझे लगता है कि वस्तुतः पुराने धागों के उद्योग को लाभ मिलेगा और इसलिए मैं अब इस उद्योग की प्रमुख कच्ची सामग्री कतरनों पर आयात शुल्क को वर्तमान 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह शुल्क में 20 प्रतिशत की कमी है। मुझे लगता है कि इससे पुराने धागों के उद्योग की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

आगे मैं मोटे बाल और पटसन के रेशों को कच्चे ऊन के समकक्ष लाना चाहता हूं और मैं जानवरों के मोटे बाल और पटसन के रेशों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने इस वर्ष के बजट में बड़ी संख्या में वस्त्र उद्योग से जुड़ी मशीनों और उनके कलपुर्जों पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है ताकि वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिले। मुझे वस्त्र धागे, यार्न और कम लागत के उत्पादों के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाली कतिपय अन्य वस्तुओं तक इस सुविधा और लाभ को पहुंचाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके उत्तर में मैं वस्त्र से जुड़ी मशीनों और उनके कलपुर्जों की 117 और श्रेणियों को 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके बाद, मैं रेशम क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले ट्विस्टर्स और रिवाइंडिंग मशीनरी के लिए उपलब्ध 10 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क को बढ़ाकर इस प्रकार के सभी ट्विस्टरों और रिवाइंडिंग मशीनों पर भी लागू किए जाने का प्रस्ताव करता हूं चाहे ये मशीनें किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही हों।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विषय में पूर्वोत्तर के मुद्दे पर उस क्षेत्र के कई माननीय सदस्यों ने बोला है। मैं आत्मकथात्मक और हिचक के साथ कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर के लोगों से मेरा प्रेम 1958 से है। मैं वहां 1958 से 1962 तक रहा, 1962 के युद्ध में रहा, और मैंने पूर्वोत्तर में कई वर्ष बिताए। मैं इसके प्रति वचनबद्ध हूं। प्रधान मंत्री की पूर्वोत्तर के लिए घोषित औद्योगिक नीति केवल घोषणा मात्र नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, यद्यपि असम के मेरे सारे मित्र—श्री विजय हान्दिक यहां नहीं हैं—ने यह मुद्दा उठाया था, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक पूर्वोत्तर के लिए विकासात्मक रियायतों का संबंध है, हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। यहां वस्तुतः मुद्दा प्रधान मंत्री द्वारा दी गई विकासात्मक रियायतों के दुरुपयोग का है...*(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव : वह दुरुपयोग सिगरेट उद्योग द्वारा किया गया, दूसरों द्वारा नहीं।

श्री जसवंत सिंह : मैं इस विषय पर आऊंगा। मैं यह बात समझता हूं। मेरी इच्छा किसी उद्योग अथवा किसी संस्था

का नाम लेने की नहीं थी। लेकिन जो रियायत दी गई थी, बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि उसका दुरुपयोग किया गया "गेहूं के साथ धुन पिस गया" इसका परिणाम यह हुआ है कि एक जटिल वैधानिक आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है। मुझे विश्वास है कि आप भी इसे समझेंगे क्योंकि इस पर पूर्वोत्तर के भी कई माननीय सदस्यों ने बहुत आवेशपूर्वक बहस की थी। इनमें श्री सन्तोष मोहन देव भी थे, उन्होंने यह कहा था कि आप सिगरेट को बाहर रख सकते हैं और वहां स्थित तीन उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। इसमें पान मसाला है क्योंकि असम सुपारी का बहुत बड़ा उत्पादक है और पान और सुपारी भेंट करना एक परंपरा है। लेकिन महोदय, इसमें मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यह विषय पान मसाले से ही संबंधित नहीं है बल्कि यहां पर तम्बाकू और गुटखे का भी प्रश्न है। ये दोनों ही बुरी वस्तुएं हैं। यदि मैं यह छूट देता हूं तो पहले इसके बुराई होने के नाते इसे सिगरेट पर से वापस लेना होगा और इससे कानूनन स्थिति पेचीदा बनेगी। आप कृपया इसे मुझ पर ही छोड़ दें। मैं इस मुद्दे से पूरी तरह बंधा हुआ हूं। मैं इसके कानूनी और अन्य जटिल पहलुओं की जांच करूंगा और इस संबंध में मैं आपको आश्वस्त करता हूं। यह इसलिए है क्योंकि वे लोग वहीं रहे और उन्होंने असम और पूर्वोत्तर को नहीं छोड़ा।

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या माननीय मंत्री जी एक मिनट के लिए मुझे बोलने का अवसर देंगे।

श्री जसवंत सिंह : हां, अवश्य।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, न केवल पान मसाला उद्योग में विभिन्न उद्योगों द्वारा कुछ 1,700 इंजीनियरों को नियुक्त किया गया है बल्कि अन्य उद्योगों द्वारा भी उन्हें नियुक्त किया गया है। 'सानी' भी वहां पहुंच चुका है, गोदरेज भी वहां पहुंच चुका है। उन्होंने भी वहां अपनी इकाइयां खोली हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने शिलांग में इस पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि गैस क्रैकर संयंत्र और नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने को भी इसका लाभ मिलेगा।

इस पर विचार करते हुए, यदि आप इस बारे में अब भी कुछ नहीं कहते तो आप इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप पहले से ही त्रस्त राज्यों में और त्रस्त करने वाली स्थिति उत्पन्न न करें। आप इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि असम और अन्य क्षेत्रों में शांति बहाल की गई है। इस पर विचार करते हुए, जैसा कि आपने कहा, आप इसके अभिन्न अंग हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इस आन्दोलन में पूरी तरह शामिल थे। मैं जानता हूं कि आप वहां थे। मैं आपसे विभिन्न स्थानों पर मिल चुका हूं। आप कृपया इस पर मानवीय दृष्टिकोण से और रोजगारोन्मुखी दृष्टिकोण से विचार करें।

श्री जसवंत सिंह : मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : महोदय, मैं स्वयं को अपने साथी के साथ संबद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, साउडी यार्न के जो कम्बल बनते हैं, जिसकी कीमत 30 रुपये स्कवेयर मीटर से डेढ़ सौ रुपये स्कवेयर मीटर तक है, वे अभी तक एक्साइज ड्यूटी से कर मुक्त हैं। ये गरीबों के काम में आते हैं और इनकी कीमत 70 रुपये से डेढ़ सौ रुपये तक प्रति कम्बल होती है, उस पर एक्साइज लगा दिया है, इसे हमने माफ करने की मांग की है। दूसरी मेरी मांग यह है कि पावरलूम और रेडीमेड गारमेंट्स में जो 25 लाख की छूट दी है, उसे 50 लाख कर दिया जाए।

श्री जसवंत सिंह : इस पर बहस हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. ए. सांगतम : महोदय, आपके माध्यम से मैं सिगरेट कंपनी के संबंध में एक बात साफ–साफ कहना चाहता हूं। यह विदेशों से तैयार माल के रूप में आता है और इसे करों में छूट और उत्पाद शुल्क रियायत दोनों का लाभ मिला है। जहां तक इस व्यवसाय का संबंध है, परिदृश्य यह है। लेकिन ये उद्योग जो लोगों को रोजगार, श्रम और नौकरियां प्रदान कर रहे हैं और जो वहां पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और उन्हें पूर्वोत्तर की ओर आकर्षित किया गया है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इसका प्रभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र अथवा असम में तंबाकू के अलावा किसी अन्य उद्योग पर नहीं पड़ा है। आज तंबाकू के बारे में अब यह बात कह रहे हैं कि आज इसे चबाने वाले तंबाकू और गुटखों का अपवाद बना दिया जाए। इस बात को मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस पर पूरी तरह से विचार

[श्री जसवंत सिंह]

करूंगा। मैं इस प्रयोजनार्थ एक उचित कानूनी जवाब तलाश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितना समय लेंगे? क्या अब आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं? कतिपय संशोधन भी हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अभी एम.पी. लैड के बारे में मंत्री जी को बताना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का भाषण पूरा होने के बाद आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना जवाब पूरा करने दें; इसके पश्चात् आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : डिब्रूगढ़–गुवाहटी रेल लाइन के विद्युतीकरण से संबंधित एक अन्य सुझाव भी है...*(व्यवधान)*

श्री कोलुर बसवनागौड (बेल्लारी) : एम.पी. लैड योजना का क्या हुआ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : डिब्रूगढ़–गुवाहाटी रेल लाइन के विद्युतीकरण पर मेरी एक बहुत उदार पेशकश है जिसका नाम आप मेरे नाम से रखेंगे...*(व्यवधान)* महोदय, यदि रेल मंत्रालय की ऐसी कोई सिफारिश होगी तो हम उसका पूरा–पूरा समर्थन करेंगे। वास्तव में, महोदय, मैं इसका नाम अपने नाम से रखूंगा ...*(व्यवधान)*

इस बारे में मुझे कुछ और नहीं कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं क्योंकि उन्होंने जरूरतमंद तबकों को काफी रियायत दी है। अपनी पार्टी की ओर से भी, शुरू से ही, मैं माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और उप–प्रधान मंत्री से यह आग्रह करता रहा हूं कि आप सभी तबकों, सूखे का सामना कर रहे 17 राज्यों का ध्यान रखें। सूखे के कारण बेचारे किसान फसल गंवा बैठे। हम खरीफ ऋण पर ब्याज में कटौती की मांग कर रहे हैं। किसानों को जो खरीफ ऋण दिए गए थे और जिनको केवल सूखे के कारण फसल की क्षति सहनी पड़ी, उनके लिए हम ब्याज में छूट और ब्याज माफ करने की मांग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि आप इस समय भाषण नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : वित्त मंत्री ने मात्र 20 प्रतिशत की रियायत दी है, जबकि पूरे देश के किसान जिन्होंने सूखे की वजह से अपनी फसलें गंवा दीं वित्त मंत्री जी के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कृषक समुदाय के अनेक पत्र प्राप्त किए हैं और वे सभी उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। मैं यह अनुरोध नहीं कर रहा हूं कि इसे सभी किसानों को दिया जाना चाहिए, बल्कि मैं सिर्फ यह अनुरोध कर रहा हूं कि इसे उन किसानों को दिया जाए जिन्होंने सूखे की वजह से अपनी फसलें गवां दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आपके प्रश्न को सुन लिया है, अब आप उन्हें उसका उत्तर देने दें।

श्री जसवंत सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : यदि प्रधान मंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत राशि जारी नहीं की जाती है तो मैं सभा के बीचोंबीच भूखहड़ताल करने जा रहा हूं। मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में 28 लाख लोगों का सामना करना है। मैं पिछले छः वर्षों से यह अनुरोध कर रहा हूं। यदि वे मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अभी सभा के बीचोंबीच भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं। मैंने ऐसा करने का निर्णय ले लिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे, कृपया सभा के बीचोंबीच न आएं। आपको इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए।

अपराह्न 1.41 बजे

(इस समय श्री प्रकाश परांजपे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर लौट जाइए। कृपया उन्हें लौटा ले जाइए।

अपराह्न 1.41½ बजे

(इस समय श्री प्रकाश परांजपे अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : लोग हमसे पैसा मांगते हैं, इसलिए आप सारा एम.पी. लैड बन्द कर दो।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : हमारी मांग को नहीं सुनते हैं। मंत्रीगण चाहते हैं कि हम अपने स्थानों पर बैठे रहें, परन्तु वे हमारी उचित मांगों को सुनना नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, एक प्रश्न पूछा गया है, उनका उत्तर आने दो। उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछने दूंगा, अभी आप बैठिए।

श्री शिवाजी माने : क्षेत्र में जाने के बाद लोग हमसे पैसा मांगते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शिवाजी माने जी, आप बैठिए। मैं खड़ा हूं, श्री राज बब्बर, कृपया बैठ जाइए। यह क्या मजाक है, आप बैठिए। यह कोई तरीका है? यह नहीं चलेगा। रामदास जी, आप भी बैठिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : एम.पी. लैड तो आपको भी चाहिए, सर।

अध्यक्ष महोदय : ड्राउट इफेक्टिड एरिया के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है, उसका जवाब तो आने दो। आपको किसानों के बारे में कुछ चिन्ता है या नहीं? पहले उसका उत्तर आने दो, बाद में दूसरे प्रश्न पूछो। मैंने आपको कहा है कि बाद में प्रश्न पूछिए। आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं। रामदास जी, आपको किसानों के बारे में कुछ प्रेम नहीं है? आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय के. येरननायडू द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पूरे देश में सूखा है, लोग सफर कर रहे हैं, उनको उत्तर देने दो।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सूखे से संबंधित है। यह 14 राज्यों में कृषक समुदाय द्वारा लिए गए ऋणों से संबंधित है। मैं तो यही समझ पाया हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पहले घोषणा कर दी है कि इस ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : क्या इसे पूर्णतया माफ कर दिया गया है अथवा मात्र 20 प्रतिशत माफ किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में आइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर पूरा नहीं हुआ है, आप सुनिए तो सही।

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में भी सूखा पड़ा है, 14 स्टेट्स में महाराष्ट्र भी है।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : हमें सुनने दें कि उनका कहना क्या है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मंत्री महोदय, वह दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां जान-बूझकर आप अन्याय कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। जहां-जहां कांग्रेस

[श्री जसवंत सिंह]

की सरकार है, वहां ड्राउट इफैक्टिड एरियाज में राशन सप्लाई के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकारों के साथ मजाक किया जा रहा है। यह सौतेले भाई का व्यवहार है। केन्द्र को सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आप महाराष्ट्र के बारे में कहिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में कहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैंने खैरे जी को प्रश्न पूछने को कहा है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : मेरे तीन मुद्दे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं सब समझा देता हूं, उसके बाद आप कहिए। कुछ मसले माननीय सदस्यों के हैं।...*(व्यवधान)* अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपये चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : मंत्री जी, आप महाराष्ट्र के लिए 500 करोड़ रुपये दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो अलग-अलग विषय हैं। माननीय सदस्यों का एक यह कहना था कि जो ब्याज लग रहा है, उस पर छूट होनी चाहिए। इसके बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने घोषणा कर दी है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह प्रधान मंत्री जी की घोषणा है। अब हम इसे किस तरीके से यह, यह आप हम पर छोड़िए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : कितना?

श्री जसवंत सिंह : कुल ब्याज। इसे किस तरीके से किया जाएगा, यह आप हम पर छोड़िए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सूखा प्रभावित राज्यों में ब्याज नहीं लगाया जाएगा। तौर-तरीके को मुझ पर छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे अब दूसरे मुद्दे पर चर्चा करनी है।

दूसरा मुद्दा यह उठाया गया है कि महाराष्ट्र को भी शामिल किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर को कई काम करने पड़ते हैं। अब कोई राज्य सूखाग्रस्त है या नहीं, यह घोषणा करने का अधिकार मेरा नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया पूरी करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर केन्द्र सरकार से गई हुई टीम ने उनके साथ ज्यादती की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि महाराष्ट्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। अभी मंत्री जी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार जो कार्रवाई करेगी, उसके ऊपर वह निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : हमारी यह विनती है कि सूखाग्रस्त राज्यों में महाराष्ट्र का नाम भी आना चाहिए। दूसरा, मुम्बई इकोनॉमिकल कैपिटल है। इसके बारे में आपको मालूम है क्योंकि आप वहां के मेयर रह चुके हैं, मुख्य मंत्री रह चुके हैं और अब आप अध्यक्ष भी हैं। मुम्बई को 44 परसेंट रेवन्यू देने के बाद भी वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता। हमारी यह डिमांड है कि मुम्बई को सुदृढ़ बनाने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं, शिवसेना के माध्यम से हमने जो एक-एक नियम बनाया है, उसे आप डिक्लेयर करिए। इसके साथ-साथ हमारी यह भी डिमांड है कि मुम्बई को ज्यादा पैसा दिया जाए।

मेरी तीसरी मांग यह है कि एम.पी. लैड के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे जिसके लिए वे यहां अनशन करने आए थे। उन्होंने इससे पहले बजट भाषण में बोला था। अब डीलिमिटेशन तो आने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)* हम विनती करना चाहते हैं वैसे डिक्लरेशन हो चुका है जिसके बारे में टी.वी. में भी आया था लेकिन आपने रोक लिया था। आपसे विनती है कि आप एम.पी. लैड का पैसा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने काफी नाराज मुद्दा

में कहा कि महाराष्ट्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र की घोषणा करने का अधिकार मेरा न होकर राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार अपने यहां से इसकी घोषणा कर दें तो मैं कहां से उसको रोक सकता हूं। यह तो सरकार सरकार के अधिकारों के तहत है।...*(व्यवधान)* आपको कुछ कहना है तो आप जरूर कहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विचारार्थ प्रस्ताव रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.49 बजे

(इस समय श्री प्रकाश परांजपे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एम.पी. लैड के बारे में उत्तर देने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए एम.पी. लैड संबंधी प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं कि क्या वह अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए एम.पी. लैड संबंधी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एम.पी. लैड के लिए कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं।...*(व्यवधान)* इसे मैं सरकार और हाउस पर छोड़ देता हूं।...*(व्यवधान)*

जहां तक महाराष्ट्र में सूखे का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में सूखा है। वह सूखा है या नहीं है, यह डिक्लेयर करने में देरी नहीं होनी चाहिए और डिक्लेयर करते समय इस ढंग से नहीं करना चाहिए कि महाराष्ट्र में पैसा बहुत है, इसलिए उसको देने की जरूरत नहीं है। ऐसा मानकर नहीं करना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : एम.पी. लैड की बात नहीं कर रहे हैं। बाद में कभी होने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने : सरकार एम.पी. लैड को बंद कर दे। कोई जरूरत नहीं है यहां पर।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे?...*(व्यवधान)* मध्य वर्ग, सम्पन्न व्यक्तियों, उद्योग और कम्पनी मालिकों के बारे में अनेक बातें कही गई हैं। परन्तु श्रमिक वर्ग और किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.52 बजे

(इस समय श्री प्रकाश परांजपे अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5 धारा 9 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 4 से पंक्ति 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

"परन्तु यह और कि जहां ऐसा दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्त्ता या कोई अन्य अभिकर्त्ता प्रधानतः या पूर्णतः किसी अनिवासी की ओर से (जिसे इस परन्तुक में इसके पश्चात् प्रधान अनिवासी कहा गया है) या ऐसे अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से, जो प्रधान अनिवासी द्वारा नियंत्रित है या प्रधान अनिवासी में नियंत्रक हित रखते हैं या प्रधान अनिवासी के रूप में है, एक ही समान नियंत्रण के अध्यधीन है, कार्य करता है तो वह दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्त्ता या स्वतंत्र हैसियत का अभिकर्त्ता नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 3—जहां कारबार भारत में स्पष्टीकरण 2 के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है, वहां केवल ऐसी आय जो भारत में की गई संक्रियाओं से संबंधित है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय समझी जाएगी।"। (15)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 धारा 10 का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,—

"किसी बीमा पालिसी, जिसके लिए पालिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष में संदत्त प्रीमियम" **शब्दों** के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जारी की गई किसी बीमा पालिसी, जिसके लिए पालिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष में संदेय प्रीमियम" **शब्द** प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 37 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए:—

'(ड़क) खंड (23ग) के नौवें परन्तुक में, "2003" अंकों के स्थान पर, "2004" अंक रखे जाएंगे और 3 फरवरी, 2001 से रखे गए समझे जाएंगे;' (17)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 30 से पंक्ति 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(36) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात् और 1 मार्च, 2004 से पूर्व क्रय की गई कंपनी में कोई पात्र साधारण शेयर है और जो बारह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए धारित है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "पात्र साधारण शेयर" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी कंपनी में कोई साधारण शेयर जो 1 मार्च, 2003 को स्टाक एक्सचेंज, मुंबई के बी.एस.ई. सूचकांक—500 का एक संघटक है और ऐसे साधारण शेयर के क्रय और विक्रय के संव्यवहारों को भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में दर्ज किया गया;

(ii) किसी कंपनी में 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात् जारी पब्लिक इश्यू के माध्यम से आवंटित कोई साधारण शेयर जो भारत में 1 मार्च, 2004 से पूर्व किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और ऐसे शेयर के विक्रय संव्यवहार को भारत के किसी स्टाक एक्सचेंज में दर्ज किया गया है।' (18)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 धारा 10(क) का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 34 और पंक्ति 35 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

(क) उपधारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात्

'(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी उपक्रम की कुल आय की संगणना करने में, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी वस्तु या चीज या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है तो कटौती,—

(i) उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण से प्रारंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, जिसमें उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तु या चीज या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युतपन्न लाभ और अभिलाभ के शत—प्रतिशत होगी और उसके पश्चात् अगले दो क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों या अभिलाभों की पचास प्रतिशत होगी और उसके पश्चात्;

(ii) अगले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए उतनी रकम के बराबर होगी जो लाभ के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और जो उस पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में नामे डाल दी गई है जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी है और निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1ख) में अधिकथित रीति से सृजित और उपयोग किए जाने वाले आरक्षित खाते में (जिसे विशेष आर्थिक जोन पुनःविनिधान मोक आरक्षित खाता कहा गया है) जमा की जानी है।

(1ख) उपधारा (1क) के खण्ड (ii) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:—

(क) विशेष आर्थिक जोन पुनःविनिधान मोक आरक्षित खाते में जमा की गई रकम का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है—

(i) ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र अर्जित करने के प्रयोजनों के लिए जिसका उस पूर्व वर्ष के, जिसमें आरक्षित निधि सृजित की गई थी, अगले तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति से पूर्व पहली बार उपयोग किया जाता है; और

(ii) जब तक भारत से बाहर लाभों के रूप में या किसी आस्ति के सृजन के लिए भारत से बाहर लाभांशों या लाभों के प्रेषण के रूप में वितरण से भिन्न उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त रूप में नई मशीनरी या संयंत्र का अर्जन नहीं किया जाता है;

(ख) जब उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें ऐसे संयंत्र या मशीनरी का उपयोग पहली बार किया गया था, आय की विवरणी के साथ नई मशीनरी या संयंत्र की बाबत निर्धारिती द्वारा वे विशिष्टियां, जो इस निमित्त विहित की जाएं, दी गई हैं;

(1ग) जहां उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन विशेष आर्थिक जोन पुनःविनिधान मोक आरक्षित खाते में जमा की गई किसी रकम का,—

(क) उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है; या

(ख) वहां इस प्रकार उपयोजित रकम उपधारा (1ख) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयोग नहीं किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोग न की गई रकम,

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में उस वर्ष में जिसमें रकम का इस प्रकार उपयोग किया गया था; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, उपधारा (1ख) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के ठीक बाद के वर्ष में,

लाभ समझा जाएगा और तद्नुसार कर से प्रभवित होगा।";

(कख) उपधारा (4) में "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;'।

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

'(खक) उपधारा (6) में,—

(अ) खंड (i) में "सुसंगत निर्धारण वर्षों" शब्दों से पूर्व, "1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2001 में अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(आ) खंड (ii) में "सुसंगत निर्धारण वर्षों" शब्दों से पूर्व, "1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2001 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;'।

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 धारा 10(ख) का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 50 से पंक्ति 56 और पृष्ठ 6 पर पंक्ति 1 से पंक्ति 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

8. आयकर अधिनियम की धारा 10ख में,—

(क) उपधारा (6) में 1 अप्रैल, 2001 से,—

(अ) खंड (i) में "सुसंगत निर्धारण वर्षों" शब्दों से पूर्व, "1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(आ) खंड (ii) में "सुसंगत निर्धारण वर्षों" शब्दों से पूर्व, "1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2004 से अंत:स्थापित की जाएगी,—

"(7क) जहां किसी भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम में किसी दूसरी भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है, वहां—

(क) उस पूर्व वर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक या निर्विलीत कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या परिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीत कंपनी को लागू होते यदि समामेलन या निर्विलियन नहीं हुआ होता।";

(ग) उपधारा (9) और उपधारा (9क) का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा;

(घ) स्पष्टीकरण 1 का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा;

(ङ) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में 1 अप्रैल, 2004 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है।"

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रस्ताव : नियम 80(1) का निलंबन

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें

यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10(क) धारा 12 का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 16 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

10क. आय–कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) "2003" अंकों के स्थान पर, "2004" अंक रखे जाएंगे और 3 फरवरी, 2001 से रखे गए समझे जाएंगे; (22)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 10(क) विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10(क) विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रस्ताव : नियम 80(i) का निलंबन

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10ख धारा 13-क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

10ख. आय–कर अधिनियम की धारा 13क में, "अन्य स्रोतों से आय" शब्दों के पश्चात्, "या पूंजी अभिलाभ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 1979 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे।' (23)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि नया खंड 10ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 14 धारा 33कख का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 6, पंक्ति 32,—

"और काफी विकास खाता" शब्दों के स्थान पर,", काफी विकास खाता और रबड़ विकास खाता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। (24)

पृष्ठ 6, पंक्ति 36,—

"काफी" शब्द के पश्चात्, "या रबड़" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं। (25)

पृष्ठ 6, पंक्ति 38,—

"काफी बोर्ड" शब्दों के पश्चात्, "या रबड़ बोर्ड" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं। (26)

पृष्ठ 6, पंक्ति 42,—

"काफी बोर्ड" शब्द के पश्चात् "या रबड़ बोर्ड" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं। (27)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 45 से पंक्ति 53 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(घ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

'(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी जहां निर्धारिती के विशेष खाते में या निक्षेप खाते में उसके नाम की बकाया कोई रकम किसी पूर्व वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्मुक्त की जाती है या निक्षेप खाते से निर्धारिती द्वारा निकाली जाती है और ऐसी रकम का उपयोग निम्नलिखित के क्रय के लिए किया जाता है।' (28)

1947 का 24

पृष्ठ 7,-

पंक्ति 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

'(कख) "रबड़ बोर्ड" से रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित रबड़ बोर्ड अभिप्रेत है; (29)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) को निलंबित करने के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 30 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 30 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क धारा 33कग का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

14क. आय–कर अधिनियम की धारा 33कग में, 1 अप्रैल, 2004 से,–

(क) उपधारा (3) के खंड (ग) में, "आठ वर्षों" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्षों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(4) जहां उपधारा (3) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पोत का विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है (निर्विलियन की किसी स्कीम में से भिन्न) और विक्रय आगमों का उपयोग उस पूर्व वर्ष के अंत से, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण हुआ था, एक वर्ष की अवधि के भीतर नए पोत का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है तो ऐसे विक्रय आगम, उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उक्त पोत का विक्रय या अंतरण किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लाभ समझे जाएंगे।" ।। (30)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि नया खंड 14क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 धारा 40 का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 7, पंक्ति 39,–

"अध्याय 17ख के अधीन" के स्थान पर, "धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पूर्व और अध्याय 17ख के अन्य उपबंधों के अनुसार" प्रति–स्थापित किया जाए।" (31)

पृष्ठ 7, पंक्ति 41 और पंक्ति 42,–

"कर का संदाय किया गया है और उसकी कटौती की गई है" के स्थान पर, "कर की कटौती की गई है या उसका संदाय किया गया है" प्रतिस्थापित किया जाए।" (32)

पृष्ठ 7, पंक्ति 42 और पंक्ति 43,–

"और उसकी कटौती की गई है" का लोप किया जाए। (33)

पृष्ठ 7,–

पंक्ति 44 से पंक्ति 46 का लोप किया जाए। (34)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अपराह्न 2.00 बजे

खंड 25 नयी धारा 44घक का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 56,–

"परीक्षा की रिपोर्ट देगी" के स्थान पर, "परीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (35)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 30 धारा 72क का संशोधन

संशोधिन किया गया :

पृष्ठ 9,–

पंक्ति 41 और पंक्ति 42 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–

"(i) तीन या अधिक वर्षों के लिए ऐसे कारबार में लगी रही है जिसमें हुई संचयित हानि या शेष अनामेलित अवक्षयण अद्भूत हुआ था;"। (36)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 धारा 80घघख के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करना

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 53,—

"कोई व्यय" के स्थान पर, "कोई रकम" प्रतिस्थापित किया जाए। (37)

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 1 और पंक्ति 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

"वास्तव में संदत्त की है वहां निर्धारिती को उस पूर्व वर्ष के संबंध में, जिसमें ऐसी रकम वास्तव में संदत्त की थी, वास्तव में संदत्त की गई रकम या चालीस हजार रुपये की राशि की कटौती, इन दोनों में से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी;"। (38)

पृष्ठ 11, पंक्ति 9 और पंक्ति 10,—

"जहां व्यय निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत उपगत हुआ है" के स्थान पर "जहां कोई रकम निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत संदत्त की गई है" प्रतिस्थापित किया जाए। (39)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष जी, एम.पी. लैड का क्या हुआ? मैं एम.पी. लैड के बारे में पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

[अनुवाद]

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 32क धारा 80छ का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 24 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,—

32क. आय–कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5ग) में, 3 फरवरी, 2001 से,—

(क) खंड (iii) में, "2003" अंकों के स्थान पर, "2004" अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) खंड (iv) में, "2003" अंकों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां–जहां वे आते हैं "2004" अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ग) खंड (v) में, "2003" अंकों के स्थान पर, "2004" अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे। (40)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 32क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 32क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होग, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होग, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 32ख धारा 80जजग का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 24 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,—

32ख. आय–कर अधिनियम की धारा 80जजग में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परंतु उपधारा (4ग) में निर्दिष्ट उपक्रम की दशा में, निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विशेष आर्थिक जोन में उपक्रम से एक प्रमाणपत्र भी देगा जिसमें ऐसी विशिष्टयां होंगी, जो विहित की जाएं, और वे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन विशेष आर्थिक जोन में उपक्रम के लेखों की संपरीक्षा करने वाले संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की जाएंगी।"; (41)

(ख) उपधारा (4ख) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4ग) इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती को,—

(क) 31 मार्च, 2004 के पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए;

(ख) जो ऐसे उपक्रम का स्वामी है, जो भारत में कहीं भी (किसी विशेष आर्थिक जोन के बाहर) माल या वाणिज्यिक वस्तु का विनिर्माण या उत्पादन करता है और विशेष आर्थिक जोन में स्थित किसी उपक्रम को उसका विक्रय करता है जो धारा 10क के अधीन कटौती के लिए

कोई पात्र है और ऐसा विक्रय इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर निर्यात माना जाएगा,

को लागू होंगे।";

(ग) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(ङ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा जो धारा 10क के स्पष्टीकरण 2 के खंड (viii) में है।"।

(जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 32ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 32ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 धारा 80झख का संशोधन

संशोधन किया गया :

पंक्ति 11,—

पंक्ति 38 से पंक्ति 47 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

34. आय–कर अधिनियम की धारा 80झख में,—

(क) उपधारा (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2004 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन, धारा 80झग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपक्रम या उद्यम को, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।";

(ख) उपधारा (8क) के खंड (iii) में, "1 अप्रैल, 2003" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2004" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (10) में, 1 अप्रैल, 2002 से,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "31 मार्च, 2001" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2005" अंक और शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "और उसे 31 मार्च, 2003 के पूर्व पूरा कर लेता है" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा;

(घ) उपधारा (11) में "31 मार्च, 2003" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2004" अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे।"। (42)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 34, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35 और 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 43 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके

विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 43 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 36क नयी धारा 80ठक का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13,—

पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए –

36क. आय–कर अधिनियम की धारा 80ठ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"80ठक. (1) जहां किसी ऐसे निर्धारिती की सकल कुल आय में,--

(i) अनुसूचित बैंक (भारत से बाहर किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक नहीं है);

(ii) किसी विशेष आर्थिक जोन में अपतट बैंककारी यूनिटों का स्वामी है,

उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, ऐसी आय से ऐसी कटौती की जाएगी, जो–

(क) उस पूर्व वर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष के साथ प्रारंभ होने वाले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के शत–प्रतिशत के बराबर रकम होगी, और उसके पश्चात्, 1949 का 10

(ख) दो क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के पचास प्रतिशत के बराबर की रकम होगी,

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय–

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी अपतट बैंककारी यूनिट से;

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कारबार से, जो किसी विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित उपक्रम के साथ या ऐसे अन्य उपक्रमों के साथ किया गया हो, जो किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या प्रचालन और अनुरक्षण करता है; 1949 का 10

(ग) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त, आय होगी। 1999 का 42

(3) इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ निम्नलिखित नहीं दे देता है,—

(i) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट विहित प्ररूप में, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है; और

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अभिप्राप्त अनुज्ञा की एक प्रति। 1949 का 10

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" का वही अर्थ है जो धारा 80जजग की उपधारा (4ग) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (क) में है;

(ख) "अपतट बैंककारी यूनिट" से किसी विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित भारत में किसी बैंक की शाखा अभिप्रेत है और 1949 का 10

जिसने बैंककारी विनियमन, अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त कर ली है;

(ग) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ड में है; 1934 का 2

(घ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है जो धारा 10क के स्पष्टीकरण के खंड (viii) में है।" ।' । (43)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि नया खंड 36क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 36क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 39 तक विधेयक में जोड दिए गए।

खंड 40 धारा 80न के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना थी कि एम.पी. लैड में पैसा बढ़ाया जाए, लेकिन मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। मंत्री जी को इस बारे में जवाब देना चाहिए था। मैं अपना अमेंडमेंट मूव करूंगा।

पृष्ठ 14, पंक्ति 38,–

"पचहत्तर हजार" के स्थान पर

"एक लाख" प्रतिस्थापित किया जाए। (68)

पृष्ठ 14, पंक्ति 55

"अस्सी प्रतिशत" के स्थान पर

"पचास प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (69)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री राजो सिंह द्वारा प्रस्तुत खंड 40 के संशोधन सं. 68 और 69 को सभा के मतदान के लिए रखंगा।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 40 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 और 42 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 43 धारा 90 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 36,–

"इस अधिनियम के अधीन या उस देश में" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अधीन और उस देश में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। (44)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 43, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44 से 67 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) का निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 67क **धारा 194क का संशोधन**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19,—

पंक्ति 34 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

67क. आय–कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) में खंड (vii) के पश्चात्, और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2003 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(ix) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई या संदत्त ऐसी रकम को लागू नहीं होगी जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई या संदत्त ऐसी रकमों का योग पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है।"।। (45)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 67क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 67क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 68 से 79 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 80 **धारा 206ग का संशोधन**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21,—

पंक्ति 9 से पंक्ति 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

'(ख) उपधारा (11) के नीचे स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (क) में, उपखंड (i) में उपखंड (iii) तक के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्—

"(i) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, या

(ii) ऐसे विक्रय के अनुसरण में अभिप्राप्त ऐसे माल के फुटकर विक्रय में कोई क्रेता;";

(आ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्—

'(ख) "स्क्रैप" से सामग्री के विनिर्माण या यांत्रिक कार्यकरण से ऐसे अपशिष्ट और स्क्रैप अभिप्रेत हैं जो टूटन, कटाई, टूट–फूट और अन्य कारणों से इस रूप में निश्चित रूप से उपयोज्य नहीं है;

(ग) "विक्रेता" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय निकाय या निगम या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई प्राधिकारी या कोई कंपनी या फर्म या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब भी है जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति के माल का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक है।"।। (46)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 80, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 80, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 81 से 91 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 92 तेरहवीं और चौदहवीं अनुसूचियों का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 22 से पंक्ति 25,—

"राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) वर्गीकरण 1998 के अधीन उपवर्ग" के स्थान पर, "राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी), 1998 के अधीन उपवर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए। (47)

पृष्ठ 24, पंक्ति 1 से पंक्ति 4,—

"राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) वर्गीकरण 1998 के अधीन उपवर्ग" के स्थान पर, "राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी.), 1998 के अधीन उपवर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए। (48)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 93 से 125 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(1) के निलंबन के बारे में

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 49 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2003 की सरकारी संशोधन संख्या 49 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 125(क) पहली अनुसूची का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 31,—

पंक्ति 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

125क. 'सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अध्याय 15 में,—

(i) टैरिफ मद 1516 10 00 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ मद 1516 20 11 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) टैरिफ मद 1516 20 19 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) टैरिफ मद 1516 20 21 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) टैरिफ मद 1516 20 29 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) टैरिफ मद 1516 20 31 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी,

(vii) टैरिफ मद 1516 20 39 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(viii) टैरिफ मद 1516 20 91 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ix) टैरिफ मद 1516 20 99 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(x) टैरिफ मद 1517 10 10 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xi) टैरिफ मद 1517 10 21 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xii) टैरिफ मद 1517 10 22 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xiii) टैरिफ मद 1517 10 29 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xiv) टैरिफ मद 1517 90 10 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xv) टैरिफ मद 1517 90 20 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xvi) टैरिफ मद 1517 90 30 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xvii) टैरिफ मद 1517 90 40 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xviii) टैरिफ मद 1517 90 90 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xix) टैरिफ मद 1518 00 11 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xx) टैरिफ मद 1518 00 19 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxi) टैरिफ मद 1518 00 21 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxii) टैरिफ मद 1518 00 29 मे, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxiii) टैरिफ मद 1518 00 31 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxiv) टैरिफ मद 1518 00 39 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxv) टैरिफ मद 1518 00 40 में, स्तम (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी; (49)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 125क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 125क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 126 से 128 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 129 धारा 4क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 31,—

पंक्ति 51 और पंक्ति 52 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"तो ऐसा माल अधिहरण के लिए दायी होगा और ऐसे माल की फुटकर विक्रय कीमत विहित रीति में अभिनिश्चित की जाएगी और ऐसी कीमत, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, फुटकर विक्रय कीमत समझी जाएगी।"। (50)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 129, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 129, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 130 से 149 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 150 वर्ष 1994 के अधिनियम 32 का परिवर्तन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 37,—

(i) पंक्ति 26 में, "प्रभावी होंगे और प्रभावी हुए समझे जाएंगे" के स्थान पर, "प्रभावी होंगे और सदैव प्रभावी हुए समझे जाएंगे" प्रतिस्थापित किया जाए; (51)

पृष्ठ 37,—

(ii) पंक्ति 39 में, "दायी होगा" के स्थान पर, "सदैव दायी होगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (52)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 150, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 150, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 151 वर्ष 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 38, पंक्ति 10,—

"मैक्सी कैब" के स्थान पर "हल्के मोटर यान" प्रतिस्थापित किया जाए। (53)

पृष्ठ 40,—

पंक्ति 54, के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,—

(61क) "हल्के मोटर यान" से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो छह यात्रियों से अधिक, किंतु बारह यात्रियों से अनधिक, चालक को छोड़कर, ले जाने के लिए निमित्त या अनुकूलित किया गया है;'; (54)

पृष्ठ 44, पंक्ति 39,—

"मैक्सी कैब" के स्थान पर, "हल्के मोटर यान" प्रतिस्थापित किया जाए; (55)

पृष्ठ 45, पंक्ति 52,—

"मैक्सी कैब" के स्थान पर, "हल्के मोटर यान" प्रतिस्थापित किया जाए; (56)

पृष्ठ 46, पंक्ति 6,—

"मैक्सी कैब" के स्थान पर, "हल्के मोटर यान" प्रतिस्थापित किया जाए; (57)

(श्री जसवंत सिंह)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 39,—

पंक्ति 23 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(27) "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र" से किसी विषय या खेलकूद से भिन्न किसी क्षेत्र में कुशलता या ज्ञान या पाठ के लिए प्रशिक्षण या कोचिंग उपलब्ध कराने वाला कोई वाणिज्यिक संस्थान या स्थापन अभिप्रेत है और किन्तु इसमें किसी व्यष्टि या व्यष्टियों, जिनकी संख्या 3 से अधिक न हो, के समूह द्वारा संचालित कोचिंग या ट्यूटोरियल कक्षाएं या ऐसे संस्थान या स्थापन जो प्रमाण—पत्र या डिप्लोमा या डिग्री या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता जारी करते हैं, सम्मिलित नहीं है'। (1)

पृष्ठ 41,—

पंक्ति 3 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(63) "अनुरक्षण या मरम्मत" से मोटरयान से भिन्न किसी माल या उपस्कर के अनुरक्षण या मरम्मत या सर्विसिंग से संबंधित किसी अनुरक्षण संविदा या करार के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है'। (2)

पृष्ठ 41,—

पंक्ति 36 और 37 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(78) "फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण" से फोटोग्राफी से संबंधित सेवा देने के कारबार में लगा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है किन्तु इसमें स्वनियोजित फोटोग्राफर सम्मिलित नहीं है'। (3)

पृष्ठ 45,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"परन्तु कोई सेवा कराधेय नहीं होगी यदि इसका मूल्य 200 रुपये से अधिक नहीं है तथा जहां इसमें अनुरक्षण या मरम्मत हेतु कोई संविदा या करार अंतर्ग्रस्त है और

जिसमें सेवा उपलब्ध कराने वाला कोई स्वनियोजित राजमिस्त्री, नलसाज, बिजलीमिस्त्री, पेंटर मैकेनिक या कोई अन्य नैमित्तिक कर्मकार है"। (4)

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 45, पंक्ति 45,—

"आठ प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाए। (70)

पृष्ठ 45, पंक्ति 49,—

"आठ प्रतिशत' के स्थान पर 'पांच प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाए। (71)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 1, 2, 3 और 4 श्री राजो सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 70 और 71 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 से 4 तथा 70 और 71 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 151, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 151, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 152 से 158 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 159 1998 के अधिनियम 21 की अनुसूची का संशोधन

श्री पवन कुमार बंसल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 50,—

पंक्ति 27–28

"एक रुपया और पचास पैसे प्रति लीटर" के स्थान पर "एक रुपया और 10 पैसे प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 5 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 159 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 159 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 160 और 161 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

6. पृष्ठ 51,— पहली अनुसूची

पंक्ति 8—24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

आय–कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(2) जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किंतु 2,00,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 2,00,000 रु. से अधिक है किंतु 5,00,000 रु. से अधिक नहीं है	20,000 रु. धन उस रकम का 25 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;

(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक है	95,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;	

7. पृष्ठ 51,— पहली अनुसची

पंक्ति 27 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

आय–कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं	
(2) जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किंतु 2,00,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;	
(3) जहां कुल आय 2,00,000 रु. से अधिक है किंतु 5,00,000 रु. से अधिक नहीं है	20,000 रु. धन उस रकम का 25 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;	
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक है	95,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक हो जाती है;	

8. पृष्ठ 51, पंक्ति 39,— पहली अनुसूची

"35 प्रतिशत" के स्थान पर "30 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।

9. पृष्ठ 51,— पहली अनुसूची

पंक्ति 48 और 49 के स्थान पर "आयकर पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

10. पृष्ठ 52, पंक्ति 10,— पहली अनुसूची

"40 प्रतिशत" के स्थान पर "42 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।

11. पृष्ठ 53,— पहली अनुसूची

पंक्ति 39 से 47 के स्थान पर "आयकर पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

12. पृष्ठ 54,— पहली अनुसूची

पंक्ति 13 से 21 के स्थान पर "आयकर पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

13. पृष्ठ 54,— पहली अनुसूची

पंक्ति 31 और 32 के स्थान पर "आयकर पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

14. पृष्ठ 55,— पहली अनुसूची

पंक्ति 10 और 11 के स्थान पर "आयकर पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन 72 से लेकर 86 तक पहली अनुसूची में है। उन्हें एक ही बार में लेना होगा। इसमें विलम्ब नहीं होगा। हम विरोध करने के लिए कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, अमेंडमेंट पर भाषण करने की जरूरत नहीं है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

72.	पृष्ठ 51, पंक्ति 9 से 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–		पहली अनुसूची
	(1) जहां कुल आय एक लाख रु. से कम हो	कुछ नहीं	
	(2) जहां कुल आय एक लाख रु. से ज्यादा हो पर तीन लाख से कम हो	10% उस आय पर जो एक लाख रु. से ज्यादा हो	
	(3) जहां कुल आय तीन लाख रु. से ज्यादा हो।	30% उस आय पर जो एक लाख रु. से ज्यादा हो	
73.	पृष्ठ 51, पंक्ति 28 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–		पहली अनुसूची
	प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में, आय–कर की दर		
	(1) जहां कुल आय एक लाख रु. से कम हो	कुछ नहीं	
	(2) जहां कुल आय एक लाख रु. से ज्यादा हो पर तीन लाख से कम हो	10% उस आय पर जो एक लाख रु. से ज्यादा हो	
	(3) जहां कुल आय तीन लाख रु. से जयादा हो	30% उस आय पर जो एक लाख रु. से ज्यादा हो	
74.	पृष्ठ 51, पंक्ति 39 "35 प्रतिशत" के स्थान पर "30 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।		पहली अनुसूची
75.	पृष्ठ 51, पंक्ति 42 से 42 का लोप किया जाए।		पहली अनुसूची
76.	पृष्ठ 52, पंक्ति 2 "35 प्रतिशत" के स्थान पर "30 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।		पहली अनुसूची
77.	पृष्ठ 52, पंक्ति 10 "40 प्रतिशत" के स्थान पर "42 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।		पहली अनुसूची
78.	पृष्ठ 52, पंक्ति 11 से 13 का लोप किया जाए।		पहली अनुसूची
79–80.	पृष्ठ 53, पंक्ति 38 से 47 का लोप किया जाए।		पहली अनुसूची
81.	पृष्ठ 54, पंक्ति 30 से 32 का लोप किया जाए।		पहली अनुसूची
82.	पृष्ठ 54, पंक्ति 37 से 39 का लोप किया जाए।		पहली अनुसूची

83. पृष्ठ 54, पंक्ति 44 से 46 का लोप किया जाए।	पहली अनुसूची
84. पृष्ठ 55, पंक्ति 9 से 11 का लोप किया जाए।	पहली अनुसूची
85. पृष्ठ 61, पंक्ति 45–46 का लोप किया जाए।	पहली अनुसूची
86. पृष्ठ 61, पंक्ति 47 का लोप किया जाए।	पहली अनुसूची

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, संशोधन संख्या 85 और 86 पर हमारा बहुमत है। इस पर डिवीजन कराइए और घंटी बजवाइए।

अध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, क्या आप डिवीजन मांग रहे हैं?

श्री राजो सिंह : नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 14 और श्री राजो सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 72 से 86 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 6 से 14 और 72 से 86 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

पांचवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 61, पंक्ति 7,—

"पहली अनुसूची" के स्थान पर "उक्त पहली अनुसूची" प्रस्थापित किया जाए। (58)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पांचवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पांचवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची और नौवी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

दसवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 68,—

पंक्ति 13, के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

"(2क) अध्याय 24 में,—

(i) उपशीर्ष संख्या 2401.90 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "26%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) उपशीर्ष संख्या 2403.11 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "115 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) उपशीर्ष संख्या 2403.12 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "390 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) उपशीर्ष संख्या 2403.13 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "580 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) उपशीर्ष संख्या 2403.14 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "945 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) उपशीर्ष संख्या 2403.15 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "1260 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) उपशीर्ष संख्या 2403.19 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "1545 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(viii) उपशीर्ष संख्या 2404.10 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "300%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ix) उपशीर्ष संख्या 2404.31 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "6 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(x) उपशीर्ष संख्या 2404.39 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "15 रुपये प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xi) उपशीर्ष संख्या 2404.41 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "34%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xii) उपशीर्ष संख्या 2404.49 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "34%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xiii) उपशीर्ष संख्या 2404.50 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "34%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xiv) उपशीर्ष संख्या 2404.99 में, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "34%" प्रविष्टि रखी जाएगी; (59)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि दसवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दसवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

ग्यारहवीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूचा और तेरहवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.34 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 3.34 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से पटना में दहशत का वातावरण है। ...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता की आर.जे.डी. के लोगों ने दिन–दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी।... *(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी–अभी समाचार मिला है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो पिछली बार उम्मीदवार थे, उनकी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार में इस समय सारा जंगल राज चल रहा है। लाठी चलाकर वहां सब कार्यालय बन्द हैं, दफ्तर बन्द हैं, विरोध पक्ष वालों पर हमला किया जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और उनकी हत्या कर दी गई है। ऐसी स्थिति में बिहार के मामले में केन्द्रीय सरकार को दखल देने की जरूरत है। उसके बिना आज बिहार में जंगलराज है। ऐसा बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे 'शून्य काल' में नहीं बदल सकता। मैंने श्री विजय कुमार मल्होत्रा की बात इसलिए सुनी क्योंकि वे कुछ अनुरोध करना चाहते थे। मैं इसे 'शून्य काल' में नहीं बदल सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे 'शून्य काल' में नहीं बदल सकता। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : श्री सत्यनारायण सिंह यादव वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। आज सुबह पटना में उनकी हत्या कर दी गई।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. मदन प्रसाद जायसवाल, वे कुछ कहना चाहते थे और मैंने उन्हें एक अवसर दिया। अब हम ध्यानाकर्षण पर चर्चा करेंगे। वे अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, इस बारे मे सूचना है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सोच-समझकर घर के सामने खींचकर सरेआम गोली से उड़ा देना कहां की बात है। कांग्रेस के लोग ऐसी गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसी गुण्डागर्दी फैलाने वाली पार्टी को कांग्रेस के लोग समर्थन दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

पचासवां प्रतिवेदन

अपराह्न 3.37 बजे

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्रणा समिति का पचासवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री मधुसूदन मिस्त्री।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, सरकार इसके बारे में क्या कहना चाहती है, यह पूछिए न। बिहार में जो घटना हुई है, उसके बारे में सरकार का रिएक्शन तो आना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब चर्चा कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, अभी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो प्रश्न उठाया है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : त्रिशूल, लाठी और सभी तरह के हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम लाठी और त्रिशूल के बारे में

चर्चा नहीं कर रहे हैं। वे कुछ कहना चाहते थे और मैंने अवसर दिया। यदि माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहती हैं, तो वे कह सकती हैं। कृपया अब सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : श्री सत्यनारायण सिंह यादव बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। कार में से खींचकर उनको मारा गया है और लालू प्रसाद के समधी के मकान के सामने मारा गया है। वहां इस प्रकार से हंगामा हुआ है। इस प्रकार की वहां स्थिति है, हजारों लोग परेशान हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशार राय : हम आपका आसन से संरक्षण चाहते हैं। क्या केन्द्र सरकार अपनी टीम भेजेगी और टीम भेजकर इस प्रकार के काम को रुकवाने के लिए कुछ काम करेगी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मैं इसे 'शून्य काल' नहीं बना सकता।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और श्री नवल किशोर राय जी ने जो विषय अभी उठाया है, सरकार को उसमें राज्य सरकार से तथ्य मंगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार से तथ्यों की पुष्टि किए बिना यहां कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। इसलिए भारत सरकार राज्य सरकार से तथ्य मंगाएगी, उसके बाद ही सदन में कोई बात रखेगी।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि लाठी पर किसी फैसले के पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी देख लिया जाना चाहिए था क्योंकि लाठी के बिना कोई शाखा नहीं हो सकती। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। श्री मधुसूदन मिस्त्री उपस्थित नहीं हैं, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, मैं निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे पर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे उस पर अपना वक्तव्य दें :

> "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस) तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों का विलय करने के बाद 25 सितम्बर, 2001 को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) शुरू की गई थी। तथापि, ई.ए.एस. और जे.जी.एस.वाई. 31 मार्च, 2002 तक खाद्यान्नों के नए आवंटन और निधियों के बढ़ाए हुए आवंटन के साथ एस.जी.आर.वाई. के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किए जाते रहे थे। 1 अप्रैल, 2002 से एस.जी.आर.वाई. को पूरी तरह से शुरू किया गया

[श्री अनन्त कुमार]

तथा इसे दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम का नकद घटक केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाता है, जबकि केन्द्र द्वारा राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न दिए जाते हैं। एफ.सी.आई. गोदामों से कार्य स्थल/पी.डी.एस. तक खाद्यान्नों की ढुलाई की लागत और खाद्यान्नों का वितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, केन्द्र योजना के अंतर्गत समस्त (शत-प्रतिशत) निधियां देती हैं।

सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी आंशिक रूप से खाद्यान्न तथा आंशिक रूप से नगद रूप में दी जाती है। एस.जी.आर.वाई. का एक विशेष घटक भी है जिसके अंतर्गत आपदा प्रभावित राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न दिए जाते हैं। नकद घटक को अन्य योजनाओं से वहन किया जाना होता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी

राज्य अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती हैं। न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक राज्य में और राज्य के अन्दर प्रत्येक जिले में अलग-अलग होती है जो आजीविका के भरण-पोषण के स्तर को बरकरार रखने के लिए अपेक्षित वस्तुओं के मूल्य सूचकांक पर निर्भर करती है। मजदूरी के लिए एस.जी.आर.वाई./विशेष घटक के अंतर्गत प्रावधान इस प्रकार है :

- कुशल और अकुशल श्रमिकों दोनों के लिए एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकारों द्वारा दी जानी होती है। मजदूरी आंशिक रूप से खाद्यान्न के रूप में या आंशिक रूप से नगद के रूप में दी जाती है। कम से कम 5 किलोग्राम खाद्यान्न तथा मजदूरी का कम से कम 75 प्रतिशत खाद्यान्न के रूप में दिया जा सकता है तथा कम से कम 25 प्रतिशत नकद के रूप में दिया जाना होता है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों को समान मजदूरी दी जानी चाहिए।
- मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह में किसी निर्धारित दिन में जो खासकर स्थानीय बाजार के दिन से एक दिन पहले हो, किया जाना चाहिए।
- यदि कार्यपालक एजेंसियां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार की संबद्ध अनुसूची के लिए अधिसूचित दर पर रोजगार की किसी श्रेणी हेतु मजदूरी का भुगतान नहीं करती है, तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को मिलने वाली निधियों की आगे की रिलीज को रोक देना चाहिए और उपयुक्त अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जा सके।
- यदि केन्द्र सरकार यह पाती है कि किसी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद द्वारा संपूर्ण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो केन्द्र भी संबंधित जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली निधियों की आगे की रिलीज रोक सकती है।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच कोई अंतर नहीं है। गुजरात सरकार में, राज्य सरकार ने 50.00 रुपये एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत कार्यों हेतु दी जाने वाली मजदूरी के रूप निर्धारित किए हैं। 50.00 रुपये में से, 25.00 रुपये नकद दिए जाते हैं और 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। गेहूं का मूल्य 5.00 रुपये प्रति किलोग्राम लगाया जाता है जो कि बी.पी.एल. दर है। सूखा प्रभावित जिलों में, राज्य सरकार 3 किलोग्राम की दर से गेहूं और 36 रुपये नकद अभाव राहत कार्यों के लिए दे रही है। हालांकि, गेहूं का मूल्य 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम लगाया गया है। एस.जी.आर.वाई. के मामले में दरों की समानता को सुनिश्चित करने के क्रम में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एस.जी.आर.वाई. और अभाव राहत कार्यों दोनों के लिए समान मजदूरी दी जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य सरकार के साथ एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत मजदूरी के मामले को उठाया गया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि एस.जी.आर.वाई. और विशेष घटक के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों के लिए मजदूरी की समानता को अविलम्ब बहाल करें। गुजरात के प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास) को इससे संबंधित एक पत्र भी भेजा गया है। राज्य ने आश्वस्त किया है कि विगत प्रक्रिया के कारण आई विसंगति को 10 दिनों के अंदर दूर कर लिया

जाएगा और मजदूरी के ढांचे को पुनः तैयार कर लिया जाएगा जिससे कि 60/– रुपये की न्यूनतम मजदूरी कार्यान्वित की जा सके। साथ ही साथ 5 किलोग्राम अनाज जारी किया जा सके। भारत सरकार एस.जी.आर.वाई. और विशेष घटक के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों हेतु ग्रामीण निर्धन को सुनिश्चित न्यूनतम मजदूरी देने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद। कृपया आप इस बात पर ध्यान दें कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसका संबंध न केवल गुजरात से है बल्कि अनेक राज्यों से है जहां सूखा है। जहां तक सूखे का संबंध है, रिकार्ड पर जाने के लिए मुझे विभिन्न राज्यों में अगस्त–सितम्बर में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन गुजरात के मामले में दिसम्बर माह में चुनाव के कारण राजनीतिक रूप से विलंब हो गया था और गुजरात में फरवरी के अंत में सूखे की घोषणा की गई थी। चाहे वर्षा हो या न हो, राहत कार्य जून माह में, 20 जून से पहले बंद कर दिया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री को, जिस मुद्दे पर वे जवाब दे रहे हैं, उसके बारे में सूचित करना चाहता हूं। उन्होंने 10 अप्रैल को लोक सभा में मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के जवाब में पहले ही यह स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात में न्यूनतम मजदूरी दर 60 रु., राजस्थान में 60 रु., आंध्र प्रदेश में 80 रु., बिहार में 58.64 रु. और उत्तर प्रदेश में यह 58 रु. है। लेकिन उसी जवाब में माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि केवल गुजरात में ही न्यूनतम मजदूरी के रूप में 60 रु. की तुलना में राज्य सरकार द्वारा केवल 42.50 रु. का भुगतान किया जाता है जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन है।

मंत्री ने आगे यह कहा है कि केवल गुजरात के मामले में ही दो भिन्न दरें हैं। राज्य सरकार के अनुसार राहत कार्य प्रदान करते समय अधिकतम कार्य दिवसों के लिए अधिकतम संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूखा प्रभावित जिलों में कलेक्टरों द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की जाती है।

इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या सरकार निर्धन ग्रामीणों का शोषण कर सकती है जो सूखा के समय एस.जी.आर.वाई. और राहत कार्य के अंतर्गत काम करते हैं? माननीय मंत्री ने आज इस सभा को यह सूचित किया है कि राज्य सरकार ने उन्हें दस दिनों के भीतर उपचारात्मक कार्रवाई करने का वचन दिया है। लेकिन किस तारीख से ये दस दिन गिने जाएंगे, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है।

जहां तक मेरा संबंध है, मैंने और मेरे मित्र श्री मधुसूदन मिस्त्री ने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय श्रम मंत्री और गुजरात सरकार ने मुख्य सचिव को पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, सुरेन्द्र नगर और उन अन्य विभिन्न जिलों के कलेक्टरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था जहां राज्य के अपने कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मुझे बहुत दुःख है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उसके मद्देनजर, माननीय मंत्री का एक उत्तर यह भी है कि राज्य को दी जाने वाली धनराशि रोक दी जाएगी यदि वह कानून का क्रियान्वयन नहीं करता है। यह पुनः गरीब मजदूरों के लिए सजा होगी। वे उन कलेक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते जो राज्य और केन्द्र के कानूनों का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं?

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार संबंधित मंत्री और गुजरात में विभिन्न जिलों के उन संबंधित कलेक्टरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी जो गुजरात राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 197 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पांच सदस्य सूचीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन यहां तीन सदस्य ही सूचीबद्ध किए गए हैं और उसमें से पहले और तीसरे सदस्य जिनका नाम सूचीबद्ध है, अनुपस्थित हैं। अपवाद के रूप में, यदि एक या दो और सदस्य कोई स्पष्टीकरण प्रश्न करना चाहते हैं, तो मैं भी उसका पता लगाऊंगा और तब माननीय मंत्री जवाब दें। आमतौर पर, ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन जैसा कि यहां एक ही सदस्य उपस्थित है, इसलिए, मैं अपवाद के रूप में उन्हें एक मौका दे रहा हूं। इसे उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद। वस्तुतः आर.एल.ई.जी.पी. और एन.आर.ई.पी. को कांग्रेस शासन के दौरान सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था। उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी। जब बाजार मूल्य काफी ऊंचा रहता था तो उन्हें खाद्यान्न भी दिए जाते थे। लेकिन, अब जब राज्य सरकार द्वारा इस विशेष कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

रहा है विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर तो केवल कलेक्टर लाभान्वित हो रहे हैं, न कि भूमिहीन लोग अथवा वे लोग जो इस मजदूरी पर निर्भर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर जोर देगी कि ठेका प्रणाली लागू नहीं की जाएगी, इसे केवल पंचायतों को दिया जाना चाहिए और पंचायतों को इसे क्रियान्वित करना चाहिए? इन कार्यक्रमों के अंतर्गत काम पाने के लिए जो भी अपना नाम दर्ज कराएगा तो क्या उन्हें न्यूनतम मजदूरी, रोजगार और सस्ते खाद्यान्न का लाभ मिलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. ए. के. प्रेमाजय। स्पष्टीकरण प्रश्न केवल एक होना चाहिए।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने हेतु मौका देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

महोदय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कुछ अन्य नाम के साथ पहले से ही मौजूद थी, वह वास्तव में, देश में गरीब लोगों को रोजगार और खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था, नामतः गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए। लेकिन, बाद में यह पाया गया कि ठेकेदार अपने सभी साजो–सामान के साथ, जो शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं, वे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में लगे हैं। वह वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र रोकने और यह सुनिश्चित करने कि केवल गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले योग्य परिवारों को ही रोजगार और खाद्य सुरक्षा मिलेगी, के उपाय करेगी?

[हिन्दी]

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : गुजरात ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लोगों को नहीं दी जा रही है। यही नहीं, दस दिन भी उनको काम नहीं दिया जाता, जबकि कम से कम 15 दिन काम मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. के लोग जो कार्य करते हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वे इस बात का भी प्रोविजन कराएं और देखें कि सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है या नहीं, क्योंकि एक्ट के तहत उनको न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए और कम से कम 10 से 20 दिन तक काम मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सवाल मिनीमम वेजेज के बारे में ही है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : पैसे के बदले अनाज योजना एक अच्छी योजना है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत इतना खराब अनाज मिलता है कि उसको जानवर भी नहीं खाता। इस वजह से लोग मजदूरी करने नहीं आते। इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है।

श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर) : बंगाल में भी इस योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। लेकिन वहां लोगों को बढ़िया अनाज नहीं मिलता, क्योंकि वह दुकानों पर चला जाता है। दिल्ली से जो चावल बंगाल इस योजना के अंतर्गत जाता है, वह बी.बी.एल. के लोगों को नहीं मिलता। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी सी.बी.आई. या अन्य किसी एजेंसी से जांच कराएं कि वहां दिल्ली से जो चावल जाता है, उसका कितना उपयोग हुआ और क्या वह वास्तव में सही लोगों को मिलता है या नहीं? अगर ऐसा नहीं होगा तो बंगाल की गरीब जनता को भारी मुश्किल होगी।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर तो मजदूरों की बजाय मशीनों से काम कराया जाता है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं न्यूनतम मजदूरी के बारे में अपने प्रिय साथी श्री प्रवीण राष्ट्रपाल और अन्य वरिष्ठ सदस्यों की चिन्ता में भागीदार हूं।

गुजरात राज्य के संबंध में हमारे मंत्रालय ने पहले ही सचिव, ग्रामीण विकास को पत्र लिखा है और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री से बात की थी। उन्होंने उत्तर दिया है कि यह विसंगति अगले दस दिन में ठीक कर दी जाएगी। मैं समझता हूं कि उससे श्री प्रवीण राष्ट्रपाल तथा सभा संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसी विसंगतियां महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्य में भी विद्यमान थीं किन्तु अब वे ठीक कर दी गई हैं।

दूसरे, एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि

[हिन्दी]

अनाज जानवर भी नहीं खा सकते हैं। यह तथ्य नहीं है।

[अनुवाद]

क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, वह राज्य सरकार के सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। खाद्यान्न लेना और मजदूरी घटक देना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है जिसका अर्थ नगद घटक है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रति माह दस दिन ही रोजगार देने के लिए तैयार की गई है। इसलिए पन्द्रह मजदूरी दिवस देना सम्भव नहीं है। यदि मध्य प्रदेश में दस मजदूरी दिवस नहीं दिए जा रहे हैं तो इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए।

यह देश में कार्यान्वित किया जाने वाला बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अधिकतर परिवारों को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से आड़े समय में सहायता मिल रही है।

अपराह्न 3.57 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन–*जारी*

(एक) भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित वार्ता के बारे में–*जारी*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सुबह प्रश्नकाल स्थगित करके हमने यह सवाल उठाने की कोशिश की थी कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जो वार्ता हो रही है उसमें इस सदन और देश को अंधेरे में रखा जा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि वार्ता हो। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या वार्ता के लिए उपयुक्त वातावरण बन गया है? हमने वार्ता करने की पहले भी कोशिश की है। हम लोग बस लेकर पाकिस्तान गए थे। आगरा में हमने शिखर वार्ता की। जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जब तक वहां आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। सदन और देश को विश्वास में लिये बिना जो वार्ता हो रही है यह कोई अच्छी बात नहीं है। सदन और देश यह जानना चाहता है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे भारत सरकार पाकिस्तान से वार्ता कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, यह 'जीरो आवर' नहीं है। आप कल नोटिस देकर इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष जी, हमारे नोटिस को सुना नहीं गया। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे स्पीकर साहब ने भी इस प्रश्न को कल उठाने के लिए कहा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, सदन यह जानना चाहता है कि कौन सी ऐसी नयी परिस्थितियां पैदा हुई हैं? क्या आतंकवादियों के खात्मे का कोई संकेत आया है या घुसपैठियों को रोकने का कोई संकेत आया है? सुबह जब सदन शुरू हुआ था तो माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सीमा–पार से आतंकवाद खत्म करने का कोई संकेत पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की तरफ से आया है, क्या कोई ऑथेंटिक संकेत घुसपैठियों को रोकने का पाकिस्तान की तरफ से आया है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी ताकत है जो भारत को वार्ता करने के लिए विवश कर रही है। आगरा में वार्ता विफल हुई थी और सारे डिप्लोमैटिक नॉर्मस को, पाकिस्तान के तानाशाह ने, आगरा में तोड़कर, सारी बातें, जब वार्ता हो रही थी, प्रेस को बता दी थीं। यह जो वार्ता हो, वह विफल न हो, इसकी गारंटी हो जाए। जब तक यह नहीं होता वार्ता का कोई मतलब नहीं है। पूरा देश आज अंधेरे में है।

अपराह्न 4.00 बजे

भारत–पाक वार्ता होनी चाहिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन जब तक इस बात की गारंटी न हो जाए कि सीमापार से आतंकवाद और घुसपैठ पर रोक लगे और डिप्लोमैटिक नार्म्स का पूरा–पूरा पालन होगा। इस संबंध में सदन और देश को अंधकार में नहीं रखा जा सकता है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की डिमांड्स पर चर्चा के समय इसकी चर्चा हुई थी। उस समय हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान से वार्ता करनी है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तैयारी के साथ करें, तो अच्छा

है। उसके बाद प्रधान मंत्री जी का बयान, जब वे काश्मीर गए थे, उस संदर्भ में आया था। फिर उधर की तरफ से कुछ कदम उठाए गए, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। मगर जब यह सदन बैठा हुआ है और इतनी महत्वपूर्ण बात सामने आई है, तो उस बारे में सरकार की नीति क्या है, उसके ऊपर प्रकाश डालना आवश्यक है। मैंने न्यूजपेपर में पढ़ा है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर वे उसके संबंध में बयान दे देंगे। हम आपके माध्यम से विनती करते हैं कि इस संबंध में सरकार की तरफ से या प्रधान मंत्री जी की तरफ से जानकारी सदन को मिल जाए, तो बहुत अच्छा होगा और वह होना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सुबह 11 बजे भी सदन में यह विषय उठाया गया था। उस समय आसन पर अध्यक्ष महोदय आसीन थे। वार्ता के हम विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमें इतनी आशंका है कि जब–जब भी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब–तब देश को किसी न किसी रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इस बात का रिसपांस ले और कम से कम सदन की भावनाओं से प्रधान मंत्री जी को अवगत करा दें या स्वयं प्रधान मंत्री जी इस सवाल पर अपने विचार सदन में दें, ताकि देश की जनता को विश्वास में लिया जा सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, मैं सदन की भावनाओं और सदन की मांग से प्रधान मंत्री जी को अवगत करा दूंगी।

अपराह्न 4.02 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

(एक) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण तेजी से किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 55 सालों के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में 90 प्रतिशत गांव बिना बिजली के हैं, जिसके कारण यहां के ग्रामीण एवं आदिवासी लोग अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं और बिजली के बिना तो खेतों में पानी और उद्योग धन्धों को लगाना संभव ही नहीं है। गत वर्ष के दौरान झारखंड के कई सदस्यों ने झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण के असंतोषजनक कार्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की समीक्षा की जाए और ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए।

(दो) राजस्थान में जयपुर में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान हेतु बनास परियोजना के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान में पेय जल का संकट बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सभी बावड़ियां, कुएं और तालाब सूख गए हैं। वर्षा होने की आशा अभी धूमिल है। जयपुर शहर का एक मात्र पेयजल स्रोत रामगढ का बन्धा भी लगभग सूख गया है और नलकूपों के द्वारा जो निरन्तर पानी लिया जा रहा था उसका स्तर भी गिर गया है। आने वाले समय में राजस्थान की राजधानी जयपुर को पेयजल उपलब्ध होने में भी काफी कठिनाई होगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि पेयजल को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि बनास योजना के लिए अधिक धनराशि आवंटित कर इसे पूरा किया जाए।

(तीन) भुसावल और मुम्बई के बीच सुबह के समय एक सीधी रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जलगांव, महाराष्ट्र का प्रमुख जिला है तथा यहां पर कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। केला और गन्ना यहां की प्रमुख कृषि उपज है। विश्व प्रसिद्ध गुफाएं जलगांव से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिन्हें देखने हेतु देश–विदेश से पर्यटक जलगांव में आते हैं।

मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के अन्तर्गत आने वाले इस जंक्शन/स्टेशन से मुम्बई तथा सूरत और दिल्ली तथा हावड़ा की ओर रेलगाड़ियों का आवागमन होता है।

जलगांव जिले का स्थान है तथा भुसावल मंडल रेल का मुख्यालय है। भुसावल से मुम्बई के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता है। जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भारी सुविधा हो सकती है।

नागपुर–दादर सेवाग्राम एक्सप्रैस के समय में परिवर्तन कर देने से इस क्षेत्र के लोगों को नासिक तथा आगे मुम्बई के लिए सुबह के समय कोई गाड़ी न होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सुझाव है कि सुबह के समय भुसावल से मुम्बई के लिए सीधी रेलगाड़ी तुरन्त शुरू की जाए।

(चार) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दोपहर के समय हवाई सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच दिन में दो फ्लाइट्स हैं और इन फ्लाइट्स में प्रतीक्षा सूची भी ज्यादा रहती है। दिन में कोई फ्लाइट न होने से व्यापारियों और अन्य लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। लोगों को मुम्बई पहुंचकर दिल्ली आना पड़ता है। गुजरात के लोगों की मांग है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दोपहर के आसपास भी एक फ्लाइट आरम्भ की जाए। दिल्ली से मुम्बई के बीच एक दिन में लगभग 20 फ्लाइट्स हैं। इनमें से कुछ फ्लाइट्स को दोपहर के आसपास अहमदाबाद होकर भी चलाया जा सकता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दोपहर में एक फ्लाइट शीघ्र चलाई जाए।

[अनुवाद]

(पांच) बंगलौर-चेन्नई और बंगलौर-हैदराबाद के बीच तीव्र गति इंटरसिटी रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा (हसन) : उपाध्यक्ष महोदय, सिलिकॉन सिटी बेंगलूर भारत में एक तेजी से उभरता शहर है। बेंगलूर और पड़ोसी राज्यों के राजधानी शहरों के बीच रेल लिंक बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं है। बेंगलूर और चेन्नै के बीच रेल लाइन की आज तक पूर्ण रूप से विद्युतीकृत नहीं किया गया है। इस लाइन का दोहरीकरण का कार्य बहुत धीमा है। इसी प्रकार बेंगलूर और हैदराबाद के मध्य रेल लिंक बहुत पुराना है। यह मार्ग चक्कर वाला, कष्टकारी और समय लेने वाला है। बेंगलूर की भांति हैदराबाद सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास करने में तेजी से उभर रहा है। ये दोनों शहर बहुत महत्वपूर्ण शैक्षणिक और व्यापारिक केन्द्र हैं। अतः इन दोनों शहरों के मध्य सीधी रेल लाइन बहुत महत्वपूर्ण है।

बेंगलूर–हैदराबाद और बेंगलूर–चेन्नै के मध्य इंटर सिटी कनेक्शन से दूरी और समय की सम्पूर्ण अवधारणा ही नहीं बदलेगी बल्कि इन शहरों के चहुंमुखी विकास में तेजी भी आएगी। इससे जो राहत यात्रियों को मिलेगी और माल की ढुलाई तथा उच्च आर्थिक लाभ को छोड़कर इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस उच्च गति वाले रेल परिवहन के कार्य को तत्काल शुरू करें।

(छह) महाराष्ट्र में नागपुर के मोतीबाग रेलवे वर्कशाप के उन्नयन और नवीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर में मोतीबाग कार्यशाला की स्थापना 1879 में हुई थी और इसे छोटी लाइन के डीजल इंजनों, सवारी डिब्बों और सामान भंडार जिसमें छोटी लाइन हेतु रेल डिब्बों का विनिर्माण शामिल था, का पीओएच कार्य सौंपा गया था। तथापि, यूनी गेज नीति अपनाने के साथ इस कार्यशाला में कुछ परिवर्तनों की जरूरत है ताकि इसे बी.जी डिब्बों, पीओएच कार्य आदि के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। इससे बड़ी मात्रा में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के अवसर भी दूर हो सकेंगे। सरकार द्वारा लंबित निर्णय के कारण कार्यशाला में कोई काम नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को या तो छंटनी अथवा स्थानान्तरण का खतरा है।

अपराह्न 4.09 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

इस कार्यशाला में अनेक वर्षों से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी करने से उनमें अत्यधिक रोष व्याप्त है। कर्मचारियों को छोटी लाइन के डीजल इंजनों, सवारी डिब्बों आदि के पीओएच में भारी अनुभव प्राप्त है। उनकी इस विशेषता का उपयोग मोतीबाग, नागपुर में बीजी कोच पीओएच

[श्री विलास मुत्तेमवार]

कार्य के लिए आधारभूत ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने में किया जा सकता है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर विचार करें और उपर्युक्त प्रयोजन हेतु मोतीबाग कार्यशाला, नागपुर के उन्नयन, नवीकरण और कार्यशाला को वहीं बनाए रखने के लिए आवश्यक धानराशि उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

(सात) उत्तरांचल राज्य के लिए बजट आवंटन की शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य को दी जाने वाली बजट धनराशि अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है, जिसकी वजह से नवोदित राज्य उत्तरांचल को राज्य का बजट पारित करने में कठिनाई हो रही है। अभी तक राज्य अपने बजट सत्र में केवल लेखा अनुदान पास करने तक सीमित रहा है। केन्द्र सरकार एवं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तरांचल राज्य को दी जाने वाली बजट राशि को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें तथा योजना आयोग द्वारा सुझाए गए योजना बजट में दी जाने वाली धनराशि को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि नया राज्य अपनी योजनाओं को सुचारु रूप से चला सके। इसके साथ-साथ कुछ समय पहले सम्पन्न हुए चुनावों के पूर्व हिमाचल तथा उत्तरांचल को सरकार ने स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की थी। उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। बजट समय पर नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार की सभी योजनाएं अटकी पड़ी हैं। अतः मेरा सरकार से खासकर वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि उत्तरांचल राज्य की बजट धनराशि, स्पेशन पैकेज की अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि राज्य सरकार अपने वर्ष 2003-04 के बजट में किए जाने वाले प्रावधानों की घोषणा कर सके।

(आठ) बिहार में भागलपुर में एक एल.पी.जी. बौटलिंग संयंत्र लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : भागलपुर में एल.पी.जी. गैस बॉटलिंग प्लांट की स्थापना का कार्य कई वर्षों से लम्बित है। इसके लिए भागलपुर-दुमका पथ पर आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कार्य भी किया गया, किन्तु किसी कारणवश निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका।

इस क्षेत्र में एल.पी.जी. गैस उपभोक्ताओं की भीषण समस्या तथा बिहार राज्य पुनर्गठन के बाद यहां औद्योगिक विकास के पिछड़ापन को ध्यान में रखते हुए आई.ओ.सी., बी.पी.सी., एच. पी.सी. में से किसी का एल.पी.जी. गैस बॉटलिंग प्लांट शीघ्र स्थापित करने हेतु भारत सरकार से मांग करता हूं।

(नौ) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आगरा क्षेत्र के किसानों से आलू की खरीद करके उसके निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री के सार्वजनिक वक्तव्य कि इस बार केन्द्रीय सरकार द्वारा आलू को खरीदकर निर्यात किया जाएगा, पर विश्वास करके सम्पूर्ण भारत में आलू उत्पादक किसानों ने आलू बोने की मात्रा बढ़ा दी। फलस्वरूप अधिक आलू के उत्पादन, शीतगृहों की क्षमता कम होने के कारण उसमें न रख पाने के कारण तथा मंदी होने के कारण आलू सड़ रहा है। गांवों में भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। पशुओं द्वारा सड़े आलू खाने के कारण पशु मर रहे हैं। आलू किसान आत्महत्या कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि एक कुंटल आलू पर किसान की लागत 212 रुपये आती है जबकि आलू 100 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। आलू किसान घाटे की खेती कर रहा है। माननीय कृषि मंत्री द्वारा बयान दिया गया कि आलू निर्यात हेतु आगरा मण्डल में खरीदा जाएगा परन्तु मेरे लोक सभा क्षेत्र में खन्दौली, सादाबाद, एतमादपुर, टूंडला में आलू न के बराबर खरीदा गया जिससे स्थिति में कोई सुधार नहीं आया।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आलू की खरीद अविलम्ब कर निर्यात हेतु भेजा जाए।

(दस) सिलेसिलाए वस्त्रों से उत्पाद शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराय जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, सरकार ने इस साल के बजट में रेडिमेड गारमेंट्स अर्थात् सिलेसिलाए वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया है। इस कारण यह लघु उद्योग संकट में आ गया है। इस उद्योग में अधिकांशतः महिलाएं कार्य करती हैं। यही नहीं, यदि इस उद्योग पर उत्पाद शुल्क लगाया गया तो उत्पादित माल अत्यधिक महंगा हो जाएगा। रेडिमेड गारमेंट्स उद्योग का अधिकांश उत्पादन निर्यात होता है तथा देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इस क्षेत्र में यदि हमारा माल महंगा हो जाएगा तो बांगलादेश,

पाकिस्तान और श्रीलंका का रेडिमेड गारमेंट्स का माल सस्ता हो जाएगा तथा विदेशी बाजार में हमारा माल प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाएगा। जिससे न केवल इस उद्योग में लगे लाखों कर्मचारी, विशेषकर महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी अपितु देश को विदेशी मुद्रा का भी नुकसान होगा।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह स्थिति की गम्भीरता को समझे और रेडिमेड गारमेंट्स अर्थात् सिलेसिलाए वस्त्रों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को तुरन्त समाप्त करे तथा इस उद्योग को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाए।

(ग्यारह) बिहार में सहरसा और बैजनाथपुर रेलवे जंक्शन के बीच कारू खिरहर नगर में एक रेलवे ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के सहरसा शहर की आबादी लगभग 3 लाख एवं इसका क्षेत्र विस्तार 5–6 कि.मी. होने से सहरसा शहर के पूर्वी हिस्से में रेल का ठहराव नहीं होने से उस क्षेत्र के रेल यात्रियों को काफी असुविधा होती है। रात्रि में दस बजे के बाद इस क्षेत्र के रेल यात्री जब सहरसा जंक्शन पर उतरते हैं तो रात भर घर नहीं जाकर स्टेशन पर ही रहना पड़ता है।

अतः आग्रह है कि रेल विभाग पूर्व–मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत सहरसा जंक्शन से बैजनाथपुर स्टेशन के बीच पोलिटेकनिक के आगे कारू खिरहर नगर पर रेलवे हाल्ट का निर्माण शीघ्र कराए।

अपराह्न 4.15 बजे

[हिन्दी]

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के प्रतिषिद्ध करने और उनमें व्यापार तथा वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राजय सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, देश की सर्वोच्च विधायिका होने के नाते भारत की संसद हर सत्र में कई विधेयक पारित करती है, लेकिन उनमें से कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और जिन्हें मील का पत्थर विधेयक यानी माइलस्टोन लेजिस्लेशन की संज्ञा दी जाती है। आज जो विधेयक मैंने अभी सदन में चर्चा के लिए और पारित करने के लिए रखा है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक ऐसा ही विधेयक जाना जाएगा। जब–जब पब्लिक हैल्थ रिफॉर्म्स की चर्चा होगी, उसके अनुरूप लाए गए विधेयकों की चर्चा होगी तो इस विधेयक की चर्चा बहुत अग्रणी रूप में होगी। जब कभी हम अपने देश में बीमारी के बोझ यानी डिसीज बर्डन की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि बहुत ज्यादा बीमारियां तम्बाकू के विभिन्न उत्पादों के सेवन से उपजती हैं, पैदा होती हैं। जैसे सिगरेट पीने से टी.बी. होती है। मौखिक रूप से तम्बाकू किसी भी रूप में चबाने से कैंसर होता है। यह कैंसर गले का, गाल का, मुंह का और जबान को हो सकता है। ये भयंकर बीमारियां हैं, जिनका नाम लेते हुए भी डर लगता है। जब इन उत्पादों का स्वयं सेवन करना बुरी बात है, लेकिन विज्ञापन देकर इन्हें महिमामंडित करना, उसे बाकी लोगों को सेवन करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना, उससे भी ज्यादा बुरी बात है और सिगरेट एक ऐसा उत्पाद है, बाकी सारे उत्पाद तो खाने वाले या सेवन करने वाले को ही रोगी बनाते हैं, वही व्यक्ति कष्ट उठाता है, वही काया–माया से तंग होता है, लेकिन सिगरेट ऐसी जहमत है जिसे पीने वाला तो रोगी होता ही है, लेकिन अगल–बगल, आसपास जितने लोग बैठे होते हैं, उन्हें भी रोग देता है और बिना किसी अपराध, दोष या गुनाह के वे लोग भी रोगी हो जाते हैं। आप सिगरेट नहीं पीते, आपके सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो आप भी धुआं निगलने के लिए मजबूर हैं। उस धुएं के साथ आपके फेफड़े भी काले होते हैं, खराब होते हैं और उसे सहने के लिए आप मजबूर हैं।

इसलिए संसद की जो सबऑर्डीनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेशन है, उसने 1995 में संसद को सिफारिश की थी कि एक विधेयक लाकर हमें तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग–II, खंड–2, दिनांक 30.4.2003 में प्रकाशित।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस पर सरकार ने चर्चा की और संसद के सामने एक विधेयक राज्य सभा में 7 मार्च, 2001 को लाया गया। आपको मालूम ही है कि हमारे यहां स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटियों की व्यवस्था बनी है और उनमें किसी बिल को आमूलचूल देखने का मौका मिलता है। इस तरह 7 मार्च, 2001 को प्रस्तुत किए गए इस विधेयक को 12 मार्च को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। दिसम्बर, 2001 में स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी अनुशंसा सरकार को वापस कर दी। सरकार ने उन तमाम अनुशंसाओं पर विचार करके बिल को संशोधित किया। जो संशोधन कमेटी ने सुझाए थे, लगभग सभी संशोधनों को उसमें स्वीकार कर लिया गया। एक संशोधन में थोड़ा सा परिवर्तन करके स्वीकार किया और दोबारा इसी साल 9 अप्रैल को राज्य सभा में संशोधित विधेयक मैंने प्रस्तुत किया। जिस पर अल्प, बहुत अच्छी तथा सार्थक चर्चा के बाद राज्य सभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

इसके तीन प्रमुख प्रावधान हैं, जिन्हें मैं संसद में रख देना चाहती हूं। पहला प्रावधान है कि सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। न इलेक्ट्रोनिक मीडिया में और न प्रिंट मीडिया में, इनका किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं आना चाहिए। कई सिगरेट कंपनियों द्वारा स्पोर्ट्स के इवेंट्स को स्पोंसर किया जाता है। वे कंपनियां ऐसा भी न करें। इस प्रकार से तम्बाकू अथवा तम्बाकू से बनी चीजों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा संशोधन यह है कि अभी तक सिगरेट की डिब्बी पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में यह लिखा रहता था कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" लेकिन अपने देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं आती, वे केवल प्रादेशिक भाषाएं ही जानते हैं। इस प्रकार से सिगरेट की डिब्बी पर वैधानिक चेतावनी अब प्रादेशिक भाषाओं में भी लिखी जाएगी। तमिलनाडु का व्यक्ति अब इस चेतावनी को तमिल में पढ़ सकेगा, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति तेलुगू में और केरल का मलियालम में तथा कर्नाटक का कन्नड में। तीसरी बात यह है कि हमारे यहां बहुत से लोग कोई भाषा नहीं जानते। इसलिए इन डिब्बियों के ऊपर चित्र द्वारा भी इस बात को दिखाया जाए कि यह हानिकारक है। यदि कोई सिगरेट की डिब्बी देखे या तम्बाकू का उत्पाद हाथ में ले, तो उसे पता चल जाए कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

महोदय, सिगरेट, बीड़ी या तम्बाकू के अन्य उत्पाद इस विधेयक के पारित होने के बाद स्कूलों के 100 गज के दायरे में प्रतिबंधित होंगे, ताकि स्कूल के किशोर और किशोरियों को इस बारे में बहकाया न जा सके। प्रायः ऐसा होता है कि कोई कह देता है कि खाकर देखो, कैसा मजा आता है, कैसी मस्ती आती है और चूंकि विद्यालय के निकट ही वह चीज उपलब्ध है, इसलिए खरीद ली और खा ली। फिर कुछ दिनों बाद ऐसी आदत बन जाती है। इसलिए प्रयास यह किया गया है कि विद्यालयों से कम से कम 100 गज की दूरी के अंदर सिगरेट, बीड़ी या तम्बाकू के उत्पाद की कोई दुकान नहीं होगी। समिति ने सुझाव दिया था कि 500 गज की दूरी रखी जाए। यदि समिति की सिफारिश को माना जाता है तो शहरों में भी ऐसा कोई स्थान नहीं बचता, जो विद्यालय से 500 गज की दूरी पर हो। इसलिए जितना व्यावहारिक था, वह सुझाव हमने माना और 500 गज की बजाय 100 गज की व्यवस्था की है।

महोदय, इसके दो–तीन प्रमुख पहलू हैं। राज्य सभा ने इसे 9 अप्रैल, 2003 को पारित किया है। मैं अपने सभी साथियों से प्रार्थना करती हूं कि इस बिल पर चर्चा करें और इसे पारित करें। इस प्रकार से जनस्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करने और उनमें व्यापार तथा वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, यह विधेयक बहुत अच्छा विधेयक है। यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बड़ों के स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण और शहरियों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए और विज्ञापनों के माध्यम से तम्बाकू के सेवन को बढ़ावा न मिले, यह देखने के लिए लाया गया है। ऐसा विधेयक होने के कारण, इसका समर्थन, इस सदन द्वारा किया जाएगा और इसका स्वागत भी किया जाएगा और इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि यह बिल सर्वानुमति से पारित हो जाएगा।

महोदय, कभी–कभी ऐसा लगता है कि संसार की बहुत बड़ी–बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कहीं कुछ कहा जाता है और उसके बाद हम जाग जाते हैं उसके लिए कानून लाते हैं, यदि उससे पहले ही कानून ले आते, तो अच्छा होता। वर्ल्ड हैल्थ असेम्बली में 1990 में यह विचार प्रकट हुआ कि ऐसा होना चाहिए। उस कानून को हम अपने यहां अब बना रहे हैं। यदि इससे पहले ही बना लेते या 1990 के तत्काल बाद बना लेते, तो ज्यादा अच्छा होता।

महोदय, कोई भी कानून जब हम बनाते हैं, तो उस कानून का सारे लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव होने जा रहा है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है और कानून बनाने के बाद कानून की वजह से कुछ लोगों को अगर तकलीफ हो रही है, तो वह तकलीफ किस प्रकार से दूर करनी चाहिए, इसके ऊपर भी अपने विचार प्रकट करने जरूरी हैं। उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए या तो कानून में ही कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिनकी वजह से अच्छा उद्देश्य साधने की दृष्टि से उन्हें कोई तकलीफ न हो और यदि उन्हें तकलीफ होती है या उन्हें नुकसान होता है, तो यह देखना भी जरूरी है कि वह किस प्रकार से दूर किया जाए। इसी को हम बैलेंसिंग ऑफ इंटरस्ट कहते हैं। जब भी कोई कानून बनता है और वह समाज में लागू हो जाता है तो अलग–अलग लोगों के इंटरस्ट पर उसका अलग–अलग इनफ्लुएंस और इम्पेक्ट होता है। उसे ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग ऑफ इंटरस्ट कानून के माध्यम से करना जरूरी है और इसी को ज्यूरिस प्रुडेंस की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। मैं उस दृष्टि से कानून की ओर देख रहा हूं। इसका मतलब मैं इसका विरोध कर रहा हूं, आप ऐसा मत समझिएगा। इसका मतलब हम कुछ बताने जा रहे हैं या सरकार से कुछ मांग करने जा रहे हैं तो इसका विरोध करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, कृपा कर आप ऐसा मत समझिएगा। यह कानून बनने से क्या होने वाला है, मैं समझता हूं कि यह बनना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी हो गया है, मगर इसका असर किन–किन लोगों पर होने वाला है, इसे हमें देखना चाहिए। हमारा देश तम्बाकू की उपज करने वाला है। हमारे यहां तम्बाकू होता है, जिसे हम चाइना, रशिया तथा दूसरे देशों को भी भेजते थे। हमारे यहां की तम्बाकू बहुत अच्छी नहीं, मगर बहुत खराब भी नहीं है। सिगार और बीड़ी के उपयोग में आने वाली हमारे पास तम्बाकू है, चुरुट बनाने वाली तम्बाकू शायद हमारे पास नहीं है, अगर पैदा होती भी होगी तो शायद बहुत थोड़े पैमाने पर होती होगी।

महोदय, इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, उन पर भी कुछ असर होने वाला है। अगर देखा जाए कि इस काम में कितने लोग लगे हैं, 35 मिलियन लोग, इसका मतलब है करीब–करीब साढ़े तीन करोड़ लोग इस काम में लगे हुए हैं। अगर इस कानून को बनाने की वजह से उनकी रोजी और रोजगार में कुछ कमी आए, मैं यह नहीं कहूंगा कि उनका रोजगार पूरी तरह खत्म हो रहा है, लेकिन अगर कमी आती है तो उसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें छः मिलियन, यानी 60 लाख तम्बाकू फार्मर्स शामिल हैं, 20 मिलियन फार्म लेबरर्स हैं, 4.40 मिलियन बीड़ी वर्कर्स हैं और 2.2 मिलियन तेन्दु लीव प्लकर्स हैं। इनके अलावा दो मिलियन रिटेलशाप और पेटी शाप ट्रेडर्स हैं तथा ट्रांसपोर्ट वगैरह में काम करने वाले लोग हैं। अगर उनकी रोजी और रोजगार पर कुछ असर पड़ रहा है तो उनके बारे में सरकार में होने के नाते हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इरीगेशन डैम बनाते हैं और यह बनाना जरूरी भी है, अगर भाखड़ा नांगल डैम न बनता तो हम आज अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर न होते, देश में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आती। हम जब भाखड़ा नांगल डैम बनाने जा रहे हैं तो जिसकी जमीन के ऊपर पानी खड़ा हो रहा है, अगर उसका नुकसान हो रहा है तो उसकी मदद करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसी तरीके से अगर हम डिसइनवेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से एससी, एसटी के लोगों की नौकरी या रोजगार पर कोई असर पड़ रहा है तो उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। इसी तरह हम जो भी कोई काम करते हैं, सड़क बना रहे हैं, उसके लिए भी हमें जमीन लेनी पड़ती है, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। कम्पनसेट करने के लिए, उनका जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम या तो कानून में होना चाहिए और अगर हमें यह लगता है कि हम कानून में नहीं कर सकते तो सरकार की तरफ से हमें बताया जाए कि जो प्रश्न है, उसे हम ध्यान में रखेंगे तथा जहां तक हो सकेगा उसे हल करने का प्रयास करेंगे। इतनी मांग हम जरूर कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर हमें निराश नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी यह मांग बिल्कुल दुरुस्त है, गलत मांग नहीं है। इस ढंग से काम करेंगे तो आपका उद्देश्य अच्छा सफल होगा। इसके लिए हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। इस कानून को जो भी माननीय सदस्य लाए हैं उनका नाम भी लिखा जाएगा और इस वर्ष तथा इस सदन को भी याद किया जाएगा। इसका उद्देश्य और अच्छे ढंग से पूरा हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

महोदय, मैं पुरजोर और बड़ी विनम्रता से तथा बार-बार रिपीट करके कहना चाहूंगा कि हम सरकार की ओर से सुनना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, जिनके ऊपर असर हो रहा है उनकी मदद करने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, वह करें, आप जो नहीं कर सकते, उसे करने की हम मांग नहीं करेंगे। जो भी आप कर सकते हैं, आप जरूर करेंगे, अगर इतना आश्वासन हमें मिल जाए तो उससे हमारा समाधान हो जाएगा।

दूसरी बात इसके अन्दर यह आती है कि जो भी कानून बनता है, वह कानून इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट कराने में कोई अड़चन आती है तो उसे दूर करना चाहिए। हम लोग जब कालेज में जाने वाले बच्चे थे, कानून भी पढ़ते थे, उस समय सबसे ज्यादा चर्चा प्रोहिबिशन एक्ट की होती थी। बम्बई में प्रोहिबिशन एक्ट मोरारजी देसाई साहब ने लाया हुआ था, जो वहां पर चालू था! उसकी वजह से बूट लैगिंग बहुत होती थी और प्रोहिबिशन एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, वह चलता रहा और बाद में उस कानून को वापस लेना पड़ा। ऐसा नजर आता है कि आज बहुत थोड़े से प्रान्त हैं, जहां इस प्रकार का कानून लागू है। बाकी जगहों पर ये कानून वापस लिए गए हैं। इसलिए कानून का उद्देश्य अच्छा होने के साथ-साथ उसे इम्प्लीमेंटेबल बनाना भी जरूरी है। यह कानून इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। इम्प्लीमेंटेबल है, लेकिन आपका उद्देश्य एडवरटाइज करके लोगों के मन में चुरुट पीने की, सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की जो इच्छा निर्माण की जाती है, उसके ऊपर कोई बंधन लगाने का, उसे लिमिट करने का जो उद्देश्य है, वह इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजें इसके अन्दर आ रही हैं, जो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं हैं। आपको अगर लगे कि जो हम कह रहे हैं, उसके अन्दर कोई तथ्य है तो उसके ऊपर कुछ ध्यान दें। हमारे कुछ साथियों ने सुझाव दिए हैं। अगर हम उन्हें एक्सैप्ट करते हैं तो आप एक्सैप्ट करें, अगर नहीं करें तो भी अच्छा है। चर्चा करके बाद में करें तो भी अच्छा है।

आपने बिल के अन्दर एक स्थान पर 100 गज लिखा है, मीटर लिखते तो अच्छा होता, स्कूल से 100 गज के एरिया तक कोई बीड़ी-सिगरेट की दुकान नहीं लगेगी। कुछ लोगों ने मुझे नक्शे लाकर दिए हैं, खासतौर पर मुम्बई के लोगों ने मुझे नक्शे लाकर दिए हैं कि अगर 100 मीटर के रेडियस का हिसाब लगाएं और गोल चक्कर लगाते रहें कि 100 मीटर का चक्कर क्या होता है तो पूरा का पूरा मुम्बई का एरिया कवर हो जाता है। अगर बड़े शहरों में पूरा का पूरा एरिया खत्म हो जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं भी आप बेच नहीं सकते। अगर ऐसा कानून बना तो कोई न कोई चोरी से बेचेगा तो अनइम्प्लीमेंटेबल होगा और प्रोहिबिशन की जो गति हो गई, वही गति इसकी भी होगी। इसलिए यह देखना जरूरी है और मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं उसके बाजू में हूं कि जहां स्कूल और कॉलेज हों, वहां बिक्री नहीं होनी चाहिए, मगर 100 मीटर के रेडियस में नहीं होनी चाहिए, यह सवाल है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्कूल के कम्पाउण्ड में जो कैफेटेरिया चलता है, उसके अन्दर तो होना ही नहीं चाहिए, उसके अन्दर कोई शंका नहीं है, मगर स्कूल का बड़ा कम्पाउण्ड है और उसके बाहर 100 मीटर तक आप दुकान ही नहीं लगाने दे रहे हैं तो कोई चोरी करेगा, कोई स्मगलिंग करेगा और जैसे गुट लैगिंग पहले होती थी, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगी। इसलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है कि यह प्रैक्टीकल है, क्या यह इम्प्लीमेंटेबल है? अगर इस प्रकार का कानून हम बनाएं तो उसका असर हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होगा या उसे कमजोर करने वाला होगा, इसे देखना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद यह 100 मीटर का प्रावधान कुछ मुश्किल पैदा करेगा। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

क्लोजेस्ट विसिनिटी के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि क्लीजेस्ट विसिनिटी कह दिया, क्या क्लोजेस्ट विसिनिटी आप रूल्स में बनाइएगा, क्योंकि रूल्स को आप जब चाहे बदल सकते हैं। लेकिन कानून में बनाने के बाद आप उसे बदल नहीं सकेंगे। कानून में बदलना है तो फिर यहां आकर आपको बदलना पड़ेगा। उसमें हमारे यहां तरीका है कि आप बिल बनाएंगे, यहां उसे इण्ट्रोड्यूस करेंगे, फिर वह स्टेंडिंग कमेटी में जाएगा, फिर यहां आएगा और उसमें टाइम लगेगा। इससे पीछे हटने या आगे बढ़ने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मेरा सुझाव इसके बारे में यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इसलिए आपके जो रूल्स बने हैं, उन रूल्स के अन्दर कितने फासले पर होना चाहिए, स्कूल कम्पाउण्ड में नहीं होना चाहिए, इसे कानून लिख दीजिए, मगर डिस्टेंस दुकान का कितना होना चाहिए, आप रूल्स में इसे बनाइए। उसमें कम ज्यादा आपको जैसा भी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से जरूरी है, वह कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरा एक तीसरा सुझाव भी है जो मेरे साथी मुझे यहां बता रहे हैं। उसके बारे में आपको जो सोचना है, वह सोचिए। इस बिल पर वह खुद

भी बोलेंगे लेकिन वह चाहते हैं कि मैं भी उसे टच करूं। वह स्कूल एंड टू क्रास बोन्स से संबंधित हैं। यह बहुत डेंजर्स बात है। मैं समझता हूं कि यह डेंजर्स है तो बच्चों को बताना चाहिए कि अगर आप बीड़ी या और किसी चीज को पीएंगे तो ऐसा ही होगा। मगर यह समझते हैं कि बहुत डेंजर्स है। इसको आप किसी और तरीके से लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। इस बिल को लाने के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं यहां पर सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू पदार्थों (विज्ञापन और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण प्रतिबंध विनियम) विधेयक, 2003 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, 400 वर्ष पूर्व यह इस देश में तबाही लाया था। लगभग 400 वर्ष पूर्व पुर्तगाली तम्बाकू को भारत लाए थे और अब हम देखते हैं कि यह जंगल की आग की तरह देश के हर कोने–कोने में फैल चुकी है। चाहे वह सिगरेट हो, बीड़ी हो या फिर मुंह में दबायी हुई अन्तिम छोर तक पीये जाने वाली घरेलू तौर पर बनी सिगार हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री के. येरननायडू के निर्वाचन क्षेत्र तथा सुदूर दक्षिण में भी हमें ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे जो सिगरेट–बीड़ी आदि को उल्टा करके पीते हैं जिससे उनके मुखों में रोग भी लग जाता है। और फिर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो तम्बाकू चबाते हैं तथा इधर–उधर थूकते हैं जिससे हर जगह प्रदूषण फैलता है।

और यह कैसे आया? यह पुर्तगालियों के कारण आया जो कि इसे इस देश में लाए।

अपराह्न 04.36 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय *पीठासीन हुए*)

महोदय, यह अच्छा सुझाव है कि हमें विज्ञापन और बिक्री पर किसी तरह की रोक लगानी होगी। अब, जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है कि यह उस तरह धूम्रपान निषेध नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विन्सटन चर्चिल की बात उद्धृत करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था :

> "कुछ छोटी–मोटी व्यक्तिगत आमने–सामने का वार्तालाप करने अथवा विचार–विमर्श करने में अथवा बेहद चिंता की घड़ी में तम्बाकू के शीतलता प्रदान करने वाले प्रभाव ने मेरे शांत चित्त को प्रभावित किया या न किया और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डाला या न डाला मैं आपको यह कैसे बता सकता हूं?"

यह उनकी राय थी।

यह ठीक है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर धूम्रपान कर सकता है। परन्तु मैं सुझाव दूंगा कि : 'लोक सभा की लाबी में धूम्रपान न किया जाए क्योंकि इससे धूम्रपान न करने वालों पर बुरा असर पड़ता है। संसद के केन्द्रीय हॉल में भी धूम्रपान न किया जाए। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यों को चेतावनी दी जानी चाहिए। यहां धूम्रपान न करें लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे अच्छे मित्र...यहां अच्छे मित्र भी होते हैं...जो बाहर आते हैं और धूम्रपान करते हैं और हमसे बात करते हैं। परन्तु धूम्रपान न करने वालों को काफी दिक्कतें आती हैं।

महोदय, जब यह विधेयक लाया गया है तो मेरा मानना है कि अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति को इसे प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अन्य व्यक्ति जिन्हें धन्यवाद देना चाहिए वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रो. श्री रेड्डी हैं। इन्होंने इस संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक गैर–सरकारी संगठन का गठन किया है। जब हम विधायिका के बारे में सोच रहे हों तब हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। विगत 5–6 वर्षों से उन्होंने धूम्रपान करने वाले लोगों, विज्ञापनकर्त्ताओं और उन सभी के विरुद्ध मोर्चा संभाल रखा है। यह एक अच्छी चीज है।

और एक अन्य व्यक्ति जिसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए वह हैं सुश्री बेट्टी बुल्लोक। एक 64 वर्षीय वृद्ध औरत हैं जिन्हें धूम्रपान की वजह से कैंसर हो गया था, उन्होंने और उनके वकील ने एक प्रसिद्ध निर्माता फिलीप मोरिस के विरुद्ध लास एंजिल्स में क्षतिपूर्ति का दावा किया। उन्हें 28 बिलियन डालर का हर्जाना मिला। यह एक निवारण है जो उन सभी विधेयक में आवश्यकता है जो आप लाए हैं।

लेकिन दुर्भाग्यवश, यद्यपि मैं इसका समर्थन करता हूं। यह विधायक अपर्याप्त है। लास एंजिल्स में सिगरेट की तरह के अंश पर 28 बिलियन डालर का जुर्माना हुआ। अब, सिगरेट में टार और निकोटीन होते हैं। यह घटक क्या है? टार और निकोटीन से सबंधी सिगरेट के अंशों का संकेत होना चाहिए और वही इस विधेयक में किया गया है। परन्तु, मुझे संदेह

[श्री अनादि साहू]

है कि लोग इसके बारे में जानेंगे। यदि कोई बीड़ी पीता है और धुएं को छोड़ता है या अंदर ले लेता है और यदि वह धोती ले और उसमें धुएं को छोड़े तो हम पाते हैं कि धोती पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। हम यह देख चुके हैं। मैं धूम्रपान नहीं करता हूं परन्तु मैंने यह देखा है। यही धब्बे हमारे समूचे श्वास तंत्र में परेशानी पैदा करते हैं। यही समस्या थी जिसे लास एंजिल्स के उन लोगों ने लिया है। मुझे लगता है कि इससे विधेयक को जल्दी लाया गया है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को यह देखना चाहिए कि सभी नागरिक स्वस्थ हैं। यह पहली बात है। बाद में इसे कार्यान्वित करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं पर यह अच्छा कानून है। मेरे विचार से इस विधेयक में कुछ खामियां हैं, कुछ खामियां इस अर्थ में कि खंड 4 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान किए जाने से संबंधित हैं। खंड 21 में इसे शमनीय बताया गया है। बहुत ही अच्छा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोका जाना चाहिए। खंड 6 स्कूलों और दूसरी जगहों पर सिगरेट तथा तम्बाकू बेचने से संबंधित है। इसके लिए खंड 22 में दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। इसमें पहली गलती पर 2 वर्ष की सजा या जुर्माना और दूसरी गलती पर 5 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए पहली गलती पर सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। परन्तु दूसरी गलती पर यह सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। मेरे मत में पहली गलती पर सजा और जुर्माना दोनों होने चाहिए। मेरे मत में यह कम सजा होगी।

तत्पश्चात् खंड 24 है। उसमें परवर्ती अपराधों का प्रावधान नहीं है। मैं आप लोगों को वह खंड स्वयं पढ़ने के लिए बाध्य करूंगा। मैं वह पूरा खंड नहीं पढ़ पाऊंगा। वह कहता है

> "सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों की निश्चित स्थानों पर बिक्री या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा बिक्री के लिए सजा।"

इसमें परवर्ती अपराधों के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब किसी भी दोष के लिए व्यक्ति को सिर्फ जुर्माना देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों के लिए जो वह पदार्थ 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बेचते हैं या उन व्यापारियों के लिए जो स्कूलों के 100 मीटर तक दायरे में बेचते हैं उनके लिए दूसरी या परवर्ती अपराधों के लिए बड़ी सजा होनी चाहिए। इसका प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है? इसमें लोगों को केवल पकड़ा जाएगा तथा उनके 100 या 200 रुपये जुर्माना लगेगा और मामला शीघ्र निपटा दिया जाएगा। उन्हें पकड़कर मामले के निपटारे के लिए मजिस्ट्रेट के पास लाना चाहिए। सामान्यतः संक्षिप्त प्रक्रिया में न्यायालय ज्यादा समय नहीं लेता है। वह कहेगा, "जी हां मैंने धूम्रपान किया है या वह कहेगा हां मैंने यह चीज बेची है।" तो 5 या 10 मिनट में सारा मामला निपट जाता है। लेकिन यह रोकथाम नहीं है। यह रोकथाम करने वाला कार्य नहीं करेगा।

इसलिए इसे रोक लगाने वाली सजा बनाने के लिए मेरी राय में खंड 24 में उचित संशोधन करना चाहिए। चाहे बाद के स्तर पर ही सही। लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो छानबीन कर रहे हैं वे धूम्रपान करने वाले नहीं हैं उनके लिए नियम ठीक तरह से बनाने चाहिए। कई पुलिस अधिकारी स्वयं धूम्रपान करते हैं। एक व्यक्ति जो स्वयं धूम्रपान करता है वह अन्य को कैसे पकड़ेगा? यदि वह जाता है और किसी गुटखे, सिगरेट या इस प्रकार की चीज बेचने वाले को या किसी को पकड़ता है तो वह भी कह सकता है कि "आप धूम्रपान करते हैं आपने मुझसे ये चीज ली है आप मेरे पास कैसे आए।" इसलिए यह सही रहेगा कि जो लोग पकड़े वे पान न चबाते हों, गुटखा या तम्बाकू न खाते हों या सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करते हों। यह प्रतिष्ठा सूचक भी नहीं होना चाहिए। कई लोग पार्टियों में जाते हैं और वे उनके घरों में भी धूम्रपान करना पसंद करते हैं। एक ऐसे चेयरमैन को मैं जानता हूं। वह पाइप पीता है, वह कहता है "मेरे पिता के सामने मैं नहीं पीता लेकिन जब मैं बाहर रहता हूं तो मैं ज्यादातर पाइप पीता हूं।" इससे मुझे काफी विश्वसनीयता और आराम मिलता है। सरकार की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। इसका भी कुछ प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग पकड़ते हैं वे स्वयं धूम्रपानकर्त्ता न हों। यह कुछ बातें हैं जो मैं सोचता हूं कि मुझे बोलनी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक इस यथारूप में कई तरह से त्रुटिपूर्ण है जिसके बारे में मैं बताऊंगा।

हम धूम्रपान के संबंध में नया विधान बना रहे हैं। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धूम्रपान को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे हृदय की बीमारियां और कैंसर होता है। इससे

मुंह का कैंसर भी हो सकता है। इससे ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए यह मानवता के लिए एक खतरा है। इसके संबंध में कोई सन्देह नहीं है।

जब हम इस विधेयक को पारित कर रहे हैं तो मैं मंत्री जी को लॉबी में रखे गए सभी एशट्रेज को हटाने की सलाह दूंगा क्योंकि यह भी धूम्रपान हेतु एक तरह का प्रोत्साहन ही है। मंत्री जी को केन्द्रीय कक्ष में रखे गए सभी एशट्रेज को भी हटवा देना चाहिए क्योंकि यह भी धूम्रपान हेतु एक तरह का प्रोत्साहन ही है। सभा के परिसर में धूम्रपान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तब, हमारे पास इस विधान को पारित करने का अधिकार होगा। हम अब कानून बना रहे हैं, 18 साल से कम आयु के विद्यार्थियों को धूम्रपान न करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन, हम जैसे कानून निर्माताओं को भी कानून का पालन सख्ती से करना चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। मैंने जीवन भर धूम्रपान नहीं किया है।

मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा कि लोगों को सूचित करने के लिए तत्काल सभी कदम उठाए जाएं कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि लॉबी में कई मित्र धूम्रपान कर रहे हैं क्योंकि वहां एशट्रेज रखी हैं। मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें वहां से हटाया जाए। ससद परिसर में किसी तरह का धूम्रपान नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा इस संबंध में कड़वा अनुभव रहा है। जब सुबह मैं टहलने के लिए जाता हूं तो हमेशा ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कि सिगरेट या बीड़ी आदि पीते रहते हैं, मुझे कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है और जब वह आदमी चला जाता है तब मुझे आगे चलना पड़ता है। मुझे यह बहुत दुष्कर लगता है। यहां तक उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान न किया जाए। इसका भी आज तक कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए कि इसका कार्यान्वयन हो।

मैं कह सकता हूं कि पत्नी की उपस्थिति में धूम्रपान करना कुछ सीमा तक उसके लिए खतरनाक हो सकता है और यह अपराध है। परिवार के सदस्यों के सामने धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वे इसका विरोध नहीं करेंगे लेकिन वास्तव में वही बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों की तरह ही अन्य लोग चाहे वह पुत्र हो, पुत्री हो या पत्नी हो या कोई अन्य उसके सामने भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सामान्यतः वे इसका विरोध नहीं करेंगे लेकिन हमारे पास इस बात का साहस या मनोवृति होनी चाहिए कि हम परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में धूम्रपान करने से बचें।

यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करने पर तुला है तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह भी आत्महत्या का दूसरा रूप है। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान का इच्छुक है तो उसे बिना किसी हस्तक्षेप या वहां उपस्थित अन्य लोगों को तंग किए ऐसा करने दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में कदम उठाए जाएं, माननीय मंत्री जी की भी इसमें बहुत अधिक रुचि है कि इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएं।

मुझे यहां यह भी कहना है कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हैं। खंड 32 को विधेयक में शामिल करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। यह उपयुक्त नहीं है। यह हमारे लिए उचित नहीं है। इसमें उल्लेख है :

> "इस अधिनियम में निहित कोई भी बात निर्यात के लिए किसी सिगरेट या अन्य तम्बाकू–उत्पादों या सिगरेट के पैकेज या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रयोज्य नहीं होगा।"

ऐसा करके आप लोगों को उन्हें निर्यात करने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य होने के नाते भारत स्वास्थ्य संबंधी बातों की अनदेखी कर आकर्षक विज्ञापन देकर सिगरेट और तम्बाकू के निर्यात को मौन स्वीकृति कैसे दे सकता है। इसके स्थान पर आप किसी सिगरेट पीती आकर्षक युवती की फोटो दे सकते हैं और सिगरेट और तम्बाकू का निर्यात कर सकते हैं और अन्यों पर इसके परिणामों को छोड़ सकते हैं। क्या यह हमारे लिए अच्छी बात है? हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हैं। क्या भारत कभी इन प्रतिबंधों के बिना सिगरेट के निर्यात की अनुमति दे सकता है? सिगरेट के निर्यात पर भी प्रतिबंध लागू होने चाहिए। आप छूट क्यों देते हैं? यहां यह प्रावधान भी है जो कि और भी मजेदार है। इसमें उल्लेख है :

> "परन्तु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सिगरेटों के किसी ऐसे पैकेज का जिस पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है और निकोटीन

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

तथा टार अंतर्वस्तु उपदर्शित नहीं है, ऐसे देश को निर्यात किया जाना उस दशा में, प्राधिकृत करती है जिसमें उस देश में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि वही चेतावनी या उसी प्रकार की चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।"

इसलिए, यदि देश में ऐसा कानून है जिसके अन्तर्गत इसका निर्यात किया जा रहा है तो इसे मौन स्वीकृति के रूप में नहीं लिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य देशों में विज्ञापनों और अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हों या न हों, लेकिन हम तो मानवता के पक्षधर हैं। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि मानवता को कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक कि मुंह के कैंसर से मुक्त होना चाहिए। भारत मानवता के हितों का समर्थक रहा है। इसलिए वह ऐसे कैसे कह सकता है कि वह इसे अन्य देशों को निर्यात कर सकता है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप अन्य देशों को इन बीमारियों का निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं। क्या वे मानव नहीं हैं? मैं माननीय मंत्री को अनुरोध करता हूं कि इस धारा का लोप कर दें। वह इस विधेयक के प्रबल समर्थक हैं। कानून में ऐसा प्रावधान जो कि लोगों को इन प्रतिबंधों के बावजूद सिगरेट और तम्बाकू का निर्यात करने की अनुमति देगा बेतुका, अनुचित और अनैतिक होगा।

यह अच्छा नहीं है। यह कहना कि यदि अन्य देशों में यह अपराध है, तो इसकी अनुमति को मौन स्वीकृति के रूप में नहीं लिया जाएगा यह बात सही है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि क्या कोई कानून इस पर निषेध लगा रहा है। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के समर्थक हैं। इसलिए, मैं यह अनुरोध करूंगा कि यहां यही न्यायोचित और उपयुक्त तथा सभी बातों के लिए उपयुक्त होगा कि खंड 32 का लोप किया जाए।

इस अधिनियम की कार्यान्वयन योजना के संबंध में भी कठिनाइयां हैं। इसमें दो प्रावधान हैं। एक यह है कि जब्त करने के मामले में विवाद दीवानी न्यायालय में तथा कानून के उल्लंघन करने के मामले में यह फौजदारी न्यायालय में जाएगा। यदि आप अभियोजन आरम्भ करते हैं तो क्या आपको इस खंड को अन्तःस्थापित करना होगा कि जब्ती संबंधी कार्रवाई भी अभियोजना का अंग ही होगी। तब मामला दीवानी न्यायालय में क्यों जाएगा? यदि मामला दीवानी न्यायालय में जाता है तो वहां अपील, कारण बताओ नोटिस, सुनवाई और कई अन्य प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा। इसलिए, दीवानी न्यायालय में मामले को ले जाना निश्चित रूप से संविधि के प्रावधानों को अप्रभावी बनाने के समान होगा। फौजदारी न्यायालय में भी कठिनाई होगी क्योंकि वहां दो कार्रवाइयों के संबंध में भ्रम की सम्भावना होगी। इसलिए, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं माननीय मंत्री से किसी तरह के भ्रम या कार्रवाइयों में टकराव के बिना नियम बनाए जाने का अनुरोध करता हूं। यह दूसरा मामला है जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहता था।

यह कार्यान्वयन योजना ठीक नहीं है। इसमें इस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उसमें विशिष्ट निदेश निहित हों कि किन-किन अपराधों को दीवानी न्यायालय में ले जाया जाएगा और किन-किन मामलों को नहीं तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा कानून के किन-किन उल्लंघनों पर विचारण किया जाएगा।

प्रक्रिया नियमावली में इन कार्रवाइयों हेतु भिन्न और अलग-अलग दिशा-निदेश होने ही चाहिए।

अभियोजन के मामले में, उप-निरीक्षक उसके रैंक से ऊपर का अधिकारी या उसके रैंक के समकक्ष राज्य खाद्य और औषध प्रशासन का कोई अधिकारी जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तलाशी लेगा। मैं समझता हूं कि इससे हमें वही कटु अनुभव प्राप्त होंगे जो मद्यनिषेध अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान हुए थे। जब मद्यनिषेध अधिनियम का कार्यान्वयन किया गया था तो कई कठिनाइयां आईं और अधिनियम को असफल पाया गया। इसी कारण कई राज्यों में मद्यनिषेध अधिनियम को वापस ले लिया गया। इस विधान के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह और अच्छे इरादे से मैं माननीय मंत्री जी से दोषियों के प्रति अभियोजन कार्रवाई हेतु विशेष प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, कंपनी के संबंध में उसी व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जाएगा जो कि या तो उस कम्पनी विशेष का सचिव हो या निदेशक। लेकिन इससे ऐसी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं जिसके अन्तर्गत निर्दोष लोगों पर अभियोजन चलाया जा सकता है। इसलिए, हमें पूरी तरह स्पष्ट और सावधान रहना चाहिए कि निर्दोष लोगों को सजा न मिले।

इन मामलों पर नियम बनाते समय इस अधिनियम को और अधिक सार्थक और प्रभावी बनाने हेतु विशिष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए।

जैसा कि श्री शिवराज पाटील ने उल्लेख किया है, दूरी के संबंध में एक कठिनाई है। अधिकांश शहरी क्षेत्रों और महानगरों में 100 गज की दूरी एक कठिनाई है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। महाविद्यालयों और विद्यालयों के परिसरों में सिगरेट बेचने हेतु लाइसेंस नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि नियमों में भी प्रावधान किया जा सकता है। महाविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थानों के नजदीक किसी प्रकार की बिक्री की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वहां यह प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। परन्तु दूरी को लेकर कुछ कठिनाई हो सकती है। आपको स्वयं संविधि में अथवा नियमों में इसका ध्यान रखना होगा। आपको अंतर करना होगा। इसे अवश्य किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पुनः पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, मैंने विधेयक को पढ़ा है और मैं इस संबंध में किए गए सरकार के प्रयास की सच्चे अर्थों में प्रशंसा करता हूं। मैंने सभी खंडों को पढ़ा है। मैं तीन मुद्दों पर माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं।

जहां तक रोजगार का संबंध है तम्बाकू उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और वह लाखों गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। प्रस्तावित विधेयक से तम्बाकू उद्योग पर आश्रित 35 मिलियन किसानों, छोटे व्यापारियों और श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होगी। साथ ही साथ इससे तेन्दू पत्ते की खेती में लगे 2 मिलियन से अधिक आदिवासियों तथा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर निर्भर रहने वाले पांच मिलियन गरीब दुकानदारों की आजीविका भी प्रभावित होगी।

अपराह्न 4.59 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*)

खंड 5 अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को सिगरेट अथवा कोई अन्य तम्बाकू उतपाद बेचने पर रोक का उपबंध करता है। 100 गज की दूरी का भी प्रावधान किया गया है। इससे गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंचेगा क्योंकि उन्होंने हजारों और लाखों दुकानें खोल रखी हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इन लोगों ने ये दुकानें आजादी के समय से ही खोल रखी हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों से इस व्यापार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस विधेयक के प्रावधानों की वजह से बेरोजगार होने जा रहे इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने का है? श्री शिवराज पाटील जी ने भी इस मुद्दे का उल्लेख किया था।

महोदया, अगला मुद्दा खंड 7(i) से संबंधित है और यह निकोटीन की मात्रा की मुद्रित और चित्रात्मक चेतावनियों और घोषणाओं से संबंधित है। यह सिर्फ अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि भेदभावपूर्ण भी होगा। यहां तक कि विस्फोटक वस्तुओं के लिए उदाहरणार्थ पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भी हम ऐसी चित्रात्मक चेतावनियों आदि का प्रयोग करते हैं। धूम्रपान को रोकने हेतु हमें लोगों को शिक्षित करना होगा तथा यह जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार–प्रसार हेतु निधियां मुहैया करानी होंगी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह हमारे शरीर को प्रतिकूलतः प्रभावित करता है तथा इससे यहां तक कि कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं हरियाणा और आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने संबंधित राज्यों में निषेध अधिनियम पारित रखा है। परन्तु जमीनी हकीकत यह है कि अधिनियम के प्रावधान कार्यान्वित करने हेतु व्यावहारिक नहीं है। कानून पारित करना बहुत ही आसान है परन्तु जब अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की बात आती है तो काफी समस्याएं होती हैं। इसलिए इन दो खंडों के प्रावधान जिनमें विद्यालय परिसरों से 100 मीटर की दूरी तक दुकान न रखने और चित्रात्मक चेतावनियों के मुद्रण की व्यवस्था की गई है, अव्यवहारिक और भेदभावपूर्ण होंगे।

महोदया, मेरी तीसरी बात यह है कि प्रत्येक राज्य के पास इस संबंध में अपना कानून है। इसलिए इस कानून को पारित करने से पहले सरकार को राज्यों के संबंधित मंत्रियों को आमंत्रित करके इस आम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक सर्वसामान्य कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए था। अब इस केन्द्रीय कानून के पारित हो जाने के बाद से पूरे देश में एक ही प्रयोजनार्थ दो कानून होंगे और संबंधित अधिकारी इस परिस्थिति का फायदा उठाएंगे जिससे जनता ज्यादतियों का शिकार बनेगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने की संभावना का पता लगाए तथा धूम्रपान निषेध और इन सब बातों के लिए एक सर्वसामान्य कानून बनाए।

महोदया, मेरे सुझाव ये हैं तथा मैं सरकार से जानना

[श्री के येरननायडू]

चाहता हूं कि वे इस विधेयक के पारित होने की वजह से बेरोजगार हो जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने एवं तम्बाकू उत्पादक किसानों के हितों का ध्यान रखने का किस प्रकार से विचार कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगडिया) : सभापति महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। यह विधेयक आज मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आज बूढ़े–बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा वर्ग की महिलाएं और पुरुष इसके शिकार हो रहे हैं। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि सिगरेट, शराब और अन्य टोबैको उत्पाद कैंसर, टीबी और न जाने कितनी दूसरी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। मैं चाहती हूं कि सिगरेट और शराब उसी तरह खत्म कर दी जाए जिस तरह हैजा, प्लेग और पोलियो बीमारियों को खत्म करने के लिए सरकार रात–दिन लगी है। यदि इसे उसी तरह खत्म कर दिया जाता तो न कैंसर होता और न टीबी होती। इसे जड़ से खत्म करना आवश्यक है। जैसी अन्य सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, मेरी भी वही चिन्ता है। इसमें कहा गया है कि किसी शैक्षणिक संस्थान में सौ गज के अन्दर सिगरेट की बिक्री न हो लेकिन इसमें सरकारी और प्राइवेट कार्यालय भी जोड़ने चाहिए। माननीय सदस्य शिवराज पाटील जी ने कहा कि यह साढे छः एकड की परिधि हो जाती हैं। बिहार जैसे प्रदेश में सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं। वहां कदम–कदम पर प्राइवेट स्कूल हैं। यदि आप सौ गज की दूरी को मान्यता देते हैं तो मुझे लगता है कि वहा इसे करना संभव नहीं होगा क्योंकि वहा प्रत्येक घर में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। मैं चाहूंगी कि इसमें संशोधन करने का विचार किया जाए।

जहां तक हड्डी और खोपड़ी क्रॉस की तस्वीर देने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वह व्यावहारिक नहीं है क्योंकि अमेरिका, जापान और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में इस चीज को नहीं किया गया है। यदि कोई दुल्हन पर्दे में रहती है तो उसे देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। जब परदा पलट जाता है तो देखने की जिज्ञासा नहीं रहती है। आज के युवा वर्ग की मानसिकता है कि वह खोपड़ी और क्रॉस को देखना चाहेगा। उनके मन में यह जिज्ञासा रहती है कि इसमें आगे क्या क्या परिणाम होगा। उसकी उत्सुकता बढ़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि विज्ञापन में बोल्ड अक्षरों में लिखा जाए। दहेज प्रथा के माध्यम से न जाने कितने कानून बने, दहेज प्रथा नहीं रुकी, बाल–विवाह नहीं रुके। इसलिए क्रॉस की जगह कोई दूसरी चीज प्रयोग में लाई जाए। हमारे देश में 90 प्रतिशत लोग यह नहीं जानते कि निकोटिन और टार क्या है इससे क्या हानि हो सकती है। हमें लगता है कि इस वस्तु की जरूरत नहीं है और अगर जरूरत भी है तो गांव के लोग सिगरेट, तम्बाकू के स्थान पर खैनी, जिसे सुरती भी कहते हैं, हुक्का में तम्बाकू डाल कर पीते हैं, लोग गांजा पीते हैं। चुरुट बड़े लोग पीते हैं। उन लोगों को यह पता ही नहीं कि निकोटिन और टार क्या है। इसकी जानकारी उन लोगों को उपलब्ध कराई जाए या इस क्लॉज को हटा दिया जाए।

सभापति जी, अधिनियम के पृष्ठ 8 पर लिखा है कि सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, चुरुट के अलावा पान मसाला या चुइंगम सामग्री आई है। इसके साथ एक और चीज 'क्लिक आई है, उसे इसमें जोड़ा जाए ताकि बिल का उद्देश्य पूरा किया जाए।

सभापति महोदय, अंत में यह कहना चाहती हूं कि इस उद्योग से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता जताई है कि जहां कल कारखाने खत्म हो गए हैं, वहां बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन लोगों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। यह कानून स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और सभी लोगों ने इसका समर्थन भी किया है लेकिन इस कानून का दूसरा पहलू यह है कि इस कानून से देश के 35 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन लोगों के लिए कोई न कोई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि पेट की आग को बुझाने के लिए आदमी कोई भी अपराध कर सकता है। इसलिए मैं चाहूंगी उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए वरना वही होगा जो शराब के लिए हुआ। शराब बन्दी के लिए न जाने कितने आन्दोलन हुए, फैक्ट्रियां बंद की गईं। फिर भी शराब की फैक्ट्रियां बढ गईं और खुद को शराब में डुबाने वाले देवदास भी बढते गए। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध होगा कि उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर दें तभी इस बिल का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री बालकृष्ण चौहान (धोसी) : सभापति महोदय, आपने मुझे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी ने मनुष्य

के स्वास्थ्य और उसकी उन्नति के लिए एक अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया है जिसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं

सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर खींचना चाहता हूं। तम्बाकू उत्पाद या सिगरेट विज्ञापन का व्यापक विनियमन करने की बात कही गई और महानगरों व विद्यालयों से दुकानों की दूरी 100 मीटर रखी गई है। देश के महानगरों की आबादी या उनके अंतर्गत आने वाले विद्यालयों, कालेजों की संख्या तुलनात्मक रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले विद्यालयों और कालेजों की संख्या से बहुत कम है। इसलिए दो नार्म्स रखने की जरूरत होगी कि अगर महानगरों में यह दूसरी 100 मीटर रखी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों और कालेजों के पास वह दूरी 500 मीटर तक रखी जा सकती है। आज सिगरेट पीने का फैशन है, उसे प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लिया गया है। इसे रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए, इसे हतोत्साहित करने के लिए माननीय मंत्री जी का प्रयास सराहनीय है। सार्वजनिक स्थलों पर इसे विनियमित करने के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, उस पर मेरी राय है कि सामाजिक समारोह, जो शादी–ब्याह आदि समारोह होते हैं, ऐसे स्थलों को भी इसमें शामिल किया जाए। इन समारोहों में अनावश्यक रूप से तश्तरी में बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू के तमाम उत्पाद रखकर घुमाए जाते हैं, जिससे बच्चे भी उसकी ओर आकर्षित होकर उसका इस्तेमाल कर बैठते हैं। तम्बाकू बिल्कुल व्यक्तिगत उपभोग की चीज है, जिस पर किसी को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता है। लेकिन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उसकी तरफ से निरुत्साहित करने का प्रयास करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सभापति महोदया, गांवों में अधिक मात्रा में बीड़ी और तम्बाकू का उपभोग होता है। बीड़ी बनाने वाले जो तमाम कारीगर और मजदूर हैं, वे बहुत गरीब लोग हैं। उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे संलग्न रहते हैं। जहां तक तम्बाकू के पीने की बात है, इसे जो लोग पीते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होता है तथा आसपास के लोगों का भी स्वास्थ्य खराब होता है। बीड़ी बनाने वाले 99.9 प्रतिशत बच्चे और महिलाएं तपेदिक से पीड़ित पाए गए हैं। उनके लिए भी आप नियम बनाएं कि इन चीजों के जो कारखाने हैं जहां बीड़ी सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का निर्माण होता है, वहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनमें काम करने वाले बीमार न हो सकें और उनकी सुरक्षा हो सके। इसके साथ–साथ जो इस तरह के उत्पाद हैं, यदि उन्हें रोकने का प्रयास हो रहा है तो उसके साथ–साथ जो उनमें लगी हुई मानव शक्ति है, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर आ जाएगी।

सभापति महोदया, मैं एक चीज की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पान मसाला, गुटखा तथा पान के भीतर के तम्बाकू की बात की गई है। लेकिन पान को छोड़ दिया गया है। पान के भीतर जो कत्था और चूना इस्तेमाल होता है, उसके कारण मुंह का कैंसर बढ़ता जा रहा है। इन सारी प्रक्रियाओं से मुंह, गले, जीभ और गाल का कैंसर हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बुराई यह है कि हम किसी रास्ते पर किसी वहान के पास से जा रहे हैं तो कोई ऊपर से पान खाकर थूक देता है। इससे सामाजिक असभ्यता बढ़ती जा रही है। आज चारों तरफ इस तरह का माहौल है, जिसमें किसी विनियमन के अभाव में लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी चीजों के ऊपर भी अंकुश लगाया जाए। यदि आप पान खाने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो वह गूंगे की तरह बात करता है। मैंने बहुत से लोगों को बताया है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके जीन्स के कारण गूंगी पैदा हो सकती हैं। पान खाने वाला व्यक्ति जब बात करता है तो कहीं मुंह से पीक न निकल जाए तो जिस तरह से चूजा पानी पीकर चोंच ऊपर उठा लेता है, उसी तरह से वह व्यक्ति मुंह ऊपर उठाकर बात करता है। इसलिए उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। इसके अलावा जहां भी सरकारी कार्यालय हैं, आप कहीं भी देखिए, आपको कोई भी कोना बिना पीक का नजर नहीं आएगा। आपने कितना ही अच्छा पेन्ट कराया हो, कितनी भी अच्छी सफेदी कराई हो, लेकिन पान खाने वाले उसे लाल रंग से रंगीन बना देते हैं।

सभापति महोदया : आप भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बालकृष्ण चौहान : सभापति महोदया, मैं इस पर अंकुश लगाने की बात कह रहा हूं। इसलिए इस चीज को भी विनियमित करने के लिए इस नियम का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए।

महोदया, इस प्रकार से लोग रास्ते में पान की पीक थूकते न फिरें, यह असभ्यता का प्रतीक है, इसे भी प्रतिबन्धित करें। पशु जुगाली करते देखे जा सकते हैं, लेकिन आदमी पान खाकर जुगाली करता फिरता है। यह असभ्यता नहीं तो और क्या है। जिस प्रकार से सिगरेट पीने वालों के लिए स्थान बनाए गए हैं कि वे वहां जाकर सिगरेट पिएं और सिगरेट

[श्री बालकृष्ण चौहान]

पीकर आ जाएं, उसी प्रकार से पान खाने वालों के लिए भी स्थान निश्चित करना चाहिए, जहां वे जाएं और पान खाकर, मुंह साफ कर के आ जाएं। पान चबाने वाले, पान खाते समय जब बात करते हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सामने वाले के कपड़े रंग जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है। इस पर भी मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यह एक मानवीय समस्या है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवगौड़ा (कनकपुरा) : सभापति महोदया, माननीय स्वास्थ्य और संसदीय कार्य मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तावित किया है जो कि राज्य सभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। परन्तु मुझे पता नहीं है कि कोई व्यक्ति इस विधेयक को कार्यान्वित भी करने जा रहा है। मैं कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों की निष्ठा और ईमानदारी के बारे में पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव और व्यावहारिक हो सकता है? यदि आप इसकी विभिन्न धाराओं को पढ़ें तो आप पाएंगे कि अंततः यह स्वयं उद्योग को ही नष्ट करने जा रहा है। यदि आप सोचते हैं कि धूम्रपान से स्वास्थ्य को खतरा होने जा रहा है तो आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक चीज खतरा बनने जा रही है। मैं आपको 101 उदहारण दे सकता हूं। चूंकि पीठासीन अधिकारी तथा मंत्री दोनों ही महिला हैं, इसलिए मैं अन्य अनेक उदहारण नहीं दे सकता हूं।

यदि आप समाज में मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां ऐसा किया जा सकता है। मैं इसके बारे में वाद-विवाद कर सकता हूं, परन्तु अभी मैं इस विषय से बाहर जाना नहीं चाहता। मेरी प्राथमिक चिन्ता तम्बाकू उत्पादकों के बारे में है। कर्नाटक में 25 लाख से अधिक लोग देश में पैदा होने वाले सर्वोत्तम किस्म के तम्बाकुओं में से एक का उत्पादन करते हैं। रूस जैसे देशों द्वारा इसका आयात हो रहा है। इन लोगों का भविष्य क्या होगा?

सभापति महोदया : निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : महादेया, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। जहां तक इस विधेयक के प्रभाव का सवाल है, आप हमारा दिशानिर्देशन कर सकती हैं।

यह निर्धारित कौन करेगा कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र का है अथवा नहीं? क्या यह बात पुलिस अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। कौन-सा अधिकारी किसी लड़के की उम्र तय करेगा। यदि किसी महिला का पति मर जाता है और वह आजीविका चलाने हेतु एक छोटी-सी दुकान खोलती है जिसे उसका पुत्र चलाएगा तथा यदि वह दुकान भी न रहे तो उस परिवार का भाग्य क्या होगा। यदि मां को पक्षाघात हो जाता है और पुत्र जो कि आठ या नौ वर्ष का है साबुन, सिगरेट इत्यादि बेचने हेतु दुकान में बैठने लगता है तो ये कुछ कमा सकते हैं परन्तु यदि यह व्यवस्था भी न रहे तो क्या आप वैकल्पिक प्रबंध करने जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप अपने लिए कितनी समस्याओं को पैदा करने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक आदर्श समाज बनाने जा रहे हैं? यह आपका स्वप्न है। मैं और अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग करने नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह आपका स्वप्न है। हम पहले से ही देख रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन सहित जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों का अधोपतन हुआ है। अब आप इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं।

मेरे मित्र श्री येरननायडू विधेयक की धारा 5 के उद्धृत कर रहे थे। इसमें उपबंध किया है कि

कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्थिक फायदों के लिए :

(क) सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का संप्रदर्शन नहीं करेगा, संप्रदर्शन नहीं कराएगा या संप्रदर्शन के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या

(ख) किसी ऐसी फिल्म या वीडियो टेप का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय नहीं कराएगा या विक्रय करने के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा जिसमें सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन हो; या

(ग) ऐसे किसी पर्णक, पर्चा या दस्तावेज का, जो सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन है या जिसमें ऐसा विज्ञापन है, जनता में वितरित नहीं करेगा, वितरित नहीं कराएगा या वितरण के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या

स्वास्थ्य मंत्री महोदया, यदि आप इन चीजों को पढ़ती हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा। आप इस कानून के माध्यम से इस प्रकार की शर्तें लगाने की कोशिश कर रही हैं। कानून

को कार्यान्वित करते वक्त क्या यह व्यावहारिक हो सकता है? इससे उत्पीड़न में बढ़ोतरी होगी। इससे आपको पता चलेगा कि आज आप उन अधिकारियों को दूसरा अस्त्र दे रही हैं जो लोगों को उत्पीड़ित करेंगे। एक समय था जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं। एक समय उन्होंने अस्पृश्यता अधिनियम लागू किया था। आज राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता काफी अधिक है। प्रत्येक गांव बंटे हुए हैं। अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जाता है।

आपने राज्य सरकार प्रशासन के अनुभवों को नहीं सुना है कि राज्य सरकारें किस प्रकार से कार्य कर रही हैं और किस प्रकार से प्रशासन चल रहा है। हम बिहार आदि की बात कर रहे हैं। हम प्रत्येक राज्य में यह स्थिति देख रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं विशेषकर तब जबकि मैं इस विधेयक पर बोलने जा रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अंततः यह उन गरीब लोगों को बर्बाद कर रही है, जो इस फसल पर अश्रित हैं। करीब 25 लाख लोग इस पेशे से जुड़े हुए है। इसके अतिरिक्त बीड़ी मजदूर भी हैं। जैसाकि पहले भी कहा यदि आप उन खंडों को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अहसास होगा। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इसमें सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की बर्बादी नहीं होगी बल्कि उन लोगों की की बर्बादी होगी, जो इस उद्योग विशेष पर निर्भर हैं जैसे बीड़ी मजदूर और छोटे दुकानदार।

इसके अलावा किसी शिक्षण संस्थान से कम से कम 100 गज की दूरी के बाहर ही कारोबार का प्रावधान है। मैं इस पहलू पर आपसे बहस नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको भी कुछ लोगों के शराब पीकर मंदिर जाने का अनुभव होगा। मैं इस बात को इसके विरोध के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हम इस तरह के अनेक उदाहरण दे सकते हैं।

यहां कैंसर की बीमारी का उल्लेख किया गया लेकिन वे लोग जिन्होंने कभी बीड़ी, सिगरेट छुई भी नहीं है और वे लोग जिन्होंने कभी तम्बाकू या गुटखा का सेवन नहीं किया तो वे भी कैंसर से पीड़ित हैं। यहां तक कि आजकल दस वर्ष का बच्चा भी कैंसर से पीड़ित है। इन सबके कई कारण हैं। इसके बावजूद आप तंबाकू उद्योग को बर्बाद करना चाहते हैं? आप इसके कौन से विकल्प पर विचार कर रहे हैं?

श्री चन्द्रबाबू नायडू को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बहुत प्रिय हो सकता है, लेकिन लोग वहां मर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में कुछ विधान बनाया होगा लेकिन अंततोगत्वा तम्बाकू उत्पादकों और बीड़ी मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? इस संबंध में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलौर में लाखों बीड़ी मजदूर इस उद्योग के माध्यम से अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं। क्या आप किसी वैकल्पिक पेशे का सृजन कर सकते हैं? इन लोगों के लिए अवसर कहां हैं? आप देश में एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आज लोग भूख से पीड़ित हैं उनके पास न भोजन है न आश्रय। इसके बावजूद आप किस तरह का आदर्श समाज बनाने जा रहे हैं? हम इस मुद्दे पर घंटों चर्चा कर सकते हैं।

विधेयक अच्छा हो सकता है। विचार अच्छा हो सकता है। लेकिन जब तक आप वैकल्पिक रोजगार का सृजन नही करते क्या होगा? किसानों, बीड़ी मजूदरों, बीड़ी–सिगरेट और अन्य चीज के बेचने वाले गरीब लोगों का भविष्य क्या होगा? यह कारोबार 100 गज की परिधि के बाहर स्थानांतरित करने का प्रश्न नहीं है। दुकान 200 या 500 गज की दूरी पर हो सकती है। असाधारण परिस्थितियों के चलते यदि किसी लड़के के पिता की मृत्यु हो जाती है, मां एक दुकान खोलती है, जिसमें 10 वर्ष का बच्चा दुकान चलाता है। कानून के अनुसार हमने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन वस्तुतः देश में क्याव हो रहा है? श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का उत्तर देते समय श्रम मंत्री ने दिल्ली के ही कुछ उदाहरणों को उद्धृत किया था। इस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन तंबाकू उत्पादकों और छोटे व्यापारियों के भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। उनके लिए वैकल्पिक नौकरी कहां से आएगी? सौ गज से कम दूरी बाली दुकानों को आप हटा सकते हैं। लेकिन 500 गज की दूरी वाली दुकानें रह सकती हैं। उस दुकान का मालिक ये चीजें बेच सकता है। 18 वर्ष के बच्चे की आयु कौन निर्धारित करेगा? यह आकार देखकर तय होगा या जन्मपत्री देखकर तय होगा। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आपका नाम बदनाम होगा और आप लोग इससे प्रभावित होंगे मैं आज आपसे कहता हूं कि आपको इस ओर बैठने को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जनता आपको सबक सिखाएगी। मुझे दुख है कि सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरे शब्द थोड़े कठोर हो सकते हैं लेकिन सच है कि इससे काफी समस्याएं और लोगों में घबराहट पैदा होगी। क्रियान्वयन करने वाला प्राधिकरण लोगों को परेशान करेगा और लोग अन्ततः आपको दोष देंगे। इस

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

क्षण में यही कहना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कैंसर आदि रोककर आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर घंटों चर्चा कर सकते हैं।

मैं आपसे इस फसल पर आश्रित लोगों, कामगारों को संरक्षण देने का अनुरोध करता हूं। यह आवश्यक है। मेरा आशय उन लोगों से भी है, जिनके पास बड़ी दुकानें नहीं हैं बल्कि किराने की छोटी दुकानें हैं और ये चीजें बेचते हैं। कोई यह कह कर मामला दर्ज कर सकता है कि बेचने वाला केवल 16 वर्ष का है। किसे पता है कि वह 16 वर्ष, 18 या 19 वर्ष का है? आप ये चीजें यहां क्यों प्रस्तुत करते हैं। इससे अंततः बदनामी होती है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है।

मुझे अवसर देने के लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं यहां बैठे–बैठे बड़े गौर से सुन रहा था, जब मंत्री महोदया बिल के बारे में बता रही थीं। हमारे ज्येष्ठ सांसद श्री शिवराज पाटील साहब भी जो बता रहे थे, वह भी मैं सुन रहा था। किन्तु तम्बाकू उद्योग के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है, अगर वह देखी जाए तो गंभीरता से इस बिल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आदरणीय शिवराज पाटील साहब ने बताया कि वास्तविक स्थिति यह है कि विश्व में भारत तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा देश है। यदि भारत विश्व बाजार में तंबाकू के निर्यात में केवल पांच प्रतिशत बाजार ही पकड़ ले तो विदेशी मुद्रा में सालाना पांच हजार करोड़ रुपए कमा सकता है। हमारा कुल तंबाकू निर्यात 903 करोड़ रुपए का होता है, जो भारत के समस्त कृषि निर्यात का सिर्फ चार प्रतिशत है। भारत के कुल तंबाकू निर्यात का 85 प्रतिशत हिस्सा सिगार के तंबाकू का है। एक तरफ देखा जाए तो हमारा चीन के बाद तंबाकू उपज में दूसरा नंबर है।

हम इस उद्योग को बढ़ावा नहीं दे सकते, किन्तु अगर बढ़ावा नहीं देना है तो भी निर्यात के क्षेत्र में कुछ समझ–बूझकर तंबाकू का निर्यात ज्यादा कर सकते हैं। अगर ऐसा करने की कोशिश हमने की तो वह हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। मेरे पास एडवोकेसी फोरम फोर टोबैको कंट्रोल का विज्ञापन है, वह मैंने पढ़ा है और जो किसान मजदूरों ने विज्ञापन दिया है, वह भी मैंने पढ़ा है। एक किसान नेता परसों मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि जब बिल पारित होगा तो आप इसका विरोध करें। मैंने कहा कि मेरी आत्मा यह कहती है कि मैं विरोध नहीं कर सकता, इसलिए यह बिल तो पारित होने वाला ही है, किन्तु पारित होते समय कितने लोग, कितने परिवार इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो 3.5 करोड़ लोगों में जो छोटे किसान हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, कई जगह मजदूर हैं, ये इससे प्रभावित हो जाएंगे।

हाउस का ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। मेरा सुझाव यही रहेगा कि तम्बाकू उद्योग की वास्तविक स्थिति को देखकर यह बिल पारित करते समय 3.5 करोड़ लोग, जो इस उद्यम से जुड़े हैं, उनको राहत दी जाए और तम्बाकू के निर्यात में बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय किए जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो 100 मीटर का अंतर है, उसे आप कम करें तो अच्छा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध और उनके व्यापार, कारोबार, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण पर नियमन करने वाले इस विधान को सभी पक्षों द्वारा सहमति और समर्थन देना चाहिए। सिगरेट और तंबाकू के उन्य सभी उत्पादों से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों से हम सभी अवगत हैं। उस सीमा तक जैसा कि मैंने कहा इस विधेयक का स्वागत और समर्थन किए जाने की जरूरत है। लेकिन इस विधेयक में एक चीज मुझे काफी स्पष्ट लगी वह आज के हमारे कानून का प्रारूप तैयार करने वालों की प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति आसान चीजों को दुरूह बनाने की होती है। यह मुझे इस विधेयक में स्पष्ट नजर आई।

इस माननीय सभा का अधिक समय न लेने की कोशिश करते हुए, मैं कुछ उन प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनसे मेरा मानना है कि विधेयक की भावना मजबूत होगी चाहे वे हों या ना हों और कुछ अन्य प्रावधान जिन्हें अपेक्षतया कम समय में परिणाम हासिल करने के लिए आसान बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम, मैं विज्ञापनों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध का पूरी तरह स्वागत करता हूं। लेकिन इसी संबंध

में विज्ञापनों पर निषेध संबंधी विधेयक के खंड 5 की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। खंड 5(2) के अनुसार :

"कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष लाभ..."

"प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ" जैसे शब्द क्यों रखे गए हैं?

यदि हमारे मन में यह उद्देश्य है कि यदि कोई विज्ञापन जारी किया जाता है, प्रदर्शित होता है तो इससे लोग प्रलोभित होंगे, यह एक तरीके से इन उत्पादो के प्रयोग को बढ़ावा देगा तो हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? इससे इन प्रावधानों के अंतर्गत दोषी करार दिए जाने वालों के लिए बचकर निकलने का रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। खंड 2(2)(ख) में कहा गया है :

"कोई व्यक्ति सिगरेट या तंबाकू के किसी अन्य उत्पाद के विज्ञापन वाली फिल्म या वीडियोटेप किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए न तो बेचेगा न बिकवाएगा, न किसी को बेचने की अनुमति देगा या अधिकृत करेगा....."

इस खंड के प्रावधानों के अनुसार

"परन्तु इस संबंध में यह उपधारा लागू नहीं होगी

(क) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेज में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन।"

हमें पैकेज में सिगरेट के विज्ञापन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहिए? मैं समझता हूं कि यदि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों वाला कोई पैकेट है, तो आपको पैकेट की सामग्री का उल्लेख करना ही होगा आप पैकेटबद्ध तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इसका क्या मतलब है? उदाहरणार्थ लोग उन पैकेटों या छोटे पाउचों का कैलेण्डर टांग सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कैलेण्डर को दीवार पर नहीं टांगा जा सकता, लेकिन इसे दुकान के बाहर लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति आसानी से कह सकता है उसने पैकेट से सिगरेट निकाल लिया है, लेकिन वह यह देखने की जहमत नहीं उठाता कि उसके अन्दर क्या था और यह लघु पोस्टर या पम्पलेट आसानी से वितरित किया जा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है।

अतः यदि हम वाकई चाहते हैं कि इन उत्पादों का प्रयोग न केवल कम हो बल्कि समाप्त हो, तो हमें अपने दृष्टिकोण में सख्त और कल्पनाशील होना होगा। और इस संबंध में मैं अपने उपनेता श्री शिवराज पाटील द्वारा कही बात उद्धृत करना चाहूंगा। हम विधेयक से सहमत हैं, हम धूम्रपान हतोत्साहित करने की इच्छा से सहमत हैं, साथ ही समय के साथ इसे समाप्त करना चाहते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं, तो पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम जड़ पर ही प्रहार क्यों नहीं करते? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि लोग धूम्रपान तो करते ही हैं। बल्कि हमें अपनी चिंता व्यक्त करनी है तंबाकू का सेवन बढ़ सकता है। मैं पूछना चाहूंगा : यह क्यों जारी रहे? तंबाकू के सेवन बढ़ने पर ही हम प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इससे पहले हमें तंबाकू की वृद्धि में शामिल लोगों का ध्यान रखना होगा, चाहे वे किसान हों या कोई अन्य। हमें पहले उन्हें वैकल्पिक कार्य देना होगा, कोई व्यवसाय जो वे चला सकें।

हम कह रहे हैं कि हमें फसलों का विविधीकरण करना होगा। मुझे वाकई याद नहीं है। एक समय था जब अफीम बाजार में खुले आम बेची जाती थी।

एक बार हमने अफीम की बिक्री को बंद करने का निर्णय लिया ताकि पोश्त के उत्पादन में भी कटौती की जा सके। इस कार्य को करने वाले लोगों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया था। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि इस व्यापार में लगे देश भर के सभी उन गरीब लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके जो कि छोटे किसान हैं ओर खेतों में काम करने वाले छोटे श्रमिक हैं। हमें यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें कुछ काम मिल सके। इसी के साथ–साथ यह भी देखना होगा कि धीरे–धीरे इन खेतों का उपयोग अन्य फसलों हेतु किया जाए, मैं यही कहना चाहता हूं। जब मैं ऐसा कहता हूं तो यह बहुत आवश्यक है कि हमें इसके उत्पादन को हतोत्साहित करना होगा। मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि इन लोगों के लिए कुछ वैकल्पिक कार्य का प्रावधान कुछ आम के स्रोतों के अनुरूप होना चाहिए ताकि वे भूखे न मरें।

इसके अतिरिक्त मुझे एक और संदेह है, मैं इस बात की सराहना करता हूं और पुनः कहता हूं कि इस कानून को अधिनियमित करने का इरादा और भावना अच्छी है। हम विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि मदिरा के मामले में छद्म विज्ञापनों से बाजार पटे पड़े हैं। अब वे सभी कंपनियां जो मदिरा बनाती हैं बोतल बंद पानी भी बनाने लगी हैं और आप हर जगह विशालपट विज्ञापनों को मदिरा के उपयोग हेतु लोगों को प्रलोभित करने वाले वही नाम, वही शब्दावली

[श्री पवन कुमार बंसल]

और यहां तक कि जुबां पर चढ़े उन्हीं नारों से अपनी ओर घूरते हुए पाते हैं। लेकिन अन्ततोगत्वा यह मदिरा को ही प्रोत्साहन है हालांकि मदिरा की जगह यह पानी ही है ताकि ब्रांड इस तरह से चलता रहे।

मैं इसमें कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा प्रावधान नहीं पाता हूं जिससे ऐसे छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। आज जो लोग गुटखा, पान मसाला आदि बना रहे हैं वही कल चबाने वाला तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा बनाई गई च्यूइंगम की बात करेंगे ओर जो नारा दिया जाएगा वह इसके लिए प्रेरणा देगा। वे किसी सिगरेट या तम्बाकू के उत्पाद का जिक्र नहीं करेंगे। वे इस तरह के होंगे कि लोग प्रेरित होंगे कि "यहां आपके लिए कुछ है। यही वह उत्पाद है जिसकी आपको जरूरत है।"

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक शर्त रखी है कि पैकेट पर उस तरह की विनिर्दिष्ट चेतावनी छपी होनी चाहिए। आप घटक तत्व अर्थात निकोटीन और टार को पैकेट पर तो लिख रहे हैं किन्तु घटक तत्वों को प्रत्येक सिगरेट पर भी लिखा जाना चाहिए। मैं समझता और सोचता हूं कि इसकी जरूरत है। यदि आप प्रत्येक सिगरेट पर ऐसी चेतावनी नहीं लिखते हैं तो जो लोग केवल एक ही सिगरेट खरीदने वाले हैं उन को इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी। प्रत्येक सिगरेट पर ऐसी वैधानिक चेतावनी का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम कुछ कदम उठा रहे हैं, जब हम किसी के बारे में चिंतित हैं तो हमें इसके लिए सब कुछ करना चाहिए। यहां कोई आधे-अधूरे उपाय नहीं होने चाहिए। आपको दृढ़ता और प्रतिबद्धता से ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे आपको कुछ परिणाम प्राप्त हों। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक से आपको ये परिणाम प्राप्त होंगे और इस संबंध में, मैं इस बात से शुरूआत करूंगा कि हमारी प्रवृत्ति सरल चीजों को जटिल बना देने की है। इस विधेयक के अन्तर्गत बहुत लंबी-चौड़ी प्रक्रिया दी गई है।

उदाहरण के लिए कृपया इस विधेयक का खंड 13 देखिए। उसमें उपनिरीक्षक रैंक से ऊपर के अधिकारी को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। उसे केवल यह विश्वास होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने इसका विज्ञापन दिया है या उस तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन दिया है। अथवा कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वह जाकर पैकेटों या विज्ञापन को जब्त कर सकता है। अब खंड 14 देखिए जो जब्त करने के अधिकार से संबंधित है। यह कहता है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसका उत्पाद जब्त किया जा सकता है। मैं इन बातों पर संक्षिप्त में कहना चाहता हूं और मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता यदि किसी उत्पाद को जब्त कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को जिसका उत्पाद जब्त किया गया है उसे इसकी लागत के बराबर धन राशि का भुगतान करने और अपने उत्पाद को वापिस पाने का विकल्प है। यह अच्छा प्रावधान है।

इसके पश्चात आप कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को 90 दिन का नोटिस नहीं मिलता तो वह व्यक्ति अपना उत्पाद वापस ले सकता है। यहां इस प्रावधान की क्या आवश्यकता है? कोई भी इस प्रावधान के कारण बच सकता है। मैं कहूंगा कि किसी अधिकारी को 90 दिनों तक इस मामले को आस्थगित रखने हेतु जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और विधेयक में यह प्रावधान होना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ सांठ-गांठ करे उसे इस अपराध का दोषी ठहराया जाए और उसे इसके लिए सजा होनी चाहिए और इसका खंड 18 के अंतर्गत प्रावधान होना चाहिए। मैं इस तर्क को नहीं मानता कि "यह ठीक है कि जो व्यक्ति कार्य को उत्प्रेरित करके दोषी ठहराया जाए संबंधित कानून के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है" नहीं खंड 18 के अंतर्गत इसका विशेष प्रावधान होना चाहिए।

इसी के साथ मैं अभिग्रहण के खंड 13 पर आता हूं। अभिग्रहण के बाद समपहरण की बात कही गई है। आप अपने तरीके से छोटे-मोटे अपराध की बात कर रहे हैं। मैं इसे छोटा-मोटा अपराध नहीं मानता हूं। जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है उनसे लगता है कि आप इन अपराधों को छोटा-मोटा अपराध मान रहे हैं। आप कहते हैं कि अपराध को 200 रुपए के शुल्क भुगतान द्वारा आपसी समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जब तक इस पर समझौता होता है तब तक क्या किया जाएगा? आपके पास एक अधिकृत व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति को आप अधिकृत करेंगे वह उस व्यक्ति को निरुद्ध कर सकता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। एक दिन निकल सकता है परिणाम वही होगा कि वह 200 रुपए का भुगतान करके अपराध मुक्त हो जाएगा। क्या आपके उपाय, क्या आपकी प्रतिक्रिया उसके अनुरूप है जिसे आप गलत पाते हैं? या तो आप कहते हैं कि आपके द्वारा अधिकृत उपनिरीक्षक या कोई अन्य व्यक्ति-मैं इस तर्क पर बाद में आऊंगा कि आपको इस अपराध के संज्ञान लेने

के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत क्यों करना चाहिए। यहां पुलिस हो सकती है। आम प्रक्रिया का अनुपालन किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इसे उस व्यक्ति को निरुद्ध करने का अधिकार देते हैं तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा और अगले ही दिन वह व्यक्ति अपराध से मुक्त हो जाएगा। जब आप कहते हैं कि इस अपराध की जमानत हो सकती है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह तो ठीक है, किन्तु जब अपराध जमानतीय होता है तो हम सब जानते हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद पहले अवसर पर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को उसे जमानत पर छोड़ना होगा। तब ये सारी बातें एक साथ कैसे होंगी? यह सब एक साथ कैसे कार्य करेंगी? ये सारे प्रावधान एक दूसरे के साथ कैसे चलेंगे? मुझे यह बात समझ नहीं आई। इस संबंध में, मैं खंड 23, 24, और 25 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का जिक्र करूंगा। मुझे पता है कि समय कम है। इसलिए, मैं इन पर लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। इसी के साथ-साथ मैं महसूस करता हूं कि यहां इस बात का प्रावधान नहीं होना चाहिए कि किसी ऐसे अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा जो आपके इन शृंखला के अधिकारियों से अलग हों और वैसे पुलिस को ही दो या अन्यथा दो जिसे कहीं भी हुए अपराध का संज्ञान लेने का उत्तरदायित्व दिया गया हो।

इसके अतिरिक्त खंड 25, उपखंड (2) और उपखंड (3) में विचारण के स्थान का प्रावधान है। मैं इसे जल्दी-जल्दी पढ़ रहा था। लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि इसका अर्थ क्या है। खंड 25(3) में इस बात का उल्लेख है कि खंड 4 या खंड 6 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इससे पूर्व उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, इस बात पर बल देने के लिए मैं पुनः दोहराता हूं कि यदि वह व्यक्ति तुरन्त 200 रुपए दे देता है तो वह अपराध मुक्त हो जाता है। लेकिन उपखंड (1) के अंतर्गत निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को शीघ्रतापूर्वक मजिस्ट्रेट के सामने कानून के तहत कार्यवाही हेतु लाया जाएगा। खंड 4 के अंतर्गत यथा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने और खंड 6 में किसी विद्यालय के आसपास या बच्चों या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बेचने का खंड 6 के अंतर्गत इन दो अपराधों का दोषी पाए जाने पर "ऐसे अपराधों हेतु किसी स्थान पर जिसे वह या राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा तथा किसी अन्य स्थान, जहां पर वर्तमान कानून के हिसाब से उस पर विचारण किया जा सकता है पर विचारण किया जाएगा।" इन सब का क्या अर्थ है? कानून को सरल होना चाहिए ताकि वह हर किसी को समझ में आ सके यहां तक कि उसे इतना सरल होना चाहिए कि उसे छोटे कियस्कों या छोटे स्थानों में पान, बीड़ी, सिगरेट, मसाला बेचने वाले कम पढ़े-लिखे व्यक्ति भी समझ लें कि आपके कानून का क्या अर्थ है। इसे इतना सरल होना चाहिए था। तभी इससे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। आप यहां फिर वकीलों को ला रहे हैं। वकील प्रत्येक प्रावधान से लाभ उठाएंगे। जुर्माने की रकम या अपराध से मुक्त होने के लिए मात्र 200 रु. चाहिए लकिन जिस समय कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार के सदस्य भाग कर वकील के पास जाएँगे और कहेंगे :

[हिन्दी]

साहब हमारा आदमी पकड़ा गया, हमारा घरवाला पकड़ा गया, उसको बचाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें वकीलों को भी रोजगार देना है।

श्री पवन कुमार बंसल : इस विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे मात्र कार्यवाही ही बढ़ेगी। इससे बचा जाना चाहिए और एक सरल और सीधा कानून होना चाहिए कि आप इस पर रोक लगाएं। इस संबंध में, जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं अवश्य मांग करूंगा कि आयात पर भी रोक लगे। सभी प्रकार के ब्रांडों की सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों के आयात पर रोक लगानी चाहिए वरना कुछ प्रावधान वास्तविक रूप से असफल रहेंगे।

आपने विस्तृत प्रावधान किए हैं और मैं उसका स्वागत करता हूं। चेतावनी केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि चेतावनी क्षेत्रीय भाषा में भी होनी चाहिए। आपने इसे यहां किस रूप में रखा है? आपने यहां जो कहा है वह यह है। ऐसा नहीं है कि हरेक चेतावनी अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। खंड 9 के लिए यह एक सरल प्रावधान हो सकता था। आपने ऐसा किया है; "जहां सिगरेट और किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी में है वहां विशिष्ट चेतावनी अंग्रेजी में होगी; जहां हिंदी होगी वहां यह चेतावनी हिंदी में होगी जहां अंग्रेजी और हिंदी होंगी, वहां यह चेतावनी दोनों भाषाओं में होगी और जहां कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा होगी, वहां यह चेतावनी उस क्षेत्रीय भाषा में भी देनी पड़ेगी।" मान लीजिए

[श्री पवन कुमार बंसल]

सिगरेट के बड़े पैकेट पर केवल अंग्रेजी में लिखा हुआ है और फिर उन सिगरेटों को पैकेट से निकालना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी खुदरा बिक्री होती है। यह प्रश्न कहां है कि उस पर कौन सी भाषा है? यह किसने देखा कि पैकेट पर कौन सी भाषा थी? इसलिए मेरा यही कहना है। आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि चेतावनी अंग्रेजी, हिंदी और किसी एक क्षेत्रीय भाषा में हो। मैं समझता हूं कि उस तरह की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए थी। खैर, महोदया, यह कहते हुए भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इस उपाय को करने की बहुत समय से आवश्यकता थी। यदि मेरे सुझाव में कोई सार है तो संभवतः माननीय मंत्री उस पर ध्यान देंगे। विधेयक में हमेशा संशोधन, सुधार की गुंजाइश रहती है। इसी कारण इस विधेयक में देरी नहीं की गई। यह एक अच्छा प्रावधान है परन्तु मुझे केवल यह भय है कि इससे कानून के तथाकथित रक्षकों जो कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कानून की व्यवस्था कर सकते हैं तथा इसका उपयोग ओर दुरुपयोग कर सकते हैं, को पुनः शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस देश में कानून की रक्षा और उसे लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे डर है कि इससे उन लोगों को शांतिप्रिय लोगों का उत्पीड़न करने और उनके लिए समस्या उत्पन्न करने के लिए और शक्तियां मिलेंगी।

अन्त में विज्ञापनों के बारे में इसमें विस्तृत परिभाषा है परन्तु इसका भी कोई रास्ता बन सकता है। मुझे "विज्ञापन" शब्द भी मिला। उन्होंने सभी संभव स्थितियों को शामिल करते हुए और यह बताते हुए कि कौन से कार्यों को विज्ञापन कहा जा सकता है, "विज्ञापन शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है यदि कोई फीचर फिल्म हो और हीरो विदेश से आयातित सिगरेट उड़ा रहा है तो मैं अब माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह भी 'विज्ञापन' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा अथवा नहीं। और यदि वह भी इस परिभाषा के अंतर्गत आना है तो मैं समझता हूं कि इसे आना चाहिए क्योंकि मुझे 'विज्ञापन' की परिभाषा में धुआं शब्द भी दिखाई देता है। इसमें कहा गया है : "मौखिक रूप से अथवा प्रकाश, ध्वनि, धुआं अथवा गैस पैदा करके अथवा फैलाकर की गई कोई घोषणा।" मैं समझता हूं कि यह उसके अंतर्गत आना चाहिए परन्तु वह बहुत स्पष्ट होना चाहिए। रूपहले परदे पर धूम्रपान भी सिरगेट का विज्ञापन माना जाएगा और उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए परन्तु वह बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यह उस व्यक्ति की व्यवस्था पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिसे आप प्राधिकृत करते हैं। और वे व्यक्ति धूम्रपान न करने वाले होने चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि जिन व्यक्तियों को आप यह जिम्मेदारी देते हैं वे धूम्रपान न करने वाले होने चाहिए। महोदया, यह कहते हुए मैं पुनः कहता हूं कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदया : जो इस विधेयक को पारित करते हैं उन्हें भी धूम्रपान छोड़ देना चाहिए।

अब, श्री खारबेल स्वाइं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : सभापति महोदया, मैं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक 2003 का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित मानव विकास इंडेक्स में हमें 116वें स्थान पर रखा गया है। विश्व में कुल मिलाकर 191 देश हैं। भारत इतना विशाल देश है, इतना प्राचीन देश है, इतना सुसंस्कृत देश है फिर भी हमें 116वें स्थान पर रखा गया है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मानव विकास इंडेक्स एक संकेतक होता है। हमें 116वें स्थान पर क्यों रखा गया है? तंबाकू इसका एक कारण है।

यह स्वास्थ्य के लिए खतरा है। जब माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा बोल रहे थे तो मैं उनका भाषण पूरे ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने तीन प्रमुख बातें उठाईं। उन्होंने पूछा कि क्या इस विधेयक को लागू किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 25 लाख किसान हैं जो उत्तम किस्म के तंबाकू का उत्पादन करते हैं जिसे रूस जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। उन्होंने यह बात भी उठाई कि पुलिस द्वारा उत्पीड़न भी होता है। पहला प्रश्न जो उन्होंने उठाया वह था कि क्या यह लागू करने योग्य है। मुझे प्रश्न पर आपत्ति है। पूर्व में धूम्रपान निषेध संबंधी बहुत से नियम थे। उन्हें लागू नहीं किया गया। जो प्रश्न उन्होंने उठाया वह यह था कि 25 लाख किसानों का रोजगार चला जाएगा। यहां मुझे एक बात कहनी है। मैं धूम्रपान नहीं करता। मेरा प्रश्न है कि कोई स्वयं जीवित रहने के लिए मुझे मार देगा? कोई ऐसी चीजों का उत्पादन करेगा जो मेरे न चाहते हुए भी मेरे शरीर में प्रवेश करेंगी और बहुत सी बीमरियों से ग्रस्त हो जाऊंगा। इस देश और दुनिया में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्या

उन्हें यह बात नहीं समझनी चाहिए कि अपने जीवन के लिए वे दूसरे अन्य लोगों को इतनी हानि पहुंचा रहे हैं?

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार बंसल ने अफीम का प्रश्न उठाया है। मैं भी वही प्रश्न उठा रहा हूं कि पहले भी अफीम लाभकारी थी और आज भी अफीम की खेती बहुत लाभकारी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत से देशों में बहुत से लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं। यह बहुत लाभकारी व्यवसाय है। कोलम्बिया जैसा देश नशीले पदार्थों पर ही जीवित है। ड्रग माफिया इस देश को चला रहा है। इसका क्या परिणाम निकला? संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार ने पनामा पर आक्रमण किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, उन्हें एक अपराधी की तरह बांधा गया और उन्हें बांधकर अमरीका ले जाया गया क्योंकि पनामा सभी नशीले पदार्थों के लिए पारेषण केन्द्र बन गया था। यह अमरीका के युवा लोगों को हानि पहुंचा रहा है। इसलिए, यदि वास्तव में कुछ बुरा है तो उसे प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाई हैं, वे इसे प्रतिबंधित करने के बारे में नहीं बोल रही हैं। वह निरोधात्मक उपायों के बारे में बोल रही हैं। हमें इसका समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए?

यहां मैं तम्बाकू के बारे में एक या दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। यह खिलाड़ियों के उदीयमान भविष्य और प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव डालता है। इसका अंत वास्तव में कैंसर के रूप में हो सकता है। जितना अधिक धूम्रपान करने वाला धूम्रपान करता है उतनी ही उसके स्वास्थ्य को असीम क्षति पहुंचती है।

महोदया, प्रत्येक 100 किशोर जो धूम्रपान की आदत अपनाते हैं उनमें से 50 तम्बाकू संबंधी बीमारियों के कारण समय से पूर्व ही मर जाते हैं। जब इतनी गंभीर चिंता का विषय है तो सरकार इसका समाधान क्यों नहीं कर सकती? इसका समाधान करना चाहिए। जिस तरह अफीम की खेती पर निर्भर रहने वाले सभी लोग धीरे-धीरे फसलों की ओर चले गए हैं उसी तरह तंबाकू किसान भी धीरे-धीरे अपने खेती के तरीके बदल सकते हैं। जहां तक अच्छी किस्म का तंबाकू आज देशों को निर्यात करने का संबंध है तो इसे जारी रखा जा सकता है। परन्तु क्या आप यह कह सकते हैं कि यदि हम उसका उत्पादन करते हैं तो हम इसे अन्य देशों को निर्यात ही करेंगे और हम इसका अपने देश में उपयोग नहीं करेंगे? क्या यह संभव होगा? यह संभव नहीं होगा।

यह बहुत अच्छा है कि कुछ निरोधात्मक उपाय किए गए हैं क्योंकि किसी भी रूप में खतरनाक पदार्थों का बेरोक-टोक संवर्धन जन स्वास्थ्य के लिए अनुचित और असुरक्षित है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वयस्कों की रुचि है। इस वयस्कों की रुचि का क्या अर्थ है? जब तक विज्ञापन खुले तौर पर गुमराह करते हैं और इस उत्पाद की हानियों को छिपाते हैं तो वयस्क उपभोक्ता जानकारी आधारित चुनाव कैसे कर सकते हैं? माननीय मंत्री ने प्रारंभ में कहा है कि प्रचार और विज्ञापन धूम्रपान का गुणगान करते हैं और अन्य लोगों को धूम्रपान हेतु प्रभावित करते हैं। जब ऐसा किया जा रहा है तब हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक वयस्क व्यक्ति का चयन है। कई लोग यह दलील भी देते हैं कि इससे राजस्व आय घटेगी। इससे कहीं भी राजस्व आय कभी नहीं घटी है क्योंकि लोग वैकल्पिक उत्पादों की तरफ जाते हैं, जिससे विभिन्न देशों में राजस्व बढ़ा भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट निकाली है कि नार्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे कई देशों में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के बाद वर्ष 1977 से 1992 तक के 15 वर्षों की अवधि में तम्बाकू की खपत में चार से नौ प्रतिशत की कमी आई। अतः मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

इस विधेयक में स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चेतावनी निहित है। यह अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाता है और यह सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के बीच कानूनी भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास है। पश्चिमी देशों और अन्य कई देशों में तम्बाकू का इस्तेमाल सिगरेट पीने का दूसरा नाम है किन्तु भारत में तंबाकू के खपत का अस्सी प्रतिशत बीड़ी, तम्बाकू चबाने, गुटखा और इस प्रकार की अन्य चीजों के रूप में होता है। प्रिंटमीडिया के 4000 करोड़ रु. के कुल वार्षिक विज्ञापन व्यवसाय में से सिगरेट के विज्ञापन का हिस्सा 350 करोड़ रु. है। यह राशि कुल व्यवसाय का लगभग 9 प्रतिशत है। किन्तु बीड़ी, चबाने वाले तंबाकू और गुटखा का हिस्सा लगभग अस्सी प्रतिशत है और यदि आप सिगरेट पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि लोग धीरे-धीरे बीड़ी या चबाने वाले तम्बाकू की तरफ मुड़ेंगे। अतः यदि हम वास्तव में खतरनाक बीमारियों को रोकना चाहते हैं, तो कुछ और प्रतिबंध बीड़ी तथा असंगठित क्षेत्र पर लगाया जाना चाहिए। इन व्यवसायों से जुड़े लोग अन्य व्यवसायों को अपनाएंगे यदि उन्हें पता चले कि यह अत्यन्त खतरनाक है।

मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे 100 गज की सीमा पर पुर्निविचार करें। शहरों में यह सीमा ठीक है किन्तु

[श्री खारबेल स्वाइं]

ग्रामीण क्षेत्रों में मैं श्री बालकृष्ण चौहान का समर्थन करूंगा इसे बढ़ाकर 500 गज किया जाना चाहिए। मैं उनके तर्क से पूर्णतः सहमत हूं। क्या हमें वास्तव में विश्वास है कि 200 रु. का अर्थदण्ड निरोधक है? सम्भवतः हममें अपराधबोध है कि हम लाखों लोगों को रोजगार से वंचित करने जा रहे हैं अतः हम कहते हैं कि 200 रु. का अर्थदण्ड पर्याप्त होगा।

सायं 6.00 बजे

मैं नहीं समझता कि 200 रु. का यह अर्थदण्ड निरोधात्मक है। कई लोग यह कहेंगे कि दो सौ रुपया क्या है, जाने दो। ऐसा हो सकता है।

महोदया, अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने पुलिस हस्तक्षेप के बारे में सवाल उठाया है। इस देश में किसी को तो हस्तक्षेप करना होगा। यदि कानून लागू नहीं हो रहा है तो किसी को हस्तक्षेप करना होगा। वह कोई कौन होगा? यदि आप यह कहते हैं कि पुलिस खराब है और सब कुछ खराब है, यदि आप सब पर शक करेंगे तो इसे कौन रोकेगा? हम इस विधेयक में कोई निरोधक उपाय नहीं करेंगे। अतः उपचार से परहेज बेहतर है और कुछ न होने से कुछ होना भला है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया : बहुत–बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले, मैं सभा की राय जानना चाहूंगी। दस और वक्ता हैं और उसके बाद माननीय मंत्री का उत्तर तथा विधेयक पारित किया जाना शेष है। क्या हम देर तक बैठें या हम कल इसे जारी रखें? यह निर्णय सभा को लेना है।

श्री के. येरननायडू : महोदया, यदि हम इसे कल जारी रखें तो बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज ही खत्म कर दें। सब मेम्बर्स थोड़ा–थोड़ा बोल दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कल अवकाश का दिन है। किन्तु दस और वक्ता हैं। सभा की राय क्या है?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मुझे लगता है कि हम देर तक बैठें और इसे पूरा करें।

सभापति महोदया : मैं वक्ताओं से अनुरोध करूंगी कि हालांकि आपके पास समय है किन्तु संक्षेप में बोलें। किन्तु प्रश्न यह है कि हमें वैसे ही 9 बजे तक बैठना है। क्या हम अब इसे एक घण्टा और बढ़ा सकते हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब तक बिल खत्म न हो जाए, तब तक कर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अतः आप मुझे अधिकार देते हैं कि हम इसके पारित होने तक बैठें। यह सभा की राय है। धन्यवाद। अब डा. वी. सरोजा बोलेंगी।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदया, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक–सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003 पर बोलने तथा कुछ सुझाव देने का अवसर देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अक्तूबर, 2003 में जेनेवा में हुई बैठक पर सभी सदस्य राष्ट्रों को तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की चेतावनी दी थी क्योंकि सस्ते तंबाकू उत्पादों से केवल तम्बाकू की बुराई बढ़ेगी और अधिक लोग इसका सेवन करेंगे, भविष्य में अधिक बीमारियां और अधिक मौतें होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार आज दुनिया में 1.1 बिलियन धूम्रपान करने वाले हैं और यह संख्या वर्ष 2025 तक बढ़कर 1.6 बिलियन होने की संभावना है। तम्बाकू इस्तेमाल करने से प्रतयेक वर्ष लगभग चार मिलियन लोग मरते हैं और यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो यह संख्या 2030 के आरंभ तक बढ़कर दस मिलियन हो जाएगी और 70 प्रतिशत मौतें विकासशील देशों में होंगी।

सायं 6.03 बजे

(श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए*)

महोदय, भारत दुनिया में चीन और अमरीका के बाद तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। हमारे सामने अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो तंबाकू और उसके उत्पादों के सेवन के कारण बीमार होने वाले के इलाज पर होने वाला खर्च जो वार्षिक 13,500 करोड़ रु. है। दूसरे इस बीमारी के कारण प्रतिवर्ष आठ लाख मौतें होती हैं।

हम इस बीमारी को कैसे रोकेंगे तथा साथ ही साथ हमारे पास सुरक्षात्मक उपाय क्या हैं? मुझसे पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर बोला है। मैं अपने को इस विधेयक के संबंध में कुछ सुझावों तक सीमित रखूंगी। भारत प्रतिवर्ष लगभग 550 मिलियन किलोग्राम तंबाकू का उत्पादन करता है जिसमें से अकेले सिगरेट के लिए 200 मिलियन किलोग्राम का उपयोग होता है और शेष का उपभाग सिगरेट तथा तंबाकू आधारित उत्पादों के लिए होता है।

महोदय आप तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों के दुष्प्रभावों का मूल्यांकन कर सकती हैं। तंबाकू संबंधित अन्य उत्पादों की तुलना में सिगरेट में टार और निकोटीन की मात्रा काफी कम होती है। माननीया महोदया, सवेरे हमने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और हृदय रोगों की चर्चा की। अधिकांश मामलों में बीमारी का मुख्य कारण धूम्रपान है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय डा. ठाकुर भी यहां हैं। वे इस संबंध में हमारी चिंताओं और हमारे दायित्वों को समझेंगे और नीतिगत मामले के रूप में इस रोग की रोकथाम हम कैसे करने जा रहे हैं।

महोदय मुझे यह बात कहते हुए बहुत खुशी है कि अपनी ऊर्जावान नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और थूकने पर अर्थदण्ड लगाने संबंधी एक कानून पारित किया है। सभी राज्य ऐसे कानून बना सकते हैं और राज्य सरकारें लक्ष्य हासिल करने में योगदान दे सकती हैं। धूम्रपान के अलावा थूकना भी बहुत खतरनाक है। हमारे पास थूकने पर भी कानून होना चाहिए। हमें थूकने की आदत को रोकना होगा यह धूम्रपान से भी अधिक खतरनाक है। सार्वजनिक स्थलों से हमारा आशय सिनेमाहॉलों, प्रेक्षागृहों, वाणिज्यिक कार्यालयों, रेस्तरां, बसस्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और ऐसे अन्य स्थान हैं।

महोदय मैं कुछ सैकेण्ड तंबाकू की खेती करने वाले किसानों की बात करना चाहूंगी। हम जानना चाहेंगे कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हम उन किसानों का पुनर्वास कैसे करने जा रहे हैं। इस पहलू की ओर पूरा ध्यान दिया जाना समानरूपेण महत्वपूर्ण है। क्या मैं एक सुझाव दूं? महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 में हमने उनके सशक्तीकरण पर ध्यान दिया था और महिला सशक्तीकरण के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे माननीय वरिष्ठ सहयोगीगण यहां हैं। क्या मैं सुझाव दूं कि महिला सशक्तीकरण और स्वसहायता समूहों के गठन द्वारा अधिकांश तंबाकू उत्पादक किसानों के पास उगाने के लिए अब कोई वैकल्पिक फसल नहीं है। मैं समझ नहीं पाती कि इन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए कृषि मंत्रालय किस सीमा तक आगे आया है। क्या उन्होंने किसी वैकल्पिक फसल का सुझाव दिया है? तंबाकू उगाने वाले कृषि मजदूरों का किस सीमा तक पुनर्वास किया गया है। यदि हमने कदम उठाए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि किस सीमा तक और कितने प्रतिशत तंबाकू उत्पादक कृषि मजदूरों का पुनर्वास किया गया है।

मेरा मानना है कि महिला सशक्तीकरण के परिणामस्वरूप बनाए गए स्वसहायता समूह इस संबंध में सहायता कर सकते हैं ये सभी कृषक महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है और हम बैंकों और जो धन पहले ही आवंटित कर चुके हैं, के द्वारा उनकी सहायता कर सकते हैं। हम उनके खेतों में वैकल्पिक फसल उगाने में उनकी सहायता कर सकते हैं और इसके लिए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य का कृषि विभाग, केन्द्र और कृषि विश्वविद्यालयों को स्वसहायता समूहों के माध्यम से इन कृषि मजदूरों के पुनर्वास पर ध्यान देने की भूमिका निभानी होगी। हम उन्हीं स्वसहायता समूहों में महिलाओं का उपयोग कर सकते हैं। एक संघ, एक आंदोलन के रूप में वे धूम्रपान के दुष्प्रभावों का संदेश प्रसारित कर सकेंगी और इसका समाधान खोज सकेंगी। एक महिला धूम्रपान करने वाले को उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरुक कर सकती है चाहे वह उसका पति हो, पिता हो, भाई हो या पुत्र हो। मेरा मानना है कि महिलाएं किसी कानून या किसी अन्य विधि जिसकी हमने बात की है, के मुकाबले लोगों को धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जागरुक बना सकती है।

मेरा मानना है कि हमारे पास यह सबसे सशक्त हथियार है और सरकार के किसी अतिरिक्त व्यय के हम अपेक्षित परिणाम हासिल कर सकेंगे। मेरा माननीया मंत्री महोदया से अनुरोध है कि वे इस दिशा में विचार करें। मेरा मानना है कि इस बारे में आगे बढ़ने के लिए हम महिला सशक्तीकरण, कृषि विभाग ओर जनजातीय विकास विभाग की सहमति से उच्चाधिकार प्राप्त समिति बना सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में—यह मेरा व्यवहारिक अनुभव है—एक गांव में जहां लोग शराब पीते थे और अन्य सभी बुरी आदतों में शामिल थे, पर महिला आंदोलन द्वारा रोक लगाई गई।

और हम सब एड्स के बारे में जानते हैं तथा स्वसहायता दलों की इन महिलाओं को इस बारे में शिक्षित कर रहे हैं, सबल बना रहे हैं तथा इसके प्रति जागरूक बना रहे हैं। हम उन्हें अधिक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और इन लोगों के माध्यम से हम अपेक्षित परिणाम हासिल कर सकेंगे। हम सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमें बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। कृपया इस बात पर भी ध्यान दें।

[डा. वी. सरोजा]

मैं इस महान सभा का ध्यान एक सर्वेक्षण की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले एक डेण्टल एसोसिएशन द्वारा कराया गया था। मैं रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहूंगी। "हुक्का" पीने की प्रवृत्ति कुछ तबकों में काफी बढ़ी है। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि स्कूली बच्चे और कॉलेज के विद्यार्थी भी नशे के अभ्यस्त हैं। विश्व में कैंसर रोगियों की एक–तिहाई संख्या भारत में है, उनमें से 90 प्रतिशत तंबाकू या तंबाकू संबंधी उत्पादों का सेवन करने वाले हैं। यह गंभीर चिंता की बात है। कृपया इस ओर ध्यान दें। 1990 में तंबाकू के सेवन से हुई बीमारियों पर करीब 13,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 10–12 वर्षों बाद इसमें कम से कम दोगुना का इजाफा हो जाएगा।

अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं कि तंबाकू उद्योग राजकोष में 7 करोड़ रुपए का योगदान करता है और निर्यात से 10.88 करोड़ रुपए की आय होती है। यह उद्योग 4 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। यह बात भी हमारे सम्मुख है। इस पर एक राय की जरूरत है। हमें मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें वर्तमान परिदृश्य और वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें एक ओर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन में कमी और उन पर प्रतिबंध लगाना है और दूसरी ओर कृषि श्रमिकों का पुनर्वास करना है। हमें कानून नहीं सही दृष्टि रखनी होगी। हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? महोदय मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। मेरा सुझाव है कि बचाव इलाज से बेहतर है। इस संबंध में मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि एड्स, सार्स और धूम्रपान जैसी बीमारियां इस महान राष्ट्र को इस स्तर तक नीचे लाने की आर्थिक स्थिति का कारण हैं। मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य शिक्षा स्कूलों से ही शुरू होनी चाहिए इसे कम से कम तीसरी कक्षा से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए बच्चों को समान्य बीमारियों के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि उन्हें इस बारे में किशोरावस्था से पहले ही जानकारी हो जाए। बीमारियों से पहले ही बच्चों को जानकारी देनी होगी। उन्हें तपेदिक के बारे में जानना चाहिए। उन्हें सिगरेट के बारे में जाना चाहिए और हर रोग के क्या प्रभाव होंगे, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि उनकी आदत में पड़ने से पहले उन्हें उसके प्रभावों की जानकारी हो जाए। यह निरोधात्मक कदम होगा।

मेरे माननीय वरिष्ठ नेता यहां हैं। हम किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता की बात है कि हम कोई नीति नहीं बना रहे हैं, हम इस महान देश के किशोरों पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर रहे हैं। हम इस समूह को पूरी तरह भूल रहे हैं। हमें इस पर अलग से और पूर्ण रूप से चर्चा करनी होगी ताकि किशोरों की समस्याओं का निदान किया जा सके। हमें उपाय करने होंगे और इसका समाधान निकल सकता है।

अगली बात, मैं परती भूमि विकास के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। भारत सरकार ने परती भूमि विकास के साथ पहले ही स्वसहायता समूहों की स्थापना की है और मेरा मानना है कि हम अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, आरंभ में मैं माननीय मंत्री महोदय को प्रगतिशील दिखने वाले इस विधेयक को अधिनियमित कराने हेतु लाने के लिए बधाई देता हूं। मै आशा करता हूं कि यह सभा बिना किसी आपत्ति इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर देगी। विधेयक को "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक के रूप में उपयुक्त शीर्षक दिया गया है। यह बताता है कि यह विधेयक आज इस सभा द्वारा विचार करने के लिए क्यों रखा जा रहा है।

विधेयक के उपबंधों पर विचार करने से पूर्व, मैं यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि काफी बाद में बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि जिन मुद्दों पर मैंने बोलने का मन बनाया था उनमें से अधिकतर मुद्दों पर इस सभा के कई सदस्यों अर्थात या तो श्री बंसल, श्री साहू अथवा श्री स्वाइं द्वारा बोला जा चुका होता है।

आरंभ में मैं दो या तीन पहलुओं पर बोलना चाहूंगा। यह केवल सभ्य समाज है जो अपने बारे में सचेत होने के कारण तंबाकू के इस्तेमाल करने अथवा धूम्रपान करने की स्वीकृति नहीं देता। सभ्य समाज के प्रतिनिधि होने के नाते यहां पर इसका अधिनियमन कराना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मैं विज्ञापन और अन्य निवारक उपबंधों जिनका यहां जिक्र किया गया है, उनके बारे में बाद में बात करूंगा।

आरंभ में मुझे दिनांक 3 नवंबर, 2001 को 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में भी जिक्र करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस संसद की उच्च सभा के सदस्य श्री मुरली देवड़ा

ने भी न्यायालय के समक्ष एक जनहित मुकदमें में अति प्रसिद्ध परामर्शदाता, श्रीमती इंदिरा जय सिंह से परामर्श किया था। खंडपीठ में जस्टिस एम. बी. शाह और जस्टिस आर. पी. सेठी थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। हमारे महान्यायवादी श्री सोली सोराब जी ने भी वहां उठाए गए मुद्दे का समर्थन किया। मेरा विचार है कि उस निर्णय के माध्यम से पूरे देश में चेतना उत्पन्न हुई थी! उस समय तक, तीन राज्यों ने पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को वर्जित करने वाले कानूनों को लागू कर दिया था। इनमें से पहला राज्य गोवा, दूसरा दिल्ली और तीसरा राज्य राजस्थान था। इन राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर उस समय प्रतिबंध लगा दिया था जब केन्द्र सरकार उक्त कानून के अधिनियमन की प्रक्रिया में लगी थी।

मैं इस सभा का ध्यान कोलकाता में रखी गई तंबाकू ओर स्वास्थ्य के संबंध में इंडियन सोसाइटी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गय था कि 5500 भारतीय प्रतिदिन तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों के वर्ग में सम्मिलित होते हैं। देश की जनसंख्या का पच्चीस प्रतिशत हिस्सा तंबाकू का सेवन करता है। इससे कोई व्यक्ति देश में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगा सकता है। तंबाकू से होने वाले रोगों से प्रतिदिन लगभग 2200 प्रतिघंटे 90 प्रति दो मिनट में तीन व्यक्ति मरते हैं । हमें सांख्यिकी पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि हमारी योजना सांख्यिकी पर निर्भर रहती है सांख्यिकी कहती है कि योजनाकर्ताओं और विधिकर्ताओं द्वारा विचार किए गए वर्ष 2020 तक तंबाकू भारत में 13.3 प्रतिशत मौतों का कारण बन जाएगा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि मुंह के कैंसर का सबसे अधिक प्रभाव भारत में है। इसका वर्णन यहां भी किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट आगे बताती है कि देश में तंबाकू का सेवन करने वाले अनुमानित 184 मिलियन अर्थात 18,40,00,000 के 20 प्रतिशत लोग सिगरेट पीते हैं—इसका जिक्र कुछ मिनटों पहले श्री स्वाइं द्वारा किया गया था—चालीस प्रतिशत लोग बीडी पीते हैं और चालीस प्रतिशत चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं।

मैं उस राज्य से संबंधित हूं जहां बीड़ियां बनाई जाती हैं। तेंदू पत्ता जैसा कि इसे उड़ीसा में कहा जाता है, वह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है इसका उल्लेख पूर्व प्रधान मंत्री भी देवगौड़ा द्वारा किया गया था। यह वहां पर जनजातियों को रोजगार प्रदान करता है। यह विधेयक उत्पादन को सीमित नहीं करता है बल्कि तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य का विनियमन करता है, वह भी बहुत अधिक सीमा तक नहीं बल्कि कुछ सीमा तक ही।

मैं अपने अगले मुद्दे पर आऊंगा। जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, वास्तव में हम इस विधेयक के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को सीमित कर के अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? पहले मैंने तीन राज्यों के बारे में जिक्र किया था; अब मैं दिल्ली पर आता हूं। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध अब तक पांच अथवा छह वर्ष से रहा है। अभी तक कौन सा लक्ष्य प्राप्त किया गया है? जैसा कि कुछ समय पूर्व श्री वरकला राधाकृष्णन ने जिक्र किया था कि जब हम शहर में घूमते हैं तो चारों ओर धूम्रपान करते हुए लोगों को देखते हैं। यह जिक्र किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए आठ दस्ते शहर में गश्त करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि धूम्रपान करने वाले बहुत ही कम हैं। इसलिए, उक्त प्रतिबंध लागू ही नहीं हो पाता है। प्रतिबंध को सतत लोक जागृति अभियान द्वारा समर्थन नहीं मिला।

प्रतिबंधों, जैसे कि इस प्रकार के प्रतिबंध केवल तभी सफल हो सकते हैं जब धूम्रपान को सामाजिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाए। मैं सामाजिक रूप से अस्वीकार कर देने के इस मुद्दे पर आता हूं। यहां इसका उल्लेख क्यों किया गया है कि सिगरेट की डिब्बियों पर 'खतरे के निशान' का प्रतीक मुद्रित कर दिया जाए? मैंने अपने कॉलेज के दिनों से देखा है कि लोग इन सिगरेट की डिब्बियों को दिखाकर अपनी अमीरी पर इतराने का प्रयास करते हैं। यदि उन लोगों के पास विदेशी ब्रांड है तथा वे उन्हें दिखाते हैं तो अन्य लोग उन्हें बड़े आदमी समझेंगे। सिगरेट की डिब्बियों पर एक बार 'खतरे का निशान' मुद्रित कर दिया जाए तो ऐसे लोग उन्हें अन्य लोगों के बीच दिखाने से पहले कम से कम दो बार सोचेंगे।

श्री बंसल वैधानिक चेतावनी का जिक्र कर रहे थे। वैधानिक चेतावनी केवल सिगरेट की डिब्बियों पर नहीं बल्कि प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित की जानी चाहिए।

मैं यहां यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि दिल्ली राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के चालान करने के अधिकार दिए थे। लेकिन कितने व्यक्तियों के चालान किए गए हैं?

यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, योजना, डा. ए. सी. त्रिपाठी

[श्री भर्तृहरि महताब]

ने यह उल्लेख किया है कि हमारे आठ दस्तों के अतिरिक्त 120 अधिकारियों को चालान करने के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन वे अधिक चालान नहीं करते हैं अथवा अधिक चालान नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में ऐसी स्थिति है। इसलिए हमारे दिमाग में जो प्रश्न उठेगा वह यह कि बावजूद इसके कि यह विधेयक अधिनियमित किया जाता है, तो अन्य इसे लागू कैसे करेंगे? इस अधिनियम को लागू करने के लिए कितने अधिकारी तैनात किए जाने वाले हैं?

मैं माननीय मंत्री महोदय से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित करने के लिए बनाए गए उपबंध में थोड़ी छूट दिलाना चाहूंगा। विदेशों अथवा विकसित देशों में ऐसे उपबंध बने हुए हैं। वहां उन देशों के विमानपत्तनों पर विशेष केबिन हैं जहां पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति अंदर जाकर धूम्रपान कर सकते हैं तथा उसके बाद अन्य यात्रियों को प्रभावित किए बिना बाहर आ सकते हैं। विधेयक में वह उपबंध भी किया गया है। लेकिन विकसित देशों में रेलवे स्टेशनों के लिए भी ऐसा ही उपबंध है जिसका यहां पर इस विधेयक में उपबंध नहीं किया गया है। यह पता करने के लिए कोई नहीं है कि रेलवे स्टेशन के इर्द-गिर्द कितने धूम्रपान करने वाले आराम से घूम रहे हैं। मेरा विचार है, कि यदि इस प्रकार का उपबंध बनाया जाता है और कड़ा दंड भी लगाया जाता है, तो इससे अत्यधिक फायदा होगा। विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों और बस टर्मिनलों पर भी विशेष केबिन बनाए जा सकते हैं जहां पर जो कोई व्यक्ति धूम्रपान करना चाहे वह धूम्रपान कर सके, धूम्रपान का आनंद ले सके तथा अन्य लोगों के जीवन में बाधा डाले बिना बाहर आ सके।

महोदय, एक उल्लेख और किया गया है जिसका उल्लेख करने पर मैंने भी विचार किया था—वह विज्ञापन से संबंधित है। सभापति महोदय, थोड़ी देर बाद मैं उस हिस्से पर आऊंगा लेकिन मैं इस सभा का ध्यान यहां उल्लिखित किए जा रहे द्विभाजन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के अर्धव्यास के भीतर के क्षेत्र से संबंधित है। इसका यहां पर जिक्र किया गया था। शैक्षिक संस्थानों से दूरी होना आवश्यक है। महादेय, यह चाहें महानगरों अथवा निगम क्षेत्र में है या छोटे शहरी कस्बों में अथवा गांवों में है, लेकिन शैक्षिक संस्थानों से दूरी होना अनिवार्य है। सौ गज बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है। मैं इसीलिए ऐसा कहता हूं। हर कोई तंबाकू के खतरे से अवगत है। अब विश्व व्यापार संगठन के साथ यह विकसित देशों का मुख्य उत्पाद है। मैं थोड़ा इतिहास को स्मरण करूंगा। तंबाकू अमरीका का मुख्य उत्पाद था जिसने वहां पर जाने और तंबाकू का सेवन करने के लिए यूरोप के लोगों को आकर्षित किया था। आज भी अमरीका का मुख्य निर्यात तंबाकू है। खैर, अमरीकी अपने देश के भीतर तंबाकू उपभोग को सीमित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तंबाकू को भारत समेत विकासशील राष्ट्रों, एशिया और अफ्रीकी देशों में निर्यात करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वे लोग हर जगह बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी तरह से वे लोग यहां पर आना चाहते हैं।

ऐसे में, इस विधेयक को आगे लाना बहुत प्रगतिशील कदम है कि हमें उपभोग को सीमित करना चाहिए। लक्ष्य कौन हैं? लक्ष्य युवक हैं। इसीलिए तंबाकू को शैक्षिक संस्थानों से बहुत दूर होना चाहिए। खंड 5(2) परंतुक (ख) के अंतर्गत एक उपबंध है जो प्रदर्शित किए जाने वाले सिगरेट अथवा अन्य तंबाकू संबंधी उत्पाद के विज्ञापन के बारे में बताया गया है। इसे कहां प्रदर्शित किया जाना है? विज्ञापन मात्र गोदाम—गोदाम के अंदर या बाहर—अथवा सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का वितरण अथवा बिक्री करने वाली दुकान में प्रदर्शित किया जा सकता है।

यदि आप इसे किसी शैक्षणिक संस्थान के अपेक्षाकृत और नजदीक रखना चाहते हैं तो इस प्रावधान के अनुसार दुकान को वहां ऐसा बोर्ड लगाकर बने रहने का हक है जिस पर लिखा हो कि यहां अमुक प्रकार का सिगरेट बेचा जाता है।

मेरी समझ से, इसे रोकने के लिए 100 गज की दूरी आवश्यक है। काई प्रावधान नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक छोटी दुकान खोलकर जीविका चलाना चाहता है तो वह 'किऑस्क' में ऐसा कर सकता है। अन्य प्रावधान भी हैं जिनके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के निकट वस्तुएं बेची जा सकती हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे सिगरेट अथवा तंबाकू संबंधित उत्पाद ही हों।

सभापति महोदय : श्री भर्तृहरि, आपने काफी समय ले लिया है। आपके दल को मात्र तीन मिनट का समय आवंटित किया गया है। मैंने आपको अपेक्षाकृत अधिक समय दिया है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं एक मुख्य मुद्दे का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। श्री बंसल द्वारा इस मुद्दे का जिक्र किया जा चुका है जो कि प्रतिनिधि विज्ञापन से

संबंधित है। मैं समझता हूं यह बहुत आवश्यक है। मैं आजकल आ रहे एक विज्ञापन के बारे में उल्लेख करूंगा। मुझे प्रतिनिधि शराब विज्ञापन का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। विल्स एक उत्पाद है जिसका विज्ञापन किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस ब्रांड से परिचित है। यह एक सिगरेट ब्रांड है। वे तंबाकू संबंधित उत्पादों को छोड़कर कोई अन्य उत्पाद तैयार कर सकते हैं, परन्तु स्वयं यह ब्रांड युवाओं को हमेशा आकर्षित करता है। यह मस्तिष्क में हमेशाा एक छाप छोड़ता है कि "हां, यहां एक उत्पाद है जो अमुक–अमुक स्थानों पर उपलब्ध है और युवाओं हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।" युवाओं के मस्तिष्क की सुरक्षा की आवश्यकता है। युवा वर्ग ही हमेशा आकर्षित होता है। अमरीका में हमेशा कहा जाता है कि बचपन से ही आदत डाल दो। यह नारा है। युवाओं की सुरक्षा हेतु मैं सरकार को विशेषकर मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह प्रगतिगामी विधेयक लाया है। मैं इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे सर्वसम्मति से इस विधेयक को अनुमोदित करें और पारित करें।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं। हम सभी को ज्ञात है कि तंबाकू हमारी संस्कृति का एक अंग है। जब कभी भी कुछ अतिथि हमारे यहां आते हैं तो हम उन्हें 'ताम्बुलम' अर्थात पान पेश करते हैं। यहां तक कि गांवों में भी प्रथा है कि जब कभी लोग घरों पर आते हैं तो उन्हें तम्बाकू पेश किया जाता है। मुझे याद है कि मेरे राज्य केरल में जब ओनम पर्व मनाया जाता है तो यहां तक कि हम अपने से बड़ों के पास जाकर सम्मान स्वरूप उनको तम्बाकू पेश करते हैं। यहां तक कि असम में जब हम किसी के घर जाते हैं तो वे सर्वप्रथम हमें ताम्बुलम अर्थात पान के पत्ते, सुपारी और तम्बाकू पेश करते हैं। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पारम्परिक रूप से हमारे लोग तंबाकू खाने के आदी हैं। आज हम गांवों में भी देख सकते हैं कि वहां तंबाकू का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है।

महोदय, मुझे बताया गया था कि बनारसी पान काफी मीठा पान है जिसका यहां तक कि लंदन और अन्य स्थानों को निर्यात किया जाता है। विदेशों में रह रहे भारतीयों को इस बनारसी पान की आवश्यकता होती है। यह बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य भागों विशेषकर उत्तरी क्षेत्रों में पान खाना एक जीवन–शैली है। कोई भी इसे गलत आदत नहीं समझता। इस प्रकार पारम्परिक रूप से हमारा तंबाकू और तंबाकू सह–उत्पादों के प्रति झुकाव रहा है। हम इसे कैसे दूर सकते हैं? जैसा कि मंत्री महोदया ने ठीक कहा है कि इसे पूरे विश्व में जन–स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है। यह देश में प्रतिवर्ष होने वाली आठ लाख मौतों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में जिम्मेवार है। इसलिए भारत सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। इसे केसे रोका जाए? इस सभा में विधान पारित कर देने मात्र से कुछ नहीं होगा। हमें अपने जीवन में काफी अनुभव हैं। तीन वर्ष पहले हमने केरल में ताड़ी पर रोक लगाई थी। इसकी बजह से, गैर–कानूनी ताड़ी की बाढ़ सी आ गई है और इस संबंध में सरकार का घाटा 800 करोड़ रूपए है एवं गैर–कानूनी ताड़ी हर जगह उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है। हम लोकप्रिय उपाय अपनाते हैं परन्तु साथ ही साथ यदि लोग अपनी आदतें नहीं बदलते हैं तो सिर्फ विधान पारित करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। एक व्यापक जागरूकता अभियान के बगैर तंबाकू और तंबाकू सह–उत्पादों के प्रयोग को रोका अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत सरकार, राजय सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य सभी इच्छुक संगठनों को तम्बाकू निषेध अभियान व्यापक रूप से चलाना चाहिए। एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार किया जाना चाहिए ताकि जनता स्वेच्छा से तंबाकू का उपभोग करना बन्द कर दे।

हमारा अनुभव बताता है कि विधान पारित करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह लोगों में जागरूकता पैदा करने का पहला कदम होगा। यह लोगों पर और अधिक जोर डालेगा ताकि वे तंबाकू का उपभोग करने की आदत को छोड़ें। इन उपायों को गंभीरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए।

मैं कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहला सिगरेट पर रोक से संबंधित है। यदि हम सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पर रोक लगाते हैं तो विदेशी सिगरेटों के आयात का खतरा है। विश्व व्यापार संगठन का सुझाव है कि 150 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जा सकता है, परन्तु हमने अब तक सिर्फ 35 प्रतिशत आयात शुलक ही लगाया है। हम इस शुल्क को क्यों नहीं बढ़ा सकते? इस तरफ तो हम तंबाकू और सिगरेट जैसे उसके सह–उत्पादों के उपयोग को कम करना चाहते हैं तथा दूसरी तरफ खतरा यह है कि आयात शुल्क कम होने की वजह से सिगरेटों का अन्य देशों से आायत किया जाएगा।

[श्री रमेश चेन्नितला]

दूसरा, सस्ते सिगरेटों की तस्करी होगी। जैसा कि श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा बता रही थीं, सिंगापुर अथवा कुछ अन्य देशों से आजकल 'क्लिक' की तरह एक नया उत्पाद आया है जहां यह लिखा होता है कि 'तंबाकू का आनंद लो'। यह लगभग सभी महानगरों में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकार के उत्पाद देश में आते रहेंगे तथा सस्ते सिगरेटों की तस्करी होती रहेगी।

हम अपने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, परन्तु तस्करी से आने वाले और आयातित सामान प्रचुरता में उपलब्ध हैं। वे बाजार में उपलब्ध होंगे। धीरे–धीरे इस बाजार पर ऐसे लोगों का कब्जा हो जाएगा। हमारे बाजारों में ऐसे सामानों की भरमार हो जाएगी। इस पहलू पर काफी गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक के खंड 15 के तहत उत्पादक और विक्रेता दोनों के लिए दंड का उपबंध किया गया है। उत्पादक और विक्रेता दोनों के दंड में कुछ अंतर होना चाहिए। विक्रेता एक गरीब पान–दुकान वाला हो सकता है। उसने इसका उत्पादन नहीं किया है, वह मात्र एक अशिक्षित व्यक्ति हो सकता है। हो सकता है विज्ञापनों और अन्य चीजों के बारे में उसे जानकारी न हो। उसे सिगरेट उत्पादक व्यक्ति के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। सिगरेट उत्पादक बड़ी कंपनियां, औद्योगिक घराने अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। हम दोनों में समानता नहीं कर सकते। कुछ अंतर होना चाहिए।

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर मनाही है। परन्तु सार्वजनिक स्थलों पर अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रयोग के बारे में क्या नियम हैं? यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसलिए सरकार की ओर से इस पहलू पर कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

वर्तमान में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो घरेलू कानूनों के उल्लंघन को रिकार्ड करने हेतु प्रत्येक चैनल की निगरानी करे तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनल के प्रसारण को बंद करने हेतु केबल ऑपरेटर को निर्देश दे। यद्यपि हम एक कानून बना रहे हैं तथापि अन्य विदेशी चैनल इस प्रकार के उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं आप इसे कैसे रोकेंगे? क्या भारत सरकार के पास इसे रोकने के लिए कोई तंत्र है? इस संबंध में मेरे पास एक सुझाव है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को एक निगरानी समिति का गठन करना चाहिए जो केबल ऑपरेटरों की निगरानी करेगी और उन्हें देशी कानूनों का उल्लंघन करने से रोकेगी। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक सिर्फ इस कानून को पारित करने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार कार्यों को रोकने हेतु कोई तंत्र होना चाहिए, अन्यथा इस कानून को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

श्री बंसल ने ठीक ही कहा है कि इस विधेयक का मसौदा समुचित रूप से तैयार नहीं किया गया है। यह काफी पेचीदा विधेयक है। इसमें सभी प्रकार की पेचीदगियां जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, शामिल की गई हैं। एक आम आदमी इसे नहीं समझ सकता। हमें किसी विधेयक का मसौदा तैयार करते समय अनावश्यक पेचीदगियों को शामिल करने की प्रणाली को त्यागना चाहिए ताकि लोग आसानी से समझ सकें और इसका अनुपालन कर सकें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी, जब्ती और मुकदमा चलाने के लिए एक ही प्राधिकारी होना चाहिए। वर्तमान में दो प्राधिकारियों की व्यवस्था है। इससे समझने में लोगों को और अधिक कठिनाई होगी। इससे भ्रम पैदा होगा।

मैं विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिणक संस्थाओं के परिसर के 100 मीटर के दायरे के भीतर तंबाकू और सिगरेट के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान का स्वागत करता हूं। ये संस्थान सिगरेट व तंबाकू उपभोग के बड़े केन्द्र हैं। डा. सरोजा ने ठीक कहा है कि हमें युवाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि इस प्रावधान को कार्यान्वित किया जाता है तो कम से कम हम इससे अपने युवा वर्ग को बचा सकेंगे।

धारा 12 के तहत सभी अधिकार उप–निरीक्षक को दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत, एक उप–निरीक्षक किसी हद तक जा सकता है और लोगों को उत्पीड़ित कर सकता है। इसके दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इसलिए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, जैसा कि आपने ठीक कहा है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के किसानों, तंबाकू उत्पादकों को इसकी वजह से काफी क्षति होगी। केरल में विशेषकर उत्तरी भागों में बीड़ी कामगारों को भी क्षति उठानी होगी। इसलिए सरकार जब तक इस व्यवसाय से परम्परागत रूप से जुड़े इन लोगों के लिए कुछ नहीं करती तब तक यह विधेयक समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं होगा। किसानों का पुनर्वास होना चाहिए। तंबाकू की खेती छोड़कर कोई अन्य पेशा अपनाने हेतु उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। श्रमिकों का भी पुनर्वास किया जाना चाहिए ताकि वे अपने परिवारों के भरण–पोषण हेतु अच्छा पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक का मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जोरदार स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से समय की मांग है और इस बिल के पास होने से एक कदम आगे बढ़ेगा। गंभीर बीमारियों की जड़ में तंबाकू एवं तंबाकू से जुड़े उत्पाद आते हैं इस पर रोक लगाने की काफी समय से मांग हो रही थी। यह विनियमन करने वाला विधेयक हे और हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन कुछ मुद्दे मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहते हैं। कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखने के क्रम में कृषकों के बारे में शंकाएं प्रकट कीं। सभापति महोदय, जब आप बोल रहे थे तो कहा कि इसमें 35 मिलियन मजदूर लगे हैं। हमारा देश तंबाकू का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। आपने इस बिल को लेकर कुछ चिंताएं प्रकट कीं। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने इसके कार्यान्वयन पर शंका व्यक्त की। मैं इन शंकाओं से अपने आप को जोड़ते हुए और इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव रखना चाहता हू। आज तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले और गांजे का प्रयोग करने वाले बहुत से लोग हैं। उन्हें इसका नशा हो गया है। हम विज्ञापन और वितरण को रैगुलेट करके, इसके प्रयोग को कम करने की चेष्टा करेंगे लेकिन जब तक यह समूल रूप से बंद नहीं होगा तब तक इसे रोका नहीं जा सकता। हम बहुत बड़ा काम इस विधेयक के माध्यम से करना चाहते हैं। यह करना तभी संभव होगा जब इसके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगेगी। सबसे पहले यह विधेयक पारित होना चाहिए। इसके कार्यान्वयन के संबंध में जो शंकाएं उठाई गई हैं उसमें कहा गया कि सब-इंसपैक्टर इसका दुरुपयोग करेंगे। इसमें सदन को गंभीर होना पड़ेगा और इस पर सदन को विचार करना होगा। देश में कितने कानून बने हैं, चाहे तस्करी रोकने का कानून हो जो नेपाल के रास्ते दूरदर्शन की चीजें भी तस्करी के माध्यम से आती है उन का दुरुपयोग होता है। इसका दुरुपयोग इसलिए होता है कि दिन-प्रतिदिन नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। इसमें प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों में हो रहे ह्रास को रोका जाए। यदि इसके लिए कोई सुदृढ़ यंत्र बनेगा तभी इस पर रोक लगेगी। जिस व्यवस्था के पास इसे लागू करने या अन्य कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी है, वे उसे नैतिक मूल्यों के आधार पर करें। प्रशासनिक सुधार के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि जिन्हें जिम्मेदारी दी जाए, वे कम से कम गड़बड़ी न करें और कम कम से कम लोगों को परेशान न करें। यह बात दूसरे कानूनों पर भी लागू होती है। हम केवल इस बिल के ऊपर ही चिंता प्रकट न करें। इस पर सम्यक रूप से चर्चा होनी चाहिए। 35 मिलियन लोग इस पर आधारित हैं, जो कृषक हैं। निश्चित रूप से दिन-प्रतिदिन इसका विनियमन होगा तो इसके सभी अवयवों पर असर पड़ेगा। इससे जुड़े सभी लोग चाहे वे उद्योग चलाते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, उन पर असर पड़ेगा। इसके दो पहलू हैं-एक तो सरकार उनके पुनर्वास के लिए अलग से कोई व्यवस्था करे। कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सभी को जोड़ करके कोई ऐसा प्रयास किया जाए जैसे कैश क्रॉप में माना जाता है, इसी प्रकार इसे कैश क्रॉप मान कर कृषकों की खेती को ट्रांसफर किया जा सके। जो उद्योग चलाते हैं, उनके संघ-परिसंघ घूमते रहते हैं जिससे इस पर किसी प्रकार की रोक न लगे, ऐसे प्रयास न हों। उनके रोजगार पर उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय ध्यान देकर और उनसे बात करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि देश की आबादी जो इससे प्रभावित होगी, परेशानी में पड़ेगी, उसकी परेशानी भी दूर हो सके। यदि उसकी वैकल्पिक कैश क्रॉप की धीरे-धीरे योजना बना कर व्यवस्था कर दी जाएगी तो अच्छा होगा। इसी प्रकार इससे जुड़े उद्योग की भी एक योजना बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी तो राजस्व की जो हानि होने वाली है, उसकी भरपाई होगी। हर मंत्रालय को जोड़ कर समूल रूप से तंबाकू जो जहर है या उससे जुड़ी वस्तुएं जो जहर हैं उसे समूल से नष्ट करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना सभी मंत्रालयों को बनानी चाहिए जिससे मजदूरों को परेशानी न हो, कृषकों को क्षति न हो, व्यापारियों और उद्योग वालों को भी क्षति न हो, ऐसा प्रयास एक लौंग टर्म स्कीम बना कर होना चाहिए। यह स्वागत योग्य विधेयक है, इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

दूसरी बात यह है कि विज्ञापन के माध्यम से हम जितना कम करना चाहें, विनियमन, वितरण की व्यवस्था कम कर सकते हैं। आज गांवों में बीड़ी, तंबाकू, खैनी सुरती और गांजा पीने वाले लोगों में निकोटिन का उपयेग करने का व्यसन हो गया है। उन लोगों की आदत सी हो गई है। यदि किसी सामाजिक परिवेश में छुड़वा भी दिया जाता है तो 2-4 दिन के बाद वही आदत फिर पकड़ लेते हैं। इसलिए आज एक आन्दोलन की जरूरत है। इस आन्दोलन की हम सदन में चर्चा करते हैं। वह आन्दोलन देश के लोगों के अंदर किया जा सकता

[श्री नवल किशोर राय]

है। ऐसा कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पूर्व में किया भी जाता रहा है। इसके अलावा राज्यों के एन.जी.ओज के माध्यम से चलता रहा है लेकिन वे समूल रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस सदन में चर्चा हो ताकि इसे आन्दोलन का स्वरूप दिया जा सके। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनकी संख्या काफी है। जब एक बार यह व्यसन पकड़ लेता है तो निकलने का नाम नहीं लेता। इसके लिए एक लौंग टर्म इलाज की आवश्यकता है, एक सेमिनार की आवश्यकता है, एक जागरूकता की आवश्यकता है। कहीं न कहीं यह शुरू भी होती है लेकिन तुरंत समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे एक आन्दोलन का रूप दिए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक अभियान चले जिसे लंबे समय तक अमलीजामा पहनाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं सुझावों के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : सभापति महोदय, मुझे इस सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध और विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विधेयक, 2003 पर बोलने देने हेतु आपका बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जब गुरू गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तब उन्होंने अपने शिष्यों को तंबाकू और इसके उत्पादों के उपयोग से दूर रहने का आदेश दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास दूर दृष्टि थी और वह यह भी जानते थे कि युयुत्सु जाति की स्थापना करते समय तंबाकू और इसके उत्पादों का उनके शिष्यों के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव होगा और उन्हें युयुत्सु जाति नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यह विधेयक लाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभा के सभी पार्टियों के रुख की प्रशंसा करता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सुझावों को इस सभा में लाई गई संविधि? के तहत लाने की अनुमति प्रदान करेगी।

विधेयक में यह प्रावधान है कि शिक्षण संस्थाओं की सौ मीटर की परिधि के भीतर तंबाकू की किसी दुकान अथवा तंबाकू की बिक्री को अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं आभारी होऊंगा यदि सरकार देश में सभी गुरुद्वारों तक कानून के इस प्रावधान का विस्तार करे।

महोदय, दूसरे हम सिख लोगों ने हमेशा गोवध पर प्रतिबंध पर उनकी लड़ाई में हिन्दुओं का समर्थन किया है और मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम पवित्र शहर अमृतसर को धूम्रपान रहित क्षेत्र, जहां तंबाकू उत्पादों का उपयोग अथवा बिक्री नहीं की जाएगी, बनाने के लिए सरकार को विश्वास में लेने के लिए अब तक अधूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। जैसा हरिद्वार, कुरूक्षेत्र और अन्य पवित्र शहरों में गो पर प्रतिबंध है इसलिए हम अमृतसर शहर में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस सरकार से अनुरोध करते हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यह है कि हमारे अनेक साथी संसद सदस्यगण धूम्रपान के लिए संसद की लौबियों और केन्द्रीय कक्ष का इस्तेमाल करते हैं। हम उदार व्यक्ति हैं और इस आधुनिक समाज में हमारा सरकार से अनुरोध है कि संसद के परिसर के भीतर एक धूम्रपान कक्ष बनाया जाए जहां संसद सदस्य धूम्रपान हेतु उसका उपयोग कर सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बहुत अधिक सिगरेट पीने वालों और तंबाकू चबाने वाले लोगों के लिए निर्व्यसन केन्द्र और पुनर्वास केन्द्र बनाए जाएं ताकि लोगों को धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग की बुरी लत से निर्व्यसित किया जा सके। मेरा सरकार से इन गैर–सरकारी संगठनों को धनराशि देने का अनुरोध है जो इन निव्यर्सन केन्द्रों की स्थापना करना चाहते हैं।

मैं एक और पहलू पर सरकार से प्रार्थना करता हूं। महान सिख नेता मास्टर तारा सिंह मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम.के. गांधी, जवाहर लाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इन सभी नेताओं की प्रतिमाएं इस संसद के रिक्त परिसर में लगी हुई हैं। किन्तु बेचारे मास्टर तारा सिंह, जो धूम्रपान तथा तंबाकू सेवन के विरुद्ध थे जिनके धर्म में तंबाकू का उपयोग अभिशाप और वर्जित है, की मूर्ति गुरुद्वारा रकाबगंज के पास संसद के बाहर फुटपाथ पर लगी है जहां पान खाने वाले और तंबाकू उपयोगकर्ता उनकी मूर्ति का उपयोग थूकदान के रूप में करते हैं। यदि हमारे नेताओं को मास्टर तारा सिंह की प्रतिमा के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं मिल सकता तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनकी मूर्ति को क्वीन

विक्टोरिया, ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और वायसरायों के साथ हो जहां उनकी मूर्तियां हैं ताकि उन्हें उस स्थान से अलग विश्राम स्थल मिल सके जहां उनकी प्रतिमा का उपयोग तंबाकू चबाने वाले राहगीर थूकदान के रूप में न कर सकें।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का स्वागत करते हैं। हमारे उपनेता श्री शिवराज पाटील ने स्पष्टतः बताया है कि इस विधेयक के गुणावगुण क्या हैं और इस कार्य पर निर्भर रहने वाले किसान से व्यापारी तक, जिनकी कुल संख्या 35 मिलियन है, का भविष्य क्या होगा।

सायं 7.00 बजे

केन्द्र यह स्वीकार कर सकता है कि उसका कुल घाटा लगभग 1000 करोड़ रु. है और राज्यों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष घाटा मिलाकर 8000 करोड़ रु. से अधिक का नुकसान है। किन्तु हमारे पास समक्ष यह विषय नहीं है। केवल एक बात है इस कार्य से आजीविका पाने वाले लोगों का पुनर्वास। हमें उनके पुनर्वास का मार्ग ढूंढना है। हम विधेयक से पूर्णतः सहमत हैं और हम विधेयक के विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु इससे पहले हमें इस कार्य पर निर्भर करने वाले सभी लोगों को व्यवस्थित करने और उनके पुनर्वास का मार्ग ढूंढना है।

उदारीकरण नीति की बात करें तो क्या सरकार आयात नहीं रोक सकती? यदि वह आयात नहीं रोकती, तो इस विशेष मुद्दे पर विधेयक लाने का कोई तात्पर्य नहीं हैं। आयात होता है इस प्रकार हम पहले ही अपने स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं। दूसरे, इस उद्योग पर निर्भर रहने वाले लोग कष्ट झेल रहे हैं, और तीसरे, कुल राजस्व घाटा हजारों करोड़ रुपए का होगा। इसके अलावा, यदि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सोचें तो हम इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करते हैं। इसके कारण लाखों लोग कष्ट उठा रहे हैं। सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक आयात रोके बिना हमारी सहायता नहीं करेगा। जब तक हम आयात नहीं रोकते तब तक इस कानून द्वारा हम कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं कर सकेंगे।

यह आशंका है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह समस्या खड़ी कर रही हैं। यह केवल इसी उद्योग के साथ नहीं है बल्कि भारत में स्थित अन्य उद्योगों साथ भी यही हो रहा है किसी न किसी प्रकार से हमारे उद्योग और हमारे लोग उदारीकरण नीति के कारण कष्ट झेलेंगे। अन्ततः बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचेगा और वे इस देश पर राज करेंगी। यह स्थिति पांच से दस वर्षों में उत्पन्न हो जाएगी। सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में सोचना चाहिए। मैं आने वाले दिनों की परिस्थितियों के विषय में बोल रहा हूं। मैं विशेषतः इस विधेयक के विषय में नहीं बोल रहा हूं। हम स्पष्टतः इस विधेयक से सहमत हैं। किन्तु केवल एक तकनीकी व्यवधान है। श्री शिवराज पाटील ने दो बातों का उल्लेख किया, एक है उनका स्थान निर्धारण तथा दूसरा सिगरेट के डिब्बों पर (खोपड़ी तथा दो हड्डियों वाला) खतरे का निशान। हम केवल इन्हीं दो बिन्दुओं पर बल दे रहे हैं, इससे अधिक नहीं। इसकी अपील हम मंत्री जी से करते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों में से अधिकांश अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीड़ी कामगार हैं। आपको कुछ कार्यक्रम बना कर उनका पुनर्वास करना होगा। आपको इसे एक या दो वर्षों के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित करना है। हमें स्वास्थ्य के दृष्किोण से इसका ध्यान रखना है और यह हमारे नागरिकों, संसद सदस्यों और सरकार का प्राथमिक दायित्व है। किन्तु इन सब बातों पर विचार किए बिना इस विधेयक को पारित करने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु आयात के विषय में हैं यदि हम प्रतिबन्ध लगाते हैं और उसी समय आयात को बढ़ावा देते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलेगा?

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा जो इस विषय में काफी चिन्तित हैं–हम भी इस विषय पर चिन्तित हैं–कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए, यह देखें। मुझे आशा है कि वे श्री पाटील ने जो कहा है और जिससे हम पूर्णतः सहमत हैं उस पर विचार करेंगी।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, मैं सुषमा स्वराज जी का अभिनन्दन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कहते हैं कि हैल्थ इज वैल्थ। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है और अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है।

महोदय, केवल इनकी सरकार की ही हैल्थ ठीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि प्रजेंट हैल्थ मिनिस्टर तो यहां उपस्थित हैं ही, बल्कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री सी.पी. ठाकुर जिन्होंने हैल्थ मिनिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से चलाया, वे भी सदन में उपस्थित हैं। आमतौर पर यह होता है कि

[श्री रामदास आठवले]

जिस मंत्रालय का विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत होता है वे मंत्री ही बहस के समय सदन में उपस्थित रहते हैं, लेकिन यहां तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुषमा जी को सपोर्ट करने के लिए श्री सी.पी. ठाकुर भी मौजूद हैं।

महोदय, बिल की भावना अच्छी है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर यदि पाबन्दी लगाई जाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी और देश में तंबाकू की स्मगलिंग प्रारंभ हो जाएगी। यहां तंबाकू का उत्पादन बंद करेंगे, तो तंबाकू बाहर से आनी प्रारंभ हो सकती है और इस प्रकार से उसकी स्मगलिंग चालू हो सकती है। अतः मंत्री महोदया को इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते समय इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए था।

महोदय, इसमें विद्यालयों से 100 मीटर की परिधि में बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू तथा उससे बने अन्य उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि किसी शहर में बीड़ी सिगरेट की एक भी दुकान नहीं खुल सकती है क्योंकि कहीं मंदिर है, कहीं कंप्यूटर के शिक्षा के केन्द्र हैं और कहीं विद्यालय हैं, आजकल ये तो कदम–कदम पर स्थित हैं। यदि 100 मीटर की परिधि को मापदंड बनाया जाएगा, तो एक भी दुकान किसी शहर में नहीं खुल सकती है। इसलिए मेरा आग्रह कि 100 की दूरी को 25–30 मीटर करने की जरूरत है। अतः इसमें और अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। इसके पारित होने से अधिक करप्शन न हो, इस प्रकार से इसका आयोजन और नियोजन करने की आवश्यकता है।

महोदय, इस देश में बीड़ी–सिगरेट पीने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। अगर वे बीमार हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। जो लोग बीड़ी–सिगरेट पीते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग तंबाकू के बने अन्य उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, यदि वे इन्हें न खाएं या इस्तेमाल न करें और यदि वे बीमार हो जाएं, तो उनका क्या होगा, उनके इलाज की क्या व्यवस्था होगी और इसकी जिम्मेदारी किस की होगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दवा के माध्यम से भी तंबाकू दी जाती है, उन्हें यदि तंबाकू नहीं मिलेगी, तो उनका क्या होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, वे भी बीमार हो जाते हैं। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

महोदय, तंबाकू एवं इसके बने उत्पादों की बिक्री से 8 हजार करोड़ रुपए की सेंट्रल एक्साइज मिलती है। इस पर प्रतिबंध लगाने वे वह नहीं मिलेगी। साढ़े तीन करोड़ लोग तंबाकू के धंधे में लगे हैं। जिनमें छः मिलियन फॉर्मर्स हैं और 20 मिलियन फॉर्म लेबरर्स हैं, 4.4 मिलियन बीड़ी वर्कर्स हैं, 2.2 मिलियन लोग तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले लोग हैं। ये सब बेकार हो जाएंगे। इन्हें रोजगार देने का भी कोई प्रबन्ध करना चाहिए। इसलिए खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। अतः इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है।

महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदया, सारे देश की हैल्थ अच्छी करने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन एक बात उन्हें ध्यान में रखनी होगी कि देश में बीड़ी–सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले 60-70 प्रतिशत लोग हैं। ये लोग आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखें।

महोदय, यह बिल बहुत अच्छी भावना से लाया गया है, लेकिन इसके पारित होने के बाद, जब डेढ़ साल बाद चुनाव होंगे, तो आपकी पार्टी इधर होगी और हमारी पार्टी उधर जा सकती है। आप बिल लाई हैं, इसलिए मैं इसका अभिनन्दन करता हूं। अटल जी ने आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ–साथ हैल्थ डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी दी है, यह अच्छा किया है, वरना पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर की हैल्थ बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए आपको हैल्थ डिपार्टमेंट दिया है। हैल्थ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कोआर्डीनेशन करके आपने बहुत अच्छा किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें आपको कुछ न कुछ अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

मैं अभिनन्दन के साथ–साथ आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन करके अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

(अनुवाद)

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

विषय वस्तु पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में 13 वर्ष तक कार्य के पश्चात यह विधेयक सभा के सामने लगाया गया है। यह स्थाई समिति की छानबीन से भी गुजरा। परन्तु हम कहना चाहते हैं कि यह अधिनियम एक नए प्रकाश का अधिनियम है जहां गुप्त और चोरी–छिपे व्यापार की अनुमति दी जा रही है। कोई व्यक्ति तंबाकू उगा सकता है। इसका उत्पादन, कर सकता हैं बिक्री तथा आयात कर सकता है। हर चीज की जा सकती है। परन्तु इसे दूसरों को बताए बिना गोपनीय ढंग श्से किया जाना चाहिए। यह इस विशेष अधिनियम का कुल असर है। क्या यह हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है? कुल मिलाकर किसी मनुष्य के अथवा भार में लोगों के आचरण पर प्रतिबंध है। कतिपय बातों का प्रतिषेध करने के लिए यह नगरपालिका अथवा राज्य स्तर का कानून हो सकता है। परन्तु जब हम राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिनियम लेकर आते हैं तो हम व्यापार को ज्यों का त्यों अनुमति दे रहे हैं, कृषि को ज्यों का त्यों अनुमति दे रहे हैं परन्तु कृषकों को कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हम व्यापारियों को वैकल्पिक रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम श्रमिकों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत का अवसर नहीं दे रहे हैं। हम इस विशेष अधिनियम को किस प्रकार लागू करने जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। केवल एक अधिनियम बनाकर इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच को लाभ हो सकता है। अथवा हम स्वयं से कह सकते हैं कि हमने शिक्षण संस्थाओं से सौ गज के भीतर सिगरेट की बिक्री का निषेध कर दिया है। क्यवा यह हमारे लिए संतोषजनक है?

मैंने जब श्रीमती सुषमा स्वराज मंत्री थीं तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति को एक बार बताया था। उन्हें छद्म विज्ञापनों के बारे में बहुत अंतर्ज्ञान था। उस समय, मैंने तमिलनाडु में हमारे महान अभिनेता श्री रजनी कांत के बारे में जिक्र किया था। दो वर्ष का बच्चा और 70 वर्ष का व्यक्ति दोनों उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह सिगरेट को होठों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक घुमाते हैं। वह सिगरेट 20 फिट दूर फेंककर मुंह से पकड़ लेते हैं। वह बहुत से घुमावों से धुआं फेंकते हैं। सिनेमा में एक हीरो की यही विशेषताएं होती हैं। क्या हम इसे निषेध करने जा रहे है? क्या हम इसे रोकने जा रहे हैं? हम बहुत सरलता से हीरो ओर उसकी प्रेमिका का वर्णन टेलीविजन धारावाहिकों अथवा कहानी में अथवा पत्र–पत्रिकाओं में देश सकते हैं। उन्हें प्रेम करते हुए दिखाया जाता है। उस समय लड़की कहती है कि हीरो का धूम्रपान करने का तरीका बहुत मजेदार है। धुंए इतने सारे घुमावों से निकालना बहुत मजेदार है। क्या हम इसे रोकने जा रहे हैं? सबसे पहले इस तरह की बहादुरी को रोका जाना चाहिए। केवल तभी ऐसा अधिनियम लाकर एक व्यक्ति के चरित्र को सही रूप में स्थापित किया जा सकता है। अन्यथा, यह कानून की पुस्तक का हिस्सा होगा परन्तु इस पर पुस्तक पर कभी भी कार्यवाही नहीं हो सकती।

मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अक्सर देखते हैं कि एक पुलिसकर्मी दूसरे व्यक्ति से सिगरेट लेता है। अब, वह दूसरे व्यक्ति से 50 रुपए के साथ सिगरेट लेता है। अन्यथा उसे दंड के रूप में 200 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। उसे एक सिगरेट और 10 रुपए का लाभ हो रहा है। यह चीज होने वाली है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि हमें इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। यह विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नहीं लाया गया है। बल्कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसलिए, हमें एक कोष बनाना पड़ेगा। यदि आप इस अधिनियम को लागू करना भी चाहते हैं तो आपको एक कोष बनाना पड़ेगा और जो लोग सिगरेट तथा तंबाकू के आदि हैं उनको परामर्श देकर मदद की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निदान केंद्र खोले जाने चाहिए। उचित परामर्श दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम से हमें लोगों को सिगरेट तथा तंबाकू की आदतों को छुड़ाना चाहिए। उसी प्रकार किसान तमिलनाडु के डिंडीगल जिले में उत्तमपलमल में खारी भूमि पर रह रहे हैं जहां केवल तंबाकू की खेती की जा सकती है। ऐसे लोग आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु के बहुत से स्थानों पर हैं। लाखों लोग इसी पर जीवकोपार्जन कर रहे हैं और कच्चा तंबाकू गांवों के जीवन का एक हिस्सा है। इससे उन्हें थकान की स्थिति में ऊर्जा मिलती है। जब एक रिक्शा चालक थक जाता है तो वह वाहन वाइन अथ्वा व्हिस्की नहीं ले सकता। वह केवल तंबाकू की थोड़ी सी मात्रा हही ले सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। परन्तु इसके साथ ही हम छोटे आदमी को कैसे बदलेंगे। जब छोटा आदमी तंबाकू ले रहा है तो आप उसे निषेध कर रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही खंड 4 के अंतर्गत आप सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेधा करने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब आपके बीस–तीस कमरों का रेस्तरां है तो आप उनको धूम्रपान हेतु अलग कमरे की अनुमति दे रहे हैं। क्या इसकी अनुमति दी जानी चाहिए? साधारण लोगों को अपनी इच्छा रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? वे थोड़ी सी बीड़ी चाहते हैं। वह बीड़ी उनके लिए लंच और डिनर को भुलाने के लिए पर्याप्त है।

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

वे घर में भोजन के लिए बिलखते हुए अपने बच्चों का जीवन सुधारने हेतु कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आप इन प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे? यह प्रश्न हमारे ऊपर घूर रहे हैं। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब हम इस प्रकार का अधिनियमन करें तो इसके उचित कार्यान्वयन हेतु अधिक धन होना चाहिए उन्हें उचित परामर्श दिया जाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब इसका प्रारूपण किया गया है तो 'बिक्री' को खंड 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यह 'बिक्री' लागू नहीं की जा सकती। यदि इसे लागू भी किया जाता है तो यह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। खंड 3(5) में परिभाषित 'बिक्री' में कहा गया है :

> "'विक्रय' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ, किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल में संपत्ति का अंतरण अभिप्रेत है चाहे नकदी में या उधार पर हो या विनिमय के माध्यम से हो और चाहे थोक या फुटकर में हो तथा इसके अंतर्गत विक्रय के लिए कोई करार और विक्रय का प्रस्ताव और विक्रय के लिए अभिदर्शन भी आता है।"

यह क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस खंड से थोक बिक्री को भी निषेध किया गया है। हम अन्य खंडों में अनुमति दे रहे हैं कि हर चीज गोपनीय ढंग से की जा सकती है; इसे बाहर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए; इसे सौ फीट के भीतर नहीं बेचा जाना चाहिए। यह सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से धूम्रपान कर सकते हैं; आप व्यक्तिगत रूप से तंबाकू ले सकते हैं। आप इसे व्यक्तिगत रूप से और गुप्त रूप से बेच सकते हैं परन्तु इसके साथ ही थोक बिक्री को निषेध किया गया है। इस निषेध को लागू करने वाले निकाय द्वारा कैसे दुरुपयोग किया जाता है? हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। उसी तरह, मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब इस अधिनियम को लागू किया जाना है तब सर्वोच्च सजा दो से पांच वर्षों के लिए है। यह कैसे किया जाएगा? एक वकील के रूप में मैं मान सकता हूं कि सिगरेट का उपभोग करने के लिए संक्षिप्त विचारण का प्रावधान है और 200 रुपए का जुर्माना दिया जाना चाहिए। दो से पांच वर्षों की सजा का क्या होगा? वे इसे कैसे लागू करेंगे? क्या यह वारंट प्रक्रिया होगी? वे इसे कैसे लागू करेंगे? कौन सा मंच ऐसा करने जा रहा है? क्या यह सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा? कौन सा न्यायालय ऐसा करने जा रहा है?

सभापति महोदय : यह दंड प्रक्रिया संहिता में पहले से है।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : यह दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा किया जा सकता है। परन्तु अधिनियमन में बहुत सी खामियां हैं।

मैं सार स्वरूप कहना चाहता हूं कि इस अधिनियमन को लागू करने में स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व पूरा करने के उद्देश्य के लिए ही नहीं होना चाहिए। यह लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए और लोगों की भलाई केवल संगठित प्रयासों से ही की जा सकती है। कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग तथा अन्य विभागों को एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिनेमा, टेलीविजन, गीतों इत्यादि के माध्यम से धूम्रपान की आदत को कम किया जाए। इसके साथ ही बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए और युवाओं को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। नशे के आदी लोगों को सरकार के धन से परामर्श देकर रक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, कुल मिलाकर 19 सांसद साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी श्री शिवराज पाटील का, जिन्होंने बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाते हुए इस चर्चा की शुरूआत की। बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण उन्होंने इस विधेयक के बारे में सदन रखा। उन्होंने बात की जहां इस व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों प्रति संवेदना प्रकट की, वहीं जनता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता भी प्रकट की। उन्होंने इस बिल को लाने की सराहना की और इस बिल का समर्थन भी किया। जिन 18 सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया, अगर मैं विभाजन करना चाहूं तो उनको चार वर्गों में विभाजित कर सकती हूं।

एक वर्ग वह है, जिसने बिल का समर्थन किया, लेकिन प्रश्न उठाए, जिनका उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगी। स्वयं शिवराज जी ने और आपने, डा. सरोजा, रेणु कुमारी जी, रमेश चेन्नितल्ला जी, नाच्चीयपन जी, मुनिअप्पाजी, ये तमाम सांसद इस वर्ग में आते हैं, जिन्होंने बिल का समर्थन करने के साथ-साथ कुछ आशंकाएं और प्रश्न भी रखे।

लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है, जिसने इसे और कठोर बनाने की वकालत की। बिल का समर्थन किया, लेकिन उसमें

कुछ खामियां या हल्कापन पाया, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, वे हैं अनादि साहू जी, पी. के. बंसल जी, राधाकृष्णन जी, सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान। इन्होंने चाहा कि इस बिल को और ज्यादा कठोर बनाने की आवश्यकता है। एक वर्ग ऐसा भी है जिसने पूरा विरोध किया, लेकिन उस खाने में एक नाम आता है, वह हैं आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री देवगौड़ा जी। एक वर्ग वह है जिसने पूर्ण समर्थन किया, उसमें भी एक नाम आता है और वह श्री खारबेल स्वाइं जी।

इस तरह से 18 लोगों का विभाजन किया जा सकता है। लेकिन पहला वर्ग, जिसमें लगभग 29 सदस्य आते हैं, उनके मुद्दे लगभग एक हैं। जिनकी शुरुआत शिवराज पाटील जी ने की और आपने उसे दोहराया। वे मुद्दे मुख्यतः तीन बनते हैं। पहला रोजगार का है, रिहैबिलिटेशन का है। आपने कहा कि 35 मिलियन लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनकी रोजी–रोटी पर सीधा प्रहार होगा। वे रोजगार से बाहर हो जाएंगे, क्या सरकार ने इसकी चिंता की है। मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि सरकार इतने बड़े वर्ग की चिंता किए बिना इस विधेयक को लाने की सोच भी नहीं सकती थी। मैं आंकड़ों की सत्यता या असत्यता में नहीं जा रही हूं, शिवराज जी, आपके पास 35 मिलियन का आंकड़ा है, मेरे पास 11 मिलियन का है। लेकिन सवाल यह है कि 35 मिलियन की या 11 मिलियन की रोजी–रोटी जा रही है, इससे इस तर्क का वजन कम नहीं हो सकता। अगर एक लाख लोगों की रोजी–रोटी भी जा रही है, तो भी इस सरकार को चिंता है। पहली बात तो यह है हम इस बिल के माध्यम से उत्पादों का उत्पादन बंद नहीं कर रहे हैं। तंबाकू से जुड़े हुए उत्पाद चाहे वह सिगरेट हो या अन्य हैं, उनके उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है विज्ञापनों पर या बिक्री को थोड़ा प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसकी सेल पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। इसलिए यह मानना कि इधर बिल पारित हो गया और उधर वे बेरोजगार हो जाएंगे यह होने वाला नहीं है। हां, यह जरूर है कि प्रचार बंद होगा तो व्यापार कम होगा। व्यापार कम होगा तो उत्पादन की मांग कम हो सकती है। वहां इससे जुड़ा हुआ प्रश्न रोजगार का आ सकता है। उसके बारे में मैं यह बता दूं कि हमारा मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ इस बात की चर्चा कर रहा है कि कौन सी वैकल्पिक फसल इन लोगों के खोजी जाए, जो वैसी ही जमीन में हो सके, जिस जमीन पर तंबाकू होता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम ऐसी वैकल्पिक फसल की तलाश कर रहे हैं जो तंबाकू से ज्यादा आमदनी दे सके और वह फसल मेडिसिनल प्लांट्स की है। क्योंकि वह हमारा अपना विभाग है, मेडिसिनल प्लांट्स, आज हर्बल प्लांट्स की मार्केट इंटरनेशनली क्रिएट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाइना बहुत बड़े पैमाने पर औषधीय उत्पादों का व्यापार कर रहा है। भारत उसका दूसरा बड़ा व्यापारी हो सकता है। इसलिए हम यह भी तलाश कर रहे हैं कि वह भूमि जिस पर तंबाकू उगता है, उस पर कौन सा मेडिसिनल प्लांट उगाया जा सकता है, ताकि इससे भी ज्यादा आमदनी उन लोगों की हो सके। जहां तक बीड़ी वर्कर्स का सवाल है, लेबर मिनिस्ट्री के साथ, जहां तक तंबाकू ग्रोअर्स का सवाल है, कृषि मंत्रालय के साथ, हम लगातार चर्चा में हैं। इसलिए इस सारे का प्रभाव उनकी रोजी–रोटी पर न पड़े इसका समाधान हम कर रहे हैं और जरूर कोई सकारात्मक समाधान करके आपको बताएंगे।

दूसरी बात पिक्टोरियल वार्निंग की कही गई। कहा गया कि इसमे स्कल–बोन आदि दिखाने की बात है, यह अनावश्यक है। एक संशोधन भी आया कि उसे समाप्त कर दिया जाए। मुझे बहुत हैरानी हुई जब माननीय रेणु जी ने एक उपमा दी। उन्होंने कहा कि यह तो दुल्हन के घूंघट जैसा है क्योंकि घूंघट में चेहरा देखने की ललक और ज्यादा उठती है। इसलिए स्कल और बोल देखकर ज्यादा ललक उठेगी। मुझे नहीं लगता है कि यह उपमा तर्क संगत है। स्कल और बोन का पिक्टोरियल वार्निंग अगर आता है तो बिजली के उन खंभों पर आता है जहां नंगी तारों को छूते ही आदमी मर जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किशोर या किशोरी स्कल और बोन के देखने के बाद उस तार को छूने का दुस्साहस करता है। स्कल और बोन दुल्हन का घूंघट नहीं है जिसके देखने के बाद चेहरा देखने की ललक उठे। स्कल और बोन मूल विधेयक में नहीं था लेकिन जिस समय बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया, स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि हम जो लिखते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह निरक्षर लोगों के लिए तो बेमानी है, क्योंकि वे तो पढ़ना ही नहीं जानते हैं। आपने कोई वार्निंग, कोई चेतावनी दी या नहीं दी, उनके लिए कहां मायने रखती है। इसलिए वह चीज जिससे उन्हें भी पता चले कि यह खतरनाक है, ऐसा कोई चित्र उस पर आना चाहिए। इसलिए कोई ऐसी चीज जिसे देखने के बाद पता चले कि इसको पीना खतरनाक है उसमें होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी की उस अनुशंसा को मानते हुए ही सरकार ने इस बात को वहां रखा है।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

तीसरी बात 100 गज के विषय में आई। यहां कुछ लोगों ने कहा कि 100 गज अगर होगा तो पान वालों की दुकानें ही उठ जाएंगी क्योंकि स्कूल बहुत थोड़ी जगहों पर हैं। मैं कहना चाहूंगी कि स्टेंडिंग कमेटी ने सिफारिश 500 गज के लिए की थी। स्कूल के 500 गज तक ये दुकानें नहीं होनी चाहिए क्योंकि शराब के लिए 500 गज की पाबंदी है। उनको लगता था कि ये पाबंदी उसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन कैबिनेट में जब यह मामला गया तो जिस तरह से आप लोगों ने दुकानदारों की चिंता की उसी तरह की चिंता कैबिनेट में व्यक्त की गई और कहा गया कि 500 गज शायद ज्यादा कष्टकारक हो जाएगा। इसलिए हमने पहले ही घटाकर 100 गज कर दिया। लेकिन अगर 100 गज की दूरी भी आप नहीं रखेंगे तो क्या स्कूल के मुहाने पर दुकानें खुलवा दें। एक बात यहां कही गई कि इसकी जगह क्लोज विसिनिटी कर दो। मैं माननीय शिवराज पाटील जी से कहना चाहूंगी कि एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि हम कम से कम डिस्क्रीशन अफसरों को दें। जब हम क्लोज विसिनिटी रख देंगे तो कोई अफसर तो यह कहेगा कि 50 गज की विसिनिटी भी ज्यादा है और कोई कहेगा कि 150 गज की विसिनिटी भी ज्यादा नहीं है क्योंकि फिर तो उनका विवेक तय करेगा। किसी को 150 गज की विसिनिटी लगेगी कि यह तो बहुत नजदीक है और किसी को 50 गज की विसिनिटी लगेगी कि वह बहुत पास हो गया। उसकी बजाय कुछ चीजें हम तय कर दें ताकि जो अफसर इसको इंप्लीमेंट करने वाला है, जिसके माध्यम से इस विधेयक की अनुपालना होनी है, उसके पास अपना विवेक पालन करने की क्षमता न रह जाए बल्कि संसद ने अपनी बुद्धिमता से क्या तय किया है यह उसके सामने होगा तो विषमता उतनी कम हो जाएगी। इसलिए क्लोज विसिनिटी के बजाए 100 गज रख देना बेहतर होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि हमने तय कर दिया और 500 गज की अनुशंसा को हमने कम करके 100 गज की बात की। ये जो तीन प्रश्न उठे थे ये उस वर्ग की तरफ से उठे थे जिन्होंने हमारा समर्थन किया।

अब मैं उस वर्ग की चिंताओं को लेना चाहूंगी जो इसे और कठोर बनाना चाहता है। माननीय अनादि साहू जी ने कहा कि लिनिएंट पनिशमेंट है, जिसके बारे में माननीय पवन जी ने भी बात की कि आप 200 रुपए में आप छोड़ रहे हैं। मैं माननीय पवन जी से कहना चाहूंगी कि अभी जो कुछ है उस पर ही इतनी चिंता जतलाई जा रही है। जब आदमी पहला कदम उठाता है तो बहुत अहतियात से उठाता है। पहली बार इस तरह का बिल आ रहा है और अगर आपका इतना समर्थन मिल रहा है तो अगला कदम उठाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरूआती तौर पर आप एकदम से ऐसा न लगने लगे कि हम कोई दमनकारी बिल लेकर आ रहे हैं, इसलिए शुरूआत ऐसी की है। आपने कहा कि उत्पादन ही बंद कर देना चाहिए, यह शायद आइडल सिचुएशन होगी लेकिन आपने ही स्वयं क्वालिफाइड किया कि जब तक वैकल्पिक फसल नहीं आ जाती तब तक उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता है और माननीय शिवराज जी की बात का समर्थन किया है। हो सकता है कि जिन वैकल्पिक फसलों की हम तलाश कर रहे हैं, उससे अपने आप वे लोग उस फसल पर चले जाएं और उत्पादन खुद–ब–खुद बंद होने लगे बजाए इसके कि कानूनी दृष्टि से उसे बंद किया जाए।

इसी तरह से राधाकृष्णन जी ने कहा कि सैन्ट्रल हॉल और लॉबी में एश ट्रेज उठवा दीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है और मैं पहले स्थान पर आपके साथ हूं लेकिन यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कारण यह कि यह पूरा परिसर संसद का अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर हम सभी सांसद यह तय करें और स्पीकर साहब से कहें तो संभव हो सकता है। सदन ने जो भावनाएं व्यक्त की है, वे भावनाएं स्पीकर तक जाएंगी और मैं स्वयं उनको लेकर जाऊंगी। अगर हम यह कहें कि आप ऐसा जोन बना दीजिए या कोई बैंच तय कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को धुआं निगलना पड़ता है, उससे उनको बचा लीजिए। शायद यह बिल पारित होने के बाद वे जरूर करना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने एक कदम और आगे जाकर कहा कि घर में भी कोई न पीए, क्योंकि बच्चों के सामने पीते हैं, तो मना तो नहीं कर सकते हैं, मगर उन्हें जबरन धुआं निगलना पड़ता है। राधाकृष्णन जी, अगर ऐसी चीज कानून में ले आएं तो उस कानून की अनुपालना कैसे करवाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर घर में इन्सपैक्टर को भेज दें और वह जाकर देखे कि कोई बच्चों के सामने पी रहा है या नहीं पी रहा है। अभी हमारे घरों में इतनी लिहाज और शर्म है कि न हम अपने बड़ों के सामने पीते हैं और न बच्चों के सामने पीते हैं। यह निश्चित बात है, इससे बुरी आदतें पड़ती हैं। ऐसी बहुत चीजें हैं, जिनकी सामाजिक दबाव से अनुपालना होती है, कानून के जरिए नहीं हो सकती है। इस तरह की चीज कानून में नहीं लाई जा सकती है।

महोदय, इसी तरह से धारा 32 की डिलीट करने की बात कही गई, जो एक्सपोर्ट से संबंधित है। मैं अपने देश में तो कानून बनवा सकती हूं, लेकिन दूसरे देशों में अगर इस तरह का कानून है, तो वहां वार्निंग लिखकर जाएगी। अगर कोई देश नहीं चाहता कि ऐसी वार्निंग आए, तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो बन रहा है, उसमें कैसे लिखा जा सकता है। उन्होंने निश्चित ही चाहा है, इस कानून को और कठोर बनाया जाए, लेकिन शायद यह संभव नहीं है।

एक अन्य बात श्री महताब, श्री बंसल व अन्य सदस्यों ने सरोगेट एडवर्टिजमेंट की कही। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि सरोगेट एडवर्टिजमेंट केबल एक्ट में पहले से ही बन्द है।

श्री पवन कुमार बंसल : बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है, मैंने उसके बारे में कहा था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह एक अलग बिन्दु है। मैं एक्सपोर्ट के बारे में बता रही हूं। एक बात जो श्री सुदर्शन नाच्चीयपन जी ने कही, मैं उसका जवाब दे रही हूं। मैं सरोगेट एडवर्टिजमेंट का जवाब देना चाहती हूं। केबल एक्ट में इसका प्रावधान है। आपने स्वयं धारा 5(1) को पढ़कर सुनाया। उसमें डायरैक्टली और इनडायरैक्टली लिखा है, सरोगेट एडवर्टिजमेंट के लिए। उन्होंने लिकर के लिए कहा कि किंगफिशर का पानी आ जाता है, एपल–जूस आ जाता है, मैक–डानल्ड के बैग्स आ जाते हैं और विग्स की टी–शर्ट आ जाती है। उसमें लिखा है, न प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है और न अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। इसलिए सरोगेट एडवर्टिजमेंट को रोकने का प्रावधान इस बिल पर में कर दिया गया है।

अब मैं श्री देवगौड़ा जी जी द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी, जो तीसरे वर्ग का प्रश्न है। मुझे ज्यादा खुशी होती, अगर वे सदन में उपस्थित होते। उन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया है, जिसका जवाब मैं उनके सामने देना चाहती थी, अच्छा होता अगर वे स्वयं सुनते। उन्होंने पहली बात यह कही कि इस बिल को इम्पलीमेंट कौन करवाएगा? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिह्न उन्होंने लगा दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, जिस सरकार की इच्छाशक्ति है इस बिल को लाने की, वही सरकार की इच्छाशक्ति रहेगी इस बिल को इम्पलीमेंट करवाने की और वही सरकार अमलीजामा भी पहनाएगी। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पलटवार किया कि आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं है, इसलिए आप इस तरह का बिल ले आई हैं। आपको पता नहीं है कि राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलता है। शायद वे मेरी पृष्ठभूमि भूल गए हैं। मैंने अपना राजनैतिक कैरियर स्टेट एसेम्बली से ही शुरू किया था। 1977 में मैं पहली बार हरियाणा विधान सभा में चुनकर गई थी और कैबिनेट स्तर में मंत्री बनी थी। 13 साल तक मैंने अपना राजनैतिक जीवन राज्य में ही सीमित रखा। इसलिए मुझे मालूम है कि स्टेट मशीनरी कैसे चलती है, राज्य प्रशासन कैसे चलता है। केन्द्र के ज्यादातर कानून स्टेट के माध्यम से ही इम्पलीमेंट किए जाते हैं। जिन राज्यों में अच्छा प्रशासन है, उन राज्यों में अमलीजामा अच्छा पहनाया जाता है और जिन में प्रशासन अच्छा नहीं है, वहां अमलीजामा नहीं पहनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु कौन तय करेगा, क्या आप होरोस्कोप मंगवाएंगी और साइज देखेंगी? मैं उनको बताना चाहती हूं कि यह अकेला बिल नहीं है, जहां 18 वर्ष की आयु तय की जा रही है। 18 वर्ष की आयु हमारे देश में बालिगपन और नाबालिगपान तय करती है। मेजर और माइनर का फर्क तय करती है। हम जब वोटिंग राइट देते हैं तो 18 साल के बालिग को देते हैं। हमारे यहां एक और कानून है, सिनेमा में फिल्म दिखाते हैं तो कहते हैं कि यह एडल्ट फिल्म है और उसे "ए" सर्टिफिकेट मिलता है। 18 साल के बाद उसे वह सिनेमा देखने का टिकट दिया जाता है। सिनेमा का टिकट देने वाला क्या होरोस्कोप मंगवाता है या उसका साइज देखता है? जैसे वह तय करता है वैसे यह तय कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न उठाना और इतने बड़े बिल के ऊपर सवालिया निशान लगाना, पूर्व प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने इसके आगे बढ़ कर कह दिया कि अगर यह बिल पारित हो गया तो आप विपक्षी बैंचों पर चले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि जनता का जनादेश इस बिल के ऊपर आएगा जिससे वह हमें विपक्षी बैंचों पर बैठा देगी। वह जनता जिनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, हम यह बिल ला रहे हैं, क्या वे हमें वहां बैठा देगी?

श्री पवन कुमार बंसल : आपके दूसरे कार्यों को देखते हुए वह आपको विपक्षी बैंचों पर बैठा देगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह तो इस बिल के साथ हमें जोड़ रहे हैं। यह भविष्य तय करेगा कि कौन किस को कहां बैठाएगा और किस कारण से बैठाएगा? वह यह कहते बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कोई विधवा हो जाती है, अगर उसका बच्चा दुकान करना चाहता है तो आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। पहली बात यह है कि हम किसी बच्चे की दुकान पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर किसी विधवा का 18 साल का बच्चा सिगरेट ही बेचना चाहता है तो वह यह न समझे कि

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

वह सिगरेट बेचने तक अपने आप को महफूज रखेगा। यदि वह सिगरेट बेचेगा तो सिगरेट पीने की बुरी आदत में भी पड़ेगा। वह सिगरेट पीने की बुरी आदत में पड़ेगा तो बुरी बीमारियों में भी फंसेगा। वह मां की आमदनी करवाने की बजाय इलाज पर पैसा खर्च करवाएगा तथा तन–मन और धन तीनों से अपनी मां को कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए कहीं ज्यादा बेहतर है कि वह सिगरेट बेचने की बजाय और कोई धंधा कर ले। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री उसे यह नसीहत न दें कि एक विधवा के बच्चे के लिए यही एक व्यापार बचा है कि वह सिगरेट बेचे और बाद में सिगरेट पीए। जहां तक उन्होंने कहा कि जनता हमें विपक्षी बैंचों पर बैठा देगी मैं उनसे कहना चाहती हूं कि हमारा भविष्य जनादेश तय करेगा। जनादेश क्या होगा, बता नहीं सकती लेकिन इस बिल को यहां प्रस्तुत करने का और सदन में यह बिल पारित करवाने का आत्मसंतोष, यह विधेयक जरूर देगा। मैं समझती हूं कि वह आत्मसंतोष प्राप्त करने के लिए हमें यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : सभापति महोदय, मुझे दो प्रश्न पूछने हैं और एक सुझाव देना है।

तंबाकू एक औषधीय पौधा भी है। जब तंबाकू को चबाया जाता हैतो वह व्यक्ति के दांतों, मसूढ़ों और उक्त सभी की रक्षा करता है। किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक उपभोग हानिकारक होता है। खाने को आवश्यकता से अधिक गरम करना हानिकारक है। इसलिए, इसे सीमाओं के भीतर किया जाना जरूरी है। मेरा सुझाव, न कि प्रश्न, वह यह है कि तंबाकू के उत्पादन को कम करने की आवश्यकता नहीं है। तंबाकू का इस्तेमाल कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि हम तंबाकू का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, तो प्रश्न यह है कि उत्पादक लाभप्रद कीमत कैसे प्राप्त करेगा। अब इसके लिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर तथा यह पता लगाने के लिए कि तंबाकू का केवल धूम्रपान के लिए नहीं बल्कि कुछ औषधियों हेतु इस्तेमाल कैसे किया जाए जानने के लिए पर्याप्त राशि व्यय करेगी? क्या किया जा सकता है? यदि सरकार इस प्रकार से सोच रही है तो क्या सरकार यह ध्यान रखने के लिए कुछ कदम उठाएगी कि जो व्यक्ति तंबाकू के उत्पादन में नहीं लगे हैं लेकिन व्यापार और वाणिज्य चला रहे हैं, जो परिवहन संबंधी कार्य कर रहे हैं वो तथा अन्य लोग प्रभावित न हों। थोड़ा–बहुत प्रभाव उन पर भी पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि उनके रोजगार पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। उनके लिए भी कुछ किया जाना जरूरी है क्या सरकार यह कार्य करते हुए इसे ध्यान में रखेगी?

मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न सरकार को उलझन में डालने के लिए पूछ नहीं रहा हूं। श्रीमती सोनिया गांधी ने इन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए प्रधान मंत्री को दो पत्र लिखे थे क्योंकि ये मुद्दे उनके ध्यान में लाए गए थे। मेरा विचार है, प्रधान मंत्री ने इन प्रश्नों का उत्तर देना मंत्री जी पर छोड़ दिया था क्योंकि मंत्री जी इन सबको विस्तार से देख सकते थे और वह इस काम को करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते थे। इसलिए मैं मंत्री से इन मुद्दों के लिए किसी उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब, सरदार सिमरनजीत सिंह मान।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र सभी लोगों के एक साथ मिलजुल कर रहने का नाम है। हम गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करके हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मंत्री महोदय ने दो साधारण प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है कि हमने विधेयक के क्षेत्र को बड़ा करने का अनुरोध किया है। जैसा शैक्षिक संस्थानों, हरिद्वार और अन्य पवित्र हिंदू नगरों में जहां पर गोहत्या पर प्रतिबंध है उनके मामले में किया गया है हमने उसकी तरह से देश में सारे गुरूद्वारों के परिसर को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है। क्या मंत्री केवल अमृतसर शहर में धूम्रपान और तंबाकू के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत होंगे? हम भारतीय लोकतंत्र में एक साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। हम यही सब पूछते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : मुझे एक प्रश्न बीड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेंदु पत्ते के बारे में पूछना है। हजारों जनजातीय व्यक्ति तेंदु पत्ते एकत्रित करने के काम में लगे हैं और इस कार्य को वन संबंधी छोटा काम समझा जाता है । काफी व्यक्ति वहां पर काम में लगे हैं। इस विधेयक के माध्यम से लगाया जा रहा प्रतिबंध प्रशंसनीय है।

यह कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन यह सिगरेटों से बिल्कुल भिन्न है। डिब्बे पर, कागज पर कुछ छपा हुआ है, जबकि जैसा कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और देश के अन्य हिस्सों में बीड़ी गरीब आदमियों की सिगरेट है तथा इस पर बहुत छोटा कागज लिपटा होता है। इससे उपभोक्ता की ओर अधिक ध्यान नहीं जाता। आप यह कैसे करते हैं? यह एक पहलू है।

अन्य पहलू भी है, कि तेंदु पत्तों को एकत्रित करने के काम में लगे जनजातीय व्यक्तियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी इंतजाम किया जाना जरूरी है। चूंकि तंबाकू की फसल उगाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान किया जाए, तो तेंदु पत्ते एकत्रित करने वाले व्यक्तियों के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए? सरकार को कुछ वैकल्पिक प्रबंधों पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, श्री शिवराज पाटील जी ने स्वयं कहा कि वे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। उनका सुझाव स्वागत योग्य है। नीति बनाते समय निश्चित तौर पर हम उन सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय, जहां तक सरकार सिमरनजीत सिंह मान साहब द्वारा पूछे गए प्रश्न कि क्या हम रेडियस बढ़ाएंगे, का सवाल है, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि कोहैबिटेशन के बारे में कोई क्वैशचन मार्क नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र इसी कोहैबिटेशन के आधार पर चल रहा है। यही कारण है कि हमारे यहां प्रजातंत्र इतना मजबूत है। रूल्स बनाते समय हम निश्चित तौर पर हरिद्वार, अमृतसर के गुरूद्वारों को एग्जामिन करेंगे।

सभापति जी, श्री महताब जी ने तेंदु पत्ता वर्कर्स के बारे प्रश्न किया कि क्या वे इस में लगे हुए हैं। मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि उत्पादन कार्य बंद नहीं हो रहा है जिससे बीड़ी वर्कर्स के या तेंदु पत्ता लाने वाले लोगों पर गाज गिरे। बीड़ी का उत्पादन बंद नहीं हो रहा है। जहां तक मैनुफक्चरर्स द्वारा लिखने का काम है उससे वर्कर्स अफैक्टेड नहीं होते हैं। अगर वे सफेद कागज के अंदर बीड़ी बनाएंगे तो उस पर अच्छे रूप में लिख दिया जाएगा, चाहे पिक्टोरियल वार्निंग का प्रश्न हो, चाहे किसी भाषा में लिखने का प्रश्न हो, उसमें वर्कर्स और बाकी लोग सीधे प्रभावित नहीं हैं। इसमें सीधे-सीधे मैनुफक्चरर्स को इंपलीमेंट करना है। मैनुफक्चरर्स बड़े-बड़े हैं। वे अपने उत्पादन को बनाए रखने के लिए रास्ता निकालेंगे और इसे इम्पलीमेंट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या माननीय मंत्री जी उस पिक्चर को हटा सकेंगे जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं यह बहुत ही कुरूप मालूम पड़ता है। क्या आप इस मामले पर विचार कर सकते हैं?

श्री रमेश चेन्नितला : हम इसका कोई और विकल्प चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें लिखा है कि 'वार्निंग' के अलावा और कुछ अच्छी बात सोची जा सकती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करने और उनमें व्यापार तथा वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : श्री मनसूर अली खां—उपस्थित नहीं हैं।

अब, श्री के. एच. मुनियप्पा।

श्री के. एच. मुनियप्पा : मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूं। चूंकि मंत्री जी कुछ परिवर्तन करने

के लिए सहमत हो गए हैं इसलिए हम इसे पेश नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कुछ अन्य सदस्यों ने भी संशोधन पेश करने की सूचनाएं दी हैं। मैं समझता हूं कि वे लोग इच्छुक नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब माननीया मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा परसों पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.47 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 2 मई, 2003/ 12 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/34/31/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।